


दिनांक 6-3-2016 एन 8-I-2016
अदन में प्रस्तुत की गयी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-7




विषय-सूची

प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	
राजस्व बकाये का विश्लेषण	1.2	
कर निर्धारण के बकाये	1.3	
विभागों द्वारा पता लगाया गया कर का अपवंचन	1.4	
लम्बित वापसी वाद	1.5	
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के निपटारे हेतु प्रणाली का विश्लेषण	1.7	
विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही	1.8	
लेखापरीक्षा योजना	1.9	
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.10	
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.11	
अध्याय-II: बिक्री,व्यापार आदि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	
“वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.4	
कर का न/कम आरोपण	2.5	
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.6	
प्रवेश कर का न/कम आरोपण	2.7	
घोषणा पत्रों का दुरुपयोग	2.8	
ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना	2.9	
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें	2.10	

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं०
विलम्ब से जमा किये गये संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण	2.11	54
अध्याय-III: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	3.1	57
आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.2	57
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	58
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	3.4	59
बेसिक लाइसेन्स फीस एवं प्रतिभूति जमा का समपहरण न किया जाना	3.5	59
आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	3.6	60
मॉडल शॉप पर लाइसेन्स शुल्क का कम आरोपण	3.7	61
अध्याय-IV: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	63
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	63
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	64
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	4.4	65
परमिट में अनियमिततायें	4.5	65
जे०एन०एन०यू०आर०एम० बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण	4.6	66
वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होना	4.7	67
गैर परिवहन यानों के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना	4.8	68
अधिक भार लदे वाहनों पर कैरेज बाई रोड अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण	4.9	69
तीन माह से अधिक अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर का वसूला न जाना	4.10	69
जब्त वाहनों से कर/अतिरिक्त कर की वसूली न किया जाना	4.11	70
अध्याय-V: स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	5.1	73
आन्तरिक लेखापरीक्षा	5.2	73
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	74
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	5.4	74

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं०
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	5.5	74
भूमि का अवमूल्यांकन	5.6	75
पट्टा विलेख का अवमूल्यांकन	5.7	76
दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	5.8	77
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण	5.9	78
अध्याय—VI: अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ		
(अ) मनोरंजन कर विभाग		
कर प्रशासन	6.1	79
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	79
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6.3	80
मनोरंजन कर विभाग में डायरेक्ट-टू-होम एवं डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण	6.4	80
टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों पर लाइसेन्स शुल्क एवं अर्थदण्ड का अनारोपण	6.5	93
(ब) भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग		
कर प्रशासन	6.6	94
आन्तरिक लेखापरीक्षा	6.7	94
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.8	95
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6.9	95
बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन	6.10	96
शासनादेशों का अधिनियम/नियमों के अनुरूप न होना	6.11	97
पर्यावरण अधिनियम का अनुपालन नहीं किया जाना	6.12	98
रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न/कम प्रभारण	6.13	99
ईट भट्टा मालिकों से रायल्टी और अनुज्ञा फीस की वसूली न किया जाना	6.14	100
ईट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी का कम आरोपण	6.15	100
परिशिष्टियाँ		105—156
शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली		157—160



प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अधीन आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों जिसमें वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, मनोरंजन कर विभाग एवं भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग सम्मिलित हैं, के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है। हालांकि, आर्थिक, जनरल एवं सोशल सर्विसेज सेक्टर से सम्बन्धित विभाग शामिल नहीं हैं और जनरल एवं सोशल सेक्टर के प्रतिवेदन तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा0क्षे0उ0) के प्रतिवेदन में आच्छादित किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2014-15 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; 2014-15 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 31 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति इत्यादि के कम/न आरोपण से सम्बन्धित ₹ 560.72 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 532.41 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 65.12 लाख की वसूली कर ली गई है। कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,68,213.75 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,93,421.60 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 74,172.42 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 19,934.80 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 94,107.22 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 99,314.38 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 66,622.91 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 32,691.47 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का केवल 49 प्रतिशत ही उगाह सकी।

(प्रस्तर 1.1.1)

31 मार्च 2015 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्ष जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, वाहनों पर कर, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग, राज्य आबकारी और मनोरंजन कर से सम्बन्धित बकाया राजस्व ₹ 26,837.24 करोड़ हो गया जिसमें से ₹ 11,572.73 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक से बकाया थे। कुल बकाये में से ₹ 3,910.30 करोड़ की वसूली भू-राजस्व के बकाये की वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी, ₹ 4,468.71 करोड़ माननीय न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों की कार्यवाही द्वारा रोके गये थे, ₹ 560.79 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध लम्बित थी और ₹ 1,618.99 करोड़ की वसूली बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी जबकि शेष ₹ 16,278.45 करोड़ के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही के बारे में सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

दिसम्बर 2014 तक निर्गत किये गये 10,899 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,813.44 करोड़ की धनराशि के 38,049 लेखापरीक्षा प्रेक्षण जून 2015 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.6)

हमने वर्ष 2014-15 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 1,135 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 851.14 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 5,145 मामले पाये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 456 मामलों में ₹ 20.92 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें वर्ष 2014-15 के दौरान 349 प्रकरणों में ₹ 19.21 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 1.10)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

“वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु उदघटित हुए:

- अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित और उन्हें पंजीकृत करने एवं ₹ 289.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.3.9.2)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद निस्तारित न किये जाने के परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 के दौरान 6,042 से 1,84,052 वाद वर्ष के बाद के माहों में बकाये रह गये। इसके परिणामस्वरूप वादों के निस्तारण के लिए 2010-11 से 2014-15 के दौरान शासन को एक माह से लेकर तीन माह तक तीन बार समयावधि बढ़ानी पड़ी। इसने आने वाले वर्षों के कर निर्धारण को भी प्रभावित किया।

(प्रस्तर 2.3.12 एवं 2.3.13)

- 20 में से 4 जोनों में 2011-12 से 2014-15 के दौरान क0वा0क0 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के मानक के सापेक्ष, 0.27 से 0.44 प्रतिशत की अत्यन्त कम प्रतिशतता के मध्य व्यापारियों को टैक्स आडिट हेतु चयनित किया गया था एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी टैक्स आडिट हेतु चयनित नहीं किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यापारियों के कार्यालय, व्यवसाय के स्थान एवं गोदाम पर कोई भी टैक्स आडिट सम्पन्न नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.3.14)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 16 खण्डों के 23,786 व्यापारियों में से 3,102 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 34 व्यापारियों के मामलों में ₹ 6.98 करोड़ की आई0टी0सी0 के दावों में अनियमितता यथा अनियमित/अदेय आई0टी0सी0 का दावा, अधिक दावा, आई0टी0सी0 का उल्लंघित न किया जाना एवं उस पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि के मामले थे।

(प्रस्तर 2.3.15)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 47,076 व्यापारियों में से 7,669 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 74 व्यापारियों के मामलों में कर की गलत दर लगाये जाने, माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, कर निर्धारण में टर्नओवर का छूट जाना आदि के कारण ₹ 6.48 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.3.16)

- छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 58,298 व्यापारियों में से 8,556 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 82 व्यापारियों के मामलों में टर्नओवर का छिपाया जाना, स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा होना, माल का बिना घोषणा पत्र के आयात किया जाना एवं मिथ्या घोषणा प्रस्तुत

करने के प्रकरण थे परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 114.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.3.17)

- आईटीसी के दावों को अनुमन्य करने एवं कर बीजकों के विरुद्ध की गयी बिक्री की धनराशि को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा की गयी सभी खरीद एवं बिक्री सत्यापित हो। वर्तमान ऑनलाइन व्यास प्रणाली में संव्यवहारों का शत-प्रतिशत सत्यापन सम्भव नहीं था क्योंकि केवल ₹ 50 लाख अथवा अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी ही इस प्रणाली में ई-रिटर्न दाखिल कर रहे थे।

(प्रस्तर 2.3.20)

- आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की खण्डों की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी क्योंकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 9 से 96 प्रतिशत की कमी रही। अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति 8,506 से बढ़कर 11,228 हो गयी और उस पर वसूली के बकाये की स्थिति ₹ 69.98 करोड़ से बढ़ कर ₹ 445.13 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.3.22.2 एवं 2.3.22.3)

82 वाणिज्यकर कार्यालयों के 11,425 व्यापारियों में से 108 मामलों में 2007-08 (वैट) से 2012-13 की अवधि में अनुसूची में दी गयी सही दरों पर करारोपण न किये जाने के कारण ₹ 2.39 करोड़ के अर्थदण्ड के साथ ₹ 7.23 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.5)

33 वाणिज्यकर कार्यालयों के 4,451 व्यापारियों में से 45 मामलों में 2008-09 से 2011-12 की अवधि में टर्नओवर के छिपाये जाने, कर के विलम्ब से जमा किये जाने एवं गलत खरीद पर ₹ 2.13 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.6)

25 वाणिज्यकर कार्यालयों के 3,050 व्यापारियों में से 34 मामलों में 2008-09 से 2011-12 की अवधि में निर्माताओं के माध्यम से कम प्रवेश कर वसूल किये जाने एवं क्रय पर प्रवेश कर की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.35 करोड़ के अर्थदण्ड के साथ ₹ 2.76 करोड़ के प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.7)

20 वाणिज्यकर कार्यालयों के 2,598 व्यापारियों में से 30 मामलों में 1999-2000 से 2011-12 की अवधि में स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 5.31 करोड़ का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.9)

26 वाणिज्यकर कार्यालयों के 3,603 व्यापारियों में से 32 मामलों में 2008-09 से 2011-12 की अवधि में त्रुटिपूर्ण/गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों की पहचान न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के आईटीसी का अनुत्क्रमण, अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.10)

III. राज्य आबकारी

2014-15 के दौरान पाँच जि०आ०का० के नमूना जाँच किये गये 69 प्रकरणों में से 65 में आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ₹ 88.03 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.6)

जि०आ०का० कानपुर में 2013-14 के दौरान आबकारी नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार मॉडल शॉप की लाइसेन्स फीस का निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मॉडल शॉप पर ₹ 35.95 लाख के लाइसेन्स फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.7)

IV. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

2014-15 के दौरान कानपुर, लखनऊ एवं वाराणसी में नगर परिवहन सेवा लिमिटेड के अन्तर्गत 464 जे०एन०एन०यू०आर०एम० बसों के नगर निगम सीमा के बाहर संचालित पाये जाने पर अतिरिक्त कर ₹ 30.36 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(प्रस्तर 4.6)

2014-15 के दौरान 72 सं०प०अ०/स०सं०प०अ० कार्यालयों में से 25 में बिना वैध स्वस्थता प्रमाणपत्रों के संचालित 5,820 वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण ₹ 2.69 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 4.7)

2014-15 के दौरान 72 सं०प०अ०/स०सं०प०अ० कार्यालयों में से 15 में 6,709 गैर परिवहन यानों के पंजीकरण का नवीनीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 40.25 लाख की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 4.8)

72 सं०प०अ०/स०सं०प०अ० कार्यालयों में से 47 में विभिन्न श्रेणियों के 1,786 अधिक भार लदे निरुद्ध वाहनों पर कैरिज बाइ रोड अधिनियम 2007 के अन्तर्गत ₹ 4.08 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(प्रस्तर 4.9)

2014-15 के दौरान तीन माह से अधिक अभ्यर्पित 245 वाहनों के मामलों में कर/अतिरिक्त कर ₹ 53.22 लाख वसूला नहीं गया।

(प्रस्तर 4.10)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

2014-15 के दौरान 331 उ०नि०का० में से 98 में सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 7.78 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.5)

VI. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

2011-12 से 2014-15 के दौरान सात जि०म०क०का० के 23 एम०एस०ओ० में से 13 पर लोकल चैनलों के संचालन के लिये ₹ 9.41 करोड़ के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 6.4.8)

2012-13 से 2014-15 के दौरान 11 जि०म०क०का० में सेट-टाप-बाक्स के सक्रियण प्रभार पर ₹ 17.94 करोड़ का मनोरंजन कर आरोपित नहीं हुआ।

(प्रस्तर 6.4.9)

2013-14 के दौरान जि०म०क०का० आगरा में केबल संचालकों पर प्रति माह ₹100 प्रति संयोजन की दर से ₹ 3.56 करोड़ का मनोरंजन कर देय था। इसके विरुद्ध केबल संचालकों द्वारा मात्र ₹ 3.05 करोड़ जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप डीएएस प्रणाली पर ₹ 51.09 लाख की कम वसूली हुयी।

(प्रस्तर 6.4.1.0 बुलेट 1)

नवम्बर 2009 एवं मार्च 2015 के मध्य आठ जि०म०क०का० के 1,183 केबल संचालकों में से 96 से मनोरंजन कर ₹ 64.19 लाख की कम वसूली हुयी।

(प्रस्तर 6.4.1.0 बुलेट 2)

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिये 13 जि०म०क०का० के 285 टेलीविजन सिग्नल रिसेवर एजेन्सियों में से 207 पर लाइसेन्स फीस ₹ 46.98 लाख का आरोपण नहीं किया गया।


(प्रस्तर 6.4.15.1)

दो जिला खान कार्यालयों में सात पट्टाधारकों के सम्बन्ध में बिना खनन योजना के खनिजों को उत्खनित किये जाने के परिणामस्वरूप उत्खनित खनिजों के मूल्य ₹ 3.08 करोड़ की वसूली नहीं हुयी।

(प्रस्तर 6.10)

2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिये 16 जि०खा०का० में 1,430 ईट भट्टा मालिकों से रायल्टी, परमिट शुल्क ₹ 6.84 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.14)



अध्याय-I सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुसूची आँकड़े सारणी 1.1.1 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

		(₹ करोड़ में)				
क्र० सं०	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
	• कर राजस्व	41,355.00	52,613.43	58,098.36	66,582.08	74,172.42
	• करेतर राजस्व	11,176.21	10,145.30	12,969.98	16,449.80	19,934.80
	योग	52,531.21	62,758.73	71,068.34	83,031.88	94,107.22
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	43,218.90	50,350.95	57,497.86	62,776.70	66,622.91 ¹
	• सहायता अनुदान	15,433.65	17,760.02	17,337.79	22,405.17	32,691.47
	योग	58,652.55	68,110.97	74,835.65	85,181.87	99,314.38
	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	1,11,183.76	1,30,869.70	1,45,903.99	1,68,213.75	1,93,421.60
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	47	48	49	49	49

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व (₹ 94,107.22 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,93,421.60 करोड़) का 49 प्रतिशत था। 2014-15 के दौरान शेष 51 प्रतिशत की प्राप्तियाँ भारत सरकार से थीं।

¹ विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या-14 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में मुख्य लेखा शीर्षक अ-कर राजस्व के अन्तर्गत-0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032-घन पर कर 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क, 0044- सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क राज्यों के समुद्देशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

1.1.2 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण सारणी 1.1.2 में दिये गये हैं:

सारणी 1.1.2
उगाहे गये कर राजस्व का विवरण

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष							(₹ करोड़ में)
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2013-14 के सापेक्ष 2014-15 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब०अ०	26,978.34	32,000.00	38,492.18	43,936.00	47,497.92	(+) 8.11
		वास्तविक	24,836.52	33,107.34	34,870.16	39,645.45	42,931.54	(+) 8.29
2.	राज्य आबकारी	ब०अ०	6,763.23	8,124.08	10,068.28	12,084.88	14,500.00	(+) 19.99
		वास्तविक	6,723.49	8,139.20	9,782.49	11,643.84	13,482.57	(+) 15.79
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	ब०अ०	5,000.00	6,612.00	9,308.00	10,555.00	12,722.67	(+) 20.54
		वास्तविक	5,974.66	7,694.40	8,742.17	9,520.92	11,803.34	(+) 23.97
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	ब०अ०	2089.90	2,329.95	3,093.90	3,713.00	3,950.00	(+) 6.38
		वास्तविक	2,058.58	2,380.67	2,993.96	3,442.01	3,797.58	(+) 10.33
5.	अन्य ²	ब०अ०	1,472.96	1,268.12	1,094.68	1,905.00	2,327.34	(+) 22.17
		वास्तविक	1,761.75	1,291.80	1,709.58	2,329.86	2,157.39	(-) 7.40
योग		ब०अ०	42,304.43	50,334.15	62,057.04	72,193.00	80,997.93	(+) 12.20
		वास्तविक	41,355.00	52,613.41	58,098.36	66,582.08	74,172.42	(+) 11.40

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में कमी बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी।

राज्य आबकारी विभाग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, मुख्यतः वर्ष के दौरान विदेशी मदिरा के उपभोग में कमी बताया गया और पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्ति में वृद्धि का कारण मुख्यतया एमजीक्यू, देशी मदिरा और बीयर की प्रतिफल फीस एवं दुकानों के व्यवस्थापन में वृद्धि के कारण थी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, जनता द्वारा विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रीयल इस्टेट में कम रुचि लेना बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति, वार्षिक दर सूची में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से अधिक थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी बजट अनुमान एवं प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (नवम्बर 2015)।

² अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू-राजस्व, होटल प्राप्तियाँ कर, मनोरंजन कर एवं दाँव कर।

1.1.3 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण सारणी 1.1.3 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.3
उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	(₹ करोड़ में)
							2013-14 के सापेक्ष 2014-15 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1	विविध सामान्य सेवायें	ब०अ० 7,118.06	4,216.01	3,264.23	2,970.98	4,037.81	(+) 35.91
	वास्तविक	5,120.67	4,035.23	4,494.11	3,194.28	6,400.41	(+) 100.37
2	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	ब०अ० 2,987.49	3,000.00	5,410.00	5,852.75	6,887.18	(+) 17.67
	वास्तविक	2,614.11	2,008.55	4,211.69	6,414.09	5,798.52	(-) 9.60
3	ब्याज प्राप्तियाँ	ब०अ० 1,229.49	861.62	924.36	858.36	1,434.90	(+) 67.17
	वास्तविक	689.32	789.22	1,186.41	1,619.35	2,302.82	(+) 42.21
4	अलौह, खनन तथा धातु कर्म उद्योग	ब०अ० 838.97	900.00	954.00	1,000.00	1,100.00	(+) 10.00
	वास्तविक	653.39	593.28	722.13	912.52	1,029.42	(+) 12.81
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ ³	ब०अ० 2,811.46	3,133.93	3,621.23	2,500.39	6,772.06	(+)170.84
	वास्तविक	2,098.72	2,719.02	2,355.64	4,309.56	4,403.63	(+) 2.18
योग	ब०अ०	14,985.47	12,111.56	14,173.82	13,182.48	20,231.95	(+) 53.48
	वास्तविक	11,176.21	10,145.30	12,969.98	16,449.80	19,934.80	(+) 21.19

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र न मिलने के कारण कई खनन पट्टों को या तो बंद या नवीनीकरण न किया जाना बताया गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्ति में वृद्धि प्रवर्तन कार्यों पर विशेष ध्यान दिये जाने तथा अवैध खनन की रोकथाम के कारण थी (नवम्बर 2015)।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (नवम्बर 2015)।

1.2 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2015 तक के कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का बकाया ₹ 26,837.24 करोड़ था, जिसमें से ₹ 11,572.73 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था, जैसा कि सारणी 1.2 में वर्णित है:

³अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं:

अन्य राजकोषीय सेवायें, लाभांश तथा लाभ, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, लेखन तथा मुद्रण सामग्री, लोक निर्माण कार्य, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल पूर्ति तथा सफाई, आवास, शहरी विकास, सूचना तथा प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाएं, फसल कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, वानिकी तथा वन्य प्राणि, कृषि एवं अनुसन्धान एवं शिक्षा, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्य सिंचाई, मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, बिजली, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्राम तथा लघु उद्योग, उद्योग, अन्य उद्योग, नागर विमानन, सड़क तथा सेतु, सड़क परिवहन, पर्यटन, सिविल पूर्ति तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

सारणी 1.2
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)				
क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2015 को पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,347.13	11,462.56	₹ 26,347.13 करोड़ में से ₹ 2,594.53 करोड़ की माँग भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया; ₹ 1,276.72 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 4,441.96 करोड़ की वसूलियों न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों एवं शासन द्वारा स्थगित की गयी थीं, ₹ 560.79 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध थी, ₹ 1,613.14 करोड़ की वसूली हेतु माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 45.02 करोड़ ट्रान्सपोर्टरो से बकाया थे। ₹ 15,814.97 करोड़ के शेष धनराशि हेतु, विभाग में विशेष कार्यवाही की जा रही है।
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	202.77	विभाग के पास ऐसे कोई ऑकड़े नहीं हैं।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। विभाग उन चरणों को जिसके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।
3.	वाहनों पर कर	136.82	विभाग के पास ऐसे कोई ऑकड़े नहीं हैं।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। विभाग उन चरणों को जिसके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।
4.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	77.52	51.15	विभाग के पास निदेशालय स्तर पर बकाये के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
5.	राज्य आबकारी	53.12	52.62	₹ 53.12 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया धनराशि हेतु माँग भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित की गयी थी। ₹ 53.12 करोड़ में से ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 16.87 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 5.85 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी।
6.	मनोरंजन कर	19.88	6.40	₹ 19.88 करोड़ में से ₹ 9.88 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थागित की गयी थी तथा ₹ 8.65 करोड़ की माँग भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी। शेष ₹ 1.35 करोड़ अपीलीय प्राधिकारियों के पास लम्बित था।
योग		26,837.24	11,572.73	

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

कुल बकाया ₹ 26,837.24 करोड़ में से ₹ 3,910.30 करोड़ भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था, ₹ 4,468.71 करोड़ माननीय न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोके गये थे, ₹ 560.79 करोड़ सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग के विरुद्ध लम्बित था तथा ₹ 1,618.99 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी जबकि शेष ₹ 16,278.45 करोड़ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया।

1.3 कर निर्धारण के बकाये

वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर (बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा संकर्म संविदा पर कर) के सम्बन्ध में प्रदान किये गये विवरण के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामले, कर निर्धारण हेतु नये मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार सारणी 1.3 में है।

सारणी 1.3
कर निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	2014-15 के दौरान कर निर्धारण हेतु नये मामले	कर निर्धारण हेतु कुल मामले	2014-15 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले	निस्तारण की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,413	3,14,328	3,21,741	2,55,480	66,261	79.41

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

विभाग द्वारा बताया गया कि सभी बकाया मामले 30 अप्रैल 2015 तक निस्तारित कर लिये गये हैं क्योंकि कर निर्धारण के सभी बकाया मामलों के निस्तारण के लिये एक माह की समयावधि माँगी गयी थी तथा शासन द्वारा उसे प्रदान किया गया था।

1.4 विभागों द्वारा पता लगाया गया कर का अपवंचन

वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर के अपवंचन के मामले एवं विभाग द्वारा निस्तारित किये गये एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँगों के मामलों का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, सारणी 1.4 में दिया गया है।

सारणी 1.4
कर का अपवंचन

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को लम्बित मामले	2014-15 के दौरान पता लगाये गये मामले	योग	मामलों की संख्या जिनमें कर निर्धारण/जौंच पड़ताल पूरी कर ली गयी है तथा अर्थदण्ड आदि सहित अतिरिक्त माँग सृजित हुई		31 मार्च 2015 को निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	माँग की धनराशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,955	5,604	15,559	6,556	2,669.76	9,003
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	15,792	33,508	49,300	30,469	अनुपलब्ध	18,831
3.	वाहनो पर कर	5,090	144	5,234	8	2.00	5,226
4.	मनोरंजन कर	0	47	47	30	0.01	17
योग		30,837	39,303	70,140	37,063	2,671.77	33,077

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी के देखने से पता चलता है कि वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामलों की संख्या के सापेक्ष वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी।

1.5 लम्बित वापसी वाद

वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में लम्बित वापसी वादो की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत वापसी और वर्ष 2014-15 के अन्त में लम्बित वादो, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा बताया गया, सारणी 1.5 में दिया गया है।

सारणी 1.5
लम्बित वापसी वादो का विवरण

क्र०सं०	विवरण	बिक्री कर/मू०सं०क०		राज्य आबकारी	
		वादो की संख्या	धनराशि	वादो की संख्या	धनराशि
1	वर्ष के प्रारम्भ मे लम्बित दावे	338	100.55	02	0.18
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	8,380	595.46	37	24.60
3	वर्ष के दौरान की गयी वापसी	8,547	668.13	37	22.93
4	वर्ष के अन्त में शेष लम्बित वाद	171	27.88	02	1.83

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

उत्तर प्रदेश मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तक अतिरिक्त धनराशि की वापसी व्यापारी को नहीं की जाती है, तो वापसी किये जाने तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। यद्यपि बिक्री कर/मू0सं0क0 के वापसी वादों के निपटारे जाने की प्रगति ठीक थी परन्तु वर्ष के अन्त में वापसी का लम्बित होना ब्याज के भुगतान के लिये दोषपूर्ण है। राज्य आबकारी विभाग में वापसी के लम्बित दावों में विगत वर्ष से वृद्धि हुई।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा, संव्यवहारों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है, जैसा कि नियमों एवं कार्यविधियों में निर्धारित था। ऐसा निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो पाता है, को शामिल करने वाले निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) से अनुगमित होता है जिन्हें निरीक्षण किये गये कार्यालयों के प्रमुखों के साथ-साथ उनके उच्चतर अधिकारियों को प्रतियों के साथ, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्गत किया जाता है। कार्यालयों के प्रमुखों/शासन को नि0प्र0 में शामिल आपत्तियों का तात्कालिक अनुपालन तथा कमियों एवं त्रुटियों का सुधार कर नि0प्र0 जारी होने के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या, प्रारम्भिक उत्तर के साथ महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि जून 2015 के अन्त तक 10,899 नि0प्र0 से सम्बन्धित ₹ 6,813.44 करोड़ की सन्निहित धनराशि के 38,049 लेखापरीक्षा प्रेक्षण लम्बित थे जैसा कि विगत दो वर्षों के तदनुसूची आँकड़ों के साथ निम्न सारणी 1.6 में वर्णित है।

सारणी 1.6
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

विवरण	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निस्तारण के लिए लम्बित नि0प्र0 की संख्या	10,808	11,104	10,899
लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	30,694	34,446	38,049
सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	6,305.36	6,816.69	6,813.44

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.6.1 30 जून 2015 को लम्बित विभागवार नि0प्र0 एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के विवरण सारणी 1.6.1 में वर्णित है:

सारणी 1.6.1
विभागवार नि0प्र0 का विवरण

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
1	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,792	21,986	3,567.00
		मनोरंजन कर	173	318	13.65
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,099	2,123	965.15
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,043	4,784	809.92
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2,649	8,098	727.80
5	भू-तत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	143	740	729.92
योग			10,899	38,049	6,813.44

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2014-15 के दौरान निर्गत 1,135 नि0प्र0 का यहाँ तक कि प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से नि0प्र0 के निर्गत करने के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। नि0प्र0 का उत्तर प्राप्ति न होने के कारण अधिक संख्या में लम्बित रहना

इस तथ्य का द्योतक है, कि कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागों ने नि0प्र0 में महालेखाकार द्वारा बतायी गयी कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

शासन को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की त्वरित तथा उपयुक्त प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

नि0प्र0 तथा नि0प्र0 के प्रस्तारों के निस्तारण की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा इसमें तेजी लाने के लिये सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों एवं निस्तारित प्रस्तारों के विवरण सारणी 1.6.2 में वर्णित हैं।

सारणी 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का विवरण

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निस्तारित प्रस्तारों की संख्या	(₹ करोड़ में) धनराशि
1	विक्री, व्यापार आदि पर कर	39	36	0.47
2	राज्य आबकारी	18	395	160.05
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	05	49	0.69
4	मनोरंजन कर	18	58	0.69
योग				161.90

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठकों के आयोजित होने के बावजूद वाणिज्य कर विभाग तथा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में बड़ी मात्रा में लम्बित नि0प्र0 एवं प्रस्तारों की तुलना में प्रस्तारों के निस्तारण की प्रगति नगण्य थी। परिवहन विभाग तथा भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन नहीं किया।

1.6.3 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख प्रस्तारों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु भेजा जाता है और छ: सप्ताह के अन्दर उनसे उनकी प्रतिक्रिया भेजने हेतु अनुरोध किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रस्तारों के अन्त में विभागों/शासन से उत्तरों के प्राप्त न होने का तथ्य निश्चित रूप से दर्शाया जाता है।

जून 2015 और जुलाई 2015 के मध्य एक निष्पादन लेखा परीक्षा सहित इकत्तीस आलेख प्रस्तारों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव को उनके नाम से भेजा गया। शासन/विभाग के उत्तरों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन-सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में अत्यधिक विलम्ब किया गया। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013, और 2014 को समाप्त होने वाले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल दो सौ तीन प्रस्तारों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 08 अगस्त 2011 और 17 अगस्त 2015 के मध्य राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा

गया। इन प्रस्तारों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ देर से प्राप्त हुईं। 2009-10 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 203 प्रस्तारों के विरुद्ध 114 प्रस्तारों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एक माह से 11 माहों तक के विलम्ब से प्राप्त हुयीं। 31 मार्च 2011, 2012, 2013 और 2014 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 89 प्रस्तारों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अब तक प्राप्त नहीं हुयीं (नवम्बर 2015)।

लो0ले0स0 ने 2009-10 से 2012-13 के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 90 चयनित प्रस्तारों पर चर्चा की। यद्यपि लो0ले0स0 के 90 प्रस्तारों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुयी जैसा कि सारणी 1.6.4 में दर्शित है।

सारणी 1.6.4

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर का0आ0 की सारांशीकृत स्थिति

वर्ष	विभाग	योग
2009-10	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, वन, सिंचाई, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	20
2010-11	राज्य आबकारी, परिवहन, और स्टाम्प एवं निबंधन	15
2011-12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूतत्व एवं खनिकर्म, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं वन	52
2012-13	राज्य आबकारी	3
	योग	90

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के निपटारे हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये मुद्दों के विभागों/शासन द्वारा समाधान करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, मनोरंजन कर विभाग से सम्बन्धित पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये प्रस्तारों पर की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तारों 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष 0045 के अधीन मनोरंजन कर विभाग के निष्पादन और विगत 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामलों एवं वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान मनोरंजन कर विभाग को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तारों और 31 मार्च 2015 तक की उसकी स्थिति के विवरण निम्न सारणी 1.7.1 में सारणीबद्ध हैं।

सारणी 1.7.1

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र० सं०	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान अभिवृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम शेष		
		नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि	नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि	नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि	नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि
1.	2005-06	178	242	6.52	14	22	1.16	52	83	0.80	140	181	6.88
2.	2006-07	140	181	6.88	0	0	0	14	23	0.55	126	158	6.34
3.	2007-08	126	158	6.34	9	15	0.19	9	12	0.09	126	161	6.44
4.	2008-09	126	161	6.44	16	30	0.57	44	55	1.15	98	136	5.86
5.	2009-10	98	136	5.86	24	46	1.67	5	5	0.05	117	177	7.48
6.	2010-11	117	177	7.48	27	49	0.89	20	23	0.82	124	203	7.55
7.	2011-12	124	203	7.55	29	62	17.91	4	9	0.06	149	256	25.40
8.	2012-13	149	256	25.40	17	67	2.12	3	7	0.19	163	316	27.33
9.	2013-14	163	316	27.33	21	76	2.05	1	8	0.03	183	384	29.35
10.	2014-15	183	384	29.35	15	41	0.37	18	64	0.72	180	361	29.01

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

शासन पुराने प्रस्तरो के निस्तारण हेतु विभाग और महालेखाकार कार्यालय के मध्य लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों का आयोजन करता है। जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2005-06 के प्रारम्भ में 242 प्रस्तरो के साथ लम्बित 178 नि0प्र0 2014-15 के अन्त तक बढ़कर 361 प्रस्तरो के साथ लम्बित 180 नि0प्र0 हो गये। यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कदम नहीं उठाया गया परिणामस्वरूप लम्बित नि0प्र0 और प्रस्तरो में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरो जिनको मनोरंजन कर विभाग के स्वीकार किया गया एवं वसूल की गयी धनराशि की स्थिति सारणी 1.7.2 में वर्णित है।

सारणी 1.7.2
स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल किये गये प्रस्तरो की संख्या	प्रस्तरो की धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरो की संख्या	स्वीकार किये गये प्रस्तरो की धनराशि	(रुलाख में) वसूल की गयी धनराशि
2004-05	0	0	0	0	0
2005-06	2	557.93	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0
2007-08	1	6.80	0	0	0
2008-09	1	10.08	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0
2010-11	1	9.54	1	0.25	0.25
2011-12	1	21.03	1	21.03	6.05
2012-13	2	11.74	2	11.00	4.71
2013-14	3	7.22	2	7.22	0.49

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों में स्वीकार किये गये मामलों में भी वसूली की प्रगति नगण्य थी। स्वीकार किये गये मामलों की वसूली का अनुसरण सम्बन्धित पक्षों से वसूली योग्य बकाये की तरह किया जाना चाहिए था। शासन/विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के अनुश्रवण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी थी। उपयुक्त प्रक्रिया के अभाव में विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

विभाग को स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित देयों की त्वरित वसूली हेतु अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन की शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

1.8 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0) का आलेख सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ उनके सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन गोष्ठी में चर्चा की गयी थी तथा शासन/विभागों के विचार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय शामिल कर लिया गया।

वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग एवं स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की विगत पाँच वर्षों के प्रतिवेदन में प्रदर्शित निष्पादन लेखापरीक्षाओं की स्वीकार की गयी संस्तुतियों और उनकी स्थिति का विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रुझान, अन्य मापदण्डों एवं उनकी राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के

आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूप रेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान 2,639 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थीं, जिसमें 1,261 इकाईयाँ की योजना की गयी और 1,135 इकाईयाँ की लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ का 43 प्रतिशत था। लोक सभा चुनाव के कारण 126 योजना की गयी इकाईयाँ की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

ऊपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी।

1.10 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखा परीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान हमने बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,135 इकाईयाँ के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 851.14 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 5,145 मामले पाये। वर्ष के दौरान विभाग ने 456 मामलों में ₹ 20.92 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें वर्ष 2014-15 के दौरान 349 प्रकरणों में ₹ 19.21 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी।

1.11 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 'वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुये 31 प्रस्तर (स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात किये गये एवं पूर्व वर्षों के दौरान के मामले, जो पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये गये में से चयनित) शामिल हैं जिसमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 560.72 करोड़ का है।

शासन/विभागों ने ₹ 532.41 करोड़ की धनराशि के प्रेक्षणों को स्वीकार किया। जिसमें से ₹ 65.12 लाख वसूल किया गया (नवम्बर 2015)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों-II से VI में की गयी है।

अध्याय-II बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य सवंधित कर के कानून एवं उसके अधीन बने नियम, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशासित होते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0) उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग का प्रमुख होता है, जिनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। सुसंगत कर कानूनों एवं नियमों को लागू करने में सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2014-15 में ₹ 42,931.54 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014-15 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर से सम्बन्धित 1,645 इकाइयों में से 539 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं के ₹ 625.77 करोड़ के 3,014 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत सारणी 2.1 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 2.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)			
क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1	वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	420.74
2	कर का अवनिर्धारण	795	56.44
3	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्र की स्वीकार्यता	191	7.14
4	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	51	1.82
5	आई0टी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	297	24.87
6	अन्य अनियमितताएं	1,679	114.76
योग		3,014	625.77

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष के दौरान विभाग ने 134 मामलों में ₹ 14.25 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 127 मामलों में ₹ 14.17 करोड़ की वसूली की गयी। शेष मामलों में विभाग द्वारा उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।

“वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 420.74 करोड़ सन्निहित एवं कुछ अन्य निदर्शी मामले जिनमें ₹ 31.19 करोड़ सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

2.3 'वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रमुख अंश

- अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित और उन्हें पंजीकृत करने एवं ₹ 289.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.3.9.2)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद निस्तारित न किये जाने के परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 के दौरान 6,042 से 1,84,052 वाद वर्ष के बाद के माहों में बकाये रह गये। इसके परिणामस्वरूप वादों के निस्तारण के लिए 2010-11 से 2014-15 के दौरान शासन को एक माह से लेकर तीन माह तक तीन बार समयावधि बढ़ानी पड़ी। इसने आने वाले वर्षों के कर निर्धारण को भी प्रभावित किया।

(प्रस्तर 2.3.12 एवं 2.3.13)

- 20 में से 4 जोनों में 2011-12 से 2014-15 के दौरान क0वा0क0 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के मानक के सापेक्ष, 0.27 से 0.44 प्रतिशत की अत्यन्त कम प्रतिशतता के मध्य व्यापारियों को टैक्स आडिट हेतु चयनित किया गया था एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी टैक्स आडिट हेतु चयनित नहीं किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यापारियों के कार्यालय, व्यवसाय के स्थान एवं गोदाम पर कोई भी टैक्स आडिट सम्पन्न नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.3.14)

- छ: ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 16 खण्डों के 23,786 व्यापारियों में से 3,102 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 34 व्यापारियों के मामलों में ₹ 6.98 करोड़ की आई0टी0सी0 के दावों में अनियमितता यथा अनियमित/अदेय आई0टी0सी0 का दावा, अधिक दावा, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना एवं उस पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि के मामले थे।

(प्रस्तर 2.3.15)

- छ: ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 47,076 व्यापारियों में से 7,669 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 74 व्यापारियों के मामलों में कर की गलत दर लगाये जाने, माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, कर निर्धारण में टर्नओवर का छूट जाना आदि के कारण ₹ 6.48 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.3.16)

- छ: ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 35 खण्डों के 58,298 व्यापारियों में से 8,556 व्यापारियों जिनकी नमूना जाँच की गयी, में से 82 व्यापारियों के मामलों में टर्नओवर का छिपाया जाना, स्वीकार किये गये कर का विलम्ब से जमा होना, माल का बिना घोषणा पत्र के आयात किया जाना एवं मिथ्या घोषणा प्रस्तुत करने के प्रकरण थे परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 114.82 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.3.17)

- आई0टी0सी0 के दावों को अनुमन्य करने एवं कर बीजकों के विरुद्ध की गयी बिक्री की धनराशि को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा की गयी सभी खरीद एवं बिक्री सत्यापित हो। वर्तमान ऑनलाइन व्यास प्रणाली में संव्यवहारों का शत प्रतिशत सत्यापन सम्भव नहीं था क्योंकि केवल ₹ 50 लाख अथवा अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी ही इस प्रणाली में ई-रिटर्न दाखिल कर रहे थे।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की खण्डों की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी क्योंकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 9 से 96 प्रतिशत की कमी रही। अनिस्तारित प्रस्तनों की स्थिति 8,506 से बढ़कर 11,228 हो गयी और उस पर वसूली के बकाये की स्थिति ₹ 69.98 करोड़ से बढ़ कर ₹ 445.13 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.3.20)

2.3.1 प्रस्तावना

(प्रस्तर 2.3.22.2 एवं 2.3.22.3)

व्यापार कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है जो राज्य के कुल कर राजस्व का लगभग 58 प्रतिशत योगदान करता है। इसमें मूल्य सर्वाधिक कर (मू0सं0क0), केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) एवं स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्र0क0) शामिल है। मू0सं0क0 बहुबिन्दु कर प्रणाली है जहाँ उत्पादन श्रृंखला में उपभोक्ता तक पहुँचने तक, वस्तुओं की बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर कर लगता है। वाणिज्य कर विभाग, कर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है एवं अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, नियमों एवं उनके अन्तर्गत जारी विभिन्न विज्ञप्तियों, परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश में निहित होता है जिनका मुख्यालय लखनऊ में है। विभाग को 20 जनों में संगठित किया गया है, प्रत्येक जोन के प्रमुख एडिशनल कमिश्नर होते हैं और जोंनों को पुनः 45 सम्भागों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख ज्वाइन्ट कमिश्नर होते हैं। पुनश्च, इन सम्भागों को 436 खण्डों में विभाजित किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारियों को कर निर्धारण का अधिकार प्राप्त है।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या

- अधिनियम के प्रावधान एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियम पर्याप्त हैं एवं राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिये उचित रूप से लागू किये जाते हैं।
- मानव संसाधन का प्रबन्धन दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से किया जा रहा है।
- विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावकारी है तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा के मामलों की सम्यक् रूप से जानकारी ली जा रही है एवं अनुपालन किया जा रहा है।

2.3.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं:

- उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली।
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली।
- शासन / विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञप्तियां एवं परिपत्र।

2.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

“वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 एवं मई 2015 के मध्य सम्पादित की गयी जो अवधि 2008-09 से 2013-14 के सम्बन्ध में 2010-11 से 2014-15 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये कर निर्धारणों से सम्बन्धित थी। हमने निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु राजस्व संग्रह के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम क्षेत्रों¹ में वर्गीकृत करने के पश्चात रण्डम चयन के आधार पर चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चार एडीशनल कमिश्नर, अपील; चार ज्वाइंट कमिश्नर, टैक्स आडिट; आठ ज्वाइंट कमिश्नर,² (कार्पोरेट सर्किल) एवं 93 खण्डों³ का चयन किया गया जो विभाग के सम्पूर्ण 20 जोन को आच्छादित करते हैं। हमने आवधिक विवरणियों, वार्षिक विवरणियों, पंजीयन प्रमाण पत्रों, रियायती / कर्ममुक्ति के घोषणापत्रों, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तुलन पत्र की नमूना जाँच की एवं अन्य विभाग से संग्रहीत ऑकड़ों/सूचनाओं का प्रतिसत्यापन किया।

एक प्रारम्भिक गोष्ठी 30 दिसम्बर 2014 को शासन एवं विभाग के साथ आयोजित की गयी जिसमें प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर ने शासन तथा एडिशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर नें विभाग का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया। 6 अक्टूबर 2015 को शासन एवं विभाग के साथ समापन गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विशेष कार्यधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन एवं एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग से चर्चा की गयी। शासन / विभाग के अभिमत को संगत प्रस्तारों में शामिल किया गया है।

2.3.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु वाणिज्य कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

¹ ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) एवं ₹100 करोड़ एवं अधिक राजस्व संग्रह वाले खण्डों को उच्च जोखिम, ₹ 25 करोड़ अथवा अधिक परन्तु ₹ 100 करोड़ से कम राजस्व संग्रह वाले खण्डों को मध्यम जोखिम तथा ₹ 25 करोड़ से कम राजस्व संग्रह वाले खण्डों को निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया गया था।

² ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) आगरा, इलाहाबाद, जौधौनगर, गाजियाबाद-1, गोरखपुर, कानपुर-II एवं लखनऊ-1

³ खण्ड-आगरा खण्ड 1, अलीगढ़ खण्ड 8, इलाहाबाद खण्ड 1 एवं 10, अम्बेडकरनगर खण्ड 2, अमरोहा खण्ड 1, आजमगढ़ खण्ड 1, बहराइच खण्ड 2, बौदा खण्ड 2, बाराबंकी खण्ड 6, बस्ती खण्ड 1 एवं 2, मदाही खण्ड 1 एवं 3, इलन्दरशहर खण्ड 1, इन्दीली खण्ड 2, देवबंद खण्ड 1, देवरिया खण्ड 1, फैजाबाद खण्ड 2 एवं 3, फतेहागढ़ खण्ड 1 एवं 3, फतेहपुर खण्ड 3, फिरोजाबाद खण्ड 3, जौधौनगर खण्ड 1, गाजियाबाद खण्ड 1, 2, 3, 4 एवं 19, गाजीपुर खण्ड 2 एवं 4, गोरखपुर खण्ड 2, 5 एवं 6, हमीरपुर खण्ड 2, हसनपुर खण्ड 1, हाथरस खण्ड 1, जौनपुर खण्ड 2 एवं 6, झांसी खण्ड 8, कानपुर खण्ड 11, 17, 20, 24 एवं 27, खलीली खण्ड 2, लखीमपुर खीरी खण्ड 2 एवं 3, लखनऊ खण्ड 3, 5, 9 एवं 19, मऊ खण्ड 2, मेरठ खण्ड 9 एवं 12, मिर्जापुर खण्ड 1, 2 एवं 3, मुरादाबाद खण्ड 2 एवं 4, मुजफ्फरनगर खण्ड 1, 3 एवं 7, नजीबाबाद खण्ड 1, नानपारा, नोएडा खण्ड 2, 3, 7, 9, एवं 14, प्रतापगढ़ खण्ड 2, रायबरेली खण्ड 1, रामपुर खण्ड 1, 2 एवं 3, सहारनपुर खण्ड 3, 6 एवं 12, सेनाकबीर नगर खण्ड 1, शाहजहापुर खण्ड 2 एवं 4, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर खण्ड 1, सोनमद्र खण्ड 1, 3 एवं 5, उन्नाव खण्ड 2 तथा वाराणसी खण्ड 4, 11, 17, एवं 19।

2.3.7 प्राप्तियों का रुझान

विगत पाँच वर्षों 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ ही उसी अवधि में बिक्री व्यापार आदि पर कर की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण सारणी 2.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2

प्राप्तियों का रुझान

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	(₹ करोड़ में)			
			भिन्नता आधिक्य (+) कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक कर राजस्व का प्रतिशत
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-)2,141.82	(-) 7.94	41,355.00	60.06
2011-12	32,000.00	33,107.34	(+)1,107.34	3.46	52,613.43	62.93
2012-13	38,492.18	34,870.16	(-)3,622.02	(-) 9.41	58,098.36	60.02
2013-14	43,936.00	39,645.45	(-)4,290.55	(-) 9.77	66,582.08	59.54
2014-15	47,497.92	42,931.54	(-)4,566.38	(-) 9.61	74,172.42	57.88

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक कर प्राप्तियों का रुझान घटते हुये क्रम में था।

2.3.8 राजस्व बकाया

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राजस्व बकाये के प्रारम्भिक शेष, वृद्धि, निस्तारण एवं अन्तिम शेष की स्थिति सारणी 2.3 में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.3

बकाये की स्थिति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	(₹ करोड़ में)		
			कोर्ट द्वारा स्थगित अथवा अपलेखन की धनराशि	निस्तारण	अन्तिम शेष
2010-11	16,453.30	6,009.29	4,446.21	1,350.97	16,665.41
2011-12	16,665.41	8,810.87	4,815.49	1,700.51	18,960.28
2012-13	18,960.28	11,474.50	5,633.74	1,950.51	22,850.53
2013-14	22,850.53	9,394.44	5,371.68	2,411.65	24,461.64
2014-15	24,461.64	9,540.36	4,929.17	2,725.70	26,347.13

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े।

सारणी से यह देखा जा सकता है कि अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान बकाया ₹ 16,665.41 करोड़ से बढ़कर ₹ 26,347.13 करोड़ हो गया जिसमें से ₹ 11,462.56 करोड़ वसूली के लिए पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 1 जनवरी 2008 से प्रभाव में आया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए कर निर्धारण की प्रणाली की समीक्षा की एवं अनेक कमियाँ पायीं जो कि अनुवर्ती प्रस्तरो में उल्लिखित की गयी हैं।

2.3.9 व्यापारियों का पंजीयन

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 17 प्राविधानित करती है कि प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा करने का दायी है, जब उसका टर्नओवर ₹ पाँच लाख की निर्धारित सीमा को पार कर जायेगा, स्वयं को पंजीकृत करायेगा।

2.3.9.1 पंजीकृत एवं निरस्त व्यापारियों का विवरण

2010-11 से 2014-15 के दौरान नये पंजीकृत किये गये व्यापारियों एवं ऐसे व्यापारियों जिनका पंजीयन निरस्त किया गया था, का विवरण सारणी 2.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.4

व्यापारियों का पंजीयन

वर्ष	कुल व्यापारियों की संख्या	व्यापारियों की संख्या जिन्हें पंजीकृत किया गया	निरस्त किये गये पंजीयन की संख्या
2010-11	5,94,695	77,561	46,161
2011-12	6,42,645	77,924	55,164
2012-13	7,08,636	81,442	29,646
2013-14	6,98,877	81,501	27,206
2014-15	6,98,997	85,028	42,690

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

सारणी व्यापारियों के पंजीयन में बढ़ोत्तरी के रुझान को दर्शाती है।

2.3.9.2 व्यापारियों के पंजीयन के लिए अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र का अभाव

प्रति सत्यापन के लिए अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु तन्त्र के अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 मदिरा व्यवसायियों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में असफल रहा।

विज्ञप्ति सं0-2-879 दिनांक 26 मार्च 2008 के अनुसार किसी व्यापारी द्वारा देशी मदिरा एवं स्पिरिट तथा स्पिरिट युक्त मदिरा के सभी प्रकार जिनमें मिथाइल एल्कोहल शामिल नहीं है की खरीद एवं बिक्री इस शर्त के अधीन कर मुक्त है कि संबन्धित व्यापारी कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष क0वा0क0 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र कर अवधि की विवरणी के साथ इस आशय के साथ दाखिल करे कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा यूनाइटेड प्रोविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल ऑयल एवं एल्कोहल टैक्सेशन एक्ट 1939 के अन्तर्गत प्रतिफल शुल्क, आबकारी अभिकर, शुल्क अथवा देय क्रय कर, जैसा भी प्रकरण हो, अदा कर दिया गया है। उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने के लिए मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पंजीकृत हों। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(7) के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी हो, निर्धारित रीति एवं निर्धारित समय में पंजीयन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह जिस अवधि में व्यापार जारी रखता है, ₹ 100 प्रत्येक दिन के लिए अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा।

हालांकि पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित करने के लिए खण्ड स्तर पर सर्वेक्षण हेतु यथा, आच्छादित किये जाने वाला क्षेत्र, सर्वेक्षण की आवश्यकता एवं सर्वेक्षण में आच्छादित व्यापारियों की संख्या के लिये मू0सं0क0 अधिनियम द्वारा अथवा शासन/विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति/ परिपत्र द्वारा कोई मानदण्ड/लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

हमने कमिश्नर, राज्य आबकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय से वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की सूचनाओं का संकलन किया एवं उनका मिलान वाणिज्य कर विभाग के अभिलेखों से किया और पाया कि 79,363 मदिरा की दुकान के अनुज्ञापियों ने फार्म 'ई' में प्रमाण पत्र प्राप्त एवं विवरणी के साथ दाखिल नहीं किया था क्योंकि वे बिना पंजीयन के अपनी दुकानें चला रहे थे एवं प्रत्येक वर्ष ₹ पाँच लाख से अधिक की मदिरा की बिक्री कर रहे थे। प्रति सत्यापन हेतु अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तन्त्र के अस्तित्व में न होने के कारण विभाग इन मदिरा दुकान अनुज्ञापियों को

चिन्हित कर उन्हें पंजीकृत करने में असफल रहा। चूँकि ये मदिरा दुकान के अनुज्ञापी बिना पंजीयन लिये अपना व्यापार चला रहे थे, वे अर्थदण्ड के रूप ₹ 289.82 करोड़ भुगतान के दायी थे, जो कि आरोपित नहीं किया गया था, जैसा कि सारणी 2.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.5

राज्य आबकारी विभाग के साथ समन्वय का अभाव

वर्ष	देशी मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों की संख्या	विदेशी मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों की संख्या	कुल अपंजीकृत मदिरा दुकान के अनुज्ञापियों की संख्या	वर्ष के दौरान ₹ 100 प्रतिदिन की दर से एक व्यापारी पर आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि (₹ लाख में)	कुल अर्थदण्ड की धनराशि जो आरोपित नहीं की गयी (₹ लाख में)
2010-11	11,737	2,459	14,196	36,500	5,181.54
2011-12	11,960	2,963	14,923	36,600	5,461.82
2012-13	12,774	3,550	16,324	36,500	5,958.26
2013-14	13,354	3,504	16,858	36,500	6,153.17
2014-15	13,506	3,556	17,062	36,500	6,227.63
योग	63,331	16,032	79,363		28,982.42

स्रोत: कमिश्नर, राज्य आबकारी से संग्रहीत की गयी सूचना

समापन गोष्ठी में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा कि यदि विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो व्यापारी कर अदा करने के दायी हैं और इसलिये पंजीयन के लिये भी उत्तरदायी हैं।

शासन अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित कर पंजीकृत करने के उद्देश्य से अन्तर्विभागीय आँकड़ों/सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र विकसित करने एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान बनाने पर विचार कर सकता है।

2.3.10 विवरणी का दाखिल किया जाना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 49,705 से लेकर 1,08,152 व्यापारियों द्वारा विवरणी दाखिल न किया जाना विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र एवं अनुश्रवण में कमी का द्योतक है।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली का नियम 45 प्रावधानित करता है कि यदि किसी व्यापारी का सकल टर्नओवर एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक माह उसकी कर अवधि होगी एवं उसे मासिक विवरणी दाखिल करना होगा। उन व्यापारियों के प्रकरणों में जिनका वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपये से कम हो कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक त्रैमास उनकी कर अवधि होगी एवं उन्हें त्रैमासिक विवरणी दाखिल करना होगा। प्रत्येक व्यापारी सभी कर अवधि की विवरणी के साथ कर बीजकों के विरुद्ध की गयी खरीद एवं बिक्री की सूची दाखिल करेगा, जिसमें नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित विवरण शामिल होंगे। ₹ 50 लाख अथवा अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी द्वारा अनिवार्य रूप से ई-रिटर्न दाखिल करना अपेक्षित है तथा शेष व्यापारी इसे मैनुअली दाखिल कर सकते हैं।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 28 प्रावधानित करती है कि यदि कोई पंजीकृत व्यापारी धारा 24(7) के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक विवरणी या धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित कर विवरणी नियत तिथि के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहता है तो निर्धारित प्राधिकारी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करेगा।

कमिश्नर, वाणिज्य कर के कार्यालय से एकत्रित सूचना से यह प्रकाश में आया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 49,705 से लेकर 1,08,152 पंजीकृत व्यापारियों ने अपनी विवरणी दाखिल नहीं किया था, जैसा कि सारणी 2.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.6

विवरणी का दाखिल किया जाना

वर्ष	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	व्यापारियों की संख्या जिन्होंने अपनी विवरणी दाखिल किया		व्यापारियों की संख्या जिन्होंने अपनी विवरणी दाखिल नहीं किया
		मैनुअली	ई-रिटर्न	
2010-11	5,94,695	4,47,778	97,112	49,705
2011-12	6,42,645	4,42,956	1,13,481	86,208
2012-13	7,08,636	5,23,682	1,32,029	52,925
2013-14	6,98,877	4,35,271	1,55,454	1,08,152
2014-15	6,98,997	4,29,836	1,74,291	94,807

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इतनी अधिक संख्या में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विवरणी का दाखिल न किया जाना विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र एवं अनुश्रवण में कमी का द्योतक है।

हमने मामला विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर प्राप्त नहीं है (नवम्बर 2015)।

कर निर्धारण की प्रणाली

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर निर्धारण के लिए प्रावधान, धारा 6 (समाधान), धारा 27 (स्वतः कर निर्धारण), धारा 28 (अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् कर का निर्धारण), धारा 29 (कर निर्धारण के समय छूट गये टर्नओवर का कर निर्धारण) एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (के0बि0क0अ0), 1956 की धारा 9 में निहित है।

2.3.11 विवरणियों की जाँच

नमूना जाँच किये गये 435 व्यापारियों में से 16 व्यापारियों का स्वतः कर निर्धारण बिना विवरणियों की समुचित जाँच किये कर दिया गया था क्योंकि विवरणी के निर्धारित प्रारूप में भरी जाने वाली सूचना/आँकड़े/बाक्स के सम्बन्ध में ये विवरणियाँ अपूर्ण थीं एवं विवरणियों के साथ दाखिल किये जाने के लिए आवश्यक साक्ष्यों/प्रपत्रों के साथ नहीं थीं।

व्यापारियों द्वारा दाखिल की गयी सभी विवरणियों की जाँच अनिवार्य रूप से क0नि0प्रा0 द्वारा की जाती है। क0नि0प्रा0 व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों की जाँच करते समय विक्रय अथवा क्रय अथवा दोनों के टर्नओवर की शुद्धता, दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि, विवरणियों में व्यापारी द्वारा दर्शाये गये देय कर का परीक्षण करते हैं। वह स्वयं को इस बात से संतुष्ट भी करते हैं कि व्यापारी द्वारा विवरणी में दर्शाया गया देय कर जमा कर दिया गया है, विवरणी के साथ अपेक्षित सभी संलग्नक हैं, सभी प्रपत्र जिनके आधार पर कर की छूट/रियायत का दावा किया गया है विवरणी के साथ दाखिल किये गये हैं तथा विवरणी के सभी सम्बन्धित कालम पूर्ण रूप से भरे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 की धारा 27 प्रावधानित करती है कि प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसने वार्षिक विवरणी विहित प्रपत्र और रीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, क्रय या विक्रय या दोनों के टर्नओवर पर स्वीकृत रूप से देय ऐसी विवरणी में दर्शाया गया हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि जिसे ऐसी विवरणी में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त प्रावधानों से यह प्रमाणित है कि स्वतः कर निर्धारित होने के लिये केवल यह पूर्व शर्त है कि निर्धारित या बढ़ायी गयी तिथि के अन्दर सही और पूर्ण विवरणी दाखिल हो।

हमने ज्वा0कमि0 (क0स0) इलाहाबाद एवं नौ खण्डों में डीन्ड निस्तारित मामलों की जाँच की और पाया कि, 932 व्यापारियों में नमूना जाँच किये गये 435 व्यापारियों में से 16 व्यापारियों का स्वतः कर निर्धारण बिना विवरणियों की समुचित जाँच किये ही कर दिया गया था। ये विवरणियाँ निर्धारित प्रारूप में भरी जाने वाली सभी सूचनाओं/ऑकड़ों/बाक्सों को भरे जाने के सम्बन्ध में अपूर्ण थीं तथा विवरणियों के साथ दाखिल किये जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक साक्ष्यों/प्रपत्रों के बिना संलग्न किये थीं। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे कि बैंक खाता का विवरण, प्रारम्भिक रहतिया एवं अन्तिम रहतिया, बिक्री की गयी वस्तु का नाम विवरणियों में नहीं भरे गये थे। यह तद् अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित विधायिका के उद्देश्य के विरोधाभाषी है। इस प्रकार उन मामलों में दखिल की गयी विवरणियाँ स्वयं में पूर्ण नहीं थीं एवं इसलिए उद्देश्यपूर्ण जाँच तथा सम्परीक्षा के लिए परीक्षणीय नहीं थीं जिसके कारण अन्ततः कर का कम आरोपण/कर का अवनिर्धारण हुआ। विवरण परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

हमने मामले को विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.3.12 समानुपातिक रूप से कर निर्धारण वाद पारित न किया जाना

प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद पारित न किये जाने के कारण वर्ष के परवर्ती माहों में भारी मात्रा में कर निर्धारण वाद पारित किये जाने के लिए अवशेष थे, परिणामस्वरूप कर निर्धारण वादों को निस्तारित करने के लिए शासन को 2010-11 से 2014-15 के दौरान तीन बार एक माह से लेकर तीन माह तक की समयावधि बढ़ानी पड़ी।

बिक्री कर मैनुअल का प्रस्तर 232 क0नि0प्रा0 द्वारा प्रत्येक माह कर निर्धारण वाद पारित किये जाने की संख्या प्रावधानित करता है। पुनश्च क0वा0क0 ने अपने परिपत्र दिनांक 31 मई 2013 द्वारा क0नि0प्रा0 को वर्ष के दौरान निस्तारित किये जाने वाले वादों का आकलन कर प्रत्येक माह समान रूप से कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के लिए निर्देशित किया है।

हमने 93 खण्डों से वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की सूचना संकलित की एवं पाया कि क0नि0प्रा0 द्वारा माह के दौरान नियमित रूप से पारित किये गये कर निर्धारण वादों की संख्या शून्य से लेकर 635 तक थी।

हमने पाया कि विद्यमान मैनुअल के प्रावधानों एवं क0वा0क0 के द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक माह में समान रूप से वाद पारित नहीं किये गये थे। वादों को व्यापारियों द्वारा दाखिल लेखा बहियों एवं अन्य विवरणों के सम्पूर्ण, प्रबल एवं गहन जाँच के पश्चात ही निस्तारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह समान रूप से वाद निस्तारित न किये जाने के कारण वर्ष के परवर्ती माहों में भारी मात्रा में वाद कर निर्धारण करने के लिए अवशेष रह गये। इसके परिणामस्वरूप शासन को वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कर निर्धारण वादों को पारित करने के लिए तीन बार एक माह से लेकर तीन माह तक की समयावधि बढ़ानी पड़ी। यह आगामी वर्षों के कर निर्धारण को भी प्रभावित करता है।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने बताया कि रियायती/करमुक्ति के प्रपत्रों को जमा करने के लिए व्यापारी समय बढ़ाने की माँग करते हैं एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार क0नि0प्रा0 उचित कारण पाये जाने पर उन्हें समय देने के लिए बाध्य हैं। इसके फलस्वरूप वर्ष के बाद के महीनों में कार्य भार होता है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि क0वा0क0 ने उपरोक्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ही निर्देश जारी किये हैं।

2.3.13 कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

2010-11 से 2014-15 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नये तथा निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों की संख्या का विवरण सारणी 2.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.7
कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	कर निर्धारण हेतु नये मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले	बकाये की प्रतिशतता
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6,042	1.09
2011-12	6,042	6,54,378	6,60,420	4,76,368	1,84,052	27.87
1012-13	1,84,052	4,58,225	6,42,277	4,95,505	1,46,772	22.85
2013-14	1,46,772	3,92,046	5,38,818	5,31,405	7,413	1.38
2014-15	7,413	3,14,328	3,21,741	2,55,480	66,261	20.59

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कर निर्धारण वाद के निस्तारण में बकाया 1.09 से 27.87 प्रतिशत के मध्य था।

हमने मामले को विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

शासन निर्धारित समयावधि के अन्दर कर निर्धारण वादों के निस्तारण के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकता है।

2.3.14 विभाग द्वारा कर सम्परीक्षा

2011-12 से 2014-15 के दौरान 6,54,828 व्यापारियों में से केवल 2,075 व्यापारी ही कर सम्परीक्षा के लिए चयनित किये गये थे जो प्रतिशतता में अत्यल्प 0.27 से 0.44 प्रतिशत के मध्य थे एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी कर सम्परीक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 44(1) प्रावधानित करती है कि व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा दाखिल की गयी कर विवरणी या विवरणियों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यापारियों जितनी विहित की जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी। अधिनियम अग्रेतर प्रावधानित करता है कि जहाँ सुविधाजनक हो, अधिकारी, व्यापारी के कार्यालय, व्यापार स्थल या गोदाम में कर सम्परीक्षा सम्पन्न कर सकता है।

हमने कर सम्परीक्षा के सम्बन्ध में प्रावधानों एवं आदेशों के लागू होने की जाँच के लिए वाणिज्य कर विभाग के चार जोनों⁴ से सूचनाएं संकलित कीं और पाया कि 2011-12 से 2014-15 के दौरान कर सम्परीक्षा हेतु अत्यल्प प्रतिशतता, 0.27 से 0.44 प्रतिशत के मध्य व्यापारियों का चयन किया गया था एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी कर सम्परीक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान, अधिनियम में यथा निर्धारित, व्यापारियों के कार्यालय, व्यापार स्थल अथवा गोदाम पर कोई सम्परीक्षा सम्पन्न नहीं की गयी थी।

चार जोनों में कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों का विवरण सारणी 2.8 में दर्शाया गया है।

⁴ आगरा, इलाहाबाद, बरेली एवं वाराणसी-1

सारणी 2.8

विभाग द्वारा की गयी कर सम्परीक्षा

वर्ष	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	वर्ष के दौरान कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या एवं पूर्ण की गयी कर सम्परीक्षा	चयनित व्यापारियों की प्रतिशतता	व्यापारियों के व्यापार स्थल पर सम्पन्न की गयी सम्परीक्षा की संख्या
2010-11	1,18,734	0	0.00	0
2011-12	1,28,045	343	0.27	0
2012-13	1,41,270	623	0.44	0
2013-14	1,33,567	527	0.39	0
2014-15	1,33,212	582	0.44	0

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

ज्वा0कमि0 टैक्स आडिट के कार्यालय में कर सम्परीक्षा शाखा द्वारा प्रकाश में लाये गये मामलों के अनुपालन एवं उसके आधार पर वसूली से सम्बन्धित अनुवर्ती कार्यवाही के कोई भी अभिलेख नहीं रखे गये थे क्योंकि कर सम्परीक्षा के पश्चात पत्रावलियों को कर निर्धारण हेतु सम्बन्धित खण्डों को वापस कर दिया गया था।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने उत्तर दिया कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क0वा0क0 द्वारा व्यापारियों की कर सम्परीक्षा हेतु पाँच प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के कारण कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या में कमी थी। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कर सम्परीक्षा हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या क0वा0क0 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के मानक से बहुत कम है एवं यहाँ तक कि यह एक प्रतिशत भी नहीं किया जा सका।

कर सम्परीक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग को निर्धारित नमूना आकार का दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए ताकि विभाग द्वारा स्वयं ही राजस्व क्षति के और अधिक मामले खोजे जायें एवं उनमें सुधार किया जा सके।

2.3.15 आई0टी0सी0 के दावों में अनियमिततायें

विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच ने छः ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 16 खण्डों के वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के 23,786 व्यापारियों में नमूना जाँच किये गये, 3,102 व्यापारियों में से 34 व्यापारियों के प्रकरणों में ₹ 6.98 करोड़ के आई0टी0सी0 के दावों में अनियमितताएं जैसे कि अनियमित/अननुमन्य आई0टी0सी0 का दावा, अधिक दावा, आई0टी0सी0 का न उत्क्रमण एवं उस पर ब्याज का न प्रभारण आदि प्रकाश में आयीं। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दर्शाये गये हैं।

2.3.15.1 आई0टी0सी0 की अधिक अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 13.57 करोड़ के माल की खरीद पर अनुमन्य दर से उच्च दर लागू करने तथा त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ₹ 1.54 करोड़ के बजाय ₹ 2.01 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का दावा किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.62 लाख की अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य हुयी।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 प्राविधानित करती है कि कोई व्यापारी प्रान्त के अन्दर के किसी व्यापारी से धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर कर का भुगतान करके कर योग्य माल की खरीद करता है तो वह विहित रीति से इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने का पात्र है।

हमने ज्वा0कमि0 (का0स0) आगरा एवं दो खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 259 व्यापारियों में से तीन व्यापारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 13.57 करोड़ के माल की खरीद पर ₹ 2.01 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ अपने वार्षिक विवरणी में लिया था। यद्यपि कि अधिनियम के

प्रावधानों के अनुसार व्यापारी केवल ₹ 1.54 करोड़ की आईटीसी के ही हकदार थे। कनिप्रा ने दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य का पता नहीं लगाया कि ज्वाकमि (कास) आगरा के प्रकरण में व्यापारी ने पाँच प्रतिशत के बजाय 13.5 प्रतिशत की दर से आईटीसी प्राप्त किया था तथा खण्ड 1 अमरोहा एवं खण्ड 5 गोरखपुर में व्यापारियों ने त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अधिक आईटीसी प्राप्त किया था। इस प्रकार व्यापारियों को त्रुटिपूर्ण रूप से ₹ 46.62 लाख की अधिक आईटीसी अनुमन्य कर दी गयी थी।

2.3.15.2 मिथ्या/कपटपूर्ण आईटीसी का दावा

प्रतिसत्यापन किये जाने पर व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 94.67 लाख की आईटीसी मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि कि इसे कनिप्रा द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया था, परन्तु व्यापारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

उप्रमूसंक अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपठित उप्रमूसंक नियमावली 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा कर बीजक के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गयी ऐसी बिक्री अथवा खरीद पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि की सीमा तक आईटीसी अनुमन्य है। मूसंक अधिनियम की धारा 54(1)(19) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कनिप्रा संतुष्ट है कि, यथास्थिति, जहाँ कोई व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति आईटीसी के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को, उसके द्वारा देय कर यदि कोई हो, के साथ-साथ, अर्थदण्ड के रूप में आईटीसी की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

हमने दो ज्वाकमि (कास) व दो खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 301 व्यापारियों में से पाँच व्यापारियों के मामलों में कनिप्रा ने व्यापारियों के आईटीसी के दावों का प्रतिसत्यापन किया और पाया कि व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 94.67 लाख की आईटीसी की धनराशि का मिथ्या/कपटपूर्ण ढंग से दावा किया गया था। यद्यपि कि कनिप्रा ने मई 2013 एवं जनवरी 2015 के दौरान कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 94.67 लाख के आईटीसी के दावे को उत्क्रमित कर दिया परन्तु ₹ 4.73 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

व्यापारियों ने माल की वास्तविक खरीद के बिना कर बीजक प्राप्त किये थे। यह एक धोखाधड़ी का मामला था। दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को हतोत्साहित करने हेतु बने हैं। कनिप्रा द्वारा ऐसे मामलों में अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए था। कनिप्रा द्वारा ₹ 4.73 करोड़ के अर्थदण्ड के अनारोपण के सम्बन्ध में कोई कारण अथवा औचित्य नहीं बताया गया था।

2.3.15.3 मिथ्या कर बीजक प्राप्त करना

उप्रमूसंक अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(iv) के अन्तर्गत जहाँ एक व्यापारी माल की वास्तविक खरीद के बिना कर बीजक या विक्रय बीजक प्राप्त करता है, कनिप्रा यह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के साथ-साथ अर्थदण्ड के रूप में माल के मूल्य का 50 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान करे।

• मिथ्या कर बीजकों पर आईटीसी का अनुमन्य किया जाना

फर्जी कम्पनियों से बिना माल की वास्तविक खरीद किये प्राप्त किये गये ₹ 37.83 लाख के कर बीजकों के आधार पर ₹ तीन लाख की आईटीसी का दावा क०नि०प्रा० द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया।

हमने खण्ड 9, मेरठ में आईटीसी के दावों का प्रतिसत्यापन तथा कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 141 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2008-09 के दौरान कर बीजकों के विरुद्ध ₹ 37.83 लाख के माल की खरीद की थी और ₹ तीन लाख की आईटीसी का दावा किया था। हमारे अन्य खण्डों से बिक्री/खरीद के विवरण के प्रतिसत्यापन से स्पष्ट हुआ कि व्यापारी ने माल की वास्तविक खरीद किये बिना फर्जी फर्मों से कर बीजक प्राप्त किये थे। क०नि०प्रा० ने जनवरी 2011 में व्यापारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कर बीजकों की प्रमाणिकता की जाँच का प्रयास किये बिना ₹ तीन लाख की आईटीसी के दावे को अनियमित रूप से अनुमन्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ तीन लाख की आईटीसी अनियमित रूप से अनुमन्य की गई साथ ही ₹ 18.92 लाख का अर्थदण्ड भी अनारोपित रहा।

• मिथ्या कर बीजक प्राप्त करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

माल की वास्तविक खरीद किये बिना ₹ 62.33 लाख के कर बीजक प्राप्त करने पर क०नि०प्रा० द्वारा ₹ 31.16 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

हमने खण्ड-2, बाराबंकी में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 96 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2010-11 के दौरान माल की वास्तविक खरीद किये बिना ₹ 62.33 लाख के कर बीजक प्राप्त किये थे। क०नि०प्रा० ने मार्च 2014 में व्यापारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 3.12 लाख की आईटीसी को तो उत्क्रमित कर दिया परन्तु न तो ₹ 31.16 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड के अनारोपण का कारण ही अंकित किया।

2.3.15.4 करमुक्त बिक्री पर आईटीसी का न/कम उत्क्रमित किया जाना

व्यापारियों ने उन माल की खरीद के सम्बन्ध में जिनकी बिक्री करमुक्त थी, ₹ 47.31 लाख की आईटीसी को उत्क्रमित नहीं किया था। कर निर्धारण के समय क०नि०प्रा० द्वारा भी उसे उत्क्रमित नहीं किया गया था।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 13(7) सपठित धारा 7 के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा, जहाँ व्यापारी द्वारा ऐसे माल की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त हो अथवा ऐसे माल का उपयोग या उपभोग किसी माल के विनिर्माण या पैकिंग में किया गया हो तथा व्यापारी द्वारा ऐसे विनिर्मित या पैक किये गये माल की बिक्री करमुक्त हो, इनपुट टैक्स की किसी धनराशि का दावा नहीं किया जायेगा और ऐसे माल के क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि व्यापारी द्वारा आईटीसी का दावा किया जाता है तो यह 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उत्क्रमणीय होगा।

हमने दो ज्वा०कमि० (का०स०) और चार खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 513 व्यापारियों में से आठ व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-2012 के दौरान उन वस्तुओं की खरीद पर ₹ 47.31 लाख

की आईटीसी को त्रुटिपूर्वक प्राप्त किया जिनकी ₹ 77.32 करोड़ मूल्य की बिक्री कर के भुगतान से मुक्त थी। कनिप्रा ने मई 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित किया और न ही ब्याज की माँग सृजित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 71.54 लाख की आईटीसी का अनुक्रमण तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

2.3.15.5 स्टॉक ट्रांसफर पर आईटीसी उत्क्रमित न किया जाना

व्यापारियों ने उन माल के सम्बन्ध में जिन्हें प्रांत के बाहर स्थानान्तरित अथवा प्रेषित किया गया था, ₹ 6.88 लाख की दावा की गई आईटीसी को उत्क्रमित नहीं किया था। कर निर्धारण करते समय भी इसे कनिप्रा द्वारा उत्क्रमित नहीं किया गया था।

उप्रमूसंक अधिनियम की धारा 13 (प्रभावी 28 फरवरी 2009 से संशोधित) के अन्तर्गत यदि राज्य के भीतर से खरीदे गये कर योग्य माल को स्थानान्तरित/प्रेषित किया जाता है अथवा निर्माण में उपयोग के बाद ऐसे विनिर्मित माल को राज्य के बाहर स्थानान्तरित या प्रेषित किया जाता है तो आईटीसी की आंशिक राशि ही अनुमन्य होगी जो कि चार प्रतिशत से अधिक की होगी। यदि व्यापारी आईटीसी की पूरी धनराशि का दावा करता है तो आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जो अनुमन्य नहीं है 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उत्क्रमित कर दिया जायेगा।

हमने ज्वाकमि (कास) जीबी नगर एवं खण्ड 2 बहराइच में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 308 व्यापारियों में से तीन व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 के दौरान कर बीजक के विरुद्ध राज्य के अन्दर से खरीदे गये ₹ 7.31 करोड़ के माल जिस पर आईटीसी का दावा किया गया था, के स्टॉक ट्रांसफर पर ₹ 6.88 लाख की आईटीसी को उत्क्रमित नहीं किया गया था। कनिप्रा ने मार्च 2012 एवं फरवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अननुमन्य आईटीसी ₹ 6.88 लाख को उत्क्रमित किया और न ही ब्याज की माँग सृजित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.78 लाख की आईटीसी का अनुक्रमण तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

2.3.15.6 माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी बिक्री पर आईटीसी का उत्क्रमित न किया जाना।

कनिप्रा ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गयी ₹ 5.67 लाख की आईटीसी, जिनकी बिक्री खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

उप्रमूसंक अधिनियम की धारा 13 (1)(च) के अन्तर्गत जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया गया है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस दर पर विक्रय किया गया है, जो पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल के विक्रय मूल्य, अथवा निर्मित माल पर संदेय कर की सीमा तक होगी। यदि व्यापारी आईटीसी की सम्पूर्ण धनराशि का दावा करता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा से अधिक आईटीसी की धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उत्क्रमणीय होगी।

हमने चार खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 585 व्यापारियों में से चार व्यापारियों ने वर्ष 2010-11 एवं

2011-12 के दौरान ₹ 9.10 करोड़ के माल की खरीद की थी एवं ₹ 62.63 लाख की आईटीसी का दावा किया था तथा इसे ₹ 8.46 करोड़ में बेचा था। व्यापारियों ने माल के विक्रय मूल्य पर ₹ 56.96 लाख की आईटीसी की सीमा के बजाय माल के खरीद मूल्य पर आईटीसी प्राप्त किया। कनिप्रा ने नवम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो इस अनुमन्य आईटीसी ₹ 5.67 लाख को उत्क्रमित किया और न ही साधारण ब्याज सहित इसकी माँग सृजित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.80 लाख के आईटीसी का अनुक्रमण तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

2.3.15.7 आईटीसी का अनियमित समायोजन और ब्याज का प्रभारित न किया जाना।

कनिप्रा ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 24.07 लाख की गैर अनुमन्य आईटीसी की ब्याज सहित माँग सृजित करने के बजाय इस गैर अनुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित कर दिया एवं इसे व्यापारियों के शेष आईटीसी से समायोजित कर दिया।

उपमूसक अधिनियम 2008 की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी के स्वतः संज्ञान में यह आता है कि उसने किसी ऐसी आईटीसी का दावा कर लिया है जो कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो वह ऐसी घटना के संज्ञान में आने के बाद अगली कर विवरणी दाखिल करते समय इसे उत्क्रमित करेगा। व्यापारी उत्क्रमित की गयी आईटीसी की धनराशि को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित कोषागार में जमा करने का दायी होगा।

हमने दो ज्वाकमि (कास) और तीन खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 798 व्यापारियों में से आठ व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 24.07 लाख की आईटीसी का दावा किया था, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। कनिप्रा ने सितम्बर 2011 एवं जनवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस पर देय ब्याज प्रभारित किये बिना इस गैर अनुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित किया एवं इसे व्यापारी के अवशेष आईटीसी से समायोजित कर दिया, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी इस उत्क्रमित की गयी आईटीसी को साधारण ब्याज सहित जमा करने के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.07 लाख की आईटीसी का अनियमित समायोजन और ₹ 14.29 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ।

2.3.15.8 समाधान योजना के अन्तर्गत संविदाकार को अनियमित रूप से आईटीसी अनुमन्य किया जाना

कनिप्रा द्वारा समाधान योजना के अन्तर्गत संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तरित माल की खरीद पर ₹ 19.14 लाख की आईटीसी जो कि अनुमन्य नहीं थी, व्यापारी को अनुमन्य कर दी गयी।

उपमूसक अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो समाधान राशि अदा करने का विकल्प लेता है वह उपमूसक अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी से कर योग्य माल की खरीद पर आईटीसी का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।

हमने जनवरी 2015 में खण्ड 19 लखनऊ में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 101 व्यापारियों में से एक व्यापारी रेडी मिक्स कंक्रीट, स्टोन ग्रेट, सैण्ड आदि की खरीद एवं बिक्री करने तथा सिविल संविदा

के कार्य में संलग्न था। उसने वर्ष 2010-11 के लिए सिविल कार्य संविदा हेतु समाधान योजना का विकल्प लिया। व्यापारी ने ₹ 5.96 करोड़ के माल की खरीद की एवं ₹ 55.27 लाख की आईटीसी का दावा किया। क्रय किये गये माल का पुनर्बिक्री एवं संकर्म संविदा के निष्पादन दोनों में उपयोग किया गया था। व्यापारी ने कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2.96 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया जिसमें ₹ 2.07 करोड़ (प्राप्त भुगतान का 70 प्रतिशत) की सामग्री का अन्तरण किया गया था। चूँकि व्यापारी ने समाधान योजना का विकल्प लिया था वह संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तरित किये गये माल की खरीद पर आईटीसी पाने का पात्र नहीं था। क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 55.27 लाख के सम्पूर्ण आईटीसी दावे को अनुमन्य किया जबकि संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयोग किये गये ₹ 2.07 करोड़ के माल पर समानुपातिक रूप से ₹ 19.14 लाख की आईटीसी को अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 19.14 की आईटीसी अनियमित रूप से अनुमन्य हुई।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने उप-प्रस्तर 2.3.15.1 से 2.3.15.8 तक पर हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.16 कर का न/कम आरोपण

छ: ज्वा०कमि० (का०स०) एवं 35 खण्डों के अवधि 2008-09 से 2013-14 के लिये 47,076 व्यापारियों में नमूना जाँच किये गये 7,669 व्यापारियों में से 74 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों (क०नि०प्रा०) ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की निम्नतर दरें लागू की गयीं एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.48 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.3.16.1 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

व्यापारियों द्वारा ₹ 12.54 करोड़ के टर्नओवर को अपने विवरणियों में घोषित नहीं किया गया जबकि यह उनके कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय यह टर्नओवर छूट गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.10 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क०नि०प्रा० से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें।

हमने दो ज्वा०कमि० (का०स०) एवं 10 खण्डों में व्यापारिक और लाभ/हानि खाता, वार्षिक बैलेंस शीट, वर्तमान एवं विगत वर्ष के कर निर्धारण आदेशों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,077 व्यापारियों में से 13 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान क०नि०प्रा० को दाखिल की गयी अपनी विवरणियों में ₹ 12.54 करोड़ के टर्नओवर को घोषित नहीं किया था। टर्नओवर के विवरण, व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क०नि०प्रा० ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की सम्यक रूप से जाँच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.54 करोड़ का टर्नओवर छूट गया एवं इसके फलस्वरूप ₹ 61.10 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं कहा कि एक मामले में ₹ 28000 का कर आरोपित कर दिया गया है एवं शेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.16.2 कर की गलत दर लगाया जाना एवं माल का गलत वर्गीकरण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं, अनुसूची III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा अनुसूची IV में शामिल वस्तुएं (गैर-वैट माल), शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, कुछ निश्चित वस्तुओं पर शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

• कर की गलत दर लगाया जाना

क0नि0प्रा0 ने ₹ 77.35 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में प्रावधानित कर की दर के बजाय व्यापारियों द्वारा अपने विवरणियों में घोषित कर की गलत दर को लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.56 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

हमने चार ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं 28 खण्डों के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,984 व्यापारियों में से 46 व्यापारियों ने 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 77.39 करोड़ के माल की बिक्री पर अपनी विवरणियों में कम दर से कर देयता स्वीकार की थी अथवा कर मुक्ति का दावा किया था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 और मार्च 2015 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय अनुसूची में निर्धारित कर की दर के स्थान पर व्यापारियों द्वारा अपनी विवरणियों में घोषित की गयी कर की दर से करारोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.56 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि तीन मामलों में ₹ 9.50 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है। डिप्टी कमि0 खण्ड 4 वाराणसी के मामले में बताया कि एडहेसिव अनुसूची-II की प्रविष्टि सं0 171 के अन्तर्गत आच्छादित है अतः सही कर आरोपित किया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त प्रविष्टि में सेल्फ एडहेसिव प्लेट्स, शीट्स, फिल्म पवायल, टेप, प्लास्टिक के स्ट्रिप चाहे रोल में हों अथवा नहीं शामिल हैं, यह एडहेसिव को आच्छादित नहीं करता है। शेष मामलों के लिए बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

• माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

क0नि0प्रा0 ने ₹ 10.77 करोड़ के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा घोषित वस्तु के वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं निम्नतर दर से कर आरोपित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 92.07 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने दो ज्वा0कमि0 (का0स0) एवं पाँच खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की एवं पाया कि नमूना जाँच किये गये 1086 व्यापारियों में से 13 व्यापारियों ने ₹ 10.77 करोड़ के माल की बिक्री पर वस्तुओं का गलत वर्गीकरण किया था एवं कम दर से करदेयता स्वीकार किया था। क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2013 और मार्च 2015 के मध्य वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते

समय वस्तुओं को सही वर्गीकृत कर अनुसूची में दी गयी दरों पर कर आरोपण करने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित दरों को स्वीकार करते हुए माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 92.07 लाख के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि एक मामले में ₹ 10.56 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है और डि0कमि0 खण्ड 1, रायबरेली के मामले में उत्तर दिया कि ट्रेक्टर अटैचमेन्ट एवं पार्ट्स अनुसूची-II की क्र0सं0 125 की प्रविष्टि के अन्तर्गत आच्छादित है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रविष्टि में केवल ट्रेक्टर, ट्रेक्टर ट्राली, हार्वेस्टर्स एवं अटैचमेन्ट्स तथा उनके पार्ट्स; ट्रेक्टर टायर्स एवं ट्यूब्स आच्छादित हैं। ट्रेक्टर एसेसरीज उपरोक्त प्रविष्टि में आच्छादित नहीं है। शेष मामलों में उत्तर दिया कि कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.16.3 समाधान राशि का कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने ₹ 10.72 करोड़ के भुगतान पर छः प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.09 लाख की समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 6 के प्राधानों के अन्तर्गत कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के भुगतान के स्थान पर समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। विज्ञप्ति सं0 1278 दिनांक 9 जून 2009 द्वारा सिविल एवं इलेक्ट्रिकल संविदाकारों हेतु शासन द्वारा लायी गयी समाधान योजना के अनुसार, यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य की धनराशि के पाँच प्रतिशत तक आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि दो प्रतिशत की दर से आगणित होगी और यदि कोई संविदाकार पाँच प्रतिशत से अधिक प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं का अन्तरण करता है तो समाधान राशि की गणना छः प्रतिशत की दर से की जायेगी।

हमने दो खण्डों में कर निर्धारण आदेशों, आयातित माल के उपभोग विवरण एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 294 व्यापारियों में से दो सिविल संविदाकारों ने वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 1.14 करोड़ मूल्य का आयातित माल संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयोग किया जो कि संविदागत धनराशि ₹ 10.72 करोड़ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूँकि कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त आयातित माल वित्तीय वर्ष में संविदागत मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक था, अतः छः प्रतिशत की दर से ₹ 64.34 लाख समाधान राशि आरोपणीय थी। जबकि क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2013 एवं अप्रैल 2013 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय दो प्रतिशत की दर से ₹ 26.25 लाख की समाधान राशि आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.09 लाख की कम समाधान राशि का आरोपण हुआ।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि दोनों मामलों में कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.17 अर्थदण्ड का अनारोपण

दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों के दुराशय पूर्ण क्रिया-कलापों को हतोत्साहित करने के लिये बनाये गये हैं। क0नि0प्रा0 कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों जैसे-टर्नओवर का छिपाया जाना, स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना, मिथ्यापूर्ण घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किया जाना इत्यादि, पर

ध्यान नहीं दिया। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान हैं फिर भी सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप छः ज्वा०कमि०(का०स०) और 35 खण्डों के 58,298 व्यापारियों में से नमूना जाँच किये गये 8,556 व्यापारियों में से 82 व्यापारियों के मामलों में, 2008-09 से 2013-14 की अवधि में ₹ 114.82 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है।

2.3.17.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

₹ 25.77 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर पर क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण करते समय ₹ 2.48 करोड़ का अर्थदण्ड नहीं आरोपित किया गया था।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54 (1)(2) के अन्तर्गत जहाँ व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझ कर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या संदाय कर जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी हो, अपवंचन किया हो तो क०नि०प्रा० व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह, उसके द्वारा देय कर यदि कोई हो, के साथ-साथ, छिपायी गयी या परिवर्जित की गई कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने चार ज्वा०कमि०(का०स०) और 14 खण्डों के कर निर्धारण आदेशों, कर निर्धारण पत्रावलियों, व्यापारियों द्वारा जमा स्वीकृत कर तथा वाणिज्य कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,296 व्यापारियों में से 24 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 25.77 करोड़ का क्रय एवं विक्रय का टर्नओवर छिपाया। क०नि०प्रा० ने जनवरी 2012 और मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 82.67 लाख का कर आरोपित किया। यद्यपि कि सात मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने टर्नओवर छिपाया था एवं शेष मामलों में व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार किया एवं छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर को जमा कर दिया, सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने न तो ₹ 2.48 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारणों को अंकित किया, जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने कहा कि तीन मामलों में ₹ 4.77 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं शेष मामलों में कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.3.17.2 गलत घोषणा पत्र दाखिल किया जाना

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय जाली घोषणापत्रों को दाखिल किये जाने के लिए ₹ 3.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(i) (सपठित के०बि०क० अधिनियम की धारा 9) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी अथवा व्यक्ति जैसा प्रकरण हो, मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है जिसके कारण बिक्री या खरीद पर कर आरोपणीय होने से रह जाता है तो वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को निर्देश दे सकता है, कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने मार्च 2015 में खण्ड 2 मिर्जापुर में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 91 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने फार्म 'एफ'

में घोषणा के विरुद्ध ₹ 6.44 करोड़ के माल की कन्साइनमेंट बिक्री पर कर मुक्ति का दावा किया था। क०नि०प्रा० द्वारा सत्यापन पर ये फार्म जाली पाये गये। क०नि०प्रा० ने जुलाई 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कर मुक्ति को अस्वीकार कर दिया और ₹ 24.40 लाख का कर आरोपित कर दिया लेकिन न तो ₹ 3.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण अंकित किया।

2.3.17.3 संकर्म संविदा कर का विलम्ब से जमा किया जाना

संविदाकारों को भुगतान करते समय, स्रोत पर की गई कर की कटौती ₹ 1.86 करोड़ को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा न किये जाने पर क०नि०प्रा० ने व्यापारियों पर ₹ 3.72 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 34 (8) सपठित धारा 34 (1) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क०नि०प्रा० निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति काटी गई धनराशि के दो गुने से अनधिक धनराशि का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करे।

हमने आठ खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,459 व्यापारियों में से 10 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ठेकेदारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 1.86 करोड़ संकर्म संविदा कर (सं०सं०क०) की कटौती की लेकिन उसे निर्धारित समय के अन्दर सरकारी कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से दो वर्ष 20 दिनों तक की थी। क०नि०प्रा० ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 3.72 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण ही अंकित किया।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने बताया कि एक मामले में ₹ 19.84 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं शेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.17.4 स्वीकार किये गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना

बिना युक्तियुक्त कारण के ₹ 5.56 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को निर्धारित समय के अन्दर जमा करने में असफल रहने पर क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण के समय ₹ 1.11 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 54 (1)(1) के अन्तर्गत यदि क०नि०प्रा० इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निश्चित अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में देय कर जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो तो, वह कर के साथ-साथ ऐसे देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड अदा करे। क०वा०क० ने परिपत्र दिनांक 23 अप्रैल 2002 और 1 मई 2013 द्वारा निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों में जहाँ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जाता है क०नि०प्रा० को अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने हेतु सकारण आदेशों को अंकित करना चाहिए।

हमने ज्वा०कमि० (का०स०)-I गाजियाबाद और 24 खण्डों में कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,689 व्यापारियों में से

40 व्यापारियों ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि में ₹ 5.56 करोड़ का अपना स्वीकार किया गया कर समय के अन्दर जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से दो वर्ष 11 माह 17 दिनों के बीच की थी। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 1.11 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण ही अंकित किया, जैसा कि क0वा0क0 द्वारा निर्देशित था। विवरण परिशिष्ट-VI में दिया गया है।

2.3.17.5 बिना घोषणा पत्र के माल का आयात

बिना आयात घोषणा पत्र का प्रयोग किये ₹ 259.60 करोड़ के माल का आयात करने पर क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 103.60 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली का नियम 56 प्रान्त के बाहर किसी भी स्थान से प्रान्त के अन्दर माल का आयात करने हेतु आयात घोषणा पत्र (प्रपत्र XXXVIII) जारी एवं दाखिल किया जाना प्राविधानित करता है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(14) के अन्तर्गत जहाँ कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, ऐसे माल के विक्रय या ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित, प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल के विक्रय पर संदाय कर के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या 51 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या आयात करने का दुष्प्रेरण करता है या इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर योग्य माल का परिवहन करता है या परिवहन करने का प्रयास करता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को माल के मूल्य के 40 प्रतिशत की धनराशि, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

हमने मार्च 2015 में ज्वा0कमि0 (का0स0) गोरखपुर के कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 83 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने वर्ष 2010-11 में ₹ 259.60 करोड़ का गेहूँ, बिना प्रपत्र XXXVIII में घोषणा पत्र को जारी किये आयात किया था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय बिना आयात घोषणा प्रपत्र के माल का आयात करने पर न तो ₹ 103.60 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही इसके लिए कोई कारण अंकित किया, जबकि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के कर निर्धारण आदेशों में क0नि0प्रा0 ने स्वयं ही खातापालकों को अर्थदण्ड की नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।

इसी प्रकार के मामले पूर्व में भी वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमारे द्वारा इंगित किये गये थे। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया था एवं ₹ 822.19 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया था, लेकिन इस प्रकार की अनियमिततायें अब भी विद्यमान हैं।

2.3.17.6 कर का अधिक संग्रहण

व्यापारियों ने अपनी कर देयता से ₹ 22.99 लाख के अधिक कर का संग्रहण किया था। हालांकि, क0नि0प्रा0 ने कर के अधिक संग्रहण हेतु ₹ 68.97 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(16) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यापारी ने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर के रूप में वसूली की है तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी वसूले गये कर के

साथ-साथ इस प्रकार वसूले गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने तीन ज्वा0कमि0 (का0स0) और दो खण्डों में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 442 व्यापारियों में से छः व्यापारियों ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 22.99 लाख की अधिक धनराशि कर के रूप में प्रभारित/वसूली किया था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2013 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कर के रूप में अधिक वसूल की गयी धनराशि को तो जब्त कर लिया परन्तु न तो ₹ 68.97 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण ही अंकित किया। समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने कहा कि यद्यपि अर्थदण्ड आरोपण अनिवार्य नहीं है हालाँकि, प्रस्तर 2.3.17.2 तथा प्रस्तर 2.3.17.4 से प्रस्तर 2.3.17.6 के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

शासन राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के समय विवरणियों की उचित जाँच किया जाना सुनिश्चित कर सकता है।

2.3.18 ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के दायी प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पूर्व ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा कर देना चाहिए, असफल रहने पर असदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम देय तिथि के अगले दिन से लेकर ऐसी धनराशि के भुगतान की तिथि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होता है।

2.3.18.1 बैंक गारन्टी के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने ₹ 2.55 करोड़ की बैंक गारन्टी का नकदीकरण कराया और बिना ₹ 86.06 लाख का ब्याज प्रभारित किये, इसे देय कर के विरुद्ध समायोजित कर दिया।

हमने खण्ड 1 इलाहाबाद में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 31 व्यापारियों में से एक व्यापारी के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतिम आदेश के पश्चात क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 2.55 करोड़ की बैंक गारन्टी का नकदीकरण करा कर राजकीय कोषागार में जमा कर दिया गया था। यद्यपि कि ₹ 2.55 करोड़ का स्वीकार किया गया कर देय तिथि से दो वर्ष तीन माह के विलम्ब के पश्चात जमा किया गया था, क0नि0प्रा0 ने मई 2012 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय राजकीय खाते में बिलम्ब से जमा पर ब्याज प्रभारित नहीं किया। स्वीकार किये गये कर के राजकीय कोषागार में विलम्बित जमा से ₹ 86.06 लाख का ब्याज प्रभारणीय था, जो कि क0नि0प्रा0 द्वारा प्रभारित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.06 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं हुआ।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.18.2 स्वीकार किये गये कर के विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 6.21 करोड़ का स्वीकार किया गया कर बिना ब्याज के, विलम्ब से जमा किया। क0नि0प्रा0 ने विवरणियों की संवीक्षा करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया और ₹ 53.52 लाख का ब्याज प्रभारित करने में असफल रहे।

हमने पाँच ज्वा0कमि0 (का0स0) और चार खण्डों में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,210 व्यापारियों में से 16 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए अपने स्वीकार किये गये कर ₹ 6.21 करोड़ को 11 दिनों से लेकर छः वर्ष चार माहों तक के विलम्ब से जमा किया था। स्वीकार किये गये कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 53.52 लाख का ब्याज प्रभारणीय था। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2011 और मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.52 लाख के ब्याज का प्रभारण नहीं हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-VII में दिखाया गया है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि दो मामलों में ₹ 23,000 के ब्याज की वसूली कर ली गई है और शेष मामलों में कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.18.3 त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र के कारण कम ब्याज का प्रभारित किया जाना

क0नि0प्रा0 द्वारा त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के कारण ₹ 17.12 लाख का कम ब्याज प्रभारित हुआ।

हमने तीन खण्डों में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 538 व्यापारियों में से पाँच व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने मई 2013 और जनवरी 2015 के मध्य वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय स्वीकार की गयी बिक्री पर कर आरोपित किया। हालांकि, व्यापारियों ने कर को समय से जमा नहीं किया, इस विफलता पर क0नि0प्रा0 ने ₹ 30.68 लाख के स्वीकार किये गये कर की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया और माँग पत्र की प्राप्ति की तिथि से कर जमा करने की तिथि तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की माँग की। स्वीकार किये गये कर पर देय तिथि से जमा करने तिथि तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की माँग की जानी चाहिए थी। वसूली प्रमाण पत्र के निर्गमन में इस चूक के कारण ₹ 17.12 लाख का ब्याज कम प्रभारित हुआ।

समापन गोष्ठी के समय शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही की जा रही है (नवम्बर 2015)।

2.3.19 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के0पं0प्र0प0) में सीमेंट/स्टील की खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

क0नि0प्रा0 ने विद्युत के निर्माण में संलग्न व्यापारी को फ़ैक्ट्री के भवन निर्माण हेतु आयरन, स्टील एवं सीमेंट की खरीद के लिए के0पं0प्र0प0 में अनियमित रूप से अधिकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 93.73 लाख तक का अनुचित लाभ हुआ।

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायती दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत

पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी आवेदनकर्ता को पंजीकृत करेगा एवं विहित प्रपत्र में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें उस वर्ग या वर्गों के माल को विनिर्दिष्ट करेगा जो उसके द्वारा, पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा इस विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूर संचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है।

पुनश्च, कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) ने सभी क0नि0प्रा0 को परिपत्र सं0 17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देश जारी किया था (1992) कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

हमने ज्वा0कमि0 (क0स0) गौतमबुद्ध नगर के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 58 व्यापारियों में से एक व्यापारी को कच्चे माल की खरीद हेतु कं0पं0प्र0प0 प्रदान किया गया था जिसमें सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री का क्रय शामिल था। व्यापारी ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान ₹ 7.17 करोड़ की सीमेंट एवं स्टील की रियायती दर से खरीद की और इसे फैक्ट्री के निर्माण में प्रयोग किया। चूँकि व्यापारी विद्युत के उत्पादन के कार्य में संलग्न थे, आयरन, स्टील और सीमेंट इसके निर्माण में प्रयोग के लिए कच्चा माल नहीं था। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा केवल उन माल को क्रय करने के लिए है जिसका उपयोग उस माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में किया जाये जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा कं0पं0प्र0प0 में आयरन, स्टील एवं सीमेंट की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना, अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध होने के साथ ही साथ कमिश्नर वाणिज्य कर के दिनांक 4 दिसम्बर 1992 के आदेश के भी विरुद्ध था। क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कमिश्नर वाणिज्य कर के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप व्यापारी को ₹ 93.73 लाख का अनुचित लाभ मिला।

समान प्रकृति के प्रकरण, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (प्रस्तर 2.15.1) एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 प्रस्तर (2.23) में प्रतिवेदित किये गये थे, यद्यपि विभाग द्वारा कं0पं0प्र0प0 से सीमेंट को हटाने के लिए आश्वासन दिया गया था फिर भी ये अनियमिततायें अभी भी विद्यमान हैं।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि कार्यवाही की जा रही है। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.3.20 कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में कमियाँ

विभाग का कम्प्यूटरीकरण पर्याप्त नहीं था क्योंकि प्रान्त के व्यापारियों के संव्यवहारों का दूसरे प्रान्त के व्यापारियों के संव्यवहारों से सत्यापन सम्भव नहीं था, आई0टी0सी0 माड्यूल यथार्थपरक नहीं थे और इन्टरनेट की गति धीमी थी जिसका क0नि0प्रा0 के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सिस्टम के माड्यूल जैसे प्राप्ति, पंजीयन, विवरणी, चालान, कर निर्धारण, प्रशासन एवं हेल्पडेस्क इत्यादि के अध्ययन से यह पता चला कि:

- किसी व्यापारी के संव्यवहारों के विवरणों का दूसरे प्रान्त के पंजीकृत व्यापारियों के संव्यवहारों से सत्यापन करने के लिए सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारी को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

- आईटीसी के दावों को अनुमन्य करने एवं कर बीजकों के विरुद्ध की गयी बिक्री की धनराशि को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा की गई सभी खरीद एवं बिक्री सत्यापित हो। वर्तमान में चल रहे ऑनलाइन व्यास सिस्टम में संव्यवहारों का शत-प्रतिशत सत्यापन संभव नहीं था क्योंकि ₹ 50 लाख या इससे अधिक टर्नओवर के व्यापारी ही इस सिस्टम में ई-रिटर्न दाखिल कर रहे थे।
- व्यापारियों द्वारा डाटा अपलोडिंग के समय डाटा में एकरूपता की कमी के कारण खरीद एवं बिक्री के आँकड़ों में मेल नहीं था।
- यद्यपि नोटिसों एवं कर निर्धारण आदेशों को ऑनलाइन निर्गत करने की सुविधा थी लेकिन इसकी विधिक स्वीकार्यता नहीं थी। इसलिए इसे मैनुअली भी भेजना अपेक्षित था जिसके फलस्वरूप कार्यों की द्विरावृत्ति हुई।
- डाटा के अपलोडिंग एवं डाउनलोडिंग के समय इन्टरनेट की धीमी गति ने कर निर्धारण के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

क0नि0प्रा0 लेखापरीक्षा के विचार से सहमत थे। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की कमजोरियाँ राजस्व के रिसाव के साथ क0नि0प्रा0 की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित करती हैं।

समापन गोष्ठी के समय शासन/विभाग ने बताया कि किसी व्यापारी के संव्यवहारों के विवरणों का दूसरे प्रान्त के पंजीकृत व्यापारियों के संव्यवहारों के विवरण से सत्यापन कराने की सुविधा, राज्य के विभाग के साथ-साथ दूसरे राज्यों द्वारा व्यापारियों के सभी संव्यवहारों के विवरण के अपलोड न किये जाने के कारण उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया कि डाटा के भरने हेतु विहित प्रारूप की अनुपलब्धता के कारण खरीद एवं बिक्री के आँकड़ों में मेल नहीं था।

2.3.21 मानव संसाधन प्रबन्धन

2.3.21.1 मानवशक्ति की कमी

2010-11 से 2014-15 के दौरान डि0कमि0, असि0कमि0 और वा0क0अ0 के संवर्ग में 10.93 प्रतिशत से 68.78 प्रतिशत तक की भारी कमी से विभागीय कार्यप्रणाली और राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ।

मानवशक्ति की उपलब्धता, विभाग की आसान एवं दक्ष कार्य प्रणाली के लिए मूलभूत कारक है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि यद्यपि लेखापरीक्षा से आच्छादित अवधि में कर निर्धारितों की संख्या 5,94,695 से बढ़कर 6,98,997 हो गयी थी, फिर भी मानवशक्ति की अत्यन्त कमी थी। विभाग में मानवशक्ति की स्थिति सारणी 2.9 में दिखायी गयी है।

सारणी 2.9

मानवशक्ति की कमी

पद	स्वीकृत पद	तैनाती की स्थिति					कमी की प्रतिशतता (न्यूनतम-अधिकतम)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
एडीशनल कमिश्नर	98	93	56	86	83	97	1.02-42.86
ज्वाइंट कमिश्नर	157	155	138	151	114	147	1.27-27.39
डिप्टी कमिश्नर	494	419	368	375	289	440	10.93-41.50
असिस्टेंट कमिश्नर	964	382	599	631	501	628	34.54-60.37
वाणिज्य कर अधिकारी	1,275	507	398	647	423	486	49.25-68.78
अराजपत्रित कर्मचारी	12,271	9,785	8,664	7,859	8,738	7,079	20.26-42.31

स्रोत: कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

सारणी से यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में 10.93 प्रतिशत से 68.78 प्रतिशत के मध्य भारी कमी थी, जिसने विभागीय कार्य प्रणाली एवं राजस्व उत्पादन को प्रभावित किया जैसा कि प्रस्तर 2.3.15 एवं 2.3.16 में दिखाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि खाली पदों के भरे जाने की कार्यवाही चल रही है।

शासन स्वीकृत पदों के अनुसार मानवशक्ति की तैनाती हेतु विचार कर सकता है।

2.3.21.2 प्रशिक्षण

2010-11 से 2013-14 के दौरान 799 व्यक्तियों को एक दिन एवं 304 व्यक्तियों को दो दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। एक वर्ष में केवल एक या दो दिन का प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को प्रशिक्षित करने/कौशल उन्नयन हेतु पर्याप्त नहीं हो सकता।

विभाग में योग्यता निर्माण में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है। आवधिक प्रशिक्षण देकर कर्मचारियों की कुशलता एवं योग्यता में सुधार किया जा सकता है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान कार्यरत कर्मचारियों और प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों का विवरण सारणी 2.10 में दिया गया है।

सारणी 2.10

कर्मचारियों के प्रशिक्षण की स्थिति

पद नाम	वर्ष									
	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत पद	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
डिप्टी कमिश्नर	419	06	368	00	375	15	289	00	440	00
असिस्टेंट कमिश्नर	382	15	599	101	631	140	501	98	628	102
वाणिज्य कर अधिकारी	507	21	398	00	647	58	423	191	486	59
संवर्ग कर्मचारी	9,785	17	8,664	00	7,859	00	8,738	66	7,079	00

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 799 व्यक्तियों को केवल एक दिन और 304 व्यक्तियों को दो दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। एक वर्ष में केवल एक या दो दिन का प्रशिक्षण किसी कर्मचारी के कौशल में उन्नयन हेतु पर्याप्त नहीं हो सकता।

समापन गोष्ठी के समय शासन/विभाग द्वारा कहा गया कि नये कर्मचारियों एवं कार्यरत वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अपने उत्तर के समर्थन में आयोजित किये गये कार्यक्रमों की संख्या एवं प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों की संख्या का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवधिक रीफ्रेशर कोर्स/वैट प्रशासन और कम्प्यूटरीकरण पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए शासन विचार कर सकता है।

2.3.22 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

आन्तरिक नियंत्रण वैधानिक प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को व्यवस्थित रूप से लागू कराने में तर्कपूर्ण आश्वासनों को उपलब्ध कराने के लिए माना जाता है। आन्तरिक

नियंत्रण त्वरित एवं प्रभावी सेवाओं तथा कर एवं शुल्क के अपवंचन के विरुद्ध समुचित सुरक्षा के लिए वित्तीय एवं प्रबन्धन सूचना की विश्वसनीय प्रणाली को सृजन करने में भी मदद करता है। अतः यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की है कि एक उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना स्थापित है तथा उसे प्रभावी बनाने हेतु समय-समय पर समीक्षा एवं सुधार किया जाता है।

2.3.22.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में मानवशक्ति की कमी

लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद रिक्त पड़े हुए थे तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों के पदों में 56 से 74 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा क0वा0क0 के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कोई लेखापरीक्षा अधिकारी तैनात नहीं था। 13 लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं 91 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल 28 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों की तैनाती थी, जैसा कि सारणी 2.11 में वर्णित है।

सारणी 2.11

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में मानवशक्ति की कमी

वर्ष	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद		कमी का प्रतिशत	
	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक	ले0परीक्षा अधिकारी	व0ले0परीक्षक /ले0परीक्षक
2010-11	13	91	0	40	13	51	100	56
2011-12	13	91	0	34	13	57	100	63
2012-13	13	91	0	24	13	67	100	74
2013-14	13	91	0	31	13	60	100	66
2014-15	13	91	0	28	13	63	100	69

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी पद खाली पड़े हुए थे एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के पदों में 56 से 74 प्रतिशत तक की भारी कमी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि खाली पड़े हुए पदों को प्रोन्नति एवं सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.3.22.2 खण्डों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

2010-11 से 2014-15 के दौरान विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा की गयी खण्डों की लेखापरीक्षा का विवरण सारणी 2.12 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.12

खण्डों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	खण्डों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयाँ	लेखा परीक्षित इकाईयाँ की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2010-11	436	436	386	11
2011-12	436	436	198	55
2012-13	436	436	65	86
2013-14	437	437	18	96
2014-15	437	23	21	09

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

यह दर्शाता है कि खण्डों की लेखापरीक्षा के लिये आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं है क्योंकि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य नौ

से 96 प्रतिशत तक की कमी रही। अग्रेतर, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 36 खण्डों में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी।

समापन गोष्ठी में शासन/विभाग द्वारा कहा गया था कि 80 प्रतिशत मानवशक्ति की कमी के कारण ज्यादातर खण्डों की लेखापरीक्षा सम्भव नहीं हो पा रही है।

रिक्त पड़े पदों को भर कर वैट प्रशासन के प्रभावकारी परिचालन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिए शासन विचार कर सकता है।

2.3.22.3 अवशेष प्रस्तरोँ तथा उनकी वसूली की स्थिति

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाये गये प्रस्तरोँ का निस्तारण न किये जाने के कारण मामलों की संख्या एवं उसमें निहित धनराशि वर्षानुवर्ष संचित हो रही थी। 2010-11 से 2014-15 के दौरान वसूली का प्रतिशत अत्यन्त कम 0.03 प्रतिशत से 2.58 प्रतिशत के मध्य था।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों, उनका अनुपालन तथा वसूली का विवरण सारणी 2.13 में दिया गया है।

सारणी 2.13
अवशेष प्रस्तरोँ एवं उनकी वसूली की स्थिति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जुड़े मामले		वर्ष के दौरान निस्तारित मामले एवं उनकी वसूली		निस्तारित मामलों एवं वसूली की प्रतिशतता		अन्तिम शेष	
	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि
2010-11	6,626	5,697.55	2,226	1,486.28	346	185.65	3.91	2.58	8,506	6,998.18
2011-12	8,506	6,998.18	1,546	1,373.28	344	171.39	3.42	2.05	9,708	8,200.07
2012-13	9,708	8,200.07	1,241	35,017.21	130	15.11	1.19	0.03	10,819	43,202.17
2013-14	10,819	43,202.17	552	897.44	278	182.57	2.44	0.41	11,093	43,917.04
2014-15	11,093	43,917.04	529	749.65	394	153.78	3.39	0.34	11,228	44,512.91

स्रोत : कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि मामलों की संख्या और इन मामलों में निहित धनराशि वर्षानुवर्ष संचित हो रही थी।

2010-11 से 2014-15 के दौरान वसूली का प्रतिशत अत्यन्त कम 0.03 प्रतिशत से 2.58 प्रतिशत के मध्य था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन/विभाग हमारे प्रेक्षण से सहमत हुए और कहा कि मामलों के निस्तारण और उनकी वसूली में तेजी लाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.3.23 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान हमें निम्नलिखित बिन्दुओं का पता चला :

- अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिए तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान अस्तित्व में न होने के कारण विभाग 79,363 अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने एवं ₹ 289.82 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा।

अनुशंसा: शासन अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान करने के उद्देश्य से अन्तर्विभागीय सूचना/आँकड़ों के आदान-प्रदान हेतु तन्त्र एवं सर्वेक्षण के लिए प्रतिमान विकसित करने के लिये विचार कर सकता है।

- 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्रत्येक माह में समान रूप से कर निर्धारण वाद पारित न किये जाने के फलस्वरूप वर्ष के अंतिम माहों में 6,042 से लेकर 1,84,052 वाद कर निर्धारण हेतु अवशेष थे। उसके कारण शासन को 2010-11 से 2014-15 के दौरान कर निर्धारण वादों को पारित करने के लिए तीन बार एक माह से लेकर तीन माह तक समयवधि का विस्तार करना पड़ा। इससे आगामी वर्षों के कर निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ता है।
अनुशंसा: शासन निर्धारित समय के अन्दर कर निर्धारण वादों को पारित करने के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है।
- 2011-12 से 2014-15 के दौरान पाँच प्रतिशत के मानक के सापेक्ष 0.27 से 0.44 प्रतिशत व्यापारियों का बहुत कम प्रतिशत कर सम्परीक्षा हेतु चयन किया गया था एवं 2010-11 में कोई भी व्यापारी कर सम्प्रेक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया था।
अनुशंसा: कर सम्प्रेक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग को निर्धारित नमूना आकार का दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए ताकि विभाग द्वारा स्वयं ही राजस्व क्षति के और अधिक मामले खोजे जायें तथा उनका सुधार किया जा सके।
- अधिक दावाकृत आईटी0सी0 की अनियमित अनुमन्यता, क्रय/विक्रय टर्नओवर का छिपाना, कर की गलत दर का लगाया जाना, वस्तुओं का गलत वर्गीकरण, आवर्त का छिपाया जाना, स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना, बिना घोषणा पत्रों के माल का आयात किया जाना, गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना आदि के कारण ₹ 128.28 करोड़ के राजस्व का रिसाव और अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।
अनुशंसा: शासन राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश को पारित करते समय विवरणियों की पर्याप्त जाँच सुनिश्चित कर सकता है।
- कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण खण्डों की अपर्याप्त आन्तरिक लेखापरीक्षा की दृष्टि से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अपूर्ण थी।
अनुशंसा: शासन वेट प्रशासन के प्रभावी परिचालन हेतु खाली पदों को भर कर आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु विचार कर सकता है।

2.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमारी 539 वाणिज्य कर कार्यालयों के 2,04,213 में से 87,400 कर निर्धारण आदेशों की जाँच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को न अपनाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के न/कम आरोपण, अनियमित करमुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के प्रकरण सहित अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तारों में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये विभाग द्वारा प्रकाश में नहीं लाई गयीं।

2.5 कर का न/कम आरोपण

82 वाणिज्य कर कार्यालयों के 2007-08 (वैट) से 2012-13 की अवधि के लिये 11,425 में से 108 व्यापारियों के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयी थीं, समाधान शुल्क का कम आरोपण एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के अर्थदण्ड के साथ ₹ 7.23 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है:

2.5.1 उ0प्र0मू0सं0क0 के अन्तर्गत कर का न/कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मूल्य संधित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं, अनुसूची III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची IV में शामिल हैं, शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं एवं 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 3-क के अन्तर्गत शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

2.5.1.1 कर की गलत दर लगाये जाने से कर का न/कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 40.01 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.93 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ।

हमने 68 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) में (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 9,855 में से 86 व्यापारियों के मामले में, क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य वर्ष 2007-08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011-2012 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 40.01 करोड़ के माल की बिक्री पर अनुसूची में वर्णित दरों के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल अपनी विवरणियों में दर्शाये गये कर को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.93 करोड़ के कर का न/कम आरोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (जून 2013 एवं जुलाई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं 10 मामलों में ₹ 77.71 लाख कर आरोपित कर दिया जिसमें से ₹ 1.02 लाख वसूल किया जा चुका है। एक मामले में विभाग ने उत्तर दिया कि वस्तु धातु की कास्टिंग है जो वैट अधिनियम की अनुसूची II से आच्छादित है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वस्तु कास्टिंग से बनी मशीनरी पार्ट्स है जो वैट अधिनियम के अनुसूची V से आच्छादित है तथा एक अन्य मामले में विभाग ने उत्तर दिया कि सामग्री प्रदूषण उपकरण है जो कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है तथा यह वैट अधिनियम की अनुसूची II में वर्गीकृत है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि निर्मित कैनोपी डी0जी0 सेट की एसेसरी है जो कि ध्वनि प्रदूषण यन्त्र में आच्छादित नहीं है क्योंकि न तो यह स्वतंत्र रूप से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये प्रयोग में लायी जाती है और न ही प्रदूषण नियंत्रण प्लांट में प्रयोग की जाती है। यह विशिष्ट रूप से डी0जी0 सेट में प्रयोग की जाती है एवं यह वर्गीकृत नहीं है। अन्य मामलों के लिए विभाग ने कहा कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.5.1.2 माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर का न/कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 66.79 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण कर अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ।

हमने नौ वा0क0का0 में (जुलाई 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 883 में से 11 व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने मई 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 66.79 करोड़ के माल की बिक्री पर माल का सही वर्गीकरण करते हुये अनुसूची में वर्णित दर से कर लगाने के बजाय व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं कर की गलत दर लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ का कम कर आरोपित हुआ जैसा कि परिशिष्ट-IX में वर्णित है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.5.1.3 गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 34.20 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.24 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 28 एवं उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 9(4) के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 की यह जिम्मेदारी है कि व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणियों/अभिलेखों की जाँच करते समय तथा कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय देखें कि सभी करों को सही आरोपित किया गया है एवं सभी गणना सही की गयी है।

हमने पाँच वा0क0का0 में (मई 2013 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 749 में से पाँच व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य वर्ष 2008-09 से 2012-13 की

अवधि के लिए कर निर्धारण आदेश पारित करते समय ₹ 34.20 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर कर की गणना करने में त्रुटि की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.24 लाख कर का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी 2.14 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.14

गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

(₹ लाख में)								
क0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड 7 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	3,208.76	1	32.09	27.09	5.00
2	डि0कमि0 खण्ड 9 कानपुर	1	2012-13 (मार्च 2014)	78.70	2	1.57	0.57	1.00
3	डि0कमि0 खण्ड 18 लखनऊ	1	2008-09 (मई 2012)	90.53	12.5	11.32	1.32	10.00
4	डि0कमि0 खण्ड 6 नोएडा	1	2010-11 (मार्च 2014)	5.35	13.5	0.72	0.07	0.65
5	डि0कमि0 खण्ड 2 वाराणसी	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	36.66	12.5	4.58	3.99	0.59
योग		5		3,420.00		50.28	33.04	17.24

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जुलाई 2013 एवं अक्टूबर 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं तीन मामलों में ₹ 1.65 लाख का कर आरोपित कर दिया। अवशेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.5.1.4 उ0प्र0मू0सं0क0 के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक सिविल संविदाकार द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये प्राप्त भुगतान ₹ 4.73 करोड़ पर लागू छः प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत से समाधान राशि स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.05 लाख की समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत सिविल संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को लागू की गयी समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित ठेके की धनराशि का पाँच प्रतिशत तक प्रान्त के बाहर से आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो समाधान राशि की दर दो प्रतिशत होगी तथा यदि कोई संविदाकार पाँच प्रतिशत के ऊपर प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है तो समाधान राशि की दर वित्तीय वर्ष के दौरान संविदाकार द्वारा निष्पादित ठेकों के विरुद्ध प्राप्त भुगतान का छः प्रतिशत होगी।

हमने डि0कमि0 खण्ड 2, सुल्तानपुर कार्यालय में कर निर्धारण आदेश, प्रान्त बाहर की वस्तुओं के उपयोग का विवरण एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की और पाया कि एक संविदाकार ने संकर्म संविदा के निष्पादन में ₹ 97.75 लाख की आयातित वस्तुओं का प्रयोग किया जो वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान निष्पादित संविदागत राशि ₹ 4.73 करोड़ के पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूंकि संकर्म संविदा के निष्पादन में आयातित वस्तुओं का प्रयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संविदागत मूल्य का पाँच प्रतिशत से अधिक था अतः समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार छः प्रतिशत की दर से ₹ 28.37 लाख की समाधान राशि आरोपणीय थी। तथापि, मार्च 2014 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय क0नि0प्रा0 ने ₹ 15.32 लाख (₹ 4.73 करोड़ पर दो प्रतिशत

की दर से तथा ₹ 97.25 लाख पर छः प्रतिशत की दर से) समाधान राशि आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.05 लाख कम समाधान राशि का आरोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.5.1.5 उ0प्र0व्या0क0 के अन्तर्गत समाधान शुल्क का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय लागू दर के बजाय निम्नतर दर से समाधान राशि स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.51 लाख समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 7 घ के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के बदले में समाधान राशि का भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। सिविल संविदाकारों के लिए 15 फरवरी 2005 से समाधान राशि की गणना विज्ञप्ति सं0 के0ए0एन0आई0-2-362/ग्यारह-2005 दिनांक 11 फरवरी 2005 के अन्तर्गत दो प्रतिशत की दर से की जायेगी। विद्युत संविदाकारों के लिए 1 फरवरी 2005 से विज्ञप्ति सं0 के0ए0एन0आई0-2-271-X दिनांक 2 फरवरी 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि की गणना दो प्रतिशत की दर से की जायेगी। यदि कोई विद्युत संविदाकार प्रपत्र 'सी' अथवा आयात घोषणा पत्र फार्म XXXI का प्रयोग करता है तो समाधान राशि की गणना चार प्रतिशत की दर से की जायेगी।

हमने दो वाणिज्य कर कार्यालयों में (दिसम्बर 2013) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 232 व्यापारियों में से दो संविदाकारों ने वर्ष 2008-09 के दौरान संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए ₹ 27.02 करोड़ प्राप्त किये। इसमें से ₹ 4.12 करोड़ पर संविदाकारों ने सिविल संविदा के लिए सही दर दो प्रतिशत से तथा ₹ 3.19 करोड़ पर विद्युत संविदा के लिए सही दर चार प्रतिशत से समाधान राशि अदा नहीं किया था जबकि ये संविदायें उ0प्र0व्या0क0 अवधि के साथ-साथ विज्ञप्ति के तिथि के बाद की तिथि से सम्बन्धित थीं। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मई 2012 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय लागू दर के बजाय कम दर से समाधान राशि स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.51 लाख समाधान राशि का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी 2.15 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.15

उ0प्र0व्या0क0 के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

									(₹ लाख में)	
क0 स0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वर्ष के दौरान निष्पादित ठेके से प्राप्त सकल धनराशि	धनराशि जिस पर कम समाधान राशि आरोपित किया गया	आरोपणीय समाधान राशि (प्रतिशत में)	आरोपित समाधान राशि (प्रतिशत में)	कम आरोपित समाधान राशि (प्रतिशत में)	कम आरोपित समाधान राशि	
1	डि0 कमि0 खण्ड 14 गाजियाबाद	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	2,164.00	411.87	2	1	1	4.12	
2	डि0 कमि0 खण्ड 25 कानपुर	1	2008-09 (मई 2012)	538.40	319.37	4	2	2	6.39	
योग		2		2,702.40	731.24				10.51	

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जनवरी 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.5.2 रियायती दर पर डीजल खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय फार्म 'डी' के विरुद्ध ₹ 4.78 करोड़ के डीजल के क्रय पर ₹ 58.41 लाख की छूट अनुमन्य किया जो कि अनुमन्य नहीं थी जिसके फलस्वरूप ₹ 58.41 लाख के कर का कम आरोपण एवं वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से ₹ 2.39 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 4(1)(ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अनुसूची IV की प्रविष्टि सं0 4(ख) के अनुसार डीजल पर 29 जनवरी 2009 से 17.23 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है एवं अनुसूची IV की प्रविष्टि सं0 4(क) के अनुसार नान-वैट माल के अतिरिक्त किसी कर योग्य माल का निर्माता शासन की विज्ञप्ति सं0-2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा 30 सितम्बर 2008 से फार्म डी के विरुद्ध रियायती दर पाँच प्रतिशत की दर पर डीजल खरीदने के लिए हकदार है।

यह न्यायिक (एस0टी0आई0 2000 एस0सी0 53, उत्तर प्रदेश बनाम मेसर्स लाल कुआं स्टोन क्रसर प्रा0लि0) रूप से निर्णीत है कि बड़े पत्थरों को गिट्टी अथवा चूर्ण में बदलना निर्माण नहीं है।

अग्रेतर उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(11)(i) के अनुसार यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण से विक्रय या क्रय पर कर उदग्रहणीय नहीं रह जाता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने तीन वा0क0का0 में (सितम्बर 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 348 में से तीन व्यापारियों ने ₹ 4.78 करोड़ के डीजल की फार्म 'डी' के विरुद्ध खरीद पर ₹ 58.41 लाख की कर की रियायत का दावा किया, जो कि अनुमन्य नहीं था क्योंकि न्यायिक रूप से बड़े पत्थरों को गिट्टी एवं चूर्ण में बदलना निर्माण नहीं माना गया है। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2011 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय रियायत अनुमन्य किया जिसके फलस्वरूप ₹ 58.41 लाख के कर का कम आरोपण एवं वस्तु के मूल्य का 50 प्रतिशत की दर से ₹ 2.39 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ। विवरण सारणी 2.16 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.16

डीजल खरीद के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य आवर्त	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	अनुमन्य अदेय लाम की घनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड (₹ लाख में)
1	ज्वा0कमि0 (का0स0) झॉसी	1	2009-10 (मई 2012)	डीजल	87.39	17.23/5	10.69	43.70
			2010-11 (जून 2012)	डीजल	112.03	17.23/5	13.7	56.01
2	डि0कमि0 खण्ड 4 झॉसी	1	2009-10 (अक्टूबर 2012)	डीजल	34.53	17.23/5	4.22	17.27
			2010-11 (दिसम्बर 2012)	डीजल	51.80	17.23/5	6.34	25.90
3	डि0कमि0 खण्ड 6 झॉसी	1	2009-10 (सितम्बर 2011)	डीजल	93.73	17.23/5	11.46	46.86
			2010-11 (जुलाई 2012)	डीजल	98.19	17.23/5	12.00	49.09
योग		3			477.67		58.41	238.83

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को नवम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं एक प्रकरण में ₹ 23.46 लाख का कर आरोपित कर दिया जबकि अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया था। अवशेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.6 अर्थदण्ड का अनारोपण

दण्डात्मक प्रावधान व्यापारियों के दुराशयपूर्ण क्रिया-कलापों को हतोत्साहित करने के लिए बनाये गये हैं। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों जैसे लेखों से बाहर संव्यवहार, कर का विलम्ब से जमा किया जाना, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण के लिये स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि में 33 वा0क0का0 के 4,451 में से 45 व्यापारियों के प्रकरणों में ₹ 2.13 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरो में उल्लिखित है:

2.6.1 टर्नओवर का छिपाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये ₹ 94 लाख के टर्नओवर पर ₹ 17.73 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(2) के अन्तर्गत जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझ कर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर, यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ-साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

हमने छ: वा0क0का0 में (अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) व्यापारियों के अंतिम कर निर्धारण आदेश, व्यापारियों द्वारा जमा किया गया स्वीकृत कर एवं वाणिज्य कर अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,126 में से सात व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में अपने ₹ 94 लाख क्रय एवं विक्रय के टर्नओवर को छिपाया था। चूँकि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया था अतः वे छिपाये गये कर की धनराशि के तीन गुने के बराबर अर्थदण्ड के दायी थे। क0नि0प्रा0 में मार्च 2012 एवं फरवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 5.91 लाख का कर आरोपित किया। यद्यपि दो⁵ मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों ने (जून 2012 एवं जनवरी 2014 के मध्य) यह पुष्टि कर दी थी कि व्यापारियों ने अपने टर्नओवर को छिपाया/देय कर का भुगतान अपवंचित किया था अथवा व्यापारियों ने स्वयं ही इसे स्वीकार कर लिया था एवं हुए छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया था, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने न तो ₹ 17.73 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कारण अंकित किया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (नवम्बर 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं एक मामले में

⁵ डि0कमि0 खण्ड 19 आगरा, डि0कमि0 खण्ड 10 बरेली।

₹ 3.26 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया एवं दूसरे मामले में विभाग ने उत्तर दिया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा छिपायी गयी बिक्री को नियमित पाया गया है परन्तु विभाग ने वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं कराया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.6.2 कर का विलम्ब से जमा होना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 6.34 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 1.26 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(1) के अन्तर्गत, यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा या अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है तो वह व्यापारी को यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो तो कर के साथ-साथ अर्थदण्ड के रूप में ऐसे देय कर का 20 प्रतिशत के बराबर धनराशि अदा करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 27 वा0क0का0 में (अगस्त 2013 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 3,404 में से 35 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 की अवधि के लिए अपने स्वीकार किये गये कर ₹ 6.34 करोड़ को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि चार दिनों से लेकर 1,303 दिनों की थी। चूँकि कर विलम्ब से जमा किया गया था जिसके लिये वे आरोपित कर के साथ-साथ देय कर के 20 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के भी दायी थे, जबकि क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 1.26 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का कोई कारण ही अंकित किया जैसा कि परिशिष्ट-X में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं 16 मामलों में ₹ 72.55 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.6.3 मिथ्या खरीद

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय बिना वस्तुओं की वास्तविक खरीद किये ₹ 1.37 करोड़ के कर बीजक प्राप्त करने पर आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी परन्तु ₹ 68.70 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(iv) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति जैसा भी मामला हो, माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक या बिक्री बीजक प्राप्त करता है, तो वह ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने तीन वा0क0का0 में (सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 333 में से तीन व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 1.37 करोड़ के कर बीजक बिना वास्तविक खरीद किये प्राप्त किया था एवं आई0टी0सी0 का दावा किया था। चूँकि व्यापारियों ने

बिना वास्तविक खरीद किये आईटीसी का दावा किया था जिसके लिए वे वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे जबकि क०नि०प्रा० ने अक्टूबर 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय आईटीसी उल्कमित कर दिया परन्तु ₹ 68.70 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी 2.17 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.17

मिथ्या खरीद पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ लाख में)					
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	बिना वास्तविक खरीद के प्राप्त विक्रय/कर बीजक से आच्छादित धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०कमि० खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2010-11 (मार्च 2014)	109.68	54.84
2	डि०कमि० खण्ड 8 मेरठ	1	2008-09 (अक्टूबर 2013)	15.27	7.63
3	डि०कमि० खण्ड 1 सहारनपुर	1	2010-11 (मार्च 2014)	12.47	6.23
योग		3		137.42	68.70

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अक्टूबर 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.7 प्रवेश कर का न/कम आरोपण

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय प्रवेश कर की दरों की अनुसूची में दी गयी सही दर लागू नहीं किया, कुछ मामलों में कोई प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया था, कुछ अन्य मामलों में निर्माता के द्वारा कम प्रवेश कर वसूला जाना एवं खरीद पर प्रवेश कर की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 25 वा०क०का० के 3,050 में से 34 व्यापारियों के मामलों में 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि में ₹ 2.76 करोड़ के प्रवेश कर का न/कम आरोपण के साथ-साथ ₹ 2.35 करोड़ का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरो में दर्शाया गया है:

2.7.1 स्टॉक ट्रांसफर से प्राप्त माल पर प्रवेश कर का कम आरोपण

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय राज्य के बाहर से स्टॉक ट्रांसफर से प्राप्त माल पर ऐसे मामलों में उसके बिक्रय मूल्य ₹ 1,906.94 करोड़ पर प्रवेश कर आरोपित करने के बजाय माल ₹ 1,751.34 करोड़ पर प्रवेश कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

उ०प्र० माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत परिभाषित (कुछ वस्तुओं को छोड़कर) आयरन एवं स्टील पर 'माल के मूल्य' के एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। अग्रेतर, उक्त अधिनियम की धारा 2 (एच)(iv) के अन्तर्गत, यदि माल को क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो तो वहाँ 'माल के मूल्य' का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए लाये या प्राप्त किये जा रहे हों, खुले बाजार में थोक मूल्य पर विक्रय किये जाते हों।

हमने ज्वा०कमि० (का०स०) I कानपुर में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की (नवम्बर 2014) एवं पाया कि 98 में से दो व्यापारियों ने वर्ष 2010-11 के

दौरान ₹ 1,751.34 करोड़ का आयर्न एवं स्टील राज्य के बाहर से खरीद से इतर तरीके (स्टॉक ट्रान्सफर) से प्राप्त किया जिस पर व्यापारियों द्वारा घोषित मूल्य पर प्रवेश कर आरोपित किया गया था। क0नि0प्रा0 ने फरवरी एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य की जाँच नहीं की कि माल खरीद से इतर तरीके से अर्जित किया गया था जिस पर माल के विक्रय कीमत ₹ 1,906.94 करोड़ पर प्रवेश कर आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ कम प्रवेश कर आरोपित हुआ।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को जनवरी 2015 में प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (नवम्बर 2015)।

2.7.2 प्रवेश कर का न/कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 81.64 करोड़ के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 1.16 करोड़ के बजाय ₹ 25.12 लाख प्रवेश कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.66 लाख प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ।

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। विज्ञप्ति सं0-422 दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार आयर्न एवं स्टील पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 से पाँच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा क्रय या विक्रय पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य थी।

हमने 13 वा0क0का0 में (दिसम्बर 2013 एवं मई 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,591 में से 18 व्यापारियों ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 81.64 करोड़ का माल क्रय किया था, जिस पर ₹ 1.16 करोड़ प्रवेश कर आरोपणीय था। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पाँच व्यापारियों के प्रकरणों में केवल ₹ 25.12 लाख प्रवेश कर आरोपित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 90.66 लाख के प्रवेश कर का न/कम आरोपण हुआ जैसे कि परिशिष्ट-XI में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (फरवरी 2014 एवं जुलाई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेषण को स्वीकार किया एवं एक मामले में ₹ 0.35 लाख प्रवेश कर आरोपित किया। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.7.3 निर्माताओं द्वारा प्रवेश कर का न/कम वसूल किया जाना

निर्माताओं ने प्रवेश कर वसूल करते समय वैट के घटक को टर्नओवर में शामिल नहीं किया था एवं कुछ मामलों में माल का परिदान करने के समय व्यापारियों से कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.55 लाख के प्रवेश कर की न/कम वसूली हुयी।

उ0प्र0 माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 12 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को राज्य के भीतर, किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश

पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। पुनश्च विनिर्माता ऐसे माल की सुपुर्दगी क्रेता को तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे कर का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं कर दिया जाता। धारा 12 (2) इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को विहित रीति से जमा करने के लिए प्राविधानित करती है। अधिनियम की धारा 12 (3) के अन्तर्गत जहाँ यदि कोई भी विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह जैसा कि अधिनियम की धारा 12(5) में प्राविधानित है उस पर देय ब्याज और शास्ति सहित, कर का भुगतान करने का दायी होगा।

हमने चार वा0क0का0 में (जून 2013 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 569 में से छः व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹ 86.97 करोड़ (वैट सहित) के माल की बिक्री एवं परिदान स्थानीय क्षेत्र के बाहर के क्रेताओं को किया, जिस पर प्रवेश कर वसूली योग्य था। तीन मामलों में विनिर्माताओं ने प्रवेश कर की गणना करते समय ₹ 77.62 करोड़ के माल के मूल्य में ₹ 3.93 करोड़ के वैट के घटक को शामिल नहीं किया एवं शेष तीन मामलों में ₹ 41.98 लाख के टर्नओवर पर कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मई 2013 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.55 लाख के प्रवेश कर की न/कम वसूली हुई।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं दो मामलों में ₹ 1.42 लाख का प्रवेश कर आरोपित किया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.7.4 प्रवेश कर का न/कम वसूल किया जाना तथा निर्माताओं पर अर्थदण्ड का अनारोपण

एक मामले में निर्माता ने माल का परिदान करते समय वैट के घटक को टर्नओवर में शामिल किये बिना क्रेता से प्रवेश कर वसूल किया एवं शेष तीन मामलों में कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.39 लाख प्रवेश कर की कम वसूली एवं ₹ 30.73 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

हमने तीन वा0क0का0 में (फरवरी 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 335 व्यापारियों में से चार विनिर्माताओं ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 52.34 करोड़ के माल की बिक्री एवं परिदान स्थानीय क्षेत्र के बाहर के क्रेताओं को किया एवं एक मामले में वैट सहित सही टर्नओवर ₹ 49.05 करोड़ के बजाय ₹ 46.81 करोड़ के टर्नओवर पर (वैट को शामिल किये बिना) ₹ 93.62 लाख प्रवेश कर वसूल किया, जबकि ₹ 3.29 करोड़ के टर्नओवर पर कोई प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया। पुनश्च यदि विनिर्माता कर वसूल करने व जमा करने में असफल रहता है, क0नि0प्रा0 निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे में वसूलनीय धनराशि के दो गुने से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2010 एवं जून 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.39 लाख प्रवेश कर की न/कम वसूली एवं ₹ 30.78 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ जैसा कि सारणी 2.18 में वर्णित है।

सारणी 2.18

प्रवेश कर का न/कम वसूल किया जाना तथा निर्माताओं पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ लाख में)										
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	प्रवेश कर की दर (प्रतिशत)	वसूलनीय प्रवेश कर की धनराशि	वसूली गयी प्रवेश कर की धनराशि	न वसूली गयी प्रवेश कर की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	ज्वा० कमि० (का०स०) गोरखपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2010)	गुटखा	53.66	5	2.68	0	2.68	5.36
			2009-10 (अप्रैल 2013)		90.38		4.52	0	4.52	9.04
		1	2009-10 (अप्रैल 2013)	पेपर	109.93	2	2.20	0	2.20	4.40
2.	डि० कमि० खण्ड 7 मेरठ	1	2009-10 (अप्रैल 2012)	पेपर	1,968.36	2	39.37	37.68	1.69	3.38
			2010-11 (मार्च 2013)		2,936.99		2	58.74	55.94	2.80
3.	डि० कमि० खण्ड 2 नोएडा	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	वाटर प्रूफ पेपर	38.33	2	0.77	0	0.77	1.54
			2011-12 (जून 2014)		36.74		0.73	0	0.73	1.46
योग		4			5,234.39		109.01	93.62	15.39	30.78

स्रोत: कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारियों की पत्रावलियों से उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (अप्रैल 2014 एवं जुलाई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.7.5 वसूले गये प्रवेश कर को विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विनिर्माताओं द्वारा वसूले गये ₹ 1.02 करोड़ प्रवेश कर को विलम्ब से जमा करने पर ₹ 2.04 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने दो वा०क०का० में कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 262 व्यापारियों में से दो विनिर्माताओं ने ₹ 1.02 करोड़ प्रवेश कर स्थानीय क्षेत्र के बाहर के क्रेताओं से वसूला जिसे विहित समय के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से चार वर्षों की थी। क०नि०प्रा० ने मार्च 2014 एवं जुलाई 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया कि विनिर्माताओं ने वसूला गया प्रवेश कर विलम्ब से जमा किया था एवं ₹ 2.04 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहे जैसा कि सारणी 2.19 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.19

वसूले गये प्रवेश कर को विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण।

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	विलम्ब से जमा किया गया प्रवेश कर	विलम्ब की अवधि दिन में	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	ज्वा०कमि० (का०स०) I लखनऊ	1	2008-09 (जुलाई 2014)	गुटखा	26.06	1,460	52.12
			2011-12 (जून 2014)		68.35	365	136.70
2.	डि०कमि० खण्ड 1 रामपुर	1	2009-10 (मार्च 2014)	पेपर	5.83	05 से 11	11.66
			2010-11 (मार्च 2014)		1.57	07 से 40	3.14
योग		2			101.81		203.62

स्रोत: कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारियों की पत्रावलियों से उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.7.6 खरीद पर प्रवेश कर की अनियमित छूट

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 3.65 करोड़ के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 5.44 लाख की अननुमन्य छूट मान्य की।

धारा 6 सपटित शासन की विज्ञप्ति दिनांक 4 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2011 के अनुसार व्यापारी को प्रवेश कर में वैट के अन्तर्गत खरीद अथवा बिक्री पर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर की पूर्ण धनराशि की छूट अनुमन्य है।

हमने दो वा0क0का0 में (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 210 में से दो व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 3.65 करोड़ के माल की स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीद पर ₹ 6.03 लाख प्रवेश कर अदा किया एवं ₹ 5.44 लाख की छूट का दावा किया। क0नि0प्रा0 जून 2012 में कर निर्धारण करते समय यह संज्ञान में लेने में असफल रहे, कि छूट अनुमन्य नहीं थी, क्योंकि एक मामले में खरीद विज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 2011 के पूर्व से सम्बन्धित की थी एवं दूसरे मामले में वस्तु की प्रकृति बदल गयी थी एवं इस प्रकार यह विज्ञप्ति दिनांक 4 मार्च 2008 की परिधि में नहीं थी। इस प्रकार क0नि0प्रा0 ने अनियमित रूप से ₹ 5.44 लाख के छूट का लाभ अनुमन्य किया जैसा कि सारणी 2.20 में वर्णित है।

सारणी 2.20

खरीद पर प्रवेश कर की अनियमित छूट

							(₹ लाख में)
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	करयोग्य आवर्त	आरोपित प्रवेश कर	अनियमित छूट
1	ज्वा0कमि0 (का0स0) झॉंसी	1	2008-09 (जून 2012)	आयरन एवं स्टील	306.00	3.06	3.06
2	डि0कमि0 खण्ड 10 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	ब्लैंक चेक बुक एवं ड्राफ्ट्स	59.39	2.97	2.38
योग		2			365.39	6.03	5.44

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (सितम्बर 2013 एवं अगस्त 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

केन्द्रीय बिक्री कर

2.8 घोषणा पत्रों का दुरुपयोग

व्यापारियों ने फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध ₹ 3.29 करोड़ का माल जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था कर की रियायती दर पर क्रय किया। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की जाँच नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.24 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' में घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (पं0प्र0प0) से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की

रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी को 0बि0क0 की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्धदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने आठ वा0क0का0 में (नवम्बर 2013 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 872 में से नौ व्यापारियों ने फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध ₹ 3.29 करोड़ का माल वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान कर की रियायती दर पर क्रय किया। ये माल उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था जिसके लिए वे अभियोजन के बदले, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने अर्धदण्ड के भुगतान के दायी थे। क0नि0प्रा0 ने जून 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र तथा फार्म 'सी' के उपयोग के विवरण की जाँच नहीं किया एवं परिणामस्वरूप ₹41.24 लाख का अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-XII** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को (जनवरी 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं दो मामलों में ₹ 1.17 लाख अर्धदण्ड आरोपित किया। शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.9 ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना

व्यापारियों ने ₹ 54.34 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया, जिस पर ब्याज प्रभार्य था किन्तु इसे कर निर्धारण के समय प्रभारित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.31 करोड़ ब्याज अप्रभारित रह गया।

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 8 (1) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) सपटित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 13 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए जिसमें असफल रहने पर असदत्त धनराशि पर निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक, 11 अगस्त 2004 तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह और उसके पश्चात 31 दिसम्बर 2007 तक 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 1 जनवरी 2008 से सवा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

हमने 20 वा0क0का0 में (अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की और पाया कि 2,598 में से 30 व्यापारियों ने वर्ष 1999-2000 से 2011-12 के दौरान स्वीकार किया गया कर ₹ 54.34 करोड़ दो दिन से 3,225 दिनों के विलम्ब से बिना ब्याज के जमा किया। स्वीकार किये गये कर की विलम्ब से जमा धनराशि पर जमा की तिथि तक ₹ 5.32 करोड़ ब्याज आकर्षित हुआ, जबकि व्यापारियों ने मात्र ₹ 1.48 लाख ही जमा किया। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्च 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.31 करोड़ ब्याज अप्रभारित रह गया जैसा कि **परिशिष्ट-XIII** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (जून 2013 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं 10 मामलों में ₹ 3.50 करोड़ ब्याज

प्रभारित किया जिसमें से ₹ 8.34 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष मामलों में विभाग ने बताया की कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.10 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) से सम्बन्धित अनियमिततायें

विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच में 26 वा0क0का0 के वर्ष 2008-09 से 2011-12 अवधि के 3,603 में से 32 व्यापारियों के मामलों में आई0टी0सी0 दावे से सम्बन्धित ₹ 3.59 करोड़ की विभिन्न अनियमिततायें जैसे अनियमित/गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 के दावे, अधिक धनराशि के दावे, अर्थदण्ड का अनारोपण, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना और उस पर ब्याज को प्रभारित न किया जाना आदि का पता चला। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं।

2.10.1 गैर-अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का न/कम उत्क्रमित किया जाना तथा ब्याज प्रभारित न करना

व्यापारियों ने ₹ 62.05 लाख की आई0टी0सी0 का गलत दावा किया जिसे कर निर्धारण के समय ब्याज सहित उत्क्रमित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.28 लाख की आई0टी0सी0 का न/कम उत्क्रमण हुआ तथा ब्याज का प्रभारण नहीं हुआ (आर0आई0टी0सी0 ₹ 62.05 लाख एवं ब्याज ₹ 25.23 लाख)।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रांत के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से क्रय किये गये माल पर अधिनियम की अनुसूची I से V में निर्धारित दरों पर संदेय अथवा संदेय कर की सीमा तक आई0टी0सी0 अनुमन्य है। अधिनियम की धारा 13(1)(अ) (प्रभावी दिनांक 28.02.2009 से यथा संशोधित) के अनुसार यदि राज्य के भीतर से क्रय किये गये कर योग्य माल का प्रान्त बाहर अन्तरण/पारेषण या माल के विनिर्माण में प्रयोग से विनिर्मित माल को प्रांत के बाहर अन्तरण या पारेषण किया जाये तो ऐसी दशा में इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है, की सीमा तक अनुमन्य है। धारा 13(1)(ब) के अनुसार जहाँ माल का पुनर्विक्रय क्रय मूल्य में कम कीमत पर किया जाता है तो माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि अनुमन्य होगी। पुनश्च अधिनियम की धारा 14 (2) के अन्तर्गत यदि किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाएगा।

हमने 17 वा0क0का0 में (नवम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों तथा पत्रावलियों की नमूना जाँच की और पाया कि 2,412 में से 21 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 62.05 लाख की गलत आई0टी0सी0 का दावा किया जो कि उनको अनुमन्य नहीं थी। क0नि0प्रा0 को नवम्बर 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करना चाहिये था और व्यापारियों को इस उत्क्रमित आई0टी0सी0 की धनराशि जो उत्क्रमित नहीं की गयी, को साधारण ब्याज सहित जमा करने के लिए आदेशित करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.28 लाख के आई0टी0सी0 का न/कम उत्क्रमण हुआ तथा ब्याज का प्रभारण होने से रह गया (आर0आई0टी0सी0 ₹ 62.05 लाख एवं ब्याज ₹ 25.23 लाख)।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को (फरवरी 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा एक मामले में ₹ 0.84 लाख आई0टी0सी0 उत्क्रमित की जबकि ब्याज प्रभारित नहीं किया गया और एक अन्य

मामलों में ब्याज सहित ₹ 0.77 लाख की आईटीसी उत्क्रमित की। शेष मामलों में विभाग ने उत्तर में कहा कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.10.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिथ्या दावों पर अर्थदण्ड का अनारोपण

₹ 54.43 लाख का मिथ्या आईटीसी दावा कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उत्क्रमित किया गया किन्तु ₹ 2.72 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उपरोक्त अधिनियम, 2008 की धारा 13 सपठित उपरोक्त नियमावली, 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी को कर बीजक के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर भुगतान किये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से माल की खरीद पर नकद जमा के मामलों में, उनके द्वारा की गयी खरीद या बिक्री पर संदत्त या संदेय कर की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आईटीसी का दावा किया है तो आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक अनुमन्य नहीं है, उत्क्रमित किया जायेगा, उक्त अधिनियम सपठित उपरोक्त नियमावली के नियम 21, 22, 23 एवं 25 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दावाकृत आईटीसी को उत्क्रमित किये जाने का प्रावधान है। मूक्त अधिनियम की धारा 54(1)(19) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कनिःप्रा संतुष्ट है कि जहाँ यथास्थिति कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आईटीसी के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देयकर यदि कोई हो, के साथ अर्थदण्ड के रूप में आईटीसी की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा।

हमने 10 वाकका में (दिसम्बर 2013 एवं अगस्त 2014 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,191 में से 11 व्यापारियों के मामलों में कनिःप्रा ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आईटीसी का प्रति सत्यापन किया एवं पाया कि व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 54.43 लाख की आईटीसी का मिथ्यापूर्वक/कपटपूर्ण दावा किया था। व्यापारियों ने मिथ्यापूर्वक/कपटपूर्ण आईटीसी का दावा किया था अतः वे आईटीसी की धनराशि के पाँच पुने के बराबर धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान के दायी थे। यद्यपि कि कनिःप्रा ने आईटीसी उत्क्रमित कर दी परन्तु ₹ 2.72 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (फरवरी 2014 एवं सितम्बर 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं तीन मामलों में ₹ 35.52 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया शेष मामलों के लिए विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

2.11 विलम्ब से जमा किये गये संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

कनिःप्रा ने व्यापारियों पर संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर ₹ 2.51 करोड़ को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर ₹ 5.03 अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया था।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से

चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 11 वा0क0का0 में (नवम्बर 2013 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की नमूना जाँच की एवं पाया कि 1,570 में से 15 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 2.51 करोड़ कर की कटौती की परन्तु 14 व्यापारियों ने इसे निर्धारित समय के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया एवं एक प्रकरण में कर को राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया था। विलम्ब की अवधि 5 दिनों से लेकर सात माह 12 दिनों की थी। का0नि0प्रा0 ने जून 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय न तो ₹ 5.03 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड के अनारोपण का कोई कारण ही अंकित किया।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (फरवरी 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं चार मामलों में ₹ 56.41 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया। शेष मामलों के लिए बताया कि कार्यवाही प्रचलित है (नवम्बर 2015)।

अध्याय-III

राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लाइसेन्स शुल्क का आरोपण उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विनिर्माण अल्कोहल से होता है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होता है।

राज्य आबकारी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी) होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग का प्रमुख होता है। आबकारी विभाग आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी जोन में विभाजित है जिसका प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में आबकारी निरीक्षकों की तैनाती होती है जो आबकारी अभिकर एवं सम्बन्धित राजस्व का आरोपण/उद्ग्रहण सम्बन्धी रख-रखाव एवं विनियमन करते हैं।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं विश्वस्त कराता है कि निर्धारित प्रणालियाँ तर्कसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं। स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों की स्थिति सारणी 3.1 में दी गयी है

सारणी 3.1

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कार्मिकों की स्थिति

क्रम सं०	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में
1	वित्त नियंत्रक	1	1	0	0
2	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	1	0	1	100
3	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0	0
4	सहायक लेखाधिकारी	2	1	1	50
5	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	9	1	8	88.89
6	लेखाकार	10	3	7	70
7	लेखा परीक्षक	3	4	0	0

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

आन्तरिक लेखापरीक्षा (आ0ले0प0) आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षण हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण सारणी 3.2 में दर्शाया गया है।

सारणी-3.2

आन्तरिक लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	उपलब्ध इकाईयों की संख्या	आयोजित इकाईयों की संख्या	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
2010-11	350	126	141	15
2011-12	350	138	123	(-) 15
2012-13	352	140	119	(-) 21
2013-14	365	140	109	(-) 31
2014-15	365	140	113	(-) 27

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि विभाग का लेखापरीक्षा का आयोजन यथार्थवादी नहीं है जैसा कि विभाग वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की लेखापरीक्षा का निर्धारित लक्ष्य कार्मिकों की कमी के कारण प्राप्त नहीं कर सका।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा वर्ष के दौरान सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं उठायी गयी आपत्ति की संख्या और उसमें निहित धनराशि एवं निस्तारण का विवरण सारणी 3.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.3
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्ति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि
2010-11	310	2,023.53	176	204.13	126	117.03	360	2,110.63
2011-12	360	2,110.63	136	70.22	199	352.35	297	1,828.50
2012-13	297	1,828.50	140	58.75	244	266.75	193	1,620.50
2013-14	193	1,620.50	101	46.13	70	37.52	224	1,629.11
2014-15	224	1,629.11	108	101.73	55	41.77	277	1,689.07

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

यह दर्शाता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अनुपालन बहुत कम किया गया है।

हम संस्तुति करते हैं कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को मजबूत किया जाय और एक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना यथार्थ रूप में तैयार की जाय। विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठाये गये प्रकरणों में त्वरित वसूली के लिये समुचित कदम उठाया जाय।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग ने वर्ष 2014-15 में ₹ 13,482.57 करोड़ के राजस्व की वसूली की। राज्य आबकारी से सम्बन्धित कुल 353 इकाईयों में से 138 इकाईयों की हमारी नमूना जाँच दर्शाती है कि आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज का न/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के 220 प्रकरणों में ₹ 38.36 करोड़ की धनराशि शामिल है जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि सारणी 3.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.4
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	(₹ करोड़ में)	
		प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	आबकारी अभिकर की न/कम वसूली होना	17	0.89
2	लाइसेन्स फीस/ ब्याज की वसूली न किया जाना	77	8.79
3	अन्य अनियमिततायें	126	28.68
योग		220	38.36

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष के दौरान विभाग ने 155 मामलों में ₹ 4.84 करोड़ अविनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिनमें से वर्ष के दौरान 140 प्रकरणों में ₹ 4.28 करोड़ की वसूली की गयी। शेष मामलों में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शों मामले जिनमें ₹ 4.90 करोड़ की धनराशि सन्निहित है की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

3.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में बेसिक लाइसेन्स फीस और जमा प्रतिभूति का समपहरण न किया जाना, ब्याज का अनारोपण एवं लाइसेन्स फीस का कम आरोपण के प्रकरण दर्शाये गये जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तारों में उल्लिखित है। ये मामले उदाहरणत्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। हम इस प्रकार की त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष इंगित करते हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती। शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.5 बेसिक लाइसेन्स फीस एवं प्रतिभूति जमा का समपहरण न किया जाना

अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं जमा की गयी। इस विफलता के लिए दुकान के चयन का निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक लाइसेन्स फीस और जमा प्रतिभूति राशि ₹ 3.66 करोड़ के समपहरण की कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं प्रारम्भ की गयी।

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फुटकर बिक्री के लाइसेन्स का व्यवस्थापन) नियमावली-2002 के नियम-12 में प्रावधानित है कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक लाइसेन्स फीस की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष प्रतिभूति धनराशि 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता की दशा में दुकान का चयन निरस्त कर दिया जायेगा और बेसिक लाइसेन्स फीस एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि, यदि कोई हो, तो शासन के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और तत्काल दुकान का पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

हमने नवम्बर, 2014 व मार्च, 2015 के मध्य बस्ती और रायबरेली के जिला आबकारी कार्यालयों के जी-12 (दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण) और देशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन पत्रावलियों का परीक्षण किया और पाया कि वर्ष 2013-14 में यद्यपि 32 देशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन या नवीकरण किया गया किन्तु इन अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया गया। विलम्बित अवधि 22 से 63 दिनों के मध्य थी। इस विफलता पर नियमों के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जैसा कि नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं है, विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने से शासन ₹ 3.66 करोड़ के बे0ला0फी0 व प्रतिभूति जमा से वंचित रहा, जैसा कि सारणी 3.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.5

बेसिक लाइसेन्स फीस एवं प्रतिभूति जमा का समपहरण न किया जाना

(धनराशि ₹ में)						
क्र० सं०	इकाईयों का नाम	दुकानों की संख्या	प्रतिभूति जमा को जमा करने में बिलम्ब की अवधि	समपहरण योग्य बे०ला०फी०	समपहरण योग्य प्रतिभूति जमा	समपहरण योग्य कुल धनराशि
1	जि०आ०अ० बस्ती	14	33 से 63 दिन	1,70,52,430	1,10,57,578	2,81,10,008
2	जि०आ०अ० रायबरेली	18	22 दिन	51,61,430	33,66,243	85,27,673
	योग	32	22 से 63 दिन	2,22,13,860	1,44,23,821	3,66,37,681

स्रोत : जी-6 रजिस्टर से उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग व शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2014 एवं मई 2015)। शासन ने हमारे प्रेक्षण को सिद्धान्ततः स्वीकार किया (नवम्बर 2015) फिर भी वर्ष के मध्य दुकानों के पुर्नव्यवस्थापन की व्यावहारिक कठिनाईयों को व्यक्त किया। इस प्रकार अधिनियम में प्रावधानित उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया।

3.6 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर विभाग द्वारा ₹ 88.03 लाख ब्याज प्रभारित नहीं किया गया।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38-ए प्रावधानित करता है कि जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

हमने 71 जि०आ०का० में से पाँच जि०आ०का० के बकाया रजिस्टर एवं जी-6 (रजिस्टर जिसमें आबकारी विभाग की सभी प्राप्तियों का रखरखाव आबकारी कार्यालयों में किया जाता है) की जाँच (जून 2014 व मार्च 2015 के मध्य) की जिसमें पाया कि आबकारी राजस्व ₹ 1.04 करोड़ जो अप्रैल 2003 से अप्रैल 2013 की अवधि से सम्बन्धित था अगस्त 2006 और अक्टूबर 2014 के मध्य जमा किया गया अर्थात् कुल 69 प्रकरणों में से 65 प्रकरणों में 14 माह से 12 वर्षों तक के विलम्ब से जमा किया गया। फिर भी विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज ₹ 88.03 लाख प्रभारित नहीं किया गया। विवरण सारणी 3.6 में दिया गया है।

सारणी 3.6

आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	दुकानों की संख्या	भुगतान की देय तिथि	जमा की अवधि	धनराशि	विलम्बित अवधि माहों में	ब्याज की धनराशि
1	जिला आबकारी अधिकारी, बागपत	01	अप्रैल 2003	अगस्त 2006 से मई 2014	16.88	53 से 144	20.18
2	जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर	07	अप्रैल 2008 से अप्रैल 2013	मई 2014 से सितम्बर 2014	7.72	14 से 79	4.04
3	जिला आबकारी अधिकारी, कन्नौज	25	अप्रैल 2008	फरवरी 2010 से सितम्बर 2012	29.74	23 से 54	12.57
4	जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर शहर	24	अप्रैल 2008	जुलाई 2014 से अगस्त 2014	35.79	77	40.79
5	जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी	8	अप्रैल 2008 से अप्रैल 2012	अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014	14.14	29 से 80	10.45
	योग	65	अप्रैल 2003 से अप्रैल 2013	अगस्त 2006 से अक्टूबर 2014	104.27	14 से 144	88.03

स्रोत : जी-6 रजिस्टर से उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग व शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई, 2014 व मई 2015 के मध्य)। शासन ने प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर, 2015) और कहा कि एक प्रकरण में संशोधित धनराशि ₹ 20.03 लाख की वसूली कर ली गयी है। शेष प्रकरणों में ब्याज की वसूली की नोटिस जारी कर दी गयी है।

3.7 मॉडल शॉप पर लाइसेन्स शुल्क का कम आरोपण

आबकारी नीति के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मॉडल शॉप का लाइसेन्स शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था।

28 फरवरी, 2013 को अधिसूचित आबकारी नीति के अनुसार मॉडल शॉप के व्यवस्थापन के लिए लाइसेन्स फीस वर्ष 2013-14 या इसके भाग के लिए ₹ 11 लाख या उसी वर्ष में कस्बे में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर दोनों की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेन्स शुल्क, इनमें से जो अधिक हो परन्तु ₹ 30 लाख से अधिक नहीं हो सकती, निर्धारित की गयी थी।

हमने जि0आ0अ0 कानपुर के मॉडल शॉप व्यवस्थापन पत्रावली, आबकारी नीति व जी-12 का परीक्षण किया (मार्च, 2015) और पाया कि दो मॉडल शॉप सिंहपुर और मन्धना वर्ष 2013-14 में नवसृजित हुयी थी। वर्ष 2013-14 में कस्बे में विदेशी मदिरा व बीयर की सम्मिलित सर्वोच्च लाइसेन्स शुल्क ₹ 50 लाख थी। इस प्रकार दोनों मॉडल शॉप की लाइसेन्स शुल्क आबकारी नीति के अनुसार ₹ 60 लाख (₹ 30 लाख प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये) निर्धारित किया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा ₹ 60 लाख के बजाय कुल ₹ 24.05 लाख (₹ 11 लाख सिंहपुर व ₹ 13.05 लाख मन्धना के मॉडल शॉप से) निर्धारित एवं वसूल किया। जि0आ0अ0 ने सम्बन्धित वर्ष की आबकारी नीति में यथा उपबन्धित विदेशी मदिरा बीयर के वास्तविक लाइसेन्स शुल्क पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 35.95 लाख लाइसेन्स शुल्क का कम आरोपण किया गया।

हमने मामले को विभाग व शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2015 से मई 2015 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में कहा कि मॉडल शॉप का शुल्क उसकी संभावना के अनुसार निर्धारित किया गया था जो कि शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित था। विभाग का उत्तर इंगित करता है कि मानदण्ड अपेक्षित सावधानी से निर्धारित नहीं किये गये थे इसलिए उसका अनुसरण नहीं किया गया था (नवम्बर 2015)।

अध्याय-IV वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के0मो0या0नि0), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम) तथा उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली) के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, शासकीय स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित होती है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (सं0प0आ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0सं0प0आ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण का सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासित होता है।

4.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी संगठन की आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया में आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रकों के नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को स्वयं सुनिश्चित कराता है कि निर्धारित तन्त्र भलीभाँति कार्य कर रहे हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) वित्त नियंत्रक द्वारा नियंत्रित की जाती है। आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं छः लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तीन लेखापरीक्षक को पदस्थ किया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण सारणी 4.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.1

आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	आ0ले0प0 हेतु उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आ0ले0प0 हेतु आयोजित इकाईयों की सं0	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010-11	101	32	18	14	43.75
2011-12	101	36	22	14	38.88
2012-13	101	40	19	21	52.50
2013-14	101	31	22	09	29.03
2014-15	101	31	27	04	12.90

स्रोत: विभाग से प्राप्त सूचना

यह प्रदर्शित करता है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा आयोजना यथार्थपरक नहीं है जैसा कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कमी 12.90 प्रतिशत से 52.50 प्रतिशत के मध्य रही। विभाग द्वारा इसका कारण वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना का विलम्ब से

अनुमोदन बताया गया। हम विभाग द्वारा बताये गये कारण से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा आयोजना समय सारणी के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि सारणी 4.2 में दर्शायी गयी है।

सारणी 4.2

अनिस्तारित प्रस्तरोँ और धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)								
वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणो की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं०	सन्निहित धनराशि
2010-11	4,429	2,144.00	153	139.00	0	0.00	4,582	2,283.00
2011-12	4,582	2,283.00	204	81.00	0	0.00	4,786	2,364.00
2012-13	4,786	2,364.00	137	73.00	12	13.00	4,911	2,424.00
2013-14	4,911	2,424.00	198	54.00	19	21.00	5,090	2,457.00
2014-15	5,090	2,457.00	144	48.00	8	2.00	5,226	2,503.00

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन अत्यन्त कम है।

हम संस्तुति करते हैं कि आ0ले0प0शा0 को मजबूत किया जाय और वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना को यथार्थपरक रूप से तैयार किया जाय। आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों में त्वरित वसूली हेतु विभाग द्वारा समुचित कदम उठाना चाहिये।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

परिवहन विभाग ने वर्ष 2014-15 में ₹ 3,797.58 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014-15 के दौरान हमने विभाग से सम्बन्धित 72 इकाईयों के अभिलेखों का परीक्षण किया और कर के न/कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 70.01 करोड़ के 567 मामले पाये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि सारणी 4.3 में वर्णित है :

सारणी 4.3

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)			
क्र०सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	• यात्रीकर/ अतिरिक्त कर	32	30.80
	• मार्ग कर	20	6.20
	• माल कर	02	0.28
	की न/कम वसूली		
2.	अन्य अनियमिततायें	513	32.73
	योग	567	70.01

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग ने 17 मामलों में ₹ 90.63 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से तीन प्रकरणों में ₹ 10.06 लाख की धनराशि की वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 38.82 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

4.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

परिवहन विभाग कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में प्रशमन शुल्क, प्रार्थनापत्र शुल्क, कर, अतिरिक्त कर, परमिट शुल्क, स्वास्थता शुल्क, पंजीयन शुल्क के न/कम आरोपण के मामलें तथा अर्थदण्ड के न/कम आरोपण के मामले प्रकाश में आये जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तारों में इंगित किया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा निष्पादित नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की अधिकांश त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं, परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक प्रकाश में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

4.5 परमिट में अनियमिततायें

4.5.1 परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क का अनारोपण

745 मंजिली गाड़ी वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रशमन शुल्क ₹ 29.80 लाख का अनारोपण हुआ।

उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 70 के अनुसार मोटर कैब से भिन्न ठेका पर चलने वाले वाहन स्वामियों द्वारा यात्रियों की सूची और वाहन के लाग बुक का त्रैमासिक सारांश, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये परमिट की शर्तों और नियम में अपेक्षित है, जमा करना होता है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192-ए परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति परिभाषित करती है। परमिट की शर्तों का उल्लंघन दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित ₹ 4,000 प्रति प्रकरण प्रशमन शुल्क का आरोपण आकर्षित करता है।

हमने 72 सं0प0अ0/स0सं0प0अ0 कार्यालयों में से छः की मंजिली गाड़ी वाहनों की यात्रा मार्ग पत्रावलियों की जाँच जून 2014 से दिसम्बर 2014 के मध्य की और पाया कि 2,170 में से 745 मंजिली गाड़ी वाहन जो मंजिली गाड़ियों के परमिट से आच्छादित तथा जून 2013 से नवम्बर 2014 की अवधि के दौरान संचालित थे लेकिन किसी भी वाहन स्वामी ने वाहन के आने जाने की समय सारणी जैसा कि नियमों में विहित है, प्रस्तुत नहीं किया। इस विफलता के लिये विभाग द्वारा प्रशमन शुल्क ₹ 29.80 लाख न तो आरोपित और न ही वसूल किया गया जैसा कि सारणी 4.4 में दर्शाया गया है:

सारणी 4.4
परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क का अनारोपण

क्र0सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	शास्ति की दर	(धनराशि ₹ में)
				कुल शास्ति
1	सं0 प0 अ0 आगरा	37	4,000	1,48,000
2	सं0 सं0 प0 अ0 बुलन्दशहर	124	4,000	4,96,000
3	सं0 प0 अ0 गाजियाबाद	301	4,000	12,04,000
4	सं0 प0 अ0 मेरठ	27	4,000	1,08,000
5	सं0 प0 अ0 मीरजापुर	236	4,000	9,44,000
6	सं0 सं0 प0 अ0 उन्नाव	20	4,000	80,000
योग		745		29,80,000

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग तथा शासन को (दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर मे विभाग ने तीन प्रकरणों में बताया (सितम्बर 2015) कि लाग बुक और यात्रियों की सूची को प्रस्तुत न करने से शास्ति आकृष्ट नहीं होती क्योंकि

यह परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मोटोरियन अधिनियम की धारा 192—ए स्पष्ट रूप से परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिये शास्तियाँ परिभाषित करती हैं और उपरोक्त अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 70 के अधीन निर्गत परमिट की अतिरिक्त नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

4.5.2 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना

105 माल वाहन बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये मार्गों पर संचालित पाये गये। इसके फलस्वरूप समेकित तथा प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में ₹ 18.38 लाख की धनराशि की वसूली नहीं हुयी।

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0) की धारा 81 प्राविधानित करती है कि परमिट पाँच वर्षों के लिए वैध होता है। तथापि, के0मो0या0नि0 के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित आधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक को नोटिस निर्गत करेंगे कि वह स्पष्ट करें कि प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाये और निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर परमिट को निरस्त कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र हेतु समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्राधिकार पत्र के प्रार्थनापत्र हेतु ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

हमने नवम्बर 2014 और फरवरी 2015 के मध्य 19 सं0 प0 का0 में से तीन (आगरा, इलाहाबाद और बरेली) के वाहनों की पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बुकों और रोकड़ पुस्तिकाओं की जाँच की और पाया कि जून 2013 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 10,532 में से 105 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये, मार्गों पर संचालित हो रहे थे। इसके फलस्वरूप समेकित शुल्क तथा प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में ₹ 18.38 लाख की धनराशि की वसूली नहीं हुयी।

समस्त सूचनायें जैसे प्राधिकार-पत्र की वैधता समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट से युक्त वाहनों के अन्य विवरण वाहन साफ्टवेयर जिसे वाहनों के विवरण यथा पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट एवं कर आदि रखे जाने हेतु प्रकल्पित किया गया था, में उपलब्ध थे इसके बावजूद, विभाग को इन प्रकरणों का पता नहीं लगा। विभाग द्वारा परमिट धारकों को नोटिस निर्गत करने तथा परमिट के निरस्तीकरण जैसा कि परिवहन आयुक्त के आदेश में विनिर्दिष्ट था, हेतु कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की गयी।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2015 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और 37 प्रकरणों में ₹ 4.91 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है।

4.6 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी नगरीय परिवहन सेवार्यें लिमिटेड के अन्तर्गत 464 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 30.36 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 से यथा संशोधित) की धारा 6 की उप धारा (1) के प्रावधानों

के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन उपक्रम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

हमने सात¹ सं० प० का० में से कानपुर नगर, लखनऊ एवं वाराणसी के सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों में मार्ग एवं कर पत्रावली और उ०प्र०रा०स०प०नि० द्वारा प्रस्तुत विवरणी और चालान का परीक्षण किया (मई 2015) और पाया कि नवम्बर 2009 से मार्च 2015 की अवधि में नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 636 जे०एन०एन०यू०आर०एम० की बसों में से 464 बसें नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित हो रही थीं एवं अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 30.36 करोड़ के भुगतान की दायी थीं। परिवहन अधिकारियों ने नगर निगम क्षेत्र से बाहर वाहनों के संचालन पर कोई कार्यवाही, यथा अतिरिक्त कर जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करना, विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में वाहनों को बन्द करना या अतिरिक्त कर जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करना, प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.36 करोड़ का अतिरिक्त कर अनारोपित रहा। विवरण सारणी 4.5 में इंगित किया गया है।

सारणी 4.5
जे०एन०एन०यू०आर०एम० की बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	वाहनों की कुल संख्या	नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित वाहनों की संख्या	अवधि	(₹ लाख में)
					आरोपणीय अतिरिक्त कर
1.	सं० प० का० कानपुर नगर	270	183	12/2009 से 03/2015	1352.11
2.	सं० प० का० लखनऊ	236	156	07/2013 से 03/2015	443.99
3.	सं० प० का० वाराणसी	130	125	11/2009 से 03/2015	1240.39
योग		636	464		3036.49

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और क्षेत्रीय प्रबन्धकों को नोटिस निर्गत कर दिया।

4.7 वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होना

विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे कि देयकर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र था ज्ञात हो सके। बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित 5,820 वाहनों पर ₹ 35.71 लाख स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 2.33 करोड़ शास्ति के आरोपण के दायी थे।

मो०या० अधिनियम की धारा 56 एवं उसके अधीन निर्मित के०मो०या० नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण करना आवश्यक है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। विफलता की स्थिति में

¹ आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ एवं वाराणसी

निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अधिसूचना सं0 1452/30-4-10-172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा ₹ 4,000 की दर से प्रशमन योग्य होता है।

हमने 72 सं0 प0 का0/स0 सं0 प0 का0 में से 25 सं0 प0 का0/स0 सं0 प0 का0 के कर पंजिका, वाहनों के पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बुकें एवं रोकड़ पुस्तिकाओं की (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य) जाँच की और पाया कि जून 2013 और फरवरी 2015 के मध्य 3,71,624 वाहनों में से 5,820 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे यद्यपि उनसे देय कर वसूल किया गया था। कालातीत हो चुके स्वस्थता प्रमाण पत्र वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने की विभाग ने न तो कार्यवाही प्रारम्भ की और यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने के अतिरिक्त चूककर्ता वाहन स्वामियों पर न ही मो0या0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आरोपित किया। ऐसे वाहनो का संचालन लोक सुरक्षा को जोखिम में डालना था। ऐसे वाहन स्वस्थता शुल्क ₹ 35.71 लाख तथा शास्ति ₹ 2.33 करोड़ के आरोपण योग्य थे जैसा कि परिशिष्ट –XIV में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और ₹ 9.59 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है।

4.8 गैर परिवहन यानों के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

पंजीयन समाप्त हो चुके 6,709 गैर परिवहन यानों का पुनर्पंजीयन न होने से ₹ 40.25 लाख के पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क की वसूली नहीं हुयी।

मो0या0 अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्राविधानित करती है कि गैर परिवहन यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिए किया जा सकता है। इसके लिए यान के पुनर्पंजीयन के समय स्वस्थता की जाँच भी आवश्यक है और इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए उद्गृहणीय है। अधिनियम की धारा 177 के अधीन गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए ₹ 200 पुनर्पंजीयन शुल्क तथा विलम्ब की दशा में ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है। मो0या0 अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रयोग में लाये जाते हैं तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ 5,000 तक विस्तारित हो सकेगा किन्तु ₹ 2,000 से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

हमने 72 सं0प0का0/स0स0प0का0 में से 15 सं0प0का0/स0स0प0का0 के वाहनों की पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बही और रोकड़ बही की जाँच किया (मई 2014 से मार्च 2015) और पाया कि 5,56,361 गैर परिवहन हल्के मोटर यान में से 6,709 यान अप्रैल 1993 से फरवरी 2000 के दौरान 15 वर्षों के लिए पंजीकृत हुये थे। इन यानों का पंजीयन अप्रैल 2008 से फरवरी 2015 के दौरान समाप्त हो गया था लेकिन इनमें से कोई वाहन पुनः पंजीकृत नहीं हुआ जिसके कारण पुनर्पंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क के ₹ 40.25 लाख की वसूली नहीं हो पायी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और ₹ 1.40 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.9 अधिक भार लदे वाहनों पर कैरेज बाई रोड अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

अधिक भार लदान के 1,786 प्रकरणों में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को निरुद्ध किया गया था किन्तु विभाग द्वारा कैरेज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 4.08 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

कैरेज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 5 (3) निर्दिष्ट करती है कि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या मो0या0 अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को धारा-4 की उपधारा 8 के उपबन्धों के अतिक्रमण का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो वह सामान्य वाहक पर मो0या0 अधिनियम की धारा 194 के अधीन विहित शास्ति अधिरोपित करने के लिये इस तथ्य के होते हुये भी सक्षम होगा कि ऐसी शास्ति यथास्थित, माल यान के चालक या स्वामी या प्रेषक पर पहले ही अधिरोपित की जा चुकी है और उससे वसूल की जा चुकी है।

सामान्य वाहक के पंजीयन न कराने के सम्बन्ध में कैरेज बाई रोड अधिनियम, 2007 की धारा 18 (1) प्रावधानित करती है कि जो कोई धारा 3, धारा 13 के उपबन्धों का या धारा 14 के अन्तर्गत निर्गत किसी अधिसूचना का उलंघन करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो ₹ 5000 तक का हो सकेगा और और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो ₹ 10000 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

हमने 72 स0प0का0/स0स0प0का0 में से 47 स0प0का0/स0स0प0का0 की अभियोजन बहियों, अपराध एवं जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच (जून 2014 से मार्च 2015) की और पाया कि अप्रैल 2013 से फरवरी 2015 की अवधि के दौरान 11,239 प्रकरणों में से 1,786 में विभिन्न श्रेणियों के वाहन अधिक भार लदान में निरुद्ध किये गये थे। विभाग ने मो0 या0 अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत ₹ 3.19 करोड़ शास्ति आरोपित किया और वाहनों को मुक्त कर दिया। सभी 1,786 प्रकरणों में कैरेज बाई रोड अधिनियम 2007 की धारा 5 (3) के अन्तर्गत ₹ 3.19 करोड़ शास्ति आरोपित करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। अग्रेतर, पंजीयन न कराने के लिये कैरेज बाई रोड अधिनियम की धारा 18 (1) के अन्तर्गत इन प्रकरणों में ₹ 88.58 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसके फलस्वरूप ₹ 4.08 करोड़ की शास्ति का अनारोपण हुआ जैसा कि परिशिष्ट-XV में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से मई 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सामान्य वाहकों पर शास्ति आरोपित किया जाना है। इन सामान्य वाहकों को चिन्हित कर वास्तविक देयों की गणना के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना मंगायी जा रही है। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.10 तीन माह से अधिक अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर का वसूला न जाना

245 वाहन तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये थे परन्तु कराधान अधिकारियों ने देय कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 53.22 लाख की वसूली नहीं की।

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (अक्टूबर 2009 में संशोधित) के नियम 22 में व्यवस्था है कि जब परिवहन यान स्वामी अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि

के लिए प्रयोग नहीं करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अर्पित बना रहता है, तो अर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्च, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से अर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने 72 सं0प0का0 / सं0सं0प0का0 में से 16 सं0प0का0 / सं0सं0प0का0 की अर्पण पंजिका, वाहनों की पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और मालकर पंजिका की (अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 के मध्य) जाँच की और पाया कि 3,721 में से 245 वाहन जून 2013 से अक्टूबर 2014 की अवधि के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि के विस्तार स्वीकार न किये जाने के बावजूद, कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर/अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप ₹ 53.22 लाख के राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी जैसा कि परिशिष्ट-XVI में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेषण को स्वीकार किया और ₹ 4.20 लाख की वसूली की। अन्तिम स्थिति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.1.1 जब वाहनों से कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली न किया जाना

4.1.1.1 गुमशुदा जब्त वाहनों से राजस्व की वसूली न किया जाना

पुलिस थाने से गायब होने के कारण विभाग चार निरुद्ध वाहनों से बकाया देयों की वसूली नहीं कर सका।

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा जब्त किए गये वाहन पर देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान हेतु वाहन स्वामी दायी होंगे तथा उन्हें अवमुक्त करायेंगे। जहाँ वाहन स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे वाहनो को जब्त किए जाने की तिथि के 45 दिनों के बाद नीलाम किया जा सकता है तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। अतिशेष धनराशि, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

हमने सं0 प0 अ0 गाजीपुर की जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया (अगस्त 2014) और पाया कि जुलाई 2003 से मई 2012 के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि जमा नहीं किए जाने के कारण प्रवर्तन शाखा द्वारा 11 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों के

निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। जब्ती की तिथि से 45 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नीलामी के द्वारा देयों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इन निरुद्ध वाहनों की नीलामी 17 जुलाई 2014 को की जानी थी किन्तु चार वाहन जिनसे ₹ 15.56 लाख बकाया वसूला जाना था सम्बन्धित पुलिस थाने में नहीं पाये गये। इस प्रकार चार वाहनों के गायब होने के कारण विभाग निरुद्ध वाहनों से बकाया 15.56 लाख की वसूली नहीं कर सका।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नोटिस जारी की जा चुकी है (नवम्बर 2015)।

4.11.2 जब्त वाहनों की नीलामी न होने से राजस्व का न वसूल होना

विभाग 16 जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने कारण राजस्व की वसूली नहीं कर सका।

हमने सं० प० अ० म० की जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच किया (अगस्त 2014) और पाया कि नवम्बर 2012 से जून 2014 के दौरान उ०प्र०मो०या०क० अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 16 वाहन जब्त किए गये थे जिनसे ₹ 5.04 लाख देय धनराशि वसूल किया जाना था। इन वाहनों के स्वामियों ने जब्ती की तिथि से 45 दिनों के अन्दर देय धनराशि जमा नहीं किया। जब्ती की तिथि से दो माह से 21 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन वाहनों की नीलामी के द्वारा जब्त वाहनो से देय ₹ 5.04 लाख की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नोटिस जारी किया गया है (नवम्बर 2015)।

4.11.3 जब्त वाहनो की नीलामी से कम राजस्व का वसूल किया जाना

विभाग 29 जब्त वाहनों की नीलामी से देय धनराशि से कम राजस्व की वसूली कर सका।

हमने दो सं०प० कार्यालयों के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की (जून 2013 और जुलाई 2013) और पाया कि मार्च 2000 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान उ०प्र०मो०या०क० अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 10.40 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रवर्तन शाखा द्वारा 29 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार 45 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जनवरी 2014 से फरवरी 2014 के मध्य जब्त वाहनों की नीलामी सम्पन्न किया और देय धनराशि ₹ 10.40 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹ 3.53 लाख की वसूली की। इस प्रकार जब्त वाहनों से धनराशि ₹ 6.87 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। सम्बन्धित कार्यालयों ने शेष धनराशि ₹ 6.87 लाख की वसूलने हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया, जैसा कि सारणी 4.6 में विवरण दिया गया है।

सारणी 4.6

जब वाहनों की नीलामी से राजस्व की कम वसूली

क्र०सं०	इकाई का नाम	वाहनों की कुल संख्या	वाहनों की जल्दी अवधि	नीलामी की तिथि	(धनराशि ₹ में)		
					देय धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	कम वसूल किया गया कर
1	सं०प०का० मथुरा	19	03/2000 से 09/2012	27.01.2014	4,78,155	91,350	3,86,805
3	सं०प०का० मुरादाबाद	10	08/2010 से 09/2011	07.02.2014	5,61,747	2,61,600	3,00,147
	योग	29	03/2000 से 09/2012		10,39,902	3,52,950	6,86,952

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से अप्रैल 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि नोटिस जारी किया गया है (नवम्बर 2015)।

अध्याय-V स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन

स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0 अधिनियम), भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908 (भा0नि0 अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, से विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपणीय है। उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं जो निबन्धन कार्य के कार्यान्वयन तथा अधीक्षण कार्य हेतु अधिकृत हैं। उनकी सहायता के लिये क्रमशः जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) तथा तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धक (उ0नि0) होते हैं।

5.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक संगठन के आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं विश्वस्त कराता है कि निर्धारित प्रणालियाँ तर्कसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं।

यहाँ एक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ है जो महानिरीक्षक (नि0) के सम्पूर्ण देखरेख में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य करती है। तकनीकी लेखापरीक्षा के लिए दो अतिरिक्त महानिरीक्षक (नि0) तथा आठ सहायक महानिरीक्षक (नि0) तैनात किए गए हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा (आ0ले0प0) आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा के लिए आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण सारणी 5.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.1

आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आयोजित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010-11	496	237	228	09	3.80
2011-12	496	250	243	07	2.80
2012-13	503	280	267	13	4.64
2013-14	504	309	307	02	0.65
2014-15	504	317	317	00	0.00

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त कर रही है। अनुरोध के बावजूद विभाग द्वारा वर्ष के दौरान उठायी गयी एवं निस्तारित आपत्तियों की संख्या तथा सन्निहित धनराशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग ने वर्ष 2014-15 में ₹ 11,803.34 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग के 424 इकाईयों में से 331 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आदि के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 24.10 करोड़ के 1,168 प्रकरण प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि सारणी 5.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.2

लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹ करोड़ में)
क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	संपत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	146	3.67
2.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	579	18.35
3.	अन्य अनियमितताएँ	443	2.08
योग		1,168	24.10

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं

वर्ष के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 93 प्रकरणों में ₹ 30.00 लाख के अवनिर्धारण को स्वीकार किया था जिसमें से 26 प्रकरणों में ₹ 3.76 लाख की वसूली की गयी थी। शेष मामलों में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अनुपालन में कमी के ₹ 8.70 करोड़ की सन्निहित धनराशि के कुछ निदर्शी मामलों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तारों में की गयी है।

5.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

उप निबन्धकों के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में सम्पत्ति के मूल्य का गलत निर्धारण, पट्टा विलेख के अवनिर्धारण, विलेख पत्र के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण तथा शासनादेशों को विलम्ब से लागू किये जाने के मामले प्रकाश में आये जिसका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तारों में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की त्रुटियाँ इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

5.5 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

4.45 लाख वर्ग मीटर गैर कृषि भूमि को कृषि दर पर ₹ 40.71 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 169.72 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.78 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में इसको लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन ने जून 2003 में जारी दिशा

निर्देशों द्वारा स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिये एक ही आराजी की सम्पत्ति को विभिन्न उद्देश्यों के लिये एक से अधिक टुकड़ों यथा एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में बाँटा नहीं जाना चाहिये।

हमने 331 में से 98 उपनिबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) के बही एक, खण्ड एवं निबन्धित विलेखों की (अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के मध्य) जाँच किया और देखा कि अप्रैल 2013 से जनवरी 2015 के मध्य 194 विक्रय विलेखों में 4.45 लाख वर्ग मीटर गैर कृषि भूमि का निबन्धन कृषि दर पर ₹ 40.71 करोड़ में मूल्यांकित करते हुए पंजीकृत हुए थे, एवं ₹ 2.52 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपित किया गया था। हमने देखा कि उसी आराजी का हिस्सा पूर्व में अथवा उसी दिन आवासीय दर पर बेचा गया और इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड का मूल्यांकन भी आवासीय दर से किया जाना चाहिए था। आवासीय दर पर उनका सही मूल्यांकन ₹ 169.72 करोड़ आगणित होता है। इस पर ₹ 10.31 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस आरोपणीय था, जबकि केवल ₹ 2.52 करोड़ स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस आरोपित किया गया। इस प्रकार सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस ₹ 7.78 करोड़ का कम आरोपण हुआ जैसा कि विवरण परिशिष्ट-XVII में दिया गया है।

हमने मामला विभाग और शासन (जनवरी 2014 और मई 2015 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवंबर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया। कलेक्टर स्टाम्प ने 15 प्रकरणों में ₹ 71.00 लाख के स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण की पुष्टि की और आरोपित किया जिसमें से नौ प्रकरणों में विभाग ने ₹ 15.39 लाख की वसूली की और शेष छः प्रकरणों में विभाग द्वारा वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

5.6 भूमि का अवमूल्यांकन

गैर कृषि घोषित 46,615 वर्ग मीटर भूमि को, आवासीय दर ₹ 12.37 करोड़ के स्थान पर कृषि दर पर ₹ 2.63 करोड़ में निबन्धित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.93 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 में प्रावधान है कि जहाँ हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपने खाते व उसके भाग का कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करता है, तो परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जाँच करने के पश्चात जो नियत की जाये, उस आशय की घोषणा कर सकता है। अग्रेतर, मुख्य सचिव ने सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 11 जून 2010 द्वारा, इस बात पर जोर दिया कि अगर भूमि पूर्ण या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी स्वतः प्रेरणा से उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0 अधिनियम की धारा 143 के अधीन सम्पूर्ण भूमि को आबादी घोषित करें। यदि इस अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत यदि भूमि अकृषि घोषित हुयी थी तो स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए।

हमने पाँच उ0नि0का0 के बही एक, खण्ड, विक्रय विलेख तथा दर सूची की जाँच की (अप्रैल 2014 और फरवरी 2015 के मध्य) और देखा कि मार्च 2013 से अगस्त 2014 की अवधि में नमूना जाँच किये गये 2,490 में से 11 प्रकरणों में विक्रय विलेखों में सन्निहित 46,615 वर्ग मीटर भूमि कृषि दर पर ₹ 2.63 करोड़ से मूल्यांकित करते हुए

पंजीकृत हुए थे, जिस पर ₹ 17.22 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.07 लाख का निबन्धन फीस अदा किया गया था। यह संज्ञान में आया कि इन आराजी संख्याओं को उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इन विलेखों के पंजीकरण की तिथि से पूर्व ही गैर कृषि भूमि घोषित किया जा चुका था। अतएव आवासीय दर से सम्पत्तियों का मूल्यांकन ₹ 12.37 करोड़ किया जाना अपेक्षित था और आवासीय दर से ₹ 76.12 लाख स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 1.10 लाख निबन्धन फीस आरोपणीय था जबकि मात्र ₹ 18.29 लाख स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया गया। सम्बन्धित उ0नि0 ने दस्तावेजों के पंजीयन के समय इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.93 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ। विवरण परिशिष्ट-XVIII में इंगित किया गया है।

हमने मामला विभाग और शासन को (अप्रैल 2014 और मई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवंबर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया।

5.7 पट्टा विलेख का अवमूल्यांकन

तीस वर्ष से अधिक के पट्टा विलेखों का मूल्यांकन विक्रय विलेख की भाँति ₹ 2.92 करोड़ के बजाय ₹ 18.15 लाख मूल्यांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत जहाँ पट्टा 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत के लिये तात्पर्य हो या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो, स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र की भाँति प्रभाय है।

हमने उ0नि0का0 घनघटा और कर्वी के पट्टा अनुबन्धों के अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर 2014 और जनवरी 2015) और देखा कि नमूना जाँच किये गये 740 में से 12,150 वर्ग मीटर भूमि के दो पट्टा विलेख 30 वर्ष से अधिक के लिये निष्पादित किये गये थे। पट्टाग्रहीता द्वारा ₹ 18.15 लाख के मूल्य पर ₹ 1.59 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 11,860 का निबन्धन फीस अदा किया गया था। चूँकि पट्टा विलेखों की अवधि 30 वर्ष से अधिक थी, अतः विक्रय विलेख की भाँति विलेख का मूल्यांकन ₹ 2.92 करोड़ किया जाना अपेक्षित था, जिस पर ₹ 14.60 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 20,000 का निबन्धन फीस आरोपणीय था। इस प्रकार शासन ₹ 13.01 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 8,140 के निबन्धन फीस से वंचित रहा जैसा कि सारणी 5.3 में दर्शाया गया है:

सारणी 5.3

पट्टा विलेख का अवमूल्यांकन

(घनराशि ₹ में)									
क्र० सं०	इकाई का नाम	लेखपत्र संख्या व दिनांक	क्षेत्रफल व० मी० में	पट्टा अवधि	सम्पत्ति का मूल्य लागू होने योग्य	सम्पत्ति का मूल्य लागू किया गया	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस	अन्तर
1	उ नि घनघटा सन्त कबीर नगर	3120/ 19.10.13	2,520	30 वर्ष 1 माह	80,11,800	3,75,000	4,10,600	9,360	4,01,240
2	उ नि कर्वी, चित्रकूट	451/ 27.01.14	9,630	30 वर्ष 1 दिन	2,11,86,000	14,40,000	10,69,300	1,61,620	9,07,680
योग			12,150		2,91,97,800	18,15,000	14,79,900	1,70,980	13,08,920

स्रोत: लेखा परीक्षा की जाँच के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामला विभाग और शासन को (नवम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया।

5.8 दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

विक्रय विलेखों को सुधार पत्र के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया और तदनुसार ₹ 12.56 लाख के स्थान पर ₹ 400 स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपित हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.55 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 34अ में विलेख जिसमें उचित शुल्क अदा किया गया हो में केवल लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए शुल्क प्रभारित किये जाने का प्रावधान है। भा0 स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज पर उसमें निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जायेगा। एक दस्तावेज को दस्तावेज के लिखतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है न कि शीर्षक के आधार पर।

हमने मई 2014 और दिसम्बर 2014 के मध्य दो उ0नि0का0 के सुधार पत्रों की जाँच की और देखा कि नमूना जाँच किये गये 312 विलेखपत्रों में से दो विलेखपत्र उनके शीर्षकों के आधार पर सुधार पत्रों के रूप में वर्गीकृत किये गये थे तथा तदनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था। इन दस्तावेजों के लिखतों की हमारी जाँच में प्रकाश में आया कि ये दस्तावेज गलत वर्गीकृत थे, क्योंकि दस्तावेजों में विक्रेता/क्रेता के नाम तथा भूमि के क्षेत्रफल में संशोधन किया गया था। अतः इन दस्तावेजों को सुधार पत्र के स्थान पर विक्रय विलेख माना जाना अपेक्षित था तथा ₹ 2.21 करोड़ पर मूल्यांकित किया जाना था जिस पर ₹ 12.56 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस प्रभार योग्य था जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 400 स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.55 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी 5.4 में दिया गया है:

सारणी 5.4

दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

(धनराशि ₹ लाख में)												
क0 सं0	सुधार की प्रकृति	कार्यालय का नाम	विलेखों की संख्या	संपत्ति का क्षेत्रफल (व0मी0में)	सुधार पत्रों की निष्पादन अवधि	सम्पत्ति का कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	निबन्धन फीस का कम आरोपण
1	क्रेता के नाम में परिवर्तन	उ नि बाह	1	5710	नवम्बर 2013	154.17	7.71	0.10	0.001	0.001	7.71	0.10
2	क्षेत्रफल में परिवर्तन	उ नि I आगरा	1	414.70	सितम्बर 2013	66.36	4.65	0.10	0.001	0.001	4.64	0.10
	योग	2	2	6124.70		220.53	12.36	0.20	0.002	0.002	12.35	0.20

स्रोत: लेखा परीक्षा की जाँच के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामला विभाग और शासन को (जून 2014 और मई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया।

5.9 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

शासकीय आदेशों के विलम्ब से लागू किये जाने के कारण शासन द्वारा अधिसूचित विकसित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तर्ण विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

उ0प्र0श0वि0यो0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि राज्य सरकार की राय में, राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र के लिए योजना के अनुसार विकास करने की आवश्यकता है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है और उस क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तर्ण विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण कर सकता है।

हमने उ0नि0का0 शाहाबाद हरदोई के विक्रय विलेखों की जाँच की और देखा कि नमूना जाँच किये गये 970 मामलों में से 15 मामलों में, सरकार के राजपत्र विज्ञप्ति दिनांक 07 मई 2004 के द्वारा घोषित विकासशील क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तर्ण विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। इन क्षेत्रों के विकासशील क्षेत्र घोषित होने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अप्रैल 2013 और अगस्त 2014 के मध्य ₹ 3.26 करोड़ मूल्य के लेखपत्र पंजीकृत किये गये, किन्तु विभाग ने अधिसूचना की उपेक्षा की जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि दस वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आयुक्त स्टाम्प द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को इस सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया। इस प्रकार विभाग इन लिखतों के मूल्य पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपण करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.53 लाख के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण हुआ।

हमने मामला विभाग और शासन को (मार्च 2015 और मई 2015) प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि राजपत्र विज्ञप्ति और लागू होने के दिनांक की जाँच के बाद यदि यह पाया गया कि स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है, तो इसे नियमानुसार प्रभारित किया जायेगा (नवंबर 2015)।

अध्याय-VI अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

(अ) मनोरंजन कर विभाग

6.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मनोरंजन कर आरोपित एवं वसूल होती हैं। यह किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी भुगतानों पर समय-समय पर निर्दिष्ट दर से आरोपणीय होता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली का समग्र नियन्त्रण एवं उत्तरदायित्व आयुक्त, मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश का होता है जिनकी सहायता एक अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (1), उप आयुक्त (3) एवं सहायक आयुक्त (1) द्वारा की जाती है। प्रदेश में जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी नियन्त्रण अधिकारी होता है, जो मनोरंजन के संचालन, मनोरंजन कर के आरोपण एवं वसूली पर नियंत्रण मनोरंजन कर निरीक्षकों की सहायता से तीन उपायुक्त मनोरंजन कर, 13 सहायक आयुक्त मनोरंजन कर एवं 59 जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के माध्यम से करते हैं।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 में मनोरंजन कर विभाग ने ₹ 498.40 करोड़ राजस्व वसूल किया। वर्ष 2014-15 के दौरान मनोरंजन कर विभाग की कुल 72 इकाइयों में से 18 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 31.51 करोड़ के कर एवं ब्याज के न/कम आरोपण व अन्य अनियमिततायें प्रकाश में आयी जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि सारणी 6.1 में इंगित किये गये हैं।

सारणी 6.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

क्रम सं०	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	(₹ करोड़ में) धनराशि
1.	"मनोरंजन कर विभाग में डायरेक्ट-टू-होम एवं डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण" विषयक बृहद् आलेख प्रस्तर	1	30.92
2.	ब्याज का प्रभारित न किया जाना	4	0.02
3.	कर की वसूली न किया जाना	14	0.25
4.	अन्य अनियमिततायें	23	0.32
योग			31.51

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनार्ये

वर्ष के दौरान, विभाग ने 57 प्रकरणों में ₹ 63.29 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें 53 प्रकरणों में ₹ 62.02 लाख की धनराशि वसूल हुयी। शेष प्रकरणों में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

एक आलेख प्रस्तर "मनोरंजन कर विभाग में डायरेक्ट-टू-होम एवं डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण" में निहित धनराशि ₹ 30.92 करोड़

एवं ₹ 13.04 लाख के एक निदर्शी प्रकरण की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तारों में की गयी है।

6.3 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

मनोरंजन कर विभाग के मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय एवं 25 जिला मनोरंजन कर कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में डायरेक्ट-टू-होम व डिजिटल एड्रेशुबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर के अनारोपण/कम-आरोपण, अनुज्ञापन शुल्क/अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के अनारोपण और ब्याज के अनारोपण के प्रकरण प्रकाश में आये। डायरेक्ट-टू-होम एवं डिजिटल एड्रेशुबुल सिस्टम के संयोजनों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों/विवरणियों के अनुश्रवण हेतु तन्त्र का अभाव एवं आन्तरिक नियंत्रण की कमजोरी इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तारों में उल्लिखित है। शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.4 मनोरंजन कर विभाग में डायरेक्ट-टू-होम एवं डिजिटल एड्रेशुबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण

6.4.1 प्रस्तावना

केबिल सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें टेलीविजन संकेत हवा के बजाय केबिल के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन ने केबिल टीवी सेवाओं को नियमित करने के लिए "उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997" तैयार किया।

केन्द्र सरकार ने टीवी संकेतों के अभिग्रहण को एनालॉग से डिजिटल प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया था। केबिल टीवी प्रणाली का डिजिटलाइजेशन चरणबद्ध रूप में होगा तथा प्रदेश के सात शहरों¹ में यह पूर्ण हो चुका है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 11 नवम्बर 2011 की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक केबिल संचालक के लिए डिजिटल एड्रेशुबुल सिस्टम (डीएस) के माध्यम से कूटबद्ध रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण या पुनः प्रसारण करना अनिवार्य होगा। डीएस की सहायता बहुप्रणाली संचालकों (एमएसओ) और स्थानीय केबिल संचालकों (एलसीओ) द्वारा की जाती है जो केबिल सेवा केबल टीवी नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराते हैं अथवा उस पर नियन्त्रण करते हैं अथवा केबिल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबन्धन व संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा मूलतः एक डिजिटल उपग्रह सेवा है, जो देश में कहीं भी उपभोक्ता के घर पर सीधे उपग्रहीय टेलीविजन कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। इस सेवा में किसी प्रकार के तारों या तार आधारित संरचना का उपयोग अन्तर्निहित नहीं है। डीटीएच सेवा के संचालन में टेलीविजन सिग्नल रिसेवर एजेन्सी (टीएसआरए) सहायक होती है, जो टेलीविजन सिग्नल रिसेवर को बिक्रय, किराये पर या विनिमय द्वारा वितरण करने या किसी प्रकार से प्रसारण किया जाये द्वारा उपलब्ध कराती है।

सेट-टाप-बाक्स (एसटीबी) दोनों प्रणालियों में आवश्यक होता है, जो टेलीविजन सेट में, उपभोक्ता को भुगतान करने पर अपने पसन्द के कूटबद्ध चैनलों को देखने की अनुमति देने के लिये, जुड़ा होता है।

¹ आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ व वाराणसी।

6.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। डीटीएच एवं डीएस पर मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली का समग्र दायित्व एवं नियन्त्रण आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश का है। डीटीएच पर मनोरंजन कर डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा मनोरंजन कर आयुक्तालय में जमा किया जाता है। एसटीबी पर कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण, डीटीएच संयोजनों के आँकड़ों का सत्यापन और टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों (टीएसआरए) को अनुज्ञापन जारी करने का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता है।

6.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या :

- डीटीएच एवं डीएस पर मनोरंजन कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, परिपत्रों और शासन व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।
- विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र उचित तरीके से एवं दक्षतापूर्वक कार्य कर रहा है।

6.4.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

हमने लेखापरीक्षा जुलाई 2014 से जून 2015 के मध्य सम्पादित की। हमने इकाईयों को जिला मनोरंजन कर कार्यालयों (जि0 म0 क0 का0) में राजस्व वसूली के आधार पर उच्च, मध्यम एवं लघु जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया। हमने उच्च जोखिम चिन्हित सभी 12 जि0 म0 क0 का0, मध्यम जोखिम चिन्हित 33 जिलों में से 10 जि0 म0 क0 का0 और लघु जोखिम क्षेत्र चिन्हित शेष 30 जिलों में से तीन जि0 म0 क0 का0 के अभिलेखों की जाँच की।

मनोरंजन कर आयुक्त एवं जि0 म0 क0 का0 के अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गयी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को शासन के अनुसचिव तथा अपर आयुक्त, मनोरंजन कर के साथ दिनांक 25 नवम्बर 2014 को आयोजित प्रारम्भिक विचार गोष्ठी में चर्चा की गयी थी। हमने शासन एवं विभाग के साथ समापन विचार गोष्ठी दिनांक 10 जुलाई 2015 को आयोजित की जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर शासन के विशेष सचिव एवं अपर आयुक्त, मनोरंजन कर के साथ चर्चा की गई। शासन/विभाग का अभिमत प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

6.4.5 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के सन्दर्भ में बृहद् आलेख प्रस्तर सम्पादित किया है :

- उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955
- उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979
- उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997
- उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981
- उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 यथा संशोधित 2011

6.4.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु मनोरंजन कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

6.4.7 प्राप्तियों का रुझान

मनोरंजन कर लेखाशीर्ष (0045) के अन्तर्गत, बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के साथ डीटीएच व केबिल टीवी से राजस्व प्राप्तियों को सारणी 6.2 में दिया गया है:

सारणी 6.2

प्राप्तियों का रुझान

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियों	प्रतिशत वृद्धि (गत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियों के सन्दर्भ में)	बजट अनुमान के सापेक्ष कमी/आधिक्य		डी टी एच एवं केबिल टीवी* से प्राप्त राजस्व	वास्तविक राजस्व पर प्रतिशतता
				धनराशि	प्रतिशतता		
2010-11	225.18	245.13	26.68	(+) 19.95	8.86	99.53	40.60
2011-12	285.55	312.45	27.46	(+) 26.90	9.42	143.19	45.83
2012-13	360.00	385.11	23.25	(+) 25.11	6.98	171.04	44.41
2013-14	440.00	469.82	22.00	(+) 29.82	6.78	227.87	48.50
2014-15	560.00	498.40	06.08	(-) 61.60	11.00	267.58	53.69
योग	1870.73	1910.91	—	—	—	909.21	47.58

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

* डीएस के राजस्व सहित.

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करती है कि मनोरंजन कर की प्राप्तियों का 47.58 प्रतिशत डीटीएच व केबिल टीवी से वसूल किया गया और शेष सिनेमा, वीडियो सिनेमा, वीडियो लाइब्रेरी, होटल, प्रदर्शनी, दौड़ और मनोरंजन पार्क इत्यादि से वसूल किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम (डीएस)

6.4.8 डीएस के अन्तर्गत स्थानीय चैनलों के संचालन के लिये अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क का न/कम वसूल किया जाना

विभाग ने एमएसओ से स्थानीय चैनलों के संचालन के लिये देय ₹ 12.29 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 2.88 करोड़ अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 9.41 करोड़ राजस्व न/कम वसूल किया गया।

उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 17 (1) के प्रावधान के अन्तर्गत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केबिल टेलीविजन नेटवर्क के प्रकरण में वीडियो सिनेमा, दृश्य माध्यम से प्रदर्शन सहित के लिए अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2,400 प्रति चैनल आरोपणीय है। अग्रेतर, नियम 17 (2) के अनुसार जहाँ कोई इस प्रकार का प्रबन्ध हो कि दृश्य माध्यम से विभिन्न टेलीविजन पर्दों, चलचित्र अथवा चलचित्र पर्दों पर प्रदर्शन दिया जाना हो, वहाँ कथित यंत्र द्वारा आपूरित ऐसे प्रत्येक पर्दे

के लिए जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क ₹ 100 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए आरोपणीय होगा।

हमने चयनित जि० म० क० का० की अनुज्ञापन शुल्क पंजिका की जाँच की और पाया कि सात जि० म० क० का० में 2011-12 से 2014-15 की अवधि के मध्य 23 एमएसओ में से 13 पर ₹ 12.29 करोड़ अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क आरोपित किया गया था। विभाग द्वारा केवल ₹ 2.88 करोड़ अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क ही वसूल किया गया था तथा शेष ₹ 9.41 करोड़ लेखापरीक्षा की तिथि तक वसूल नहीं किया गया था। यद्यपि, तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है फिर भी विभाग ने न तो अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क वसूल करने का कोई प्रयास किया एवं न ही अनुज्ञापन निरस्त करने की कोई कार्यवाही की। इस प्रकार, शासन अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.41 करोड़ से वंचित रहा, जैसा कि परिशिष्ट- XIX में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में शासन ने बताया कि उत्तराखण्ड में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क को अवैधानिक माना गया है (दिसम्बर 2014)। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 में केबिल संचालकों पर अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। अग्रेतर छः जि० म० क० का० में हमने पाया कि विभाग द्वारा नियमित रूप से अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क का आरोपण एवं वसूली की जा रही थी। पाँच प्रकरणों में, जिसमें प्रेक्षण उठाए गये थे, लेखापरीक्षित इकाईयों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को (जनवरी 2015 से जून 2015 के मध्य) स्वीकार किया और वसूली का आश्वासन दिया (नवम्बर 2015)।

शासन एमएसओ पर अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के समय से आरोपण एवं वसूली किये जाना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।

6.4.9 सेट-टाप-बाक्स के संक्रियण प्रभार पर मनोरंजन कर का अनारोपण

23 एमएसओ द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाये गये 5.98 लाख एसटीबी से प्राप्त ₹ 71.76 करोड़ संक्रियण प्रभार पर ₹ 17.94 करोड़ के मनोरंजन कर का आरोपण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25/2009 के द्वारा यथा संशोधित की धारा-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश पर किये गये भुगतान पर मनोरंजन कर आरोपणीय होता है। आयुक्त, मनोरंजन कर द्वारा दिनांक 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि एसटीबी का संक्रियण प्रभार भी "प्रवेश पर भुगतान" की श्रेणी में आता है और इस पर नियमों के अनुसार मनोरंजन कर आरोपणीय है। एसटीबी पर संक्रियण प्रभार की दर इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर के मनोरंजन कर कार्यालयों द्वारा क्रमशः ₹ 1,499, ₹ 1,200 एवं ₹ 1,199 उपलब्ध करायी गयी। अन्य जनपदों में एसटीबी पर संक्रियण प्रभार की दर अभिलेखों में नहीं पायी गयी।

हमने चयनित जि० म० क० का० में केबिल संचालकों की पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि 11 जि० म० क० का० में वर्ष 2012-13 और 2014-15 के मध्य 5.98 लाख एसटीबी लगाये गये थे। फिर भी, विभाग ने एसटीबी के कुल संक्रियण प्रभार ₹ 71.76

करोड़ पर 25 प्रतिशत की दर से 23 एमएसओ पर ₹ 17.94 करोड़ मनोरंजन कर का आरोपण नहीं किया, लेखापरीक्षा द्वारा न्यूनतम संक्रियण प्रभार ₹ 1,199 प्रति एसटीबी की दर से संगणित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-XX में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून एवं नवम्बर 2015)। विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर सम्बन्धित जनपदों को कार्यवाही करने एवं वसूली की स्थिति जानने के लिए पत्र निर्गत कर दिया गया है। हमारे प्रेक्षणों के आधार पर 11 में से पाँच जि0 म0 क0 का0 ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर के भुगतान के लिए एमएसओ को नोटिस भी जारी कर दिया है। विभाग ने अग्रेतर आश्वस्त किया कि शेष जनपदों से सूचना प्राप्त कर शीघ्र उपलब्ध करा दी जायगी।

शासन सेट-टाप-बाक्स के संक्रियण प्रभार पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

6.4.10 केबल संचालकों से मनोरंजन कर की कम वसूली

केबिल संचालकों पर ₹ 4.24 करोड़ मनोरंजन कर देय था किन्तु उनके द्वारा मात्र ₹ 3.09 करोड़ ही जमा किया गया और ₹ 1.15 करोड़ अभी वसूल नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अनुसार, केबिल टी.वी. स्वामी अपने उपभोक्ताओं से वसूल मनोरंजन कर की धनराशि शासकीय खाते में प्रत्येक माह के अन्तिम दिन से एक सप्ताह के अन्दर जमा करेगा।

- हमने जि0 म0 क0 का0 आगरा के केबिल संचालकों की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि डीएस प्रणाली में अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 के मध्य 57,569 संयोजन संचालित थे, जो कि बढ़कर मार्च 2014 तक 1,49,241 संयोजन हो गये। मार्च 2014 तक ₹ 100 प्रति संयोजन प्रति माह की दर से कुल ₹ 3.56 करोड़ मनोरंजन कर देय था, जिसके विरुद्ध केबिल संचालकों द्वारा केवल ₹ 3.05 करोड़ ही जमा किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.09 लाख के मनोरंजन कर की कम वसूली हुई। एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी बकायेदारों से शेष देय ₹ 51.09 लाख की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

हमने प्रकरण को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही जारी है और सम्बन्धित पक्षों के उत्तर प्राप्ति के बाद इसे अन्तिम रूप दिया जायगा (नवम्बर 2015)।

- हमने चयनित जि0 म0 कर का0 के कर संग्रह के विवरण से संबन्धित परिशिष्ट-II पंजिका की जाँच की और देखा कि आठ जि0 म0 क0 का0 में नवम्बर 2009 से मार्च 2015 के मध्य कुल 1,183 में से 96 केबिल संचालकों पर ₹ 68.25 लाख मनोरंजन कर देय था। जिसके विरुद्ध केबिल संचालकों द्वारा केवल ₹ 4.06 लाख जमा किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.19 लाख के मनोरंजन कर की कम वसूली की गई। इन सभी प्रकरणों में, तीन माह से छः वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी बकायेदारों से शेष देय ₹ 64.19 लाख की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। विवरण परिशिष्ट-XXI में दिया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों से वसूली एवं कृत कार्यवाही की सूचना माँगी गयी है। (नवम्बर 2015)

6.4.11 स्थानीय चैनलों पर विज्ञापन कर का न/कम आरोपण

छ: एमएसओ पर विज्ञापन कर ₹ 12.50 लाख देय था किन्तु केवल ₹ 4.42 लाख ही वसूल किये गये, परिणामस्वरूप ₹ 8.08 लाख की कम वसूली हुई।

दिनांक 1 मई 2012 से यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 की धारा-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत विज्ञापन कर की दर नगर निगम, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के लिए ₹ एक लाख, नगर पालिका परिषद् के लिए ₹ 50,000 तथा अन्य किसी स्थान के लिए ₹ 25,000 प्रति चैनल पुनरीक्षित कर दी गई है। अधिनियम की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति जो भुगतान में असफल रहता है या इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी देय कर के भुगतान का अपवंचन करता है, दोषसिद्धि की दशा में, ₹ 5,000 से अनधिक अर्थदण्ड का दायी होगा।

हमने चयनित जि० म० क० का० की विज्ञापन कर पंजिका की जाँच की और देखा कि 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान तीन जि० म० क० का० में आठ एमएसओ में से छ: पर ₹ 8.08 लाख के विज्ञापन कर का आरोपण नहीं किया गया था। अग्रेतर, इन्हीं एमएसओ पर ₹ 1.25 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी। इस प्रकार शासन विज्ञापन कर एवं अर्थदण्ड के ₹ 9.33 लाख से वंचित रहा, जैसा कि सारणी 6.3 में दर्शाया गया है:

सारणी 6.3

स्थानीय चैनलों पर विज्ञापन कर का न/कम आरोपण

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	बहुप्रणाली आपरेटरों की संख्या	वर्ष	चैनलों की संख्या	देय कर ₹ 50,000 प्रति चैनल	किया गया भुगतान	(₹ लाख में)	
							कर का न/कम आरोपण	शास्ति
1	सहा० आयुक्त, बिजनौर	1	2014-15	1	0.50	0	0.50	0.05
2	सहा० आयुक्त, मथुरा	2	2012-13 से 2014-15	9	4.50	1.50	3.00	0.45
3	सहा० आयुक्त, मुजफ्फरनगर	3	2013-14 से 2014-15	15	7.50	2.92	4.58	0.75
	योग	6	2012-13 से 2014-15	25	12.50	4.42	8.08	1.25

स्रोत : लेखापरीक्षा के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि मुजफ्फरनगर में ₹ 4.58 लाख के वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा बिजनौर में ₹ 50,000 के लिये नोटिस जारी की गई थी। शेष प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी (नवम्बर 2015)।

विभाग ने ₹ 1.25 लाख अर्थदण्ड के अनारोपण के सम्बन्ध में बताया कि यह माननीय न्यायालय के अधिकार में है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि जि० म० क० का० ने प्रकरणों में दोषसिद्धि हेतु वाद दायर नहीं किया था।

6.4.12 स्थानीय केबल संचालकों द्वारा प्रतिभूति जमा न किया जाना

विभाग ने 1,453 केबिल संचालकों को बिना प्रतिभूति की राशि ₹ 29.06 लाख जमा कराये केबिल टीवी का संचालन की अनुमति प्रदान की।

उ0प्र0 केबिल टीवी नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 12 के अनुसार, जिलाधिकारी केबिल टेलीविजन के स्वामी द्वारा डाकघर बचत बैंक में जमा किये जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि निर्धारित करेगा जो तीन माह के औसत कर या ₹ दो हजार, जो भी अधिक हो से कम न होगी।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की प्रतिभूति पंजिका की जाँच की और देखा कि 13 जि0 म0 क0 का0 में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 1,793 केबिल संचालकों में से 1,453 द्वारा प्रतिभूति की धनराशि ₹ 29.06 लाख जमा नहीं की गयी थी। फिर भी, विभाग ने इन एलसीओ को आवश्यक प्रतिभूति जमा किये बिना केबिल टीवी संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी। विभाग की शिथिलता के कारण, नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है (नवम्बर 2015)।

6.4.13 केबिल संचालकों पर मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज ₹ 16.32 लाख न तो प्रभारित किया गया एवं न ही वसूली की गई।

उ0प्र0 केबिल टीवी नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अनुसार, केबिल संचालकों द्वारा कर के विलम्बित भुगतान पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य है।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 में केबिल संचालकों की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि 13 जि0 म0 क0 का0 में नवम्बर 1997 से फरवरी 2015 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 1.59 करोड़ मनोरंजन कर फरवरी 2011 से मार्च 2015 के दौरान एक दिन से सात वर्ष 10 माह तक के विलम्ब से जमा की गई थी। फिर भी, विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ₹ 16.32 लाख ब्याज न तो प्रभारित किया गया एवं न ही वसूली किया गया, जैसा कि परिशिष्ट-XXII में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित जनपदों से अद्यतन सूचना माँगी गयी है (नवम्बर 2015)।

डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच)

6.4.14 डीटीएच के प्रकरणों में शासकीय आदेशों का अनुपालन न किया जाना

विभाग डीटीएच संयोजनों के व्यापक सर्वेक्षण/सत्यापन कराने और डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से एकत्र धनराशि का विवरण पत्र/विवरणी प्रस्तुतीकरण लागू करवाने में असफल रहा, और इसलिये डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर की सही धनराशि के आरोपण के लिए वास्तविक धनराशि का आगणन नहीं किया जा सका।

जनपदों में संचालित डीटीएच सेवाओं पर भुगतान योग्य मनोरंजन कर के नियमित एवं उचित वसूली सुनिश्चित किये जाने के क्रम में, दिनांक 12 जुलाई 2009 को विभिन्न डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी संयोजनों की संख्या का सर्वेक्षण करने और नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय मनोरंजन कर की वसूली किये जाने हेतु परिपत्र निर्गत किया गया था।

हमने आयुक्त, मनोरंजन कर कार्यालय एवं 25 जि0 म0 का0 में डीटीएच सेवा प्रदाताओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के मध्य केवल 13 जि0 म0 का0 ने प्रत्येक सेवाप्रदाताओं के 50 संयोजनों का यादृच्छिक सर्वेक्षण किया, जो कि बहुत ही छोटा प्रतिदर्श था। आठ जनपदों में सम्पन्न रिलायन्स बिग टीवी के संयोजनों के नमूना सर्वेक्षण में घोषित संयोजनों संख्या से अधिक संयोजन पाये गये और प्रत्येक जनपदों में आयुक्त द्वारा ₹ 15,000 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। यह दर्शाता है कि आँकड़ों में विसंगति है जो आवधिक सर्वेक्षण के माध्यम से सशोधित की जा सकती थी, किन्तु जनवरी 2015 में आयुक्त द्वारा जि0 म0 का0 को डीटीएच संयोजनों का विवरण परिप्रेषित किये जाने पर भी कोई सर्वेक्षण सम्पादित नहीं किया गया।

अग्रेतर, हमने पाया कि डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, विभाग डीटीएच सेवा प्रदाताओं पर सही मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण नहीं कर सका।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। समापन विचार गोष्ठी (जुलाई 2015) के दौरान विभाग ने स्वीकार किया कि भौतिक सर्वेक्षण के लिए एक कार्य योजना तथा प्रायोगिक अध्ययन कुछ चयनित आदर्श जनपदों में किया जायेगा। विभाग ने आश्वस्त किया कि सही संख्या, जिन पर मनोरंजन कर का आरोपण किया जाना है, संकलित की जायेगी।

शासन डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर के सही आरोपण एवं आयुक्त द्वारा यथानिर्देशित आवधिक सर्वेक्षण के माध्यम से इन संयोजनों का समुचित सत्यापन सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

6.4.15 टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी (टीएसआरए)

उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3) की धारा-4, उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 12, 16, व 18 (2) एवं उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 की बैंक गारण्टी के अतिरिक्त जैसा कि सारणी 6.4 के कॉलम III में विनिर्दिष्ट दर पर, एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, स्थानीय क्षेत्र में शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय

वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए टीएसआरए संचालन हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

सारणी 6.4

अनुज्ञापन शुल्क की दर

कॉलम I (स्थानीय क्षेत्र)	कॉलम II (वीडियो लाइब्रेरी के लिए अनुज्ञापन शुल्क)	कॉलम III (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी के लिए अनुज्ञापन शुल्क)
(अ) नगर निगम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा	₹ पाँच हजार	₹ दस हजार
(ब) नगर पालिका परिषद्	₹ तीन हजार	₹ छः हजार पाँच सौ
(स) टाउन एरिया/अन्य स्थान	₹ एक हजार पाँच सौ	₹ तीन हजार

6.4.15.1 अनुज्ञापन शुल्क का अनारोपण

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिये 207 टीएसआरए पर ₹ 46.98 लाख अनुज्ञापन शुल्क का न तो निर्धारण हुआ एवं न ही आरोपण किया गया।

हमने चयनित जि० म० क० का० की अनुज्ञापन पंजिका की जाँच की और देखा कि 13 जि० म० क० का० में 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान सम्बन्धित जनपदों में नमूना जाँच किये 285 में से 207 टीएसआरए पर अनुज्ञापन शुल्क का नियमानुसार निर्धारण एवं आरोपण नहीं किया गया था। विभाग की आ०ले०प०शा० द्वारा भी ऐसी ही आपत्ति उठाई थी, जो प्रदर्शित करता है कि विभाग अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण हेतु गंभीर नहीं था। इस प्रकार, शासन अनुज्ञापन शुल्क ₹ 46.98 लाख से वंचित रहा।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। समापन विचार गोष्ठी (जुलाई 2015) के दौरान, विभाग ने बताया कि सम्बन्धित जनपदीय कार्यालयों से स्पष्टीकरण माँगा जायेगा (नवम्बर 2015)।

6.4.15.2 बैंक गारण्टी का प्रस्तुत न किया जाना

विभाग ने 280 टीएसआरए को बिना ₹ 70.00 लाख की बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये एजेन्सी संचालन की अनुमति प्रदान की। नियमानुसार प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 की बैंक गारण्टी प्रस्तुत की जानी थी।

हमने चयनित जि० म० क० का० की प्रतिभूति पंजिका की जाँच की और देखा कि 18 जि० म० क० का० में 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान 285 में से 280 टीएसआरए ने ₹ 70.00 लाख बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं की थी। यह विभाग की ओर से एक बड़ी चूक थी, क्योंकि प्रावधान के अनुसार अनुज्ञापन स्वीकृत या नवीनीकरण करने से पूर्व विभाग को बैंक गारण्टी प्राप्त करनी चाहिए थी। विभाग ने अपेक्षित बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये बिना इन टीएसआरए के संचालन की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, विभाग की शिथिलता के कारण नियमों के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। समापन विचार गोष्ठी के दौरान, विभाग ने बताया कि बैंक गारण्टी का प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं था तथा दिनांक 10 अप्रैल 2015 को नियमावली, 1988 से इस व्यवस्था को समाप्त किये जाने हेतु शासन को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यह प्रावधान अभी तक विद्यमान है (नवम्बर 2015)।

6.4.16 डीटीएच सेवा प्रदाताओं पर मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज ₹ 29.13 लाख का न तो प्रभारण हुआ एवं न ही वसूली की गयी।

उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 34क के अनुसार यदि अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अन्तर्गत देय कर इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली में भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी मनोरंजन के स्वामी द्वारा भुगतान किये जाने से शेष रह जाता है, तो कर की भुगतान न की गयी राशि पर तीन माह तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से और तत्पश्चात् दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज उस दिनांक के व्यतीत होने से, जब वह देय और भुगतान किये जाने योग्य हुआ हो, आगणित किया जायेगा।

हमने आयुक्त, मनोरंजन कर कार्यालय में डीटीएच सेवा प्रदाताओं की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि सितम्बर 2013 से अप्रैल 2015 की अवधि का ₹ 95.14 करोड़ मनोरंजन कर की राशि एक दिन से 28 दिन तक के विलम्ब से जमा की गई थी। फिर भी, विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ₹ 29.13 लाख का ब्याज न तो प्रभारित किया गया एवं न ही उसकी वसूली की गई, जैसा कि परिशिष्ट-XXIII में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और वसूली का आश्वासन दिया (नवम्बर 2015)।

6.4.17 निर्गत वसूली प्रमाण-पत्रों के विरुद्ध मनोरंजन कर की वसूली

₹ 49.48 लाख के वसूली प्रमाण-पत्रों को निर्गत किया गया जिसके विरुद्ध केवल ₹ 8.73 लाख की वसूली की गई थी। मनोरंजन कर ₹ 40.75 लाख वसूली के लिए अभी तक लम्बित है।

उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 34 के अनुसार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर के मद में देय कोई राशि, तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार के पास उपलब्ध वसूली के किसी अन्य तरीके पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली योग्य होगी।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की आर0 सी0 पंजिका की जाँच की और देखा कि छः जि0 म0 क0 का0 में मार्च 2003 से दिसम्बर 2013 की अवधि के मध्य से सम्बन्धित बकाया धनराशि ₹ 49.48 लाख के विरुद्ध 64 वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये थे। इसके विरुद्ध लेखापरीक्षा की तिथि तक केवल ₹ 8.73 लाख वसूल किये गये थे। शेष बकाया राशि ₹ 40.75 लाख जो भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य थी, दो से 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक वसूली हेतु लम्बित है, जैसा कि सारणी 6.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.5

निर्गत वसूली प्रमाण-पत्रों के विरुद्ध मनोरंजन कर की वसूली

							(₹ लाख में)
क्र० सं०	जनपद का नाम	प्रकरणों की संख्या	बकाया कर की अवधि	वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अवधि	वसूली प्रमाण पत्रों में निहित मनोरंजन कर की धनराशि	वसूल धनराशि	वसूली हेतु लम्बित धनराशि
1	आगरा	8	मई 2007 से मार्च 2013	दिसम्बर 2011 से फरवरी 2014	12.94	0.54	12.40
2	इलाहाबाद	2	जून 2003 से मई 2004	जुलाई 2004 से अगस्त 2004	0.92	0	0.92
3	गौतम बुद्ध नगर	5	फरवरी 2012 से दिसम्बर 2013	जुलाई 2013 से फरवरी 2014	5.20	0	5.20
4	गाजियाबाद	8	मार्च 2003 से अक्टूबर 2012	अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2013	9.96	3.16	6.80
5	कानपुर नगर	2	जनवरी 2004 से अप्रैल 2007	जुलाई 2006 से मई 2007	6.76	0	6.76
6	मुजफ्फरनगर	39	अप्रैल 2003 से मई 2013	मई 2008 से जुलाई 2013	13.70	5.03	8.67
	योग	64	मार्च 2003 से दिसम्बर 2013	जुलाई 2004 से फरवरी 2014	49.48	8.73	40.75

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि जनपदीय अधिकारियों को प्रभावपूर्ण तरीके से वसूली किये जाने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं (नवम्बर 2015)।

6.4.18 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ०ले०प०शा०) संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं सुनिश्चित कराता है कि निर्धारित प्रणालियाँ भली भाँति कार्य कर रही है और इसे वित्त नियन्त्रक द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1974 में की गयी थी।

आ०ले०प०शा० में, एक वित्त नियन्त्रक एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं एक लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक वित्त नियन्त्रक एवं दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा योजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण सारणी 6.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.6

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010-11	73	27	22	5	18.52
2011-12	76	30	32	3	8.57
2012-13	76	36	27	9	25.00
2013-14	76	32	20	12	37.50
2014-15	76	34	19	15	44.12

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आ0ले0प0शा0 में पर्याप्त मानवशक्ति होने के बावजूद लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी, जैसा कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कमी 8.57 प्रतिशत से 44.12 प्रतिशत तक थी।

हमने आयुक्त, मनोरंजन कर कार्यालय में आ0ले0प0शा0 की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि कुल राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत धनराशि डीटीएच एवं केबिल सेवा से एकत्र होता है। फिर भी, वर्ष 2013-14 से पूर्व आ0ले0प0शा0 द्वारा डीटीएच एवं केबिल सेवा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। आ0ले0प0शा0 द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के मध्य 23 जनपदीय कार्यालयों में डीएस के अन्तर्गत संयोजनों की वृद्धि पर मनोरंजन कर का जमा न किया जाना विषयक केवल एक आपत्ति तथा 22 आपत्तियाँ टीएसआरए पर अनुज्ञापन शुल्क न जमा किये जाने से सम्बन्धित थीं। विभाग द्वारा केवल चार प्रकरणों में वसूली की गई है।

शासन यह सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा अपने कार्य को नियमित तथा प्रभावशाली रूप से करती है।

6.4.19 निष्कर्ष

डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम (डीएस) के सन्दर्भ में हमारी लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि :

- विभाग बहुप्रणाली संचालकों से अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.41 करोड़ की वसूली में असफल रहा।
- **संस्तुति:** शासन बहुप्रणाली संचालकों पर अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के समय से आरोपण एवं वसूली किये जाना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।
- विभाग सेट-टाप-बाक्स के सक्रियण प्रभार की वास्तविक धनराशि का निर्धारण नहीं कर सका, जिसके कारण सेट-टाप-बाक्स के सक्रियण प्रभार पर देय मनोरंजन कर ₹ 17.94 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।
- **संस्तुति:** शासन सेट-टाप-बाक्स के सक्रियण प्रभार पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) के सन्दर्भ में हमारी लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि :

- विभाग डीटीएच संयोजनों के व्यापक सर्वेक्षण/सत्यापन का कार्य करने और डीटीएच सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं से एकत्र धनराशि का विवरण पत्र/विवरणी प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने में असफल रहा, और इस प्रकार डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर के आरोपण हेतु सही धनराशि के लिए वास्तविक धनराशि का आगणन नहीं किया जा सका।
- **संस्तुति:** शासन डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर का सही आरोपण के लिये एवं इन संयोजनों का उचित सत्यापन सुनिश्चित किये जाने हेतु आवधिक सर्वेक्षण पर विचार कर सकता है।
- विभाग टेलीविजन सिग्नल रिसेवर एजेन्सियों को अनुज्ञापन शुल्क एवं बैंक गारण्टी जमा करने हेतु बाध्य करने में असफल रहा।
- **संस्तुति:** शासन टेलीविजन सिग्नल रिसेवर एजेन्सियों द्वारा बैंक गारण्टी प्रस्तुत करना और अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं वसूली सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

- विभाग ने मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित नहीं किया।
संस्तुति: शासन मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित करने पर विचार कर सकता है।
- विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी और आन्तरिक नियन्त्रण के तन्त्र जैसे आन्तरिक लेखापरीक्षा का समयानुसार एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं किया गया।
संस्तुति: शासन यह सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा अपना कार्य नियमित तथा प्रभावशाली ढंग से करती है।

6.5 टेलीविजन रिसेवर एजेन्सियों पर लाइसेंस शुल्क एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

वर्ष 2014-15 के लिये 32 टीएसआरए पर अनुज्ञापन शुल्क एवं अर्थदण्ड ₹ 13.04 लाख का न तो निर्धारण हुआ और न ही आरोपण किया गया।

उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3) की धारा-4, उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 12, 16, व 18 (2) एवं उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 की बैंक गारण्टी के अतिरिक्त जैसा कि सारणी 6.4 के कॉलम III में विनिर्दिष्ट दर पर, जो पूर्व में ही वर्णित है, में दिया गया है, एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, स्थानीय क्षेत्र में शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए टेलीविजन सिग्नल रिसेवर एजेन्सी संचालन हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

हमने तीन मनोरंजन कर कार्यालयों के परिशिष्ट-II पंजिका और पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि सम्बन्धित जनपदों में नमूना जाँच किये गये 79 टेलीविजन सिग्नल रिसेवर एजेन्सियों में से 32 पर नियमानुसार अनुज्ञापन शुल्क एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था। इस प्रकार, शासन अनुज्ञापन शुल्क ₹ 5.14 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 7.90 लाख से वंचित रहा।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को अनुज्ञापन शुल्क के अनारोपण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था (नवम्बर 2015)।

(ब) भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग

6.6 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव भू-तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

6.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं आश्वस्त कराता है कि निर्धारित प्रणालियाँ भली भाँति कार्य कर रही हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की संगठनात्मक ढाँचा और इसके लिये नियुक्त कर्मचारियों का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा किस वर्ष में स्थापित हुयी, यह भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा के लिये आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण सारणी 6.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.7

आन्तरिक लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा आयोजना)

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010-11	31	31	26	5	16.13
2011-12	31	31	29	2	6.45
2012-13	31	30	12	18	60.00
2013-14	31	30	14	16	53.33
2014-15	31	13	10	3	23.08

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

यह प्रदर्शित करता है कि आ०ले०प०शा० की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं है क्योंकि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कमी 6.45 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य रही। कमी के कारणों को विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

आ०ले०प०शा० द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा और वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि सारणी 6.8 में उल्लिखित है।

सारणी 6.8
आन्तरिक लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा प्रेक्षण)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि
2010-11	1,157	51.15	65	5.15	6	0.87	1,216	55.43
2011-12	1,216	55.43	82	10.87	5	2.55	1,293	63.75
2012-13	1,293	63.75	41	4.44	8	3.16	1,326	65.03
2013-14	1,326	65.03	38	7.39	0	0.62	1,364	71.80
2014-15	1,364	71.80	21	5.72	0	0	1,385	77.52

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

विभाग ने बताया कि ₹ 1.25 करोड़ के वसूली की सूचना प्राप्त हुयी है लेकिन उपसमिति द्वारा समाप्त करने के निर्णय नही लिये जाने के कारण इसे सम्मिलित नही किया गया।

6.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 में, विभाग ने ₹ 1,029.28 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014-15 के दौरान भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग से सम्बन्धित 37 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में रायल्टी के वसूल न किये जाने, खनिज मूल्य के न वसूल किये जाने, शास्ति एवं ब्याज एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 61.39 करोड़ के 134 मामलों प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है जैसा कि सारणी 6.9 में इंगित किये गये है।

सारणी 6.9
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र० सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	रायल्टी की वसूली न किया जाना	42	19.27
2.	पट्टा विलेख निष्पादित न कराये जाने से राजस्व की वसूली का न होना	2	2.84
3.	शास्ति का अनारोपण	8	0.51
4.	खनिजों के मूल्य का न वसूला जाना	27	22.72
5.	अन्य अनियमिततायें	55	16.05
योग		134	61.39

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं

वर्ष के दौरान विभाग ने किसी भी प्रकरण में न तो कोई धनराशि स्वीकार किया और न ही वसूली किया।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामले जिसमें ₹ 25.32 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तारों में की गयी हैं।

6.9 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

भू-तत्व एवं खनिकर्म कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में अनधिकृत उत्खनन, शासकीय आदेशों का अधिनियमों/नियमों में अनुरूपता न होना, पर्यावरण अधिनियम का अनुपालन न किया जाना, रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न/कम किए जाने और रायल्टी की न/कम वसूली किए जाने के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तारों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की त्रुटियाँ हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.10 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

पट्टेदारों ने 2.01 लाख घनमीटर बालू/मोरम का बिना खनन योजना के उत्खनन किया। इस प्रकार, पट्टेदारों द्वारा उत्खनित खनिज का मूल्य ₹ 3.08 करोड़ पट्टेदारों से वसूली योग्य था।

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली, 1963 यथा संशोधित के नियम 34(2) के अनुसार स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं बालू अथवा मोरम अथवा बजरी अथवा बोल्टर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी। नियम 34(3) प्राविधानित करता है कि उपनियम 2 में अभिदिष्ट खनन योजना खनिज परिहार नियमावली, 1960 के उपबन्धों के अनुरूप भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त किसी योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22-क में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है।

खान अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही निस्तारित कर दिया गया है, का खनिज मूल्य रायल्टी के साथ वसूल कर सकती है। अग्रेतर उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत कुल रायल्टी खनिज के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से अधिक निर्धारित नहीं होगी।

हमने फैजाबाद एवं गाजीपुर के जि0खा0का0 के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच की (जुलाई 2014) और देखा कि सभी सात प्रकरणों में पट्टेदारों ने जनवरी 2013 से जून 2014 के मध्य 2.01 लाख घनमीटर बालू/मोरम का बिना खनन योजना के उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 61.59 लाख रायल्टी के रूप में भुगतान किया। इस प्रकार, पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 3.08 करोड़ पट्टेदारों से वसूली योग्य था। पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के उपखनिज का उत्खनन किया गया, जिसके लिये जि0खा0का0 द्वारा पट्टाधारकों को एम0एम0-11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया जिसे उन्होंने आगे उपखनिजों को ट्रकों या अन्य परिवहन के साधनों से पारेषित करने हेतु निर्गत किया।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (सितम्बर 2014 तथा फरवरी 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 के प्रस्तर 6.12.1 के सम्बन्ध में 18 सितम्बर 2014 को दिये गये अपने पहले के उत्तर का सन्दर्भ दिया, जिसमें विभाग ने सभी जिलाधिकारियों एवं जि0खा0का0 को निर्देशित किया था कि बिना स्वीकृत खनन योजना के कोई खनन संक्रिया अनुमन्य न किया जाय। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि निर्देशों के निर्गत किये जाने के पश्चात भी बिना स्वीकृत खनन योजना के खनन संक्रिया जारी रही (नवम्बर 2015)।

6.11 शासनादेशों का अधिनियम/नियमों के अनुरूप न होना

शासनादेशों ने कार्यदायी संस्थाओं को इस प्रकार के प्रकरणों में जहाँ पास के रूप में प्रपत्र एम0 एम0-11 के बिना उप खनिजों की आपूर्ति की गयी हो, से केवल रायल्टी वसूल करने के लिये अधिकृत किया था जबकि खान अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है कि पास के अभाव में खनिज मूल्य की वसूली तथा शास्ति का आरोपण अनिवार्य है। इसने शासन को खनिज मूल्य के ₹ 13.20 करोड़ और शास्ति के ₹ 77.75 लाख से वंचित कर दिया।

खान अधिनियम की धारा 4(1-क) एवम् धारा 21(1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 70(1) प्रावधानित करता है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास फार्म एम0एम0-11 में निर्गत करें। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी फार्म एम0एम0-11 के बिना, रेलवे को छोड़कर किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इन नियम के किसी प्रावधान का प्रतिषेध करता हुआ पाया जाता है, तो दोष सिद्धि पर, कारावास जिसे छः माह तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदण्ड जो ₹ 25,000 तक हो सकता है या दोनों जैसा कि शासनादेश संख्या 7338/86- 2011-183/2011 लखनऊ: दिनांक 1 दिसम्बर 2011 द्वारा संशोधित किया गया, का भागी होगा। शासनादेश संख्या 594/77-5-2001-2002/77 टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2001 और शासनादेश संख्या 4951(1)/77-5/2006-506/05 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2006 प्राविधानित करता है कि अधिशासी अधिकारी को, ऐसे प्रकरणों में जहाँ कार्यदायी संस्था को उप खनिजों की आपूर्ति बिना एम0एम0-11 के की गयी है, रायल्टी वसूलने या रायल्टी भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

हमने 16 जि0खा0का0 में विवरणी एवं कोषागार पत्रक की (जून 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) जाँच की और देखा कि कार्यदायी संस्थाओं ने 311 निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। इन सभी प्रकरणों में ठेकेदारों ने बिल के साथ उनके द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों के एम0एम0-11 फार्म प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन में कार्यदायी संस्थाओं ने बिल से रायल्टी की कटौती कर ली और ₹ 2.64 करोड़ रायल्टी के एवज में जमा किया।

हमने देखा कि उक्त शासनादेश खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप नहीं थे क्योंकि शासनादेश के अनुसार कार्यदायी संस्थायें, बिना एम0 एम0-11 के आपूर्ति किये गये खनिजों के मामलों में केवल रायल्टी या रायल्टी के साक्ष्य के रूप में कोषागार चालान की प्रति प्राप्त करने के लिये अधिकृत थे। खान अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली तथा अर्थदण्ड का आरोपण अनिवार्य है। चूँकि खनिज मूल्य की वसूली एवम् अर्थदण्ड के आरोपण के बारे में शासनादेश मौन है, अतः ये आरोपित एवं वसूल नहीं किये जा रहे हैं। अकेले 16 जि0खा0का0 के उपरोक्त प्रकरणों में ही अधिनियम के अनुसार खनिज मूल्य के ₹ 13.20 करोड़ के अतिरिक्त अवैध परिवहन का अर्थदण्ड ₹ 77.75 लाख आरोपणीय था, जैसा कि परिशिष्ट-XXIV दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (जून 2014 तथा मई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेशों

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

के अनुसार कार्यवाही की है। विभाग ने हमारे विशेष प्रेक्षण जो कि खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशों की विसंगति पर है, का उत्तर नहीं दिया। कथित शासनादेश खनिज मूल्य व अर्थदण्ड की वसूली के प्रावधान जिस पर खान अधिनियम की धारा 21 का मुख्य जोर है, के बिना निर्गत किये गये। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधान कि, बिना वैध एम0 एम0-11 के खनिजों के परिवहन करने पर व्यक्ति पर शास्ति और/या दण्ड आरोपित किया जायेगा, को भी शासनादेश में ध्यान में नहीं रखा गया। खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशों की विसंगति ने एक रिक्तता छोड़ दी जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपखनिजों के अवैध परिवहन एवं खनिजों के अवैध खनन को स्वीकृति प्रदान की गयी क्योंकि खनिजों के इस अवैध परिवहन में कोई अवरोधक नहीं है (नवम्बर 2015)।

हम अपने पहले के प्रतिवेदनों में भी संस्तुति कर चुके हैं कि शासन अपने शासनादेशों को, खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप पुनरीक्षित करने पर विचार करे।

6.12 पर्यावरण अधिनियम का अनुपालन नहीं किया जाना

जैसा निर्धारित है कि एक एकड़ या अधिक क्षेत्रफल में खनन करने वाले खनन पट्टाधारक अपने स्वयं के खर्च पर प्रति एकड़ 200 पेड़ लगायेगा। 41 पट्टाधारकों के प्रकरण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं मिले। चूँकि पट्टा धारकों ने पट्टे की प्रावधानों का उल्लंघन किया था इसलिये उल्लंघन के लिये न्यूनतम जुर्माना ₹ 41 लाख आरोपित नहीं किया गया।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अनुसार जो भी इस अधिनियम के प्रावधानों या बनाये गये नियमों या इसके अधीन जारी आदेशों या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के सम्बन्ध में एक अवधि तक कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने की धनराशि जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि इस तरह की विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने जो पाँच हजार रुपये प्रतिदिन, नयी विफलता या उल्लंघन के लिये दोष सिद्ध होने के बाद इस प्रकार की विफलता या उल्लंघन जारी रहने के दौरान के लिये हो सकता है। खनन योजना न केवल नियोजित और वैज्ञानिक खनन के लिये बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिये भी आवश्यक है। शासन ने आदेश सं0 1483(1)/14-2-08-65/2008-टी0 सी0 दिनांक 4 जून 2008 के द्वारा खनन पट्टे में वृक्षारोपण की शर्त जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। इस शर्त के अनुसार खनन पट्टाधारक एक एकड़ अथवा अधिक क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है वह अपने स्वयं के खर्च पर प्रति एकड़ 200 वृक्ष लगायेगा।

हमने इलाहाबाद के जि0खा0का0 के पट्टाधारकों की पत्रावली की जाँच की (फरवरी 2015) और देखा कि मार्च 2014 से जनवरी 2015 के मध्य सभी 41 पट्टाधारकों द्वारा पत्थर की गिट्टी का खनन किया गया। पट्टे की शर्त के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य था। सभी 41 पट्टाधारकों के प्रकरण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं मिले। जि0खा0अ0 ने पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण कार्य सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने न तो इन खनन सक्रियाओं को बन्द कराया और न ही आवश्यक शास्ति का आरोपण किया। उल्लंघन के लिये न्यूनतम एक लाख रुपये प्रत्येक पट्टाधारक पर आरोपणीय ₹ 41 लाख आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के उल्लंघन के दौरान अतिरिक्त जुर्माना

जो ₹ 5,000 प्रति दिन तक हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अधीन आरोपणीय है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2015 तथा जून 2015)। विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 में वृक्षारोपण न करने के लिये अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुपालन के लिये खनन पट्टों में वृक्षारोपण के लिये जून 2008 में शासनादेश निर्गत किया था।

6.13 रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न/कम प्रभारण

2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिये 185 ईट भट्टा मालिकों ने औसत 2 से 462 दिनों के विलम्ब से रायल्टी के ₹ 93.06 लाख जमा किये। विभाग ने ₹ 6.73 लाख के विरुद्ध ₹ 1.18 लाख ब्याज वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.55 लाख के ब्याज के न/कम प्रभारित हुआ।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (2) प्राधानित करता है कि 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने के बाद किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा। शासन ने ईट भट्टा मालिकों पर रायल्टी के आरोपण और उस पर प्रभारणीय ब्याज के लिये समय समय पर एक मुश्त समाधान योजना जारी की है।

हमने (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य) चार जि0खा0का0 में ईट भट्टा पंजिका और सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिये दौरान कुल नमूना जाँच किये 959 में से 185 ईट भट्टा स्वामियों ने ₹ 93.06 लाख की रायल्टी औसत दो से 462 दिनों के विलम्ब से जमा की। विभाग ने ₹ 6.73 लाख के ब्याज के विरुद्ध ₹ 1.18 लाख वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के ₹ 5.55 लाख का न/कम प्रभारण हुआ। विवरण सारणी 6.10 में दिया गया है।

सारणी 6.10

रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना

(धनराशि ₹ में)								
क्र0 सं0	जिला का नाम	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	देय और जमा धनराशि	प्रभारणीय ब्याज	प्राप्त ब्याज	अन्तर	विलम्ब की अवधि दिनों में
1	जि0 खा0 का0 इलाहाबाद	2013-14	56	30,94,200	2,09,456	0	2,09,456	3 से 332
2	जि0 खा0 का0 औरैया	2012-13	29	15,63,300	1,67,212	1,08,918	58,294	4 से 371
		2013-14	11	8,89,650	15,190	3,152	12,038	9 से 73
3	जि0 खा0 का0 सन्त कबीर नगर	2013-14	39	15,70,050	1,00,178	0	1,00,178	24 से 311
4	जि0 खा0 का0 सन्त रवि दास नगर	2011-12	14	4,85,100	97,846	400	97,446	54 से 462
		2012-13	32	14,90,500	70,914	5,850	65,064	9 से 361
		2013-14	4	2,13,250	12,383	0	12,383	2 से 192
योग			185	93,06,050	6,73,179	1,18,320	5,54,859	2 से 462

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की अद्यतन स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है (नवम्बर 2015)।

6.14 ईट भट्टा मालिकों से रायल्टी और अनुज्ञा फीस की वसूली न किया जाना

1,430 ईट भट्टा स्वामियों ने 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिये कोई रायल्टी और अनुज्ञा शुल्क नहीं अदा किया यद्यपि यह योजना में निर्दिष्ट था। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 6.55 करोड़ और अनुज्ञा शुल्क ₹ 28.60 लाख की वसूली नहीं हुयी।

समय समय पर सरकार द्वारा घोषित की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अनुसार ईट भट्टा स्वामियों द्वारा ₹ 2,000 प्रति ईट भट्टा प्रार्थना-पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद ईट भट्टा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित है। अग्रेतर, ओटीएस में प्रावधान है कि यदि ईट भट्टा स्वामी रायल्टी की समेकित धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त ओटीएस के अनुसार किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर निर्धारित दर से ब्याज भी प्रभारित किया जा सकता है। 2 नवम्बर 2012 की अधिसूचना के अनुसार रायल्टी की नई दर ₹ 27 प्रति हजार ईट है।

हमने (मई 2014 और मार्च 2015 के मध्य) 16 जि०खा०का० में ईट भट्टा पंजिका और ईट भट्टा स्वामियों की पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि अक्टूबर 2011 से मार्च 2015 के दौरान कुल नमूना जाँच किये 3,074 ईट भट्टे में से 1,430 (श्रेणी अ: 160, श्रेणी ब: 370 और श्रेणी स: 900) संचालित थे। यद्यपि यह योजना में निर्दिष्ट था फिर भी 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिये इन ईट भट्टा स्वामियों ने कोई रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना पत्र शुल्क नहीं अदा किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों (जि०खा०अ०) द्वारा न तो उनके व्यवसाय को रोकने और न ही देय रायल्टी ₹ 6.55 करोड़ और अनुज्ञा शुल्क ₹ 28.60 लाख वसूलने की कार्यवाही शुरू की गयी। विवरण परिशिष्ट-XXV में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की अद्यतन स्थिति कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है (नवम्बर 2015)।

6.15 ईट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी का कम आरोपण

628 ईट भट्टा मालिकों ने संशोधित दर पर रायल्टी ₹ 2.93 करोड़ जमा करने के बजाय संशोधन-पूर्व की दर पर ₹ 1.96 करोड़ की रायल्टी जमा किया। इसके परिणामस्वरूप ईट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर ₹ 96.51 लाख रायल्टी कम आरोपित हुयी।

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली के नियम 21 के अनुसार रायल्टी समय समय पर संशोधित दर के आधार पर देय होगी। राज्य सरकार द्वारा रायल्टी और अपरिहार्य भाटक की दरों में दिनांक 2 नवम्बर 2012 को जारी शासनादेश सं० 2974/86-2012-200/77 टी०सी० II लखनऊ द्वारा दिनांक 2 नवम्बर 2012 से संशोधन कर दिया गया है। ईट बनाने की मिट्टी के लिये दिनांक 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी रायल्टी की दर ₹ 18 प्रति हजार से ₹ 27 प्रति हजार संशोधित कर दिया गया था।

हमने 12 जि०खा०का० की ईट भट्टा पत्रावली की जाँच (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य) की और देखा कि विभाग ने मार्च 2012 से फरवरी 2015 की अवधि के दौरान कुल नमूना जाँच किये गये 2,232 प्रकरणों में से 628 में संशोधित दर से रायल्टी का आरोपण नहीं किया। ईट भट्टा मालिकों द्वारा ₹ 2.93 करोड़ रायल्टी संशोधित दर पर

जमा करने के बजाय संशोधन-पूर्व की दर पर ₹ 1.96 करोड़ की रायल्टी जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 96.51 लाख कम आरोपित हुयी जैसा कि परिशिष्ट-XXVI में प्रदर्शित है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (जून 2014 से जून 2015 के मध्य) किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की अद्यतन स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है (नवम्बर 2015)।

विनीता मिश्रा

लखनऊ

25 जनवरी 2016

(विनीता मिश्रा)

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

27 जनवरी 2016


शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्टियाँ



परिशिष्ट-I
विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 1.8)

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	विभाग द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का विवरण	स्थिति
2009-10	व्यापार कर से मूल्य संवर्धित कर में पारगमन	17	9	यह सुनिश्चित हो कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय बजट मैनुअल के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग में व्यापक मानवशक्ति की समीक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें। कुशल मानव शक्ति द्वारा स्थानीय एवं केन्द्रीय सर्वर पर सहगामी डाटाबेस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें। वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन हेतु मैनुअल बनाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित दिशा निर्देश निगमित हों। नियमित अन्तराल पर आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाय। जॉब चौकियों के समाप्त हो जाने के पश्चात करापवचक व्यापारियों की घुसपैठ रोकने हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित हो और एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश से होकर अन्य प्रान्तों को जाने वाले वाहनों ने ३0प्र0 में ही अपने माल को नहीं उतारा। नये मैनुअल तैयार होने तक, वर्तमान में उपलब्ध मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार ही मामलों का निस्तारण हो। अप्रयुक्त घोषणा पत्रों के रद्दीकरण से सम्बन्धित आदेश शीघ्रतिशीघ्र निगमित हो जिससे अप्रयुक्त घोषणा पत्रों का दुरुपयोग रोकना सुनिश्चित हो। सभी सर्वगों में खाली पदों को भरने हेतु उचित कदम उठाया जाना सुनिश्चित हो जिससे आडिट प्लान में चिन्हित सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की जा सके।	बजट अनुमानों को तैयार करते समय बजट मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। केन्द्रीय सर्वर में सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है। इसके लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं। प्रवर्तन मैनुअल, टैक्स आडिट मैनुअल आदि जारी हो गये हैं। कर निर्धारण मैनुअल का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रभावी प्रणाली लायी गयी है।
2009-10	परिवहन विभाग के कार्यकलाप	8	5	बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित बजट अनुमान बनाये जायें। बकायों की समीक्षा करके, वसूली प्रमाण-पत्रों को समय से जारी करने तथा इन बकायों की वसूली हेतु विशेष अभियान को चलाये जाने हेतु एक तंत्र निर्धारित किया जाये। विभागीय मैनुअल को बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें। अधिक लदान रोकने हेतु एक तंत्र बनाया जाय, और अधिनियमों/नियमावलिगों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।	अनुपालन हो रहा है। अप्रयुक्त घोषणा पत्र के दुरुपयोग को बचाने हेतु निरस्तीकरण के आदेश दिये गये। निदेशक आन्तरिक लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार बजट अनुमान बनाये जा रहे हैं। विभाग में बकायों की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाये जाते हैं। वाहन साफ्टवेयर पर वसूली प्रमाण-पत्रों के विवरण भी डाल दिये गये हैं। विभागीय मैनुअल को बनाने की कार्यवाही हो रही है। अधिक लदान वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। नियमित रूप से लागू किये जा रहे हैं।
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का उपयोग	5	3	केन्द्रीय स्तर के साथ साथ नोडल अधिकारियों के स्तर पर घोषणा पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उचित तन्त्र विकसित करना। ऑनलाइन क्रॉस वेरीफिकेशन हेतु टिनपक्सिस वेबसाइट पर केन्द्रीय घोषणा पत्रों के ऑकड़े डालना। वाणिज्य कर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट	ऐसे घोषित फार्मों के अभिरक्षा हेतु दो ताला पद्धति विकसित की गयी है। ऐसे घोषित फार्मों के लिए ऑनलाइन पद्धति लायी गयी है। डाटा अपलोड किया जा रहा है। विभागीय वेबसाइट में सभी व्यापारियों के

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	विभाग द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का विवरण	स्थिति
2010-11	मोटर यान विभाग में कम्प्यूटरीकरण	8	8	<p>में सन्दिग्ध/ खतरनाक व्यापारियों के आँकड़े तैयार करके उसका प्रकाशन।</p> <p>प्रणाली के समुचित रूप से कार्य करने के लिये एक दीर्घ कालिक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति/योजना बने।</p> <p>आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित प्रविष्टियों का सत्यापन हो।</p> <p>उपयुक्त डाटा वैलिडेशन जॉब का समावेश हो।</p> <p>अधिनियमों/नियमों के बेहतर प्रवर्तन हेतु व्यापारिक नियमों की पूर्ति जैसे- मॉग पत्र, वसूली प्रमाण पत्र, बकाये की रिपोर्ट तथा एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स बनाने के लिये साप्टवेयर में संवर्द्धन हो।</p> <p>जाली दरस्तावेजों के प्रयोग को रोकने और आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिये, अनुप्रयोग नियंत्रण सुदृढ़ हो।</p> <p>सारथी साप्टवेयर तथा वाहन साप्टवेयर का प्रवर्तन माइक्रूल का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।</p> <p>प्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए खतरों के निर्धारण की विश्वसनीय क्रियाविधि के साथ पर्याप्त रूप से अभिलेखित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बने।</p> <p>प्रणाली के प्रबन्धन तथा डाटाबेस सम्बन्धी कार्य-कलापों के लिये कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो।</p> <p>असमानता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत विकसित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाये जाने हेतु घोषणा अधिसूचना द्वारा लाये।</p> <p>फार्म 38 डाउनलोड करने के पूर्व संव्यवहार का विवरण ऑनलाइन भरने का प्रावधान अनिवार्य करना।</p> <p>ट्रांजिट डिक्लेरेशन फार्म हेतु एन्ट्री एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबन्धन के लिए प्रणाली की स्थापना।</p> <p>बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर्स का डाटा बेस रखने हेतु माइक्रूल विकसित करना।</p> <p>प्रवर्तन अधिकारियों को उचित उपकरण उपलब्ध कराना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आँकड़ों का उपयोग कर सकें।</p> <p>प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण/सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा</p>	<p>डाटाबेस को अपलोड कर दिया गया है।</p> <p>विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर 'वाहन' एवं 'सारथी' साप्टवेयर के विभिन्न माइक्रूलों की आवश्यकता के अनुसार नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।</p> <p>मुख्यालय के स्तर पर हस्ताक्षरित एम ओ यू से हाइवेयर की नियमित ए एम सी की जा रही है। विभागीय प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और विचाराधीन है।</p> <p>डाटा अनुमोदन के माध्यम से प्रविष्ट डाटा के सत्यापन के लिये 'वाहन' एवं 'सारथी' साप्टवेयर में प्रावधान किया गया है। अनुमोदन की सुविधा सक्षम अधिकारियों को दी गयी है।</p> <p>एन आई सी द्वारा 'वाहन' एवं 'सारथी' साप्टवेयर में उपयुक्त डाटा वैलिडेशन के लिये चेक समाविष्ट किये गये हैं।</p> <p>साप्टवेयर में मॉग पत्र, वसूली प्रमाण पत्र, बकाये की रिपोर्ट तथा एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स बनाने के लिये प्रावधान है। वाहन साप्टवेयर से वसूली प्रमाण पत्र तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>डाटा की विश्वसनीयता और उपयोगिता विभिन्न प्रतिवेदनों को ऑनलाइन कर सुनिश्चित की जा रही है।</p> <p>सारथी साप्टवेयर पूरी तरह से क्रियान्वित है तथा वाहन का प्रवर्तन माइक्रूल सभी कार्यालयों द्वारा फरवरी 2015 तक क्रियान्वित किया गया।</p> <p>विभाग में कार्यान्वित किया गया है।</p> <p>विभाग एन आई सी के माध्यम से 'वाहन' तथा 'सारथी' साप्टवेयर का नियमित प्रशिक्षण करवाता है।</p> <p>विभाग ने औद्योगिक विकास विभाग से ऐसा प्रावधान किये जाने हेतु एक पत्र संख्या 8341/स्टाम्प आडिट/ 2013-14 दिनांक 9 सितम्बर 2014 द्वारा अनुरोध किया।</p> <p>अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।</p> <p>विभाग द्वारा आवश्यक प्रावधान बना दिये गये हैं।</p> <p>डाटाबेस अपलोड किया गया है और विभागीय अधिकारियों के लिये ऑन लाइन उपलब्ध है।</p> <p>ऑनलाइन पद्धति लागू की जा चुकी है।</p> <p>एसे मामलों की निगरानी हेतु एम0आई0एस0 रिपोर्ट की स्थापना की जा चुकी है।</p>
2011-12	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्य प्रणाली	3	1		
2012-13	वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली	5	5		

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	विभाग द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का विवरण	स्थिति
				अंतिम आरोपित/ वसूले गये कर के सम्बन्ध में निगरानी/अनुश्रवण तन्त्र स्थापित करना।	
2013-14	संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण	5	3	<p>विभाग कर निर्धारण आदेश पारित करते समय कर निर्धारण आदेश में यह विवेचना कर सकता है कि कर का भार संविदी पर अन्तरित नहीं किया गया है और उसके साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित अभिलेख को कर निर्धारण पत्रावली में भी संलग्न किया जाना चाहिए।</p> <p>विभाग प्रभावी ढंग से आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा वार्षिक आयोजना यथार्थ रूप से तैयार करने पर विचार कर सकता है।</p> <p>विभाग संविदाकारों/संविदी का एक अलग डाटाबेस रखने पर विचार कर सकते हैं जिसमें पंजीयन की तिथि, विवरणी भरने की तिथि, समाधान योजना का विकल्प अपनाने तथा टी0डी0एस0 कटौती के साथ साथ दावों की सूचना हो।</p>	<p>अब कर के भार के सम्बन्ध में कर निर्धारण आदेश में विवेचना की जा रही है और साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित अभिलेखों को कर निर्धारण पत्रावली में भी संलग्न किया जा रहा है।</p> <p>आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।</p> <p>संकर्म संविदाकारों से सम्बन्धित सभी सूचनायें विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी हैं।</p>

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी और लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-II
विवरणियों की जाँच
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.11)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	व्यापारी का नाम	अनियमितता की प्रकृति
1.	ज्वा०कमि० (का०स०) इलाहाबाद	1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० ज्योति फेंब्रिकेटर्स, नैनी, इलाहाबाद	वस्तु की मात्रा/ माप अनुलग्नक-VIII ए में नहीं दिया गया है।
2.	डि०कमि० खण्ड 1 इलाहाबाद	1	2011-12 (मार्च 2014)	मे० आर०के० ट्रेडर्स, लालगोपाल गंज, इलाहाबाद	अनुलग्नक-I में वस्तु का नाम नहीं दिया गया है।
3.	डि०कमि० खण्ड 10 इलाहाबाद	1	2012-13 (जून 2014)	मे० मनीष लुब्रिकेट्स लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापारी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति है फार्म XXVI-ए में नहीं दर्शाया गया है।
		1	2012-13 (मार्च 2015)	मे० बेस्ट पम्पस इण्डिया प्रा०लि० लूकरगंज, इलाहाबाद	पार्टनर/प्रोपराइटर/कर्ता आदि का नाम व हस्ताक्षर फार्म XXVI में अंकित नहीं।
4.	असि०कमि० खण्ड 10 इलाहाबाद	1	2010-11 (फरवरी 2013)	मे० गणपति भोग रेस्टोरेन्ट, लीडर रोड, इलाहाबाद	फार्म XXVI-ए में बैंक एकाउन्ट का विवरण अंकित नहीं।
		1	2010-11 (मार्च 2013)	मे० जे०एम० सेल्स शाहगंज, इलाहाबाद	साइकिल पार्ट्स व साइकिल एसेसरीज पर एक ही दर से कर देयता स्वीकार की गयी।
5.	डि०कमि० खण्ड 1 अमरोहा	1	2012-13 (मार्च 2015)	मे० डी०पी०एच० इलेक्ट्रिकल्स, गुलरिया रोड, अमरोहा	फार्म XXVI-ए में बैंक एकाउन्ट का विवरण अंकित नहीं।
6.	डि०कमि० खण्ड 2 बाँदा	1	2008-09 (जनवरी 2012)	मे० रामलाल किशोरीलाल, कैथी बाजार, बाँदा	फार्म XXVI-ए में पिछले वर्ष से लायी गयी आई०टी०सी० शून्य दिखाई गयी है लेकिन संलग्नक-IV में यह ₹ 91,530 दिखाई गयी है।
		1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० अग्रवाल मेडिकल्स, मुगलसराय, चन्दौली	यद्यपि व्यापारी द्वारा ₹ 57,660 आई०टी०सी० का दावा किया गया है परन्तु संलग्नक-XIII (कर योग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में आई०टी०सी० की गणना) में विवरण नहीं भरा गया है।
7.	असि०कमि० खण्ड 2 चन्दौली	1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० एवन आटो इन्टरप्राइजेज, मुगलसराय, चन्दौली	व्यापारी एक कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्ति है; बैंक खाते का विवरण और आई०टी०सी० की गणना (संलग्नक-II) का विवरण अंकित नहीं है।
		1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० अनुराग आटोमोबाइल्स, पड़ाव, चन्दौली	सम्बन्धित कालमों में वस्तु का नाम नहीं दिया गया है।
		1	2012-13 (मार्च 2015)	मे० महालक्ष्मी ट्रेडर्स, मेन बाजार देवबन्द	फार्म XXVI में क्रम संख्या 10(बी) पर वस्तु का नाम नहीं दिया गया है।
8.	डि०कमि० खण्ड 1 देवबन्द	1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० साहनी कम्प्यूटर्स, शानी मार्केट, गोरखपुर	फार्म XXVI में क्रम संख्या 10(बी) पर वस्तु का नाम बिक्री का आवर्त, कर की दर एवं कर की धनराशि नहीं दिया गया है।
9.	डि०कमि० खण्ड 2 गोरखपुर	1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० एच०एम०टी० इन्टरप्राइजेज, छिप्पी टैंक मेरठ	फार्म XXVI-ए में बैंक एकाउन्ट का विवरण अंकित नहीं।
10.	डि०कमि० खण्ड 12 मेरठ	1	2009-10 (मार्च 2012)	मे० सागर होजरी, बाजार कला, रामपुर	फार्म XXVI-ए में बैंक एकाउन्ट का विवरण अंकित नहीं।
11.	डि०कमि० खण्ड 2 रामपुर	1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० गणेश इन्टरप्राइजेज, मिलक, रामपुर	फार्म XXVI-ए में बैंक एकाउन्ट का विवरण अंकित नहीं।
		1	2008-09 (मार्च 2011)	मे० गणेश इन्टरप्राइजेज, मिलक, रामपुर	फार्म XXVI-ए में बैंक एकाउन्ट का विवरण अंकित नहीं।
योग		16			

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-III
कर की गलत दर लगाया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.16.2 बुलेट-1)

क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	ज्वा०कमि० (का० स०) आगरा)	1	2011-12 (मार्च 2015)	मशीनरी (V)	25.34	13.5/5	2.17
		1	2011-12 (मार्च 2015)	व्हाइट पेट्रोलियम जेली (V)	1,469.62	13.5/5	124.92
2.	डि०कमि० खण्ड 1 इलाहाबाद	1	2011-12 (अक्टूबर 2014)	टाफी (V)	18.40	13.5/5	1.56
3.	डि०कमि० खण्ड 2 बाँदा	1	2010-11 (मार्च 2014)	वाशिंग सोप (V)	14.28	13.5/5	1.21
4.	डि०कमि० खण्ड 1 बरती	1	2012-13 (मई 2014)	सिगरेट (V)	444.38	17.5/13.5	17.78
5.	असि०कमि० खण्ड 1 देववन्द	1	2013-14 (जून 2014)	कोल्डड्रिंक एवं मिनरल वाटर (V)	2.82	14/5	0.25
6.	असि०कमि० खण्ड 3 फैजबाद	1	2011-12 (मार्च 2014)	केरोसिन आयल पी०डी०एस० से भिन्न (V)	495.20	13.5/5	42.09
7.	डि०कमि० खण्ड 3 फिरोजाबाद	1	2011-12 (जनवरी 2015)	सापट ड्रिंक (V)	14.60	13.5/5	1.24
8.	ज्वा०कमि० (का० स०) I गाजियाबाद	1	2011-12 (जनवरी 2015)	हर्बल पाउडर (V)	1,239.73	13.5/5	105.38
		1	2011-12 (जुलाई 2014)	जिंक ज़ास ऐश (II)	502.03	5/4	5.02
9.	ज्वा०कमि० (का० स०) II गाजियाबाद	1	2008-09 (मई 2012)	सीमेंट (V)	110.93	12.5/2	11.65
				आयरन एण्ड स्टील (II)	817.18	4/2	16.34
			2009-10 (मार्च 2013)	सीमेंट (V)	81.78	12.5/2	8.59
			आयरन एण्ड स्टील (II)	616.15	4/2	12.32	
		1	2009-10 (नवम्बर 2012)	वैक्सोन (II)	518.60	4.5/4	2.59
				135.71	5/4	1.38	
10.	डि०कमि० खण्ड 3 गाजियाबाद	1	2010-11 (मार्च 2014)	फिल्टर प्रेस कार्स्टिंग (V)	2.60	13.5/5	0.22
				फिल्टर प्रेस रफ (V)	4.50	13.5/4	0.43
			2011-12 (फरवरी 2015)	फिल्टर प्रेस कार्स्टिंग (V)	12.77	13.5/5	1.09
				फिल्टर प्रेस रफ (V)	3.34	13.5/4	0.32
		1	2009-10 (अप्रैल 2013)	इलेक्ट्रिक कॅबिल (V)	2.14	12.5/4	0.18
					11.94	13.5/4.5	1.07
			4.88	13.5/5	0.41		
1	2010-11 (मार्च 2014)	मोबाइल बैटरी (V)	110.91	13.5/5	9.42		
11.	डि०कमि० खण्ड 2 जौनपुर	1	2011-12 (अक्टूबर 2013)	टाफी (V)	12.94	13.5/5	1.10
			2010-11 (अक्टूबर 2013)	टाफी (V)	0.34	13.5/5	0.03
12.	असि०कमि० खण्ड 6 जौनपुर	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	मिल्क कार्नफ्लैक्स, कोमल (V)	3.96	12.5/4	0.34
					17.60	13.5/4.5	1.58
				2.88	13.5/5	0.25	
			2010-11 (मार्च 2014)	34.35	13.5/5	2.92	
13.	असि०कमि० खण्ड 27 कानपुर	1	2009-10 (जनवरी 2013)	पालिस्टर एड्हेसिव (V)	5.24	12.5/4	0.45
					43.07	13.5/4.5	3.66
					5.51	13.5/5	0.28
14.	ज्वा०कमि० (का० स०) I लखनऊ	1	2010-11 (अगस्त 2013)	वार्निश (V)	8.50	13.5/5	0.72

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	₹ लाख में							
						आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर						
		1	2011-12 (जनवरी 2015)	पेट परफार्म (V)	11.97	13.5/5	1.02						
15.	डि०कमि० खण्ड 19 लखनऊ	1	2008-09 (जून 2012)	स्टोन बैलास्ट (V)	6.21	12.5/4	0.53						
16.	वा०क०अ० खण्ड 2 मऊ	1	2009-10 (फरवरी 2013)	मशीनरी पार्ट्स (V)	0.53	12.5/4	0.05						
					4.84	13.5/4.5	0.44						
					3.24	13.5/5	0.28						
17.	डि०कमि० खण्ड 9 मेरठ	1	2009-10 (मार्च 2011)	स्टील ब्रिज पार्ट्स (V)	1.70	12.5/4	0.14						
					1	2009-10 (मार्च 2011)	कापर इन्सूलेटेड कन्डक्टर (V)	196.67	13.5/4.5	17.70			
								1	2009-10 (जनवरी 2013)	लेजर सिस्टम (V)	18.14	13.5/4.5	1.63
											3.33	13.5/5	0.28
2010-11 (जनवरी 2014)	24.41	13.5/5	2.07										
18.	डि०कमि० खण्ड 12 मेरठ	1	2010-11 (अक्टूबर 2013)	कम्प्यूटर पार्ट्स (V)	19.62	13.5/5	1.68						
19.	डि०कमि० खण्ड 1 मिर्जापुर	1	2011-12 (मार्च 2015)	पेस्टी साइड (II)	13.08	5/0	0.65						
20.	असि०कमि० खण्ड 3 मिर्जापुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	मोटर पार्ट्स (V)	1.00	12.5/4	0.08						
					19.10	13.5/4.5	1.72						
					2.17	13.5/5	0.18						
		1	2008-09 (मार्च 2012)	डी०टी०एच० किट (V)	19.67	12.5/4	1.68						
21.	डि०कमि० खण्ड 4 मुरादाबाद	1	2011-12 (दिसम्बर 2014)	फ़ोजन मीट (II)	121.00	5/0	6.05						
22.	डि०कमि० खण्ड 1 नजीबाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	बोल्डर (V)	25.51	12.5/4	2.17						
					70.09	13.5/4.5	6.31						
					10.27	13.5/5	0.87						
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	टाफी (V)	14.60	13.5/5	1.24						
23.	डि०कमि० खण्ड 2 नोएडा	1	2011-12 (जनवरी 2015)	एसेसरीज (V)	3.95	13.5/5	0.34						
					1	2011-12 (जनवरी 2015)	फैब्रिक एसेसरीज (V)	18.48	13.5/5	1.57			
								अल्युमिनियम कोटिंग पाउडर (V)	39.96	13.5/5	3.40		
24.	असि०कमि० खण्ड 2 नोएडा	1	2008-09 (सितम्बर 2013)	कोटा स्टोन (V)	6.82	12.5/4	0.58						
					1	2009-10 (अप्रैल 2013)	पाउडर कोटिंग (V)	3.25	12.5/4	0.28			
								35.98	13.5/4.5	3.24			
								6.02	13.5/5	0.51			
2010-11 (दिसम्बर 2013)	45.16	13.5/5	3.84										
25.	डि०कमि० खण्ड 7 नोएडा	1	2008-09 (जनवरी 2012)	इण्डस्ट्रियल वाल्व पार्ट्स एण्ड कम्पोनेंट्स (V)	47.79	12.5/4	4.06						
26.	असि०कमि० खण्ड 14 नोएडा	1	2010-11 (फरवरी 2014)	सोया पनीर (टोफू) (V)	37.19	13.5/5	3.16						
27.	असि०कमि० खण्ड 1 रामपुर	1	2011-12 (मार्च 2014)	बेकरी प्रोडक्ट/ बिस्कुट (V)	8.58	13.5/5	0.73						
					1	2011-12 (मार्च 2014)	कन्फेक्शनरी (V)	16.58	13.5/5	1.41			
28.	डि०कमि० खण्ड 2 शाहजहाँपुर	1	2010-11 (फरवरी 2014)	एक्यूप्रेसर डिवाइस (V)	22.50	13.5/5	1.91						
29.	डि०कमि० खण्ड 1 सोनभद्र	1	2011-12 (मार्च 2015)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	20.67	13.5/5	1.76						
30.	डि०कमि० खण्ड 3 सोनभद्र	1	2009-10 (जनवरी 2013)	मशीनरी हेलमेट (V)	1.71	12.5/4	0.15						
					5.51	13.5/4.5	0.50						
					2.93	13.5/5	0.25						
31.	असि०कमि० खण्ड 5 सोनभद्र	1	2011-12 (फरवरी 2015)	ए०बी०सी० पाउडर (V)	3.93	13.5/5	0.33						

क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	₹ लाख में	
						आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
32.	डि०कमि० खण्ड 4 वाराणसी	1	2011-12 (जनवरी 2015)	एड्हेसिव (V)	1.95	13.5/5	0.16
33.	डि०कमि० खण्ड 11 वाराणसी	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	टापिंग क्रोम (V)	28.36	13.5/5	2.41
योग		46			7,738.69		456.32

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-IV
माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.16.2 बुलेट-2)

							(₹ लाख में)	
क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर	
1.	ज्वा०कमि० (का० स०) आगरा	1	2011-12 (फरवरी 2015)	माल्टो डेक्सट्रिन पाउडर को एस. एम. पी. माना गया (V)	92.71	13.5/5	7.88	
2.	ज्वा०कमि० (का० स०) इलाहाबाद	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	ए०सी० शीट को स्टील माना गया (V)	12.95	13.5/5	1.23	
3.	डि०कमि० खण्ड 3 फिरोजाबाद	1	2011-12 (जनवरी 2015)	एडहेसिव को केमिकल माना गया (V)	16.64	13.5/5	1.41	
			2011-12 (मार्च 2015)	उक्त	51.86	13.5/5	4.41	
			2011-12 (दिसम्बर 2014)	उक्त	45.44	13.5/5	3.86	
4.	डि०कमि० खण्ड 1 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	आइस टी को चाय माना गया (V)	0.13	12.5/4	0.01	
					1.09	13.5/4.5	0.10	
					0.22	13.5/5	0.02	
					2010-11 (फरवरी 2013)	3.59	13.5/5	0.31
		1	2009-10 (मार्च 2013)	यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल को टी०वी० पार्ट्स माना गया (V)	16.59	12.5/4	1.41	
					46.74	13.5/4.5	4.21	
			2010-11 (फरवरी 2014)		113.38	13.5/5	9.64	
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	साइकिल एसेसरीज को साइकिल पार्ट्स माना गया (V)	71.82	13.5/5	6.27	
			2009-10 (मार्च 2013)		कुक्क फूड को बटर माना गया (V)	0.39	12.5/4	0.03
						4.57	13.5/4.5	0.41
0.52	13.5/5					0.04		
	2010-11 (नवम्बर 2013)		7.41	13.5/5	0.63			
5.	डि०कमि० खण्ड 3 मिर्जापुर	1	2010-11 (फरवरी 2014)	क्लोरीनेटेड पैराफीन को केमिकल माना गया (V)	160.69	13.5/5	13.66	
6.	डि०कमि० खण्ड 7 नोएडा	1	2010-11 (नवम्बर 2013)	प्रिन्टेड विनाइल को प्रिन्टेड मैटीरियल (स्टीकर) माना गया (V) (प्रान्तीय)	20.23	13.5/5	1.72	
				प्रिन्टेड विनाइल को प्रिन्टेड मैटीरियल (स्टीकर) माना गया (V) (केन्द्रीय)	104.05	13.5/5	8.84	
			2012-13 (मई 2014)	प्रिन्टेड विनाइल को प्रिन्टेड मैटीरियल (स्टीकर) माना गया (V) (प्रान्तीय)	23.23	13.5/5	1.97	
				प्रिन्टेड विनाइल को प्रिन्टेड मैटीरियल (स्टीकर) माना गया (V) (केन्द्रीय)	275.39	13.5/5	23.41	
7.	डि०कमि० खण्ड 1 रायबरेली	1	2010-11 (फरवरी 2014)	ट्रैक्टर एसेसरीज को ट्रैक्टर पार्ट्स माना गया (V)	3.51	13.5/5	0.30	
			2010-11 (दिसम्बर 2013)		3.58	13.5/5	0.30	
योग		13			1,076.73		92.07	

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-V
टर्नओवर का छिपाया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.17.1)

क0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	(₹ लाख में)		
					छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	ज्वा0कमि0 (का0 स0) आगरा	1	2011-12 (मार्च 2015)	सोप	7.50	1.01	3.03
2.	डि0कमि0 खण्ड 2 बांदा	1	2011-12 (फरवरी 2015)	मशीनरी पार्ट्स	43.50	2.90	8.70
3.	डि0कमि0 खण्ड 2 चन्दौली	1	2010-11 (मार्च 2014)	स्पोज आयरन	3.00	0.12	0.36
		1	2010-11 (मार्च 2014)	कोयला	3.00	0.12	0.36
4.	डि0कमि0 खण्ड 2 फेजाबाद	1	2010-11 (अगस्त 2014)	कन्सट्रक्शन मैटेरियल	1,828.57	35.06	105.18
5.	डि0कमि0 खण्ड 2 गाजियाबाद	1	2008-09 (जुलाई 2012)	कोयला	142.50	5.70	17.10
6.	ज्वा0कमि0 (का0 स0) गोरखपुर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	मोटर वेहिकल्स	10.10	1.35	4.05
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	एम0एस0 स्क्रेप एवं सीओ टू	17.25	0.83	2.49
7.	डि0कमि0 खण्ड 8 झाँसी	1	2008-09 (जनवरी 2012)	बोल्डर	5.00	0.63	1.89
8.	ज्वा0कमि0-II (का0स0) कानपुर	1	2010-11 (जुलाई 2013)	स्पेयर पार्ट्स	10.00	1.35	4.05
9.	डि0कमि0 खण्ड 27 कानपुर	1	2009-10 (जुलाई 2013)	प्लास्टिक दाना	22.40	1.12	3.36
10.	डि0कमि0 खण्ड 2 खतौली	1	2012-13 (जनवरी 2015)	सैण्ड ग्रेट	2.50	0.28	0.84
		1	2011-12 (फरवरी 2015)	स्क्रेप	5.00	0.20	0.60
		1	2010-11 (मार्च 2014)	कामर्शियल गैस	3.65	0.46	1.38
		1	2012-13 (मई 2014)	कोयला	11.54	0.46	1.38
		1	2013-14 (जुलाई 2014)	कोयला	7.18	0.29	0.87
11.	ज्वा0कमि0 (का0 स0) I लखनऊ	1	2011-12 (दिसम्बर 2014)	आटो पार्ट्स	86.00	11.61	34.83
12.	डि0कमि0 खण्ड 1 मुजफ्फरनगर	1	2011-12 (जून 2014)	आयरन स्क्रेप	4.00	0.16	0.48
13.	डि0कमि0 खण्ड 1 नजीबाबाद	1	2011-12 (नवम्बर 2012)	क्रस्ड ग्रेट	8.75	0.48	1.44
14.	डि0कमि0 खण्ड 2 नोएडा	1	2009-10 (मार्च 2014)	प्रिंटिंग इंक	274.17	13.71	41.13
15.	डि0कमि0 खण्ड 3 नोएडा	1	2011-12 (अप्रैल 2013)	मोबाइल	11.00	1.02	3.06
16.	डि0कमि0 खण्ड 7 नोएडा	1	2011-12 (जून 2014)	कम्प्यूटर पार्ट्स एवं पेरीफेरल्स	2.00	0.10	0.30
				सिक्वियरिटी सिस्टम	10.00	1.35	4.05
17.	डि0कमि0 खण्ड 1 रायबरेली	1	2009-10 (मई 2013)	एम0एस0 ऐन्गिल/स्क्रेप	40.00	1.60	4.80
18.	असि0कमि0 खण्ड 6 सहारनपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	किराना	5.60	0.22	0.66
			2009-10 (मार्च 2012)		12.50	0.54	1.62
योग		24			2,576.71	82.67	248.01

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-VI
स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.17.4)

(₹ लाख में)						
क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	आरोपणीय अर्धदण्ड
1.	डि०कमि० 2 अम्बेडकर नगर	1	2011-12 (फरवरी 2012)	0.60	141	0.12
2.	डि०कमि० खण्ड 2 बाराबंकी	1	2010-11 (मार्च 2014)	1.59	05 से 48	0.32
3.	डि०कमि० खण्ड 1 बरती	1	2010-11 (जुलाई 2013)	8.00	10 से 40	1.60
			2011-12 (जुलाई 2013)	35.63	05 से 11	7.13
		1	2010-11 (अक्टूबर 2013)	5.72	10 से 132	1.14
		1	2011-12 (फरवरी 2015)	11.32	15 से 24	2.26
4.	डि०कमि० खण्ड 1 बुलंदशहर	1	2011-12 (दिसम्बर 2014)	3.50	08 से 61	0.70
		1	2011-12 (मार्च 2015)	21.43	153 से 285	4.29
5.	ज्वा०कमि० (का० स०) I गाजियाबाद	1	2011-12 (मार्च 2015)	20.37	10	4.07
6.	डि०कमि० खण्ड 2 गाजियाबाद	1	2010-11 (मार्च 2014)	44.79	05 से 08	8.96
7.	डि०कमि० खण्ड 3 गाजियाबाद	1	2010-11 (जनवरी 2014)	17.82	1,059 से 1,077	3.56
8.	डि०कमि० खण्ड 5 गोरखपुर	1	2010-11 (अक्टूबर 2013)	2.65	40 से 111	0.53
9.	डि० कमि० खण्ड 27 कानपुर	1	2010-11 (सितम्बर 2013)	6.50	08	1.30
10.	डि०कमि० खण्ड 2 खतौली	1	2012-13 (जनवरी 2015)	3.00	38	0.60
11.	डि०कमि० खण्ड 9 लखनऊ	1	2010-11 (जनवरी 20104)	17.51	06 से 11	3.50
		1	2009-10 (मई 2012)	11.45	05 से 11	2.29
		1	2009-10 (मार्च 2014)	6.95	07	1.39
12.	डि०कमि० खण्ड 19 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2013)	3.08	08 से 13	0.62
13.	डि०कमि० खण्ड 12 मेरठ	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	5.74	05 से 15	1.15
14.	असि०कमि० खण्ड 12 मेरठ	1	2009-10 (मार्च 2013)	3.00	161 से 222	0.60
15.	डि०कमि० खण्ड 3 मिर्जापुर	1	2010-11 (मार्च 2014)	26.11	07 से 13	5.22
16.	डि०कमि० खण्ड 1 नजीबाबाद	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	38.32	06 से 17	7.66
		1	2008-09 (मार्च 2012)	4.90	06 से 08	0.98
17.	डि०कमि० खण्ड 2 नोएडा	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	1.58	05 से 06	0.37
18.	असि०कमि० खण्ड 2 नोयडा	1	2009-10 (अक्टूबर 2013)	2.70	27 से 30	0.54

(₹ लाख में)						
क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	आरोपणीय अर्धदण्ड
19.	डि०कमि० खण्ड 3 नोएडा	1	2011-12 (जनवरी 2015)	5.80	06 से 33	1.16
20.	डि०कमि० खण्ड 9 नोयडा	1	2009-10 (मई 2013)	5.55	06 से 07	1.11
21.	डि०कमि० खण्ड 14 नोएडा	1	2010-11 (मार्च 2014)	16.18	12 से 41	3.24
		1	2010-11 (नवम्बर 2013)	11.40	05 से 09	2.28
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	8.94	06 से 20	1.79
22.	डि०कमि० खण्ड 1 रायबरेली	1	2010-11 (फरवरी 2014)	1.33	05 से 34	0.27
			2011-12 (मार्च 2015)	0.92	10 से 79	0.18
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	2.00	09	0.40
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	1.38	05 से 18	0.28
23.	डि०कमि० खण्ड 1 रामपुर	1	2010-11 (सितम्बर 2013)	7.40	05	1.48
			2009-10 (मार्च 2014)	63.46	05 से 40	12.69
			2010-11 (मार्च 2014)	75.93	07 से 104	15.18
24.	डि०कमि० खण्ड 4 शाहजहाँपुर	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	34.08	24 से 28	6.82
25.	डि०कमि० खण्ड 1 सिद्धार्थनगर	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	2.87	05 से 10	0.57
		1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	4.07	06 से 13	0.81
26.	डि०कमि० खण्ड 1 सोनमद्र	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	2.58	67	0.52
		1	2008-09 (मई 2012)	4.15	30 से 91	0.83
27.	डि०कमि० खण्ड 2 उन्नाव	1	2011-12 (सितम्बर 2013)	4.06	10	0.81
योग		40		556.36		111.32

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-VII
स्वीकृत कर के विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.18.2)

							(₹ लाख में)
क्र०सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	विलम्ब से जमा की गयी धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	ब्याज की दर (प्रतिशत)	वसूल न की गयी ब्याज की धनराशि
1.	ज्वा०कमि० (का० स०) गौतमबुद्धनगर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	324.67	60 से 1048	15	12.68
		1	2008-09 (जनवरी 2012)	148.77	69 से 99	15	5.34
2.	ज्वा०कमि० (का० स०)-I गाजियाबाद	1	2011-12 (मार्च 2015)	26.94	11 से 220	15	1.09
3.	ज्वा०कमि० (का० स०)-II गाजियाबाद	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	22.23	999	15	9.17
4.	ज्वा०कमि० (का० स०) गोरखपुर	1	2010-11 (मार्च 2014)	6.29	340	15	0.89
5.	ज्वा०कमि० (का० स०)-II कानपुर	1	2009-10 (मई 2012)	50.15	831	15	17.15
		1	2009-10 (मार्च 2013)	18.11	30 से 300	15	1.30
6.	डि०कमि० खण्ड 11 कानपुर	1	2008-09 (मई 2012)	2.36	1,384	15	1.35
7.	डि०कमि० खण्ड 5 लखनऊ	1	2011-12 (जनवरी 2015)	0.28	1,230	15	0.14
		1	2011-12 (जनवरी 2015)	0.19	1,261	15	0.09
8.	डि०कमि० खण्ड 3 सोनभद्र	1	2008-09 (सितम्बर 2014)	0.68	2,310	15	0.10
			2009-10 (नवम्बर 2014)	1.30	1,950	15	0.19
			2010-11 (नवम्बर 2014)	1.65	1,590	15	0.25
			2011-12 (सितम्बर 2014)	1.65	1,230	15	0.25
			2012-13 (जून 2014)	1.78	870	15	0.28
			2013-14 (जून 2014)	1.85	510	15	0.29
		1	2010-11 (फरवरी 2014)	0.37	1,055 से 1,143	15	0.08
9.	असि०कमि० खण्ड 3 सोनभद्र	1	2011-12 (मार्च 2015)	5.99	20 से 171	15	0.22
10.	डि०कमि० खण्ड 2 उन्नाव	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.06	1,050	15	0.90
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	2.77	1,002	15	1.16
		1	2008-09 (मार्च 2012)	1.37	1,049	15	0.60
योग		16		621.46			53.52

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-VIII
कर की गलत दर लगाये जाने से कर का न/कम आरोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.5.1.1)

(₹ लाख में)									
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर		
1.	डि०कमि० खण्ड 4 इलाहाबाद	1	2010-11 (मार्च 2013)	वाशिंग सोप (V)	10.19	13.5/5	0.87		
		1	2011-12 (दिसम्बर 2013)	ओल्ड मोटर पार्ट्स (V)	21.80	13.5/5	1.85		
2.	डि०कमि० खण्ड 11 इलाहाबाद	1	2010-11 (अगस्त 2013)	टाफी (कन्फेक्शनरी) (V)	98.84	13.5/5	8.06		
3.	डि०कमि० खण्ड 12 इलाहाबाद	1	2010-11 (नवम्बर 2013)	प्रिपेयर्ड चाय, काफी एवं बेकरी प्रोडक्ट्स (V)	6.05	13.5/5	0.51		
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	सेट टाप बाक्स (V)	125.31	13.5/5	10.65		
		1	2010-11 (नवम्बर 2013)	कुक्ड फूड (V)	12.92	13.5/0	1.74		
4.	असि०कमि० खण्ड 12 इलाहाबाद	1	2010-11 (मार्च 2013)	यू०एस०बी० पोर्ट (V)	18.36	13.5/5	1.56		
		1	2010-11 (मार्च 2013)	मोटर पार्ट्स (V)	30.28	13.5/5	2.57		
5.	असि०कमि० खण्ड 1 बदायूँ	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	6.01	13.5/5	0.51		
6.	असि०कमि० खण्ड 3 बहराइच	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	14.73	12.5/4	1.25		
		1	2008-09 (अगस्त 2011)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	36.58	12.5/4	3.11		
		1	2009-10 (नवम्बर 2012)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	3.54	12.5/4	0.30		
					13.11	13.5/4.5	1.18		
					0.93	13.5/5	0.08		
		1	2008-09 (अगस्त 2011)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	20.38	12.5/4	1.73		
					2009-10 (नवम्बर 2012)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	12.10	12.5/4	1.03
							39.52	13.5/4.5	3.56
		1	2009-10 (नवम्बर 2012)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	4.10	13.5/5	0.34		
					3.62	12.5/4	0.31		
					20.71	13.5/4.5	1.86		
		1	2009-10 (नवम्बर 2012)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	0.20	13.5/5	0.02		
44.85	12.5/4				3.81				
37.57	13.5/4.5				3.38				
7.	असि०कमि० खण्ड 1 बरस्ती	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	टाफी (V)	7.42	12.5/4	0.63		
			2008-09 (मई 2012)	टाफी (V)	21.47	12.5/4	1.82		
8.	डि०कमि० खण्ड 3 बुलन्दशहर	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	सेटेलाइट बाक्स (V)	105.41	13.5/5	8.96		
9.	डि०कमि० खण्ड 4 बुलन्दशहर	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	टाफी (V)	16.09	13.5/5	1.37		
10.	डि०कमि० खण्ड 1 फतेहपुर	1	2010-11 (जुलाई 2013)	टाफी (V)	9.44	13.5/5	0.80		
11.	असि०कमि० खण्ड 2 फतेहपुर	1	2010-11 (जनवरी 2013)	मशीनरी पार्ट्स (V)	18.59	13.5/5	1.58		

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
12.	असि०कमि० खण्ड 2 जी०बी० नगर	1	2010-11 (मार्च 2014)	मेटल कम्पोनेन्ट (V)	12.79	13.5/0	1.73
13.	असि०कमि० खण्ड 2 जी०बी० नगर	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	ए०सी० पार्ट्स (V)	19.46	13.5/5	1.65
		1	2008-09 (जून 2012)	इलेक्ट्रिक साकेट्स (V)	3.60	12.5/4	0.31
14.	डि०कमि० खण्ड 3 जी०बी० नगर	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	इण्डस्ट्रियल फैन (V)	8.38	12.5/4	0.71
		1	2009-10 (सितम्बर 2013)	मशीनरी (V)	8.05	12.5/4	0.64
15.	असि०कमि० खण्ड 3 जी०बी० नगर	1	2010-11 (जनवरी 2014)	एंगल बोर्ड एवं एजप्रोटेक्टर (V)	15.22	13.5/5	1.29
16.	असि०कमि० खण्ड 4 गाजियाबाद	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	फलाई ऐश ब्रिक्स (V)	12.20	12.5/4	1.04
					17.05	13.5/4.5	1.53
		1	2009-10 (मई 2013)	सेट टाप बाक्स (V)	18.40	12.5/4	1.56
				32.35	13.5/4.5	2.91	
17.	डि०कमि० खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2010-11 (मार्च 2014)	प्लांट एवं मशीनरी (ओल्ड) (II)	147.94	5/0	7.40
		1	2010-2011 (फरवरी 2014)	व्हाइट सीमेन्ट (V)	63.46	15.5/13.5	1.27
18.	असि०कमि० खण्ड 6 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	9.54	13.5/5	0.81
19.	डि०कमि० खण्ड 9 गाजियाबाद	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	इलेक्ट्रानिक स्पेयर पार्ट्स (V)	36.40	13.5/5	3.10
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	मोटर पार्ट्स (V)	8.78	13.5/0	1.18
20.	असि०कमि० खण्ड 9 गाजियाबाद	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	इलेक्ट्रिक स्विच (V)	8.37	13.5/5	0.71
21.	असि०कमि० खण्ड 12 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2012)	कास्टिंग मशीनरी (V)	5.39	12.5/4	0.46
					25.28	13.5/4.5	2.27
					1.45	13.5/5	0.12
22.	असि०कमि० खण्ड 14 गाजियाबाद	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	हैण्डमेड बोर्ड (V)	0.42	12.5/4	0.04
					4.53	13.5/4.5	0.41
					0.60	13.5/5	0.05
23.	असि०कमि० खण्ड 4 गोण्डा	1	2010-11 (नवम्बर 2013)	हार्डवेयर (II)	0.94	5/4	0.01
					13.28	13.5/5	1.23
24.	असि०कमि० गुलावटी	1	2009-10 (मई 2013)	कोल्ड ड्रिक्स (V)	3.23	12.5/4	0.27
					6.22	13.5/4.5	0.56
					0.58	13.5/5	0.05
25.	डि०कमि० खण्ड 1 हापुड़	1	2010-11 (मार्च 2013)	रेलवे पार्ट्स (II)	182.09	5/4	1.82
26.	डि०कमि० खण्ड 2 हापुड़	1	2008-09 (मार्च 2012)	विनियर वेस्ट (II)	14.77	4/0	0.59
			2009-10 (फरवरी 2013)	विनियर वेस्ट (II)	6.09	5/0	0.30
			2010-11 (दिसम्बर 2013)	विनियर वेस्ट (II)	1.10	5/0	0.06
27.	असि०कमि० खण्ड 4 हापुड़	1	2009-10	कम्बल (V)	1.58 (प्रा०)	12.5/4	0.13

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
			(फरवरी 2013)		27.61 (प्रा०)	13.5/4.5	2.48
					10.47 (क०)	13.5/4.5	0.94
28.	असि०कमि० खण्ड 4 जोनपुर	1	2009-10 (मई 2013)	मैगी नूडल्स (V)	2.31	12.5/4	0.20
					11.66	13.5/4.5	1.05
					1.40	13.5/5	0.12
29.	ज्वा०कमि० (का०स०) झॉंसी	1	2008-09 (मई 2013)	सीमेन्ट पाइप (V)	116.00	12.5/4	9.86
30.	डि०कमि० खण्ड 1 झॉंसी	1	2007-08 (वैट) (मई 2011)	शरबत (V)	1.65	12.5/4	0.14
			2008-09 (मार्च 2012)	शरबत (V)	8.56	12.5/4	0.73
31.	डि०कमि० खण्ड 6 झॉंसी	1	2009-10 (मार्च 2013)	मशीनरी पार्ट्स (V)	32.11	13.5/4.5	2.89
		1	2010-11 (नवम्बर 2013)	माइनिंग मशीनरी (II)	31.00	5/0	1.56
32.	डि०कमि० खण्ड 1 कानपुर	1	2009-10 (दिसम्बर 2013)	मेडिसिन (II)	345.37	5/4.5	1.73
33.	असि०कमि० खण्ड 1 कानपुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2012)	घड़ियां (V)	87.43	12.5/1	10.05
34.	असि०कमि० खण्ड 3 कानपुर	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	सैडलरी (V)	3.55	12.5/4	0.30
			2008-09 (जून 2012)	सैडलरी (V)	12.13	12.5/4	3.58
		1	2009-10 (मार्च 2013)	चाय एवं समोसा (V)	18.63	13.5/4.5	1.68
35.	असि०कमि० खण्ड 5 कानपुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	राइस मशीनरी (V)	7.14	13.5/5	0.61
36.	डि०कमि० खण्ड 8 कानपुर	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	स्टोन डस्ट (V)	2.73	13.5/5	0.23
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	बीड़ी एवं टोबैको (V)	5.60	13.5/5	0.48
37.	असि०कमि० खण्ड 19 कानपुर	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	टिम्बर प्रोडक्ट्स (V)	8.21	12.5/4	0.70
					4.10	13.5/4.5	0.37
					6.30	13.5/5	0.54
38.	असि०कमि० खण्ड 23 कानपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	पाइप एवं फिटिंग्स (V)	11.56	12.5/4	0.98
39.	डि०कमि० खण्ड 26 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	टाफी (V)	27.59	12.5/4	2.35
			2009-10 (जनवरी 2013)	टाफी (V)	5.49	12.5/4	0.47
					27.40	13.5/4.5	2.47
					8.26	13.5/5	0.70
40.	डि०कमि० खण्ड 28 कानपुर	1	2010-11 (मार्च 2014)	प्लांट एवं मशीनरी (ओल्ड) (II)	19.21	5/0	0.96
41.	डि०कमि० खण्ड 29 कानपुर	1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	ओल्ड मशीनरी (II)	14.20	5/0	0.71
42.	डि०कमि० वा०क० लखीमपुर खीरी	1	2010-11 (जनवरी 2014)	माइक्रो न्यूट्रीएण्ट्स (II)	10.37	5/0	0.52
43.	असि०कमि० खण्ड 22	1	2009-10	कैनोपी (V)	9.08	12.5/4	0.77

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

							(₹ लाख में)
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
	लखनऊ		(दिसम्बर 2013)		18.69	13.5/4.5	1.69
		1	2009-10 (फरवरी 2013)		0.88	13.5/5	0.06
					0.46	13.5/5	0.04
44.	असि0कमि0 खण्ड 3 मथुरा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	आटोमोबाइल पार्ट्स (V)	9.64	12.5/4	0.82
45.	डि0कमि0 खण्ड 1 मेरठ	1	2010-11 (मार्च 2014)	एल्युमिनियम फवाइल (V)	231.60	13.5/5	19.69
46.	डि0कमि0 खण्ड 2 मेरठ	1	2010-11 (नवम्बर 2013)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	1.98	13.5/5	0.17
47.	डि0कमि0 खण्ड 4 मेरठ	1	2010-11 (मार्च 2014)	प्लाण्ट एवं मशीनरी (II)	4.43	5/0	0.22
48.	डि0कमि0 खण्ड 5 मेरठ	1	2010-11 (मार्च 2014)	लोडर कम सुगर केन ग्रैबलर (V)	115.82	13.5/5	9.84
49.	डि0कमि0 खण्ड 7 मेरठ	1	2009-10 (फरवरी 2013)	ट्रान्सफार्मर पार्ट्स (V)	6.00	13.5/4.5	0.54
50.	डि0कमि0 खण्ड 8 मेरठ	1	2008-09 (अक्टूबर 2013)	ट्रान्सफार्मर पार्ट्स (V)	48.86	12.5/4	4.11
51.	असि0कमि0 खण्ड 10 मेरठ	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	मशीनरी (V)	4.82	12.5/4	0.41
					9.65	13.5/4.5	0.87
					0.62	13.5/5	0.05
52.	डि0कमि0 खण्ड 1 मुरादाबाद	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	हैण्डिक्राफ्ट आर्ट वेयर विद वैक्स टी लाइट (V)	20.26	13.5/4.5	1.82
			2010-11 (मार्च 2014)		56.10	13.5/5	6.59
53.	असि0कमि0 खण्ड 3 मुरादाबाद	1	2010-11 (फरवरी 2013)	इलेक्ट्रानिक इक्विपमेन्ट एवं सिम्योरिटी सिस्टम (V)	14.58	13.5/5	1.24
54.	ज्वा0कमि0 (का0स0) रेंज ए नोएडा	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	पेन ड्राइव (V)	5.36	13.5/4.5	0.48
					33.06	13.5/4.5	2.98
					2.14	13.5/5	0.18
55.	डि0कमि0 खण्ड 1 नोएडा	1	2009-10 (मार्च 2013)	साउण्ड कैनोपी (V)	1.06 (प्रा0)	12.5/4	0.09
					3.49 (प्रा0)	13.5/4.5	0.30
					4.47 (के0)	13.5/5	0.38
					1.20 (के0)	12.5/4	0.10
					4.13 (के0)	13.5/4.5	0.37
			2010-11 (जनवरी 20104)		2.27 (प्रा0)	13.5/5	0.19
					1.55 (के0)	13.5/5	0.13
					1.40 (के0)	13.5/5	0.12
56.	असि0कमि0 खण्ड 1 नोएडा	1	2010-11 (मार्च 2014)	पावर टूल्स के स्पेयर पार्ट्स (V)	34.88	13.5/5	2.96
57.	डि0कमि0 खण्ड 5 नोएडा	1	2010-11 (मार्च 2014)	माइक्रो एस0डी0 कार्ड (V)	206.91	13.5/5	17.59
58.	असि0कमि0 खण्ड 5 नोएडा	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	माइक्रो एस0डी0 कार्ड (V)	440.92	13.5/4.5	39.68

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
59.	डि०कमि० खण्ड 12 नोएडा	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	मशीनरी पार्ट्स (V)	41.43	12.5/4	3.52
			2010-11 (दिसम्बर 2013)		31.36	13.5/5	2.67
60.	डि०कमि० खण्ड 13 नोएडा	1	2011-12 (मार्च 2014)	होम फर्नीशिंग गुड्स (V)	10.69	13.5/5	0.91
					5.65	13.5/5	0.48
61.	डि०कमि० खण्ड 3 उरई (जालौन)	1	2010-11 (जनवरी 2014)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	5.57	13.5/5	0.75
62.	डि०कमि० खण्ड 3 पीलीभीत	1	2009-10 (फरवरी 2013)	बिस्किट, टाफी (V)	3.26	12.5/4	0.28
					35.41	13.5/4.5	3.19
					4.71	13.5/5	0.40
63.	डि०कमि० खण्ड 1 सहारनपुर	1	2010-11 (फरवरी 2014)	डिश टी०वी० (V)	28.80	13.5/5	2.45
64.	असि०कमि० खण्ड 4 सीतापुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	मशीनरी पार्ट्स (V)	1.71	12.5/4	0.15
					12.76	13.5/4.5	1.15
					2.16	13.5/5	0.18
65.	डि०कमि० खण्ड 2 सुल्तानपुर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	3.64	12.5/4	0.31
					27.35	13.5/4.5	2.46
					3.83	13.5/5	0.33
			2010-11 (अप्रैल 2013)	ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	42.67	13.5/5	3.63
66.	ज्वा०कमि० (का०स०) वाराणसी	1	2010-11 (अप्रैल 2012)	मोटर पार्ट्स (V)	7.55	13.5/0	1.02
67.	असि०कमि० खण्ड 9 वाराणसी	1	2010-11 (मार्च 2013)	डीजल इन्जन पार्ट्स (V)	25.09	13.5/5	2.13
68.	डि०कमि० खण्ड 21 वाराणसी	1	2010-11 (मार्च 2014)	राइस ब्रान (II)	92.71	5/4	0.93
योग		86			4,000.87		292.51

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-IX

माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर का न/कम आरोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.5.1.2)

(₹ लाख में)								
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय /आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर	
1	ज्वा०कमि० (का०स०) जी०बी० नगर	1	2010-11 (जनवरी 2014)	लोडर (हैवी अर्थ मूविंग मशीन) को मशीनरी माना गया	798.37	14.5 / 13.5	7.98	
					2,396.52	14.5 / 13.5	23.97	
2	असि०कमि० खण्ड 13 गाजियाबाद	1	2010-2011 (अगस्त 2013)	टेक्सटाइल मेड अप को टेक्सटाइल माना गया	35.25	5 / 0	1.76	
3	डि०कमि० खण्ड 28 कानपुर	1	2010-11 (अक्टूबर 2013)	लेमिनेटेड नान वोवेन फैब्रिक को नान वोवेन फैब्रिक माना गया	967.20	13.5 / 5	82.21	
4	डि०कमि० खण्ड 20 लखनऊ	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	कम्बल को टेक्सटाइल मेड अप माना गया	93.95	13.5 / 4.5	8.46	
					85.10	13.5 / 5	7.23	
5	डि०कमि० खण्ड 21 लखनऊ	1	2010-11 (मार्च 2014)	एप्रन को रेडीमेड गारमेन्ट माना गया	34.12	13.5 / 5	2.90	
		1	2010-11 (दिसम्बर 2013)	डीटाल लिक्विड को इन्सेक्टिसाइड माना गया	272.73	13.5 / 5	23.18	
6	असि०कमि० खण्ड 21 लखनऊ	1	2009-10 (जनवरी 2013)	अस्पताल की डिस्पोजल गुड्स को मेडिकल डिवाइस माना गया	0.97	12.5 / 4	0.08	
					6.98	13.5 / 4.5	0.63	
			2010-11 (मार्च 2014)		0.67	13.5 / 5	0.06	
					7.05	13.5 / 5	0.60	
7	असि०कमि० खण्ड 22 लखनऊ	1	2009-10 (फरवरी 2013)	लेपाक्स मल्टीग्रिप को केमिकल माना गया	0.70	12.5 / 4	0.06	
					27.10	13.5 / 4.5	2.44	
					11.15	13.5 / 5	0.95	
					0.31	13.5 / 5	0.03	
8	असि०कमि० खण्ड 5 मथुरा	1	2009-10 (फरवरी 2013)	हार्न (आटोमाबाइल पार्ट्स) को स्पीकर माना गया	1.22	12.5 / 4	0.10	
					3.50	13.5 / 4.5	0.31	
			2010-11 (मई 2013)		0.53	13.5 / 5	0.05	
					3.04	13.5 / 5	0.26	
		1	2009-10 (फरवरी 2013)		कार्मेटिक्स को मेडिसिन माना गया	1.50	12.5 / 4	0.13
						8.26	13.5 / 4.5	0.74
				0.94	13.5 / 5	0.08		
9	डि०कमि० खण्ड 13 नोएडा	1	2008-09 (मई 2012)	पावर कार्ड को टी०वी० पार्ट्स माना गया	954.54	12.5 / 4	81.14	
			2009-10 (अप्रैल 2013)		161.64	13.5 / 5	13.74	
					653.42	13.5 / 4.5	58.81	
					151.82	13.5 / 5	12.90	
योग		11			6,678.58	330.80		

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-X
कर का विलम्ब से जमा होना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.6.2)

(₹ लाख में)						
क0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि	बिलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0कमि0 खण्ड 19 आगरा	1	2011-12 (मार्च 2014)	4.56	9 से 49	0.50
2	डि0कमि0 खण्ड 2 इलाहाबाद	1	2008-09 (सितम्बर 2013)	41.79	32 से 121	8.36
3	असि0कमि0 खण्ड 14 इलाहाबाद	1	2008-09 (मार्च 2013)	2.61	275 से 306	0.52
4	डि0कमि0 खण्ड 3 बागपत	1	2008-09 (मार्च 2013)	10.97	14 से 30	2.19
5	डि0कमि0 खण्ड 3 बरेली	1	2010-11 (मार्च 2014)	8.06	19	1.61
6	डि0कमि0 खण्ड 2 फतेहपुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2010)	5.65	420 से 634	1.13
7	डि0कमि0 खण्ड 2 जी बी नगर	1	2009-10 (मई 2013)	89.17	20	17.83
8	डि0कमि0 खण्ड 3 जी बी नगर	1	2009-10 (अप्रैल 2014)	67.93	8 से 38	13.59
		1	2009-10 (अक्टूबर 2013)	7.44	17	1.48
9	डि0कमि0 खण्ड 4 हापुड	1	2010-11 (जनवरी 2014)	13.59	162	2.71
10	डि0कमि0 खण्ड 1 लखनऊ	1	2010-11 (मार्च 2014)	27.04	19 से 40	5.41
11	असि0कमि0 खण्ड 1 लखनऊ	1	2009-10 (नवम्बर 2012)	3.41	6 से 11	0.68
		1	2009-10 (मार्च 2014)	2.51	9 से 33	0.50
12	डि0कमि0 खण्ड 7 लखनऊ	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	2.78	1,293 से 1,303	0.56
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	112.23	8	22.45
13	असि0कमि0 खण्ड 7 लखनऊ	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	9.09	5 से 41	1.82
14	डि0कमि0 खण्ड 11 लखनऊ	1	2010-11 (जनवरी 2014)	6.58	24	1.32
15	डि0कमि0 खण्ड 14 लखनऊ	1	2009-10 (नवम्बर 2012)	3.46	4 से 62	0.69
16	डि0कमि0 खण्ड 5 मेरठ	1	2010-11 (फरवरी 2014)	10.2	6 से 36	2.04
		1	2010-11 (मार्च 2014)	20.78	5 से 19	4.16
17	डि0कमि0 खण्ड 7 मेरठ	1	2008-09 (मई 2012)	21.66	10 से 43	4.33
18	डि0कमि0 सरधना मण्डल मेरठ	1	2010-11 (मार्च 2014)	16.61	6 से 90	3.32
		1	2010-11 (मार्च 2014)	1.99	6 से 9	0.40
		1	2010-11 (मार्च 2014)	1.86	6 से 9	0.37
19	ज्वा0कमि0 (का0स0) रेन्ज ए नोएडा	1	2010-11 (मार्च 2014)	3.21	36	0.64
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	18.39	63	3.67
20	डि0कमि0 खण्ड 4 नोएडा	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	5.72	15 से 68	1.14

क0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	(₹ लाख में)		
				स्वीकृत कर की धनराशि	बिलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
21	डि0कमि0 खण्ड 5 नोएडा	1	2008-09 (मार्च 2014)	7.85	81	1.57
22	डि0कमि0 खण्ड 8 नोएडा	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	8.08	6 से 15	1.62
23	असि0कमि0 खण्ड 12 नोएडा	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	7.48	20 से 40	1.49
24	असि0कमि0 खण्ड 13 नोएडा	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	1.94	132 से 294	0.39
		1	(2009-10 (अप्रैल 2013)	10.15	9 से 19	2.03
25	डि0कमि0 खण्ड 1 पडरौना	1	2008-09 (मई 2012)	8.96	5 से 23	1.79
26	डि0कमि0 खण्ड 3 शाहजहाँपुर	1	2009-10 (फरवरी 2014)	64.40	9	12.88
27	ज्वा0कमि0 (का0स0) 2 वाराणसी सोनभद्र	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	5.97	345 से 557	1.19
योग		35		634.12		126.38

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XI
प्रवेश कर का न/कम आरोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.7.2)

(₹ लाख में)									
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	करयोग्य टर्नओवर	आरोपणीय प्रवेश कर की दर (प्रति शत)	आरोपणीय प्रवेश कर	आरोपित प्रवेश कर	आरोपित नहीं किया गया प्रवेश कर
1	ज्वा०कमि० (का०स०) आगरा	1	2011-12 (मार्च 2015)	सी०आर० स्ट्रिप्स	51.80	5	2.59	0	2.59
2	डि०कमि० खण्ड 1 इलाहाबाद	1	2011-12 (अक्टूबर 2013)	गुटखा	291.86	5	14.59	0	14.59
3	डि०कमि० खण्ड 12 इलाहाबाद	1	2010-11 (मार्च 2014)	काफ़्ट पेपर	37.15	2	0.74	0	0.74
			2010-11 (फरवरी 2014)	स्टील स्ट्रक्चर	145.62	1	1.46	0	1.46
			2009-10 (फरवरी 2014)	टिपर वैहिकल	90.25	1	0.90	0	0.90
4	डि०कमि० खण्ड 2 फतेहपुर	1	2008-09 (मार्च 2013)	फर्नेश आयल	34.80	5	1.74	0	1.74
				कूड आयल	29.65	4	1.19	0	1.19
			2009-10 (जून 2012)	फर्नेश आयल	19.66	5	0.98	0	0.98
		1	2009-10 (नवम्बर 2011)	आयरन स्टील	63.44	1	0.63	0	0.63
5	ज्वा०कमि० (का०स०) गाजियाबाद	1	2011-12 (जनवरी 2015)	स्टील बार एण्ड राड	104.00	5	5.20	1.04	4.16
6	डि०कमि० खण्ड 4 हापुड	1	2009-10 (फरवरी 2013)	आयरन लीफ सिंग	482.63	1	4.83	0	4.83
7	डि०कमि० खण्ड 9 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	एल्युमिनियम प्रोफाइल	25.37	2	0.51	0	0.51
8	डि०कमि० खण्ड 22 लखनऊ	1	2009-10 (जनवरी 2013)	स्टील स्ट्रक्चर	167.63	1	1.68	0	1.68
9	डि०कमि० खण्ड 4 मेरठ	1	2010-11 (मार्च 2014)	चारकोल	170.56	2	3.41	3.06	0.35
			2009-10 (अप्रैल 2012)	चारकोल	162.02	2	3.24	0	3.24
10	डि०कमि० खण्ड 7 नोएडा	1	2011-12 (जनवरी 2015)	आयरन एण्ड स्टील	18.44	5	0.92	0.18	0.74
			2011-12 (मार्च 2015)	आयरन एण्ड स्टील	31.20	5	1.56	0.31	1.25
			2011-12 (फरवरी 2015)	आयरन एण्ड स्टील	146.82	5	7.34	0	7.34
11	डि०कमि० खण्ड 2 शाहजहाँपुर	1	2010-11 (अक्टूबर 2013)	सिगरेट	15.44	5	0.77	0	0.77
12	डि०कमि० खण्ड 1 सीतापुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	मोटर साइकिल	1,152.53	1	11.53	0	11.53
13	डि०कमि० खण्ड 21 वाराणसी	1	2008-09 (जून 2012)	आयरन स्टील	2,444.47	1	24.44	13.90	10.54
			2009-10 (जून 2012)	आयरन स्टील	2,404.00	1	24.04	6.63	17.41
				मशीनरी	74.50	2	1.49	0	1.49
योग		18			8,163.84		115.78	25.12	90.66

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट—XII
घोषणा पत्रों का दुरुपयोग
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.8)

								(₹ लाख में)
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं०	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	पंजीकरण प्रमाणपत्र से अनाच्छादित वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर (प्रतिशत)	अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०कमि० खण्ड 2 चन्दौली	1	2010-11 (जून 2014)	फर्नीचर	3.23	13.5	20.25	0.65
2	डि०कमि० खण्ड 1 धामपुर	1	2008-09 (जून 2012)	मेटल डिटेक्टर	2.79	12.5	18.75	0.52
3	ज्वा०कमि० (का०स०) आयल सेक्टर लखनऊ	1	2009-10 (मई 2013)	एक्वागार्ड	7.62	10	15	1.14
4	डि०कमि० खण्ड 7 मेरठ	1	2010-11 (मार्च 2014)	मशीनरी एवं डी०जी०सेट	26.09	13.5	20.25	5.28
5	डि०कमि० खण्ड 9 मुरादाबाद	1	2010-11 (मार्च 2014)	जे०सी०बी० मशीन	40.85	13.5	20.25	8.27
6	ज्वा०कमि० (का०स०) नोएडा	1	2008-09 (फरवरी 2013)	रेजिन डोबीकान थिनर	169.00	4	6	10.14
7	डि०कमि० खण्ड 2 नोएडा	1	2011-12 (फरवरी 2015)	स्वायल काम्पेक्ट, जे०सी०बी०	36.50	13.5	20.25	7.39
				बाइब्रेटरी रोल्ल्स	22.17	12.5	18.75	4.16
8	असि०कमि० खण्ड 14 नोएडा	1	2010-11 (फरवरी 2014)	वैक्यूम पैक आई०डी०	3.57	13.5	20.25	0.74
				सी०सी०टी०वी०कैमरा, सोयाबीन	3.03	5	7.5	0.18
				फायर डोर, ट्रान्सफार्मर, डक्टेड स्प्लिट यूनिट	13.53	13.5	20.25	2.74
				कापर पाइप	0.41	5	7.5	0.03
योग		9			328.79			41.24

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट— XIII
ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.9)

(₹ लाख में)									
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	जमा धनराशि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत)	बिलम्ब की अवधि दिनों में	कुल आरोपणीय ब्याज	व्यापारी द्वारा जमा किया गया ब्याज	न/कम प्रभारित किया गया ब्याज
1	डि०कमि० खण्ड 9 बरेली	1	2009-10 (मार्च 2013)	2.54	15	1,247	1.30	0	1.30
2	डि०कमि० खण्ड 3 इटावा	1	2010-11 (मार्च 2014)	2.15	15	1,378	1.22	0	1.22
3	डि०कमि० खण्ड 4 फैजाबाद	1	2008-09 (अगस्त 2013)	3.16	15	1,814 से 2,179	2.54	0	2.54
4	डि०कमि० खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	1	2009-10 (जून 2013)	1.71	15	1,234	0.87	0	0.87
5	असि०कमि० खण्ड 4 गाजियाबाद	1	2009-10 (मई 2013)	298.79	15	600 से 824	73.92	0	73.92
6	ज्वा०कमि० (का० सं०) खण्ड 1 कानपुर	1	2008-09 (जून 2013)	40.59	15	582	9.71	0	9.71
		1	2008-09 (जून 2012)	753.43	15	1,095	339.04	0	339.04
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	3,806.33	15	2 से 3	4.69	0	4.69
		1	2009-10 (जून 2012)	7.57	15	1,539	4.79	0	4.79
		1	2009-10 (जून 2012)	7.32	15	467	1.41	0	1.41
		1	2009-10 (मार्च 2012)	16.75	15	157 से 405	1.75	0	1.75
7	डि०कमि० खण्ड 1 कानपुर	1	1999-2000 (अप्रैल 2013)	6.30	24	1,503 से 3,225	7.29	0	7.29
			2003-04 (अक्टूबर 2013)	6.87	24	2,432 से 2,582	11.11	0	11.11
			2004-05 (मई 2013)	10.95	24 एवं 14	2,066 से 2,216	8.80	0	8.80
			2010-11 (मई 2012)	63.61	15	9 से 608	3.00	1.40	1.60
8	डि०कमि० खण्ड 7 कानपुर		2011-12 (मार्च 2013)	105.85	15	7 से 138	0.93	0	0.93
			2009-10 (मार्च 2013)	1.95	15	1,308	1.05	0.05	1.00
9	डि०कमि० खण्ड 15 कानपुर		2008-09 (मार्च 2013)	1.34	15	1,355	0.75	0.03	0.72
		1	2008-09 (सितम्बर 2012)	1.00	15	1,431	0.59	0	0.59
			2008-09 (जून 2012)	1.08	15	1,471	0.65	0	0.65
10	डि०कमि० खण्ड 28 कानपुर	1	2010-11 (मार्च 2014)	4.39	15	1,346	2.43	0	2.43
11	डि०कमि० खण्ड 7 लखनऊ	1	2009-10 (मई 2013)	1.10	15	1,382	0.63	0	0.63
12	डि०कमि० खण्ड 10 लखनऊ	1	2011-12 (मार्च 2014)	12.15	15	670 से 675	3.36	0	3.36
			2009-10 (मई 2013)	1.39	15	1,316 से 1,365	0.75	0	0.75
13	डि०कमि० खण्ड 17 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.30	15	1,332	0.71	0	0.71
14	डि०कमि० खण्ड 18 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	23.23	15	12 से 91	0.29	0	0.29
15	ज्वा०कमि० (का० सं०) मेरठ	1	2008-09 (जून 2012)						

(₹ लाख में)									
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	जमा धनराशि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत)	बिलम्ब की अवधि दिनों में	कुल आरोपणीय ब्याज	व्यापारी द्वारा जमा किया गया ब्याज	न/कम प्रभारित किया गया ब्याज
			2009-10 (जून 2012)	93.97	15	5 से 116	0.69	0	0.69
		1	2009-10 (जून 2012)	33.98	15	5	0.07	0	0.07
		1	2010-11 (जून 2012)	31.15	15	10	0.13	0	0.13
		1	2009-10 (जून 2012)	16.20	15	6 से 913	5.27	0	5.27
16	डि०कमि० खण्ड 6 मेरठ	1	2008-09 (जून 2013)	1.76	15	1,634	1.18	0	1.18
17	डि०कमि० खण्ड 1 सहारनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	24.09	15	908	8.99	0	8.99
18	डि०कमि० खण्ड 3 शाहजहाँपुर	1	2009-10 (फरवरी 2014)	19.04	15	1,804	14.12	0	14.12
			2010-11 (मार्च 2014)	8.51	15	1,439	5.03	0	5.03
19	डि०कमि० खण्ड 3 सीतापुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	13.02	15	1,444	7.73	0	7.73
20	डि०कमि० खण्ड 1 सुल्तानपुर	1	2009-10 (मई 2013)	9.31	15	1,389	5.32	0	5.32
योग		30		5,433.88			532.11	1.48	530.63

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XIV
वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 4.7)

क्र० सं०	इकाई का नाम	अवधि	भारी वाहन (900 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	मध्यम वाहन (700 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	हल्के वाहन वाणिज्यिक (500 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	तीन पहिया (300 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	वाहनों की कुल संख्या	आरोपणीय स्वस्थता प्रमाण पत्र धनराशि	शास्ति (4000 की दर से)	(धनराशि ₹ में)
														कुल धनराशि
1	सं० प० अ० आगरा	नवम्बर 2013 से सितम्बर 2014	96	86,400	23	16,100	250	1,25,000	194	58,200	563	2,85,700	22,52,000	25,37,700
2	सं० प० अ० इलाहाबाद	मार्च 2014 से फरवरी 2015	174	1,56,600	12	8,400	43	21,500		—	229	1,86,500	9,16,000	11,02,500
3	सं० प० अ० बाँदा	फरवरी 2014 से जनवरी 2015	54	48,600	1	700	113	56,500	234	70,200	402	1,76,000	16,08,000	17,84,000
4	सं० प० अ० गोरखपुर	दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2014	34	30,600	12	8,400	228	1,14,000	10	3,000	284	1,56,000	11,36,000	12,92,000
5	सं० प० अ० झाँसी	अगस्त 2013 से नवम्बर 2014	177	1,59,300	—	—	108	54,000	9	2,700	294	2,16,000	11,76,000	13,92,000
6	सं० प० अ० कानपुर नगर	सितम्बर 2013 से फरवरी 2015	176	1,58,400	—	—	—	—	—	—	176	1,58,400	7,04,000	8,62,400
7	सं० प० अ० लखनऊ	जुलाई 2013 से जून 2014	371	3,33,900	25	17,500	64	32,000	—	—	460	3,83,400	18,40,000	22,23,400
8	सं० प० अ० मेरठ	नवम्बर 2013 से सितम्बर 2014	31	27,900	26	18,200	48	24,000	42	12,600	147	82,700	5,88,000	6,70,700
9	सं० प० अ० मुरादाबाद	जून 2013 से अक्टूबर 2014	45	40,500	30	21,000	55	27,500	—	—	130	89,000	5,20,000	6,09,000
10	सं० प० अ० सहारनपुर	जून 2014 से दिसम्बर 2014	2	1,800	6	4,200	315	1,57,500	—	—	323	1,63,500	12,92,000	14,55,500
11	सं० प० अ० वाराणसी	अगस्त 2013 से सितम्बर 2014	86	77,400	—	—	—	—	—	—	86	77,400	3,44,000	4,21,400
12	स० सं० प० अ० बहराइच	जून 2013 से मई 2014	59	53,100	22	15,400	178	89,000	—	—	259	1,57,500	10,36,000	11,93,500
13	स० सं० प० अ० बलिया	जुलाई 2013 से अगस्त 2014	13	11,700	18	12,600	122	61,000	83	24,900	236	1,10,200	9,44,000	10,54,200
14	स० सं० प० अ० बिजनौर	दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2014	11	9,900	2	1,400	179	89,500	—	—	192	1,00,800	7,68,000	8,68,800
15	स० सं० प० अ० बुलन्दशहर	जून 2013 से अगस्त 2014	116	1,04,400	—	—	—	—	—	—	116	1,04,400	4,64,000	5,68,400
16	स० सं० प० अ० देवरिया	जून 2013 से दिसम्बर 2013	25	22,500	10	7,000	67	33,500	74	22,200	176	85,200	7,04,000	7,89,200
17	स० सं० प० अ० फतेहपुर	जनवरी 2014 से जनवरी 2015	67	60,300	6	4,200	140	70,000	—	—	213	1,34,500	8,52,000	9,86,500
18	स० सं० प० अ० जालौन	अगस्त 2013 से सितम्बर 2014	28	25,200	5	3,500	103	51,500	—	—	136	80,200	5,44,000	6,24,200
19	स० सं० प० अ० काशीराम नगर	मार्च 2014 से फरवरी 2015	8	7,200	1	700	57	28,500	10	3,000	76	39,400	3,04,000	3,43,400
20	स० सं० प० अ० मथुरा	जनवरी 2014 से जनवरी 2015	18	16,200	8	5,600	76	38,000	68	20,400	170	80,200	6,80,000	7,60,200
21	स० सं० प० अ० मऊ	अगस्त 2013 से जुलाई 2014	11	9,900	4	2,800	105	52,500	182	54,600	302	1,19,800	12,08,000	13,27,800

क्र० सं०	इकाई का नाम	अवधि	भारी वाहन (900 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	मध्यम वाहन (700 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	हल्के वाहन वाणिज्यिक (500 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	तीन पहिया (300 प्रति वाहन)	सन्निहित धनराशि	वाहनों की कुल संख्या	आरोपणीय स्वस्थता प्रमाण पत्र धनराशि	शास्ति (4000 की दर से)	(धनराशि ₹ में)
														कुल धनराशि
22	स० सं० प० अ० प्रतापगढ़	सितम्बर 2013 से अगस्त 2014	32	28,800	33	23,100	26	13,000	—	—	91	64,900	3,64,000	4,28,900
23	स० सं० प० अ० रामपुर	दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2014	88	79,200	14	9,800	171	85,500	—	—	273	1,74,500	10,92,000	12,66,500
24	स० सं० प० अ० सन्त रवि दास नगर	जून 2013 से फरवरी 2015	54	48,600	31	21,700	146	73,000	—	—	231	1,43,300	9,24,000	10,67,300
25	स० सं० प० अ० सुल्तानपुर	माच 2014 से फरवरी 2015	125	1,12,500	118	82,600	12	6,000	—	—	255	2,01,100	10,20,000	12,21,100
	योग	जून 2013 से फरवरी 2015	1901	17,10,900	407	2,84,900	2,606	13,03,000	906	2,71,800	5,820	35,70,600	2,32,80,000	2,68,50,600

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XV

अधिक भार लदे वाहनों पर कैरेज बाई रोड अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण।
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 4.9)

क्र०सं०	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	अधिरुपित शास्ति की अवधि	मो०या०क० अधिनियम के अनुसार अधिरुपित शास्ति	सीबीआर अधिनियम के अनुसार अधिरुपित शास्ति	देय धनराशि का अन्तर	सीबीआर अधिनियम के 18(1) के अनुसार भुगतान योग्य शास्ति	भुगतान योग्य कुल धनराशि
1	सं० प० अ० आगरा	25	जून 2014 से सितम्बर 2014	2,13,000	—	2,13,000	69,000	2,82,000
2	सं० प० अ० अलीगढ़	14	सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2014	3,59,000	—	3,59,000	70,000	4,29,000
3	सं० प० अ० इलाहाबाद	24	दिसम्बर 2014 से जनवरी 2015	4,23,000	—	4,23,000	1,20,000	5,43,000
4	सं० प० अ० बाँदा	32	नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2014	7,71,000	—	7,71,000	1,60,000	9,31,000
5	सं० प० अ० फैजाबाद	11	दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2014	99,000	—	99,000	55,000	1,54,000
6	सं० प० अ० गोंडा	10	जनवरी 2014 से फरवरी 2015	1,20,000	—	1,20,000	50,000	1,70,000
7	सं० प० अ० झाँसी	59	जून 2014 से जुलाई 2014	13,20,000	—	13,20,000	2,95,000	16,15,000
8	सं० प० अ० कानपुर नगर	75	जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014	23,13,000	—	23,13,000	3,75,000	26,88,000
9	सं० प० अ० लखनऊ	127	नवम्बर 2013 से जनवरी 2014	17,99,000	—	17,99,000	6,35,000	24,34,000
10	सं० प० अ० मेरठ	28	जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014	3,59,900	—	3,59,900	1,40,000	4,99,900
11	सं० प० अ० मीरजापुर	15	जुलाई 2014 से नवम्बर 2014	2,91,000	—	2,91,000	75,000	3,66,000
12	सं० प० अ० मुरादाबाद	28	जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014	8,52,000	—	8,52,000	1,40,000	9,92,000
13	सं० प० अ० सहारनपुर	38	अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014	9,19,000	—	9,19,000	1,90,000	11,09,000
14	सं० प० अ० वाराणसी	32	दिसम्बर 2013 से अगस्त 2014	5,61,000	—	5,61,000	1,60,000	7,21,000
15	सं० प० अ० आजमगढ़	16	अगस्त 2014 से सितम्बर 2014	3,15,000	—	3,15,000	80,000	3,95,000
16	सं० प० अ० बस्ती	55	जुलाई 2013 से नवम्बर 2014	5,66,000	—	5,66,000	2,75,000	8,41,000
17	स० सं० प० अ० बलिया	15	दिसम्बर 2013 से मार्च 2014	3,21,000	—	3,21,000	75,000	3,96,000
18	स० सं० प० अ० बहराइच	120	अप्रैल 2013 से मई 2014	10,14,000	—	10,14,000	6,00,000	16,14,000
19	स० सं० प० अ० बलरामपुर	10	मई 2014 से जून 2014	2,05,000	—	2,05,000	50,000	2,55,000
20	स० सं० प० अ० बाराबंकी	77	जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014	15,14,000	—	15,14,000	3,85,000	18,99,000
21	स० सं० प० अ० बिजनौर	55	जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014	8,12,000	—	8,12,000	2,75,000	10,87,000
22	स० सं० प० अ० बुलन्दशहर	142	जून 2013 से जनवरी 2014	21,83,000	—	21,83,000	7,10,000	28,93,000
23	स० सं० प० अ० चन्दौली	61	जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014	11,23,000	—	11,23,000	3,05,000	14,28,000
24	स० सं० प० अ० देवरिया	48	जून 2013 से जून 2014	7,80,000	—	7,80,000	2,40,000	10,20,000

								(धनराशि ₹ में)
क्र०सं०	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	अधिरोपित शास्ति की अवधि	मो०या०क० अधिनियम के अनुसार अधिरोपित शास्ति	सीबीआर अधिनियम के अनुसार अधिरोपित शास्ति	देय धनराशि का अन्तर	सीबीआर अधिनियम के 18(1) के अनुसार भुगतान योग्य शास्ति	भुगतान योग्य कुल धनराशि
25	स० सं० प० अ० एटा	21	जनवरी 2014 से नवम्बर 2014	2,02,000	—	2,02,000	1,05,000	3,07,000
26	स० सं० प० अ० फतेहपुर	19	सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2014	4,98,000	—	4,98,000	95,000	5,93,000
27	स० सं० प० अ० फिरोजाबाद	11	अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2014	2,39,000	—	2,39,000	39,000	2,78,000
28	स० सं० प० अ० गौतम बुद्ध नगर	74	अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014	12,13,000	—	12,13,000	3,70,000	15,83,000
29	स० सं० प० अ० गाजीपुर	49	सितम्बर 2013 से जून 2014	8,98,000	—	8,98,000	2,45,000	11,43,000
30	स० सं० प० अ० हमीरपुर	11	जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014	1,81,000	—	1,81,000	55,000	2,36,000
31	स० सं० प० अ० हाथरस	29	फरवरी 2014 से दिसम्बर 2014	4,53,000	—	4,53,000	1,45,000	5,98,000
32	स० सं० प० अ० जालौन	26	जुलाई 2014	7,95,000	—	7,95,000	1,30,000	9,25,000
33	स० सं० प० अ० कानपुर देहात	10	मार्च 2014 से अक्टूबर 2014	3,32,000	—	3,32,000	50,000	3,82,000
34	स० सं० प० अ० कांशीराम नगर	14	जुलाई 2014 से नवम्बर 2014	2,22,000	—	2,22,000	70,000	2,92,000
35	स० सं० प० अ० कौशाम्बी	68	जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014	10,33,000	—	10,33,000	3,40,000	13,73,000
36	स० सं० प० अ० लखीमपुर खीरी	22	मार्च 2014 से दिसम्बर 2014	1,68,000	—	1,68,000	1,10,000	2,78,000
37	स० सं० प० अ० ललितपुर	23	जनवरी 2014 से नवम्बर 2014	2,69,000	—	2,69,000	1,15,000	3,84,000
38	स० सं० प० अ० मऊ	19	जनवरी 2014 से मार्च 2014	3,31,000	—	3,31,000	95,000	4,26,000
39	स० सं० प० अ० रायबरेली	34	जनवरी 2014 से फरवरी 2014	9,71,000	—	9,71,000	1,70,000	11,41,000
40	स० सं० प० अ० रामपुर	48	जून 2014 से जुलाई 2014	9,04,000	—	9,04,000	2,40,000	11,44,000
41	स० सं० प० अ० संत कबीर नगर	34	अप्रैल 2014 से जनवरी 2015	6,26,000	—	6,26,000	1,70,000	7,96,000
42	स० सं० प० अ० संत रविदास नगर	71	मार्च 2014 से फरवरी 2015	18,98,000	—	18,98,000	3,55,000	22,53,000
43	स० सं० प० अ० शाहजहांपुर	41	मई 2014 से जुलाई 2014	6,33,000	—	6,33,000	2,05,000	8,38,000
44	स० सं० प० अ० सिद्धार्थ नगर	5	फरवरी 2014 से मार्च 2014	1,18,000	—	1,18,000	25,000	1,43,000
45	स० सं० प० अ० सीतापुर	19	जनवरी 2015 से फरवरी 2015	1,76,000	—	1,76,000	95,000	2,71,000
46	स० सं० प० अ० सुल्तानपुर	10	मार्च 2014 से दिसम्बर 2014	1,72,000	—	1,72,000	50,000	2,22,000
47	स० सं० प० अ० उन्नाव	11	अप्रैल 2014 से सितम्बर 2014	3,66,000	—	3,66,000	55,000	4,21,000
		1786		3,19,30,900	—	3,19,30,900	88,58,000	4,07,88,900

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XVI

तीन माह से अधिक अभ्यर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 4.10)

क्र०सं०	इकाई का नाम	आपत्तियों की संख्या	वाहन का नाम	वाहन समर्पण की अवधि	अवधि (आरोपणीय कर)	आरोपणीय कर	आरोपणीय अतिरिक्त कर	(धनराशि ₹ में) कुल आरोपणीय कर
1	सं० प० अ० आजमगढ़	13	बस	नवम्बर 2013 से जून 2014	मार्च 2014 से नवम्बर 2014	3,01,758	—	3,01,758
2	सं० प० अ० बरेली	13	पीसी	दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2013	अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014	1,80,693	—	1,80,693
3	सं० प० अ० गोंडा	15	बस / पीसी	जून 2013 से अक्टूबर 2014	अक्टूबर 2014 से मार्च 2015	2,84,129	—	2,84,129
4	सं० प० अ० झांसी	13	बस (उप्ररासपनि)	जुलाई 2014	जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014	39,440	2,00,100	2,39,540
5	सं० प० अ० कानपुर नगर	16	बस	जुलाई 2013 से सितम्बर 2014	नवम्बर 2013 से मार्च 2015	5,61,419	—	5,61,419
6	सं० प० अ० वाराणसी	10	बस	अक्टूबर 2013 से मई 2014	फरवरी 2014 से सितम्बर 2014	1,43,219	—	1,43,219
		7	बस (उप्ररासपनि)	दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014	अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2014	38,125	2,89,050	3,27,175
7	स० सं० प० अ० बिजनौर	22	पीसी	जून 2014	अक्टूबर 2014 से नवम्बर 2014	68,244	—	68,244
8	स० सं० प० अ० फर्रुखाबाद	11	बस / पीसी	जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	नवम्बर 2013 से अगस्त 2014	3,31,313	—	3,31,313
9	स० सं० प० अ० फिरोजाबाद	13	बस	जनवरी 2014 से मई 2014	मई 2014 से दिसम्बर 2014	5,19,788	—	5,19,788
10	स० सं० प० अ० हाथरस	5	माल वाहन	दिसम्बर 2013 से मार्च 2014	अप्रैल 2014 से जनवरी 2015	1,10,585	—	1,10,585
11	स० सं० प० अ० जालौन	12	बस	जून 2013 से मार्च 2014	अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014	8,30,129	—	8,30,129
		5	ट्रक / टैंकर					
12	स० सं० प० अ० काशीराम नगर	11	बस / पीसी	दिसम्बर 2013 से अक्टूबर 2014	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	2,76,102	—	2,76,102
13	स० सं० प० अ० मथुरा	8	बस / पीसी	जून 2014 से अगस्त 2014	अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015	1,52,529	—	1,52,529
14	स० सं० प० अ० मुजफ्फरनगर	43	ट्रक	जून 2013 से मार्च 2014	अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014	5,90,480	—	5,90,480
15	स० सं० प० अ० रामपुर	5	बस	दिसम्बर 2013 से मार्च 2014	अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014	2,22,029	—	2,22,029
		12	एचजीवी					
16	स० सं० प० अ० सुल्तानपुर	11	ट्रेलर	जून 2014	जून 2014 से फरवरी 2015	1,82,925	—	1,82,925
योग		245		जून 2013 से अक्टूबर 2014		48,32,907	4,89,150	53,22,057

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XVII
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 5.5)

(धनराशि ₹ में)																		
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वाञ्छित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	आगरा	उ नि बाह	5459/19.07.14	6197/15.10.13	715	1,947.50	2,35,000	4,000	77,90,000	77,90,000	4 व 5	3,79,500	10,000	3,89,500	9,400	10,000	19,400	3,70,100
2	आगरा	उ नि IV सदर	4313/10.07.14	1646/14.03.14	248	690.00	8,28,000	4,500	31,05,000	31,05,000	6 व 7	2,07,350	10,000	2,17,350	49,700	10,000	59,700	1,57,650
3	अलीगढ़	उ नि I सदर	12521/05.11.14	9171/30.07.14	61/3 मि	4,000.00	35,00,000	3,500	1,40,00,000	1,40,00,000	7	9,80,000	10,000	9,90,000	2,45,000	10,000	2,55,000	7,35,000
4	अलीगढ़	उ नि I सदर	642/17.01.14	335/09.01.14	77	1,920.00	40,97,000	3,500	67,20,000	67,20,000	7	4,70,400	10,000	4,80,400	2,87,000	10,000	2,97,000	1,83,400
5	अलीगढ़	उ नि II सदर	13804/27.12.14	8882/19.08.14	259 ए, 259 बी,	1,602.00	16,02,000	3,200	51,26,400	51,27,000	6 व 7	3,48,890	10,000	3,58,890	1,02,300	10,000	1,12,300	2,46,590
6	अलीगढ़	उ नि II सदर	13780/27.12.14	7009/05.08.14 11052/14.10.14	255,257	2,126.60	27,66,000	3,000	63,79,800	63,80,000	7	4,46,600	10,000	4,56,600	1,94,000	10,000	2,04,000	2,52,600
7	अलीगढ़	उ नि II सदर	1659/13.02.14	149/06.01.14	661	1,408.00	11,27,000	2,500	35,20,000	35,20,000	7	2,46,400	10,000	2,56,400	79,000	10,000	89,000	1,67,400
8	अलीगढ़	उ नि III सदर	1552/10.02.14	1303/03.02.14	93	5,780.00	28,90,000	2,500	1,44,50,000	1,44,50,000	7	10,11,500	10,000	10,21,500	2,02,500	10,000	2,12,500	8,09,000
9	अलीगढ़	उ नि III सदर	1553/10.02.14	1304/03.02.14	93	5,370.00	26,85,000	2,500	1,34,25,000	1,34,25,000	7	9,39,750	10,000	9,49,750	1,88,000	10,000	1,98,000	7,51,750
10	अलीगढ़	उ नि III सदर	1551/10.02.14	1303/03.02.14	93	3,472.00	17,36,000	2,500	86,80,000	86,80,000	7	6,07,600	10,000	6,17,600	1,22,000	10,000	1,32,000	4,85,600
11	अलीगढ़	उ नि अतरौली	2747/19.03.14	6967/12.08.13	373	2,615.00	12,23,500	3,800	99,37,000	99,37,000	6 व 7	6,85,590	10,000	6,95,590	75,610	10,000	85,610	6,09,980
12	इलाहाबाद	उ नि सोरांव	374/21.01.15	6740/17.10.14	270	430.00	1,44,000	4,600	19,78,000	19,78,000	6 व 7	1,28,460	10,000	1,38,460	8,640	10,000	18,640	1,19,820
13	इलाहाबाद	उ नि सोरांव	1784/02.04.14	1348/10.03.14	589 मि	1,370.00	38,22,000	6,600	90,42,000	90,42,000	6 व 7	6,22,940	10,000	6,32,940	2,57,600	10,000	2,67,600	3,65,340
14	इलाहाबाद	उ नि II सदर	5127/24.07.14	4877/16.07.14	54/2	6,498.00	41,62,000	4,500	2,92,41,000	2,92,41,000	7	20,46,870	10,000	20,56,870	2,91,500	10,000	3,01,500	17,55,370
15	इलाहाबाद	उ नि II सदर	5264/28.07.14	346/17.01.14	461	2,653.00	21,07,700	3,200	84,89,600	84,90,000	7	5,94,300	10,000	6,04,300	1,47,600	10,000	1,57,600	4,46,700
16	इलाहाबाद	उ नि II सदर	6032/16.08.14	2747/22.04.14	1021 बी	709.00	14,08,000	4,500	31,90,500	31,91,000	7	2,23,370	10,000	2,33,370	98,600	10,000	1,08,600	1,24,770
17	इलाहाबाद	उ नि फूलपुर	3847/02.06.14	7580/26.11.13	394/1	1,055.00	19,73,000	4,800	50,64,000	50,64,000	7	3,54,480	10,000	3,64,480	1,38,120	10,000	1,48,120	2,16,360
18	इलाहाबाद	उ नि फूलपुर	1275/28.02.14	357/18.01.14	193	672.00	16,13,000	4,800	32,25,600	32,26,000	6 व 7	2,15,820	10,000	2,25,820	1,03,000	10,000	1,13,000	1,12,820

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वाञ्छित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
19	इलाहाबाद	उ नि फूलपुर	1152/22.02.14	8429/24.12.13	780,781	456.00	11,86,000	5,200	23,71,200	23,72,000	6 व 7	1,56,040	10,000	1,66,040	73,059	10,000	83,059	82,981
20	इलाहाबाद	उ नि I सदर	2330/12.05.14	948/24.02.14, 893/21.02.14, 123/09.01.14	243, 244, 245	9,513.00	28,41,000	2,500	2,37,82,500	2,37,83,000	7	16,64,810	10,000	16,74,810	1,99,000	10,000	2,09,000	14,65,810
21	इलाहाबाद	उ नि I सदर	5471/08.10.13	3776/08.07.13	1033	2,907.00	22,81,000	4,000	1,16,28,000	1,16,28,000	7	8,13,960	10,000	8,23,960	1,60,050	10,000	1,70,050	6,53,910
22	इलाहाबाद	उ नि I सदर	3234/23.06.14	2024/21.04.14	887	1,655.00	29,00,000	4,000	66,20,000	66,20,000	5	3,31,000	10,000	3,41,000	1,45,100	10,000	1,55,100	1,85,900
23	इलाहाबाद	उ नि कोरांव	2707/24.08.13	2709/24.08.13	825 मि	680.00	11,80,000	6,000	40,80,000	40,80,000	4 व 5	1,94,000	10,000	2,04,000	49,000	10,000	59,000	1,45,000
24	अम्बेदकर नगर	उ नि भीटी	239/12.02.14	1402/16.09.13	674	5,280.00	27,99,000	3,750	1,98,00,000	1,98,00,000	5	9,90,000	10,000	10,00,000	1,40,000	10,000	1,50,000	8,50,000
25	अम्बेदकर नगर	उ नि भीटी	1005/25.07.13	208/28.02.13 431/02.04.13	332	1,300.00	7,17,000	3,100	40,30,000	40,30,000	4 व 5	1,91,500	10,000	2,01,500	28,700	10,000	38,700	1,62,800
26	अम्बेदकर नगर	उ नि भीटी	396/12.03.14	320/19.03.13 321/19.03.13 322/19.03.13	183	1,492.00	12,84,000	3,500	52,22,000	52,22,000	5	2,61,100	10,000	2,71,100	64,200	10,000	74,200	1,96,900
27	अम्बेदकर नगर	उ नि आलापुर	2816/07.11.13	560/7.03.13	402 मि	1,290.00	6,20,000	3,300	42,57,000	42,57,000	4 व 5	2,02,850	10,000	2,12,850	25,010	10,000	35,010	1,77,840
28	औरय्या	उ नि सदर	4034/12.05.14	2182/15.03.14	941 मि	4,000.00	4,20,000	2,000	80,00,000	80,00,000	5	4,00,000	10,000	4,10,000	21,000	7,560	28,560	3,81,440
29	औरय्या	उ नि सदर	4385/21.05.14	320/10.01.14	130	299.00	1,50,000	8,000	23,92,000	23,92,000	4 व 5	1,09,600	10,000	1,19,600	6,050	1,500	7,550	1,12,050
30	बलिया	उ नि रसड़ा	2409/18.09.14	2410/18.09.14	403	2,010.00	9,05,000	6,000	1,20,60,000	1,20,60,000	5	6,03,000	10,000	6,13,000	45,250	10,000	55,250	5,57,750
31	बलिया	उ नि बाँसडीह	1898/28.09.13	1291/01.07.13	57	1,660.00	2,83,000	2,400	39,84,000	39,84,000	5	1,99,200	10,000	2,09,200	14,150	5,660	19,810	1,89,390
32	बलिया	उ नि बाँसडीह	1787/11.09.13	1516, 1518/31.07.13	202	7,760.00	11,64,000	3,000	2,32,80,000	2,32,80,000	5	11,64,000	10,000	11,74,000	58,200	10,000	68,200	11,05,800
33	बाँदा	उ नि सदर	5872/18.07.14	7389/19.12.11	224	4,480.00	20,16,000	3,000	1,34,40,000	1,34,40,000	6 व 7	9,30,800	10,000	9,40,800	1,31,120	10,000	1,41,120	7,99,680
34	बाँदा	उ नि नरैनी	2850/06.09.14	3662/22.11.13	329	970.00	3,40,000	2,500	24,25,000	24,25,000	4 व 5	1,11,250	10,000	1,21,250	13,600	6,800	20,400	1,00,850
35	बाँदा	उ नि नरैनी	2855/08.09.14	1929/14.05.13	727	540.00	2,37,000	7,000	37,80,000	37,80,000	5	1,89,000	10,000	1,99,000	11,850	2,370	14,220	1,84,780
36	बाँदा	उ नि बबेरू	2341/11.08.14	4882/11.11.13	2982	7,000.00	29,40,000	10,000	7,00,00,000	7,00,00,000	5	35,00,000	10,000	35,10,000	1,47,150	10,000	1,57,150	33,52,850

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
37	बाराबंकी	उ नि सिरौली गौसपुर	1674/12.05.14	1438/17.04.14	82 मि	1,020.00	10,58,000	3,000	30,60,000	30,60,000	4 व 5	1,43,000	10,000	1,53,000	43,000	10,000	53,000	1,00,000
38	बरेली	उ नि नवाबगंज	679/29.01.14	920/08.02.13	152	2,301.25	23,02,000	5,500	1,26,56,875	1,26,57,000	4 व 5	6,22,850	20,000	6,42,850	95,100	20,000	1,15,100	5,27,750
39	बस्ती	उ नि भानपुर	2274/27.08.14	2102/04.08.14 984//07.04.14	1512, 1513	1,120.00	5,83,000	3,500	39,20,000	39,20,000	4 व 5	1,86,000	10,000	1,96,000	23,320	10,000	33,320	1,62,680
40	बदायूँ	उ नि बिलसी	3931/01.07.14	3095/02.06.14	527 मि	2,200.00	11,55,000	2,300	50,60,000	50,60,000	5	2,53,000	10,000	2,63,000	57,750	10,000	67,750	1,95,250
41	बुलन्दशहर	उ नि I सदर	3069/22.05.14	2987/20.05.14	954	960.00	15,60,000	5,000	48,00,000	48,00,000	7	3,36,000	10,000	3,46,000	1,10,000	10,000	1,20,000	2,26,000
42	बुलन्दशहर	उ नि सयाना	5804/13.06.14	4852/26.05.14	333	1,900.00	19,00,000	6,500	1,23,50,000	1,23,50,000	5	6,17,500	10,000	6,27,500	95,000	10,000	1,05,000	5,22,500
43	बुलन्दशहर	उ नि सयाना	8460/29.08.14	4852/26.05.14	333	1,260.00	22,70,000	6,500	81,90,000	81,90,000	4 व 5	3,99,500	10,000	4,09,500	1,05,000	10,000	1,15,000	2,94,500
44	बुलन्दशहर	उ नि सयाना	9703/04.10.14	4852/26.05.14	333	1,550.00	40,42,000	5,800	89,90,000	89,90,000	4 व 5	4,39,500	10,000	4,49,500	1,92,500	10,000	2,02,500	2,47,000
45	बुलन्दशहर	उ नि सयाना	9361/23.09.14	9104/16.09.14 9105/16.09.14	531	3,160.00	11,51,000	1,100	34,76,000	34,76,000	4 व 5	1,63,800	10,000	1,73,800	47,600	10,000	57,600	1,16,200
46	बुलन्दशहर	उ नि अनूपशहर	1721/12.03.14	858/01.02.12	550	850.00	13,25,000	6,000	51,00,000	51,00,000	4 व 5	2,45,000	10,000	2,55,000	56,300	10,000	66,300	1,88,700
47	बुलन्दशहर	उ नि शिकारपुर	3788/18.05.13	2969/01.05.12	642 स	543.00	3,05,000	3,500	19,00,500	19,01,000	4 व 5	85,050	10,000	95,050	12,200	6,100	18,300	76,750
48	बुलन्दशहर	उ नि शिकारपुर	3870/21.05.13	2969/01.05.12	642 स	543.00	3,05,000	3,500	19,00,500	19,01,000	4 व 5	85,050	10,000	95,050	12,200	6,100	18,300	76,750
49	बुलन्दशहर	उ नि शिकारपुर	7384/23.09.13	7293/19.09.13	540	800.00	5,68,000	5,000	40,00,000	40,00,000	5	2,00,000	10,000	2,10,000	28,500	10,000	38,500	1,71,500
50	चन्दौली	उ नि सकलडीहा	2459/16.07.13	2461/16.07.13	257	1,890.00	4,27,000	2,000	37,80,000	37,80,000	4 व 5	1,79,000	10,000	1,89,000	17,100	8,560	25,660	1,63,340
51	चन्दौली	उ नि सदर	12645/21.11.13	3292/21.03.13	111	2,410.00	4,97,000	1,100	26,51,000	26,51,000	5	1,32,550	10,000	1,42,550	24,850	9,940	34,790	1,07,760
52	चन्दौली	उ नि सदर	9414/17.08.13	4542/20.04.13	203/1 मि	1,880.00	14,10,000	1,900	35,72,000	35,72,000	6 व 7	2,40,040	10,000	2,50,040	88,700	10,000	98,700	1,51,340
53	चन्दौली	उ नि चकिया	2792/07.09.13	2793/07.09.13	299	2,010.00	6,05,000	2,300	46,23,000	46,23,000	4 व 5	2,21,150	10,000	2,31,150	24,220	10,000	34,220	1,96,930
54	घिन्नकूट	उ नि मऊ	3733/29.10.14	2087/21.06.12	2603	3,720.00	9,00,000	3,000	1,11,60,000	1,11,60,000	5	5,58,000	10,000	5,68,000	45,000	10,000	55,000	5,13,000
55	घिन्नकूट	उ नि मऊ	4329/18.12.14	1629/22.05.14	2603	2,140.00	5,14,000	3,000	64,20,000	64,20,000	5	3,21,000	10,000	3,31,000	25,700	10,000	35,700	2,95,300
56	घिन्नकूट	उ नि कर्वा	932/25.02.14	4979/11.11.13	883 मि	2,880.00	11,52,000	3,000	86,40,000	86,40,000	6 व 7	5,94,800	10,000	6,04,800	70,640	10,000	80,640	5,24,160
57	देवरिया	उ नि भाटापार	473/19.03.14	916/16.05.13	737	1,100.00	18,12,000	5,700	62,70,000	62,70,000	4 व 5	3,03,500	10,000	3,13,500	80,600	10,000	90,600	2,22,900

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
58	इटावा	उ नि सदर	7554/27.08.14	5702/07.04.14	44	674.00	1,35,000	3,500	23,59,000	23,59,000	5	1,17,950	10,000	1,27,950	6,800	1,350	8,150	1,19,800
59	इटावा	उ नि जसवन्त नगर	1317/03.06.14	534/04.03.14	404	2,030.00	30,35,000	12,000	2,43,60,000	2,43,60,000	7	17,05,200	10,000	17,15,200	2,12,500	10,000	2,22,500	14,92,700
60	फैजाबाद	उ नि सदर	705/29.01.14	5431/29.08.13	90 मि	2,660.00	35,91,000	4,000	1,06,40,000	1,06,40,000	7	7,44,800	10,000	7,54,800	2,51,500	10,000	2,61,500	4,93,300
61	फैजाबाद	उ नि मिल्कीपुर	623/13.02.14	580/06.02.14	761	301.60	19,00,000	9,000	27,14,400	27,15,000	4 व 5	1,25,750	10,000	1,35,750	7,560	1,900	9,460	1,26,290
62	फैजाबाद	उ नि मिल्कीपुर	1868/09.05.14	580/06.02.14	761	301.60	2,62,000	9,000	27,14,400	27,15,000	4 व 5	1,25,750	10,000	1,35,750	39,680	5,240	44,920	90,830
63	फैजाबाद	उ नि रुदौली	3879/12.09.14	2458/17.06.14	320	2,020.00	8,74,000	6,240	1,26,04,800	1,26,05,000	5	6,30,250	10,000	6,40,250	43,700	10,000	53,700	5,86,550
64	फर्रुखाबाद	उ नि सदर	3193/28.03.14	122/04.01.14	33	1,410.00	17,00,000	3,100	43,71,000	43,71,000	7	3,05,970	10,000	3,15,970	1,19,100	10,000	1,29,100	1,86,870
65	फिरोजाबाद	उ नि II सदर	5626/27.09.14	4706/05.08.14 4708/05.08.14 4711/05.08.14 4176/05.08.14 5578/26.09.14	212	6,150.00	31,37,000	1,800	1,10,70,000	1,10,70,000	7	7,74,900	10,000	7,84,900	2,19,600	10,000	2,29,600	5,55,300
66	फिरोजाबाद	उ नि II सदर	6866/06.12.14	3990/16.07.14 3992/16.07.14	13	2,060.00	8,66,000	1,800	37,08,000	37,08,000	7	2,59,560	10,000	2,69,560	60,620	10,000	70,620	1,98,940
67	फिरोजाबाद	उ नि II सदर	5955/17.10.14	4979/20.08.14	731	2,300.00	9,66,000	1,400	32,20,000	32,20,000	7	2,25,400	10,000	2,35,400	63,800	10,000	73,800	1,61,600
68	फिरोजाबाद	उ नि I सदर	2685/12.03.14	12170/22.11.13 12942/09.12.13 13630/26.12.13	434	2,230.00	11,15,000	2,300	51,29,000	51,29,000	7	3,59,030	10,000	3,69,030	78,500	10,000	88,500	2,80,530
69	फिरोजाबाद	उ नि I सदर	3320/29.03.14	3211/27.03.14	20	2,020.00	14,14,000	1,800	36,36,000	36,36,000	6 व 7	2,44,520	10,000	2,54,520	89,000	10,000	99,000	1,55,520
70	फिरोजाबाद	उ नि I सदर	13535/20.11.14	13421/18.11.14 12200/20.10.14	77	2,102.50	6,31,000	1,800	37,84,500	37,85,000	7	2,64,950	10,000	2,74,950	44,200	10,000	54,200	2,20,750
71	फिरोजाबाद	उ नि टुण्डला	8077/29.11.14	8004/27.11.14	540	3,270.00	25,00,000	4,000	1,30,80,000	1,30,80,000	5	6,54,000	10,000	6,64,000	1,25,000	10,000	1,35,000	5,29,000
72	जी बी नगर	उ नि ग्रेटर नोयडा	29123/08.09.14	13095/22.04.14 12909/21.04.14 14 11880/07.04.14 11884/07.04.14	750,751	6,500.00	82,23,000	8,000	5,20,00,000	5,20,00,000	5	26,00,000	10,000	26,10,000	4,11,500	10,000	4,21,500	21,88,500

(धनराशि ₹ में)																		
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
73	जी बी नगर	उ नि ग्रेटर नोयडा	33323/03.11.14	12764/19.04.14 16938/28.05.14 16939/25.08.14	165	11,553.00	88,96,000	4,000	4,62,12,000	4,62,12,000	5	23,10,600	10,000	23,20,600	4,45,500	10,000	4,55,500	18,65,100
74	जी बी नगर	उ नि ग्रेटर नोयडा	35264/26.11.14	15560/19.05.14 18769/13.06.14	30	670.00	6,00,000	4,200	28,14,000	28,14,000	5	1,40,700	10,000	1,50,700	30,000	10,000	40,000	1,10,700
75	जी बी नगर	उ नि ग्रेटर नोयडा	38/01.01.14	22614/12.09.13 26103/22.10.13	27	4,719.00	48,14,000	4,800	2,26,51,200	2,26,52,000	5	11,32,600	10,000	11,42,600	2,41,000	10,000	2,51,000	8,91,600
76	जी बी नगर	उ नि ग्रेटर नोयडा	16454/24.05.14	6230/24.02.14 6233/24.02.14 6235/24.02.14	525	1,141.60	12,60,000	7,000	79,91,200	79,92,000	5	3,99,600	10,000	4,09,600	63,000	10,000	73,000	3,36,600
77	गाजीपुर	उ नि सदर	3884/11.09.13	3836/10.09.13	1024 ख	1,275.00	15,30,000	4,700	59,92,500	59,93,000	4 व 5	2,89,650	10,000	2,99,650	66,500	10,000	76,500	2,23,150
78	जी बी नगर	उ नि दादरी	17867/03.09.14	17749/02.09.14 17752/02.09.14	445	1,254.00	19,44,000	7,200	90,28,800	90,29,000	5	4,51,450	10,000	4,61,450	97,500	10,000	1,07,500	3,53,950
79	जी बी नगर	उ नि दादरी	1899/28.01.15	942/15.01.15 943/15.01.15	164 ग	885.00	16,80,000	5,500	48,67,500	48,68,000	5	2,43,400	10,000	2,53,400	84,000	10,000	94,000	1,59,400
80	गाजियाबाद	उ नि III सदर	10544/29.12.14	9469/17.11.14 9472//17.11.14 9473/17.11.14	1166 मि	4,123.00	53,59,900	4,000	1,64,92,000	1,64,92,000	7	11,54,440	10,000	11,64,440	3,75,193	10,000	3,85,193	7,79,247
81	गाजियाबाद	उ नि III सदर	8919/28.10.14	6294/21.07.14 6295/21.07.14 4714/30.06.14	1166 मि	1,390.00	18,08,000	4,000	55,60,000	55,60,000	7	3,89,200	10,000	3,99,200	1,26,600	10,000	1,36,600	2,62,600
82	गाजियाबाद	उ नि III सदर	7708/04.09.14	5690/02.07.14 5691/02.07.14	957 मि	1,245.00	16,44,000	4,000	49,80,000	49,80,000	6 व 7	3,38,600	10,000	3,48,600	1,05,000	10,000	1,15,000	2,33,600
83	गाजियाबाद	उ नि IV सदर	20239/10.07.14	7588/12.03.14	1274	2,111.00	61,33,000	7,000	1,47,77,000	1,47,77,000	7	10,34,390	10,000	10,44,390	4,29,500	10,000	4,39,500	6,04,890
84	गाजियाबाद	उ नि IV सदर	5744/24.02.14	4231/10.02.14	448	1,686.00	49,00,000	7,000	1,18,02,000	1,18,02,000	7	8,26,140	10,000	8,36,140	3,43,000	10,000	3,53,000	4,83,140
85	गाजियाबाद	उ नि IV सदर	23455/14.08.14	28272/26.06.13	398	789.00	31,90,000	10,000	78,90,000	78,90,000	6 व 7	5,42,300	10,000	5,52,300	2,14,000	10,000	2,24,000	3,28,300
86	गाजियाबाद	उ नि V सदर	5947/05.09.14	5242/08.08.14	85	1,672.00	10,04,000	4,200	70,22,400	70,23,000	7	4,91,610	10,000	5,01,610	70,500	10,000	80,500	4,21,110

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
87	गाजियाबाद	उ नि V सदर	2313/02.04.14	1865/12.03.14 2288/02.04.14	388	2,090.00	17,77,000	7,000	1,46,30,000	1,46,30,000	7	10,24,100	10,000	10,34,100	1,25,050	10,000	1,35,050	8,99,050
88	गाजियाबाद	उ नि II सदर	11179/17.7.13	8861/11.06.13	30	5,584.00	24,84,000	3,000	1,67,52,000	1,67,52,000	7	11,72,640	10,000	11,82,640	1,74,000	10,000	1,84,000	9,98,640
89	गोण्डा	उ नि कर्नेलगंज	5468/28.06.13	5469/28.06.13	342	2,190.00	1,80,000	1,500	32,85,000	32,85,000	5	1,64,250	10,000	1,74,250	9,000	1,800	10,800	1,63,450
90	गोण्डा	उ नि मनकापुर	2471/28.04.14	2472/28.04.14	507 मि	1,490.00	2,39,000	2,000	29,80,000	29,80,000	4 व 5	1,39,000	10,000	1,49,000	9,560	2,390	11,950	1,37,050
91	गोण्डा	उ नि सदर	8781/01.07.14	8597/28.06.14	186 मि	2,020.00	20,54,000	1,800	36,36,000	36,36,000	7	2,54,520	10,000	2,64,520	1,44,000	10,000	1,54,000	1,10,520
92	गोरखपुर	उ नि कैम्पियर गंज	1764/30.06.14	1767/30.06.14 1768/30.06.14	1655	650.00	9,10,000	6,500	42,25,000	42,25,000	5	2,11,250	10,000	2,21,250	45,500	10,000	55,500	1,65,750
93	गोरखपुर	उ नि चौरी चौरा	245/21.01.14	202/21.01.14	118,119	1,450.00	28,82,000	4,800	69,60,000	69,60,000	5	3,48,000	10,000	3,58,000	1,44,100	10,000	1,54,100	2,03,900
94	गोरखपुर	उ नि गोला बाजार	401/28.01.14	204/20.01.14	610	2,967.50	32,67,000	2,600	77,15,500	77,16,000	5	3,85,800	10,000	3,95,800	1,63,350	10,000	1,73,350	2,22,450
95	गोरखपुर	उ नि II सदर	1079/04.02.14	313/16.01.14	222/1	4,040.00	1,09,15,000	8,000	3,23,20,000	3,23,20,000	7	22,62,400	10,000	22,72,400	7,64,500	10,000	7,74,500	14,97,900
96	गोरखपुर	उ नि II सदर	903/30.01.14	10973/25.10.13	243/28/ 1/4	1,600.00	61,56,000	8,000	1,28,00,000	1,28,00,000	7	8,96,000	10,000	9,06,000	2,12,800	10,000	2,22,800	6,83,200
97	हमीरपुर	उ नि सदर	5192/23.09.14	268/28.01.13	1605	2,960.00	8,00,000	3,850	1,13,96,000	1,13,96,000	5	5,69,800	10,000	5,79,800	40,000	10,000	50,000	5,29,800
98	हमीरपुर	उ नि सदर	1454/29.03.14	195/09.01.14	2228	1,740.00	6,27,000	3,200	55,68,000	55,68,000	5	2,78,400	10,000	2,88,400	31,350	10,000	41,350	2,47,050
99	हमीरपुर	उ नि सदर	2057/19.05.14	195/09.01.14	2228	1,740.00	6,28,000	3,200	55,68,000	55,68,000	5	2,78,400	10,000	2,88,400	31,500	10,000	41,500	2,46,900
100	हापुड	उ नि I सदर	3568/15.05.14	9299/11.10.13 5642/07.06.13 5643/07.06.13	463 मि	969.80	17,46,000	3,700	35,88,260	35,89,000	7	2,51,230	10,000	2,61,230	1,22,500	10,000	1,32,500	1,28,730
101	हापुड	उ नि I सदर	3569/15.05.14	9299/11.10.13 5642/07.06.13 5643/07.06.13	463 मि	969.80	17,46,000	3,700	35,88,260	35,89,000	7	2,51,230	10,000	2,61,230	1,22,500	10,000	1,32,500	1,28,730
102	हापुड	उ नि I सदर	3567/15.05.14	9299/11.10.13 5642/07.06.13 5643/07.06.13	463 मि	590.20	10,63,000	3,700	21,83,740	21,84,000	7	1,52,880	10,000	1,62,880	74,650	10,000	84,650	78,230

(घनराशि ₹ में)																		
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वाँछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क को लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
103	हापुड़	उ नि I सदर	1434/18.02.14	10843/26.12.13 10844/26.12.13 10845/26.12.13 10846/26.12.13	121	1,260.00	26,46,000	4,000	50,40,000	50,40,000	6 व 7	3,42,800	10,000	3,52,800	1,75,300	10,000	1,85,300	1,67,500
104	हापुड़	उ नि I सदर	10451/09.12.13	5304/30.05.13	29	535.00	9,65,000	4,600	24,61,000	24,61,000	6 व 7	1,62,270	10,000	1,72,270	58,000	10,000	68,000	1,04,270
105	हापुड़	उ नि II सदर	7158/27.10.14	6727/04.10.14 6728/04.10.14	322	890.00	20,03,000	4,400	39,16,000	39,16,000	7	2,74,120	10,000	2,84,120	1,40,500	10,000	1,50,500	1,33,620
106	हापुड़	उ नि II सदर	8536/22.12.14	6727/04.10.14 6728/04.10.14	322	431.00	4,96,000	3,100	13,36,100	13,37,000	7	93,590	10,000	1,03,590	34,800	9,920	44,720	58,870
107	हरदोई	उ नि बिलग्राम	3920/19.04.14	583/20.01.14	1351	1,696.00	4,59,000	1,700	28,83,200	28,84,000	4 व 5	1,34,200	10,000	1,44,200	18,360	9,180	27,540	1,16,660
108	हरदोई	उ नि बिलग्राम	7260/27.07.14	263/08.01.14	319	1,518.80	2,74,000	1,700	25,81,960	25,82,000	4 व 5	1,19,100	10,000	1,29,100	10,960	5,480	16,440	1,12,660
109	कानपुर नगर	उ नि III सदर	14395/31.07.14	14371/31.07.14	87	420.00	6,72,000	8,200	34,44,000	34,44,000	7	2,41,080	10,000	2,51,080	47,040	10,000	57,040	1,94,040
110	कानपुर देहात	उ नि डेरापुर	80/15.01.14	1396/12.06.13	283 क	660.00	2,35,000	3,000	19,80,000	19,80,000	7	1,38,600	10,000	1,48,600	16,450	2,350	18,800	1,29,800
111	कानपुर देहात	उ नि अकबरपुर	8797/18.12.13	8798/18.12.13	55	1,196.00	55,94,000	7,000	83,72,000	83,72,000	7	5,86,040	10,000	5,96,040	3,91,600	10,000	4,01,600	1,94,440
112	कानपुर देहात	उ नि भोगनीपुर	2855/22.07.14	2438/05.07.13	969	2,499.00	12,50,000	3,000	74,97,000	74,97,000	4 व 5	3,64,850	10,000	3,74,850	52,250	10,000	62,250	3,12,600
113	कानपुर देहात	उ नि भोगनीपुर	1016/19.03.14	556/18.02.13	915	2,446.00	14,82,000	3,000	73,38,000	73,38,000	5	3,66,900	10,000	3,76,900	74,100	10,000	84,100	2,92,800
114	कानपुर नगर	उ नि IV सदर	3839/11.4.14	945/24.1.14	1062, 1086,1069, 1070	1,717.00	30,24,750	3,000	51,51,000	51,51,000	7	3,60,570	10,000	3,70,570	2,12,000	10,000	2,22,000	1,48,570
115	कानपुर नगर	उ नि IV सदर	3381/2.4.14	2567,2568,2570, 2571/11.3.14	485, 496	2,834.00	2,55,40,000	3,000	85,02,000	85,02,000	7	5,95,140	10,000	6,05,140	1,79,100	10,000	1,89,100	4,16,040
116	कानपुर नगर	उ नि I सदर	1427/07.03.14	1297/03.03.14	1088 ए	9,140.00	62,84,000	1,800	1,64,52,000	1,64,52,000	7	11,51,640	10,000	11,61,640	4,40,000	10,000	4,50,000	7,11,640

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
117	कानपुर नगर	उ नि I सदर	101/08.01.14	5303/23.09.13	365 मि	1,740.00	13,05,000	4,000	69,60,000	69,60,000	7	4,87,200	10,000	4,97,200	91,400	10,000	1,01,400	3,95,800
118	कानपुर नगर	उ नि I सदर	522/30.01.14	5734/23.10.13	2416	5,125.00	38,44,000	4,000	2,05,00,000	2,05,00,000	7	14,35,000	10,000	14,45,000	2,69,100	10,000	2,79,100	11,65,900
119	कौशांबी	उ नि मंझनपुर	301/22.01.14	222/17.01.14	186	2,050.00	4,90,059	4,800	98,40,000	98,40,000	5	4,92,000	10,000	5,02,000	24,563	10,000	34,563	4,67,437
120	लखनऊ	उ नि मलीहाबाद	4738/10.10.14	364/20.01.14	1198	1,000.00	8,46,720	4,400	44,00,000	44,00,000	5	2,20,000	10,000	2,30,000	42,500	10,000	52,500	1,77,500
						1,160.00	.	3,080	35,72,800	35,73,000	5	1,78,650	.	1,78,650	.	.	.	1,78,650
121	लखनऊ	उ नि मलीहाबाद	3892/19.08.14	364/20.01.14	1198	1,000.00	4,53,600	4,400	44,00,000	44,00,000	5	2,20,000	10,000	2,30,000	22,700	9,080	31,780	1,98,220
						620.00	.	3,080	19,09,600	19,10,000	5	95,500	.	95,500	.	.	.	95,500
122	लखनऊ	उ नि मलीहाबाद	6127/22.12.14	3157/02.07.14	1060 स	760.00	3,00,000	5,000	38,00,000	38,00,000	4 व 5	1,80,000	10,000	1,90,000	15,000	6,000	21,000	1,69,000
123	लखनऊ	उ नि मलीहाबाद	2474/23.05.14	2340/17.05.14	204	1,000.00	6,73,788	3,300	33,00,000	33,00,000	5	1,65,000	10,000	1,75,000	33,700	10,000	43,700	1,31,300
						687.00	.	2,310	15,86,970	15,87,000	5	79,350	.	79,350	.	.	.	79,350
124	लखनऊ	उ नि मलीहाबाद	566/29.01.14	364/20.01.14	1203, 1198	698.00	2,10,000	4,400	30,71,200	30,72,000	5	1,53,600	10,000	1,63,600	10,500	2,100	12,600	1,51,000
						1,020.00	.	1,050	10,71,000	10,71,000	5	53,550	.	53,550	.	.	.	53,550
126	लखनऊ	उ नि मोहनलाल गंज	10446/02.07.14	10447/02.07.14	360	1,000.00	48,31,000	5,500	55,00,000	55,00,000	5	2,75,000	10,000	2,85,000	2,41,525	10,000	2,51,525	33,475
						900.00	.	3,850	34,65,000	34,65,000	5	1,73,250	.	1,73,250	.	.	.	1,73,250
127	लखनऊ	उ नि मोहनलाल गंज	1526/28.01.14	1088/22.01.14	302	710.00	3,97,600	5,500	39,05,000	39,05,000	5	1,95,250	10,000	2,05,250	20,000	7,960	27,960	1,77,290
128	लखनऊ	उ नि मोहनलाल गंज	1497/28.01.14	318/08.01.14	686	650.00	3,64,000	5,500	35,75,000	35,75,000	5	1,78,750	10,000	1,88,750	18,200	7,280	25,480	1,63,270
129	लखनऊ	उ नि मोहनलाल गंज	12790/13.08.14	11975/28.07.14	301	1,000.00	1,74,000	1,800	18,00,000	18,00,000	5	90,000	10,000	1,00,000	8,700	1,740	10,440	89,560
						390.00	.	1,260	4,91,400	4,92,000	5	24,600	.	24,600	.	.	.	24,600
130	लखनऊ	उ नि V सदर	1907/14.02.14	1803/13.02.14	600 मि	1,000.00	2,07,45,000	6,000	60,00,000	60,00,000	7	4,20,000	10,000	4,30,000	14,52,150	10,000	14,62,150	.

(घनराशि ₹ में)																		
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
				1805/13.02.14 1807/13.02.14														10,32,150
						5,955.00		4,200	2,50,11,000	2,50,11,000	7	17,50,770	.	17,50,770	.	.	.	17,50,770
131	लखनऊ	उ नि V सदर	5333/15.05.14	4311/15.04.14 1453/04.02.14 6657/18.06.14	689	1,000.00	1,97,84,900	6,500	65,00,000	65,00,000	7	4,55,000	10,000	4,65,000	13,85,000	10,000	13,95,000	9,30,000
						4,375.00	.	4,550	1,99,06,250	1,99,07,000	7	13,93,490	.	13,93,490	.	.	.	13,93,490
132	लखनऊ	उ नि बक्शी का तालाब	17885/03.12.14	5392/14.04.13	84	1,000.00	78,05,700	4,800	48,00,000	48,00,000	7	3,36,000	10,000	3,46,000	5,46,500	10,000	5,56,500	2,10,500
						2,735.00		3,360	91,89,600	91,90,000	7	6,43,300	.	6,43,300	.	.	.	6,43,300
133	लखनऊ	उ नि बक्शी का तालाब	17344/26.11.14	17377/26.11.14	587	1,000.00	21,59,000	4,200	42,00,000	42,00,000	7	2,94,000	10,000	3,04,000	1,51,200	10,000	1,61,200	1,42,800
						1,570.00		2,940	46,15,800	46,16,000	7	3,23,120	.	3,23,120	.	.	.	3,23,120
134	लखनऊ	उ नि बक्शी का तालाब	10544/16.07.14	10545/16.07.14	121, 122	1,000.00	21,32,000	3,500	35,00,000	35,00,000	5	1,75,000	10,000	1,85,000	1,06,600	10,000	1,16,600	68,400
						2,280.00		2,450	55,86,000	55,86,000	5	2,79,300	.	2,79,300	.	.	.	2,79,300
135	लखनऊ	उ नि बक्शी का तालाब	12680/26.08.14	5329/07.04.14	629	1,000.00	14,16,200	3,600	36,00,000	36,00,000	5	1,80,000	10,000	1,90,000	71,000	10,000	81,000	1,09,000
						940.00		2,520	23,68,800	23,69,000	5	1,18,450	.	1,18,450	.	.	.	1,18,450
136	लखनऊ	उ नि बक्शी का तालाब	19576/30.12.14	8183/04.06.14	2142	1,000.00	52,42,000	4,800	48,00,000	48,00,000	7	3,36,000	10,000	3,46,000	3,67,500	10,000	3,77,500	31,500
						1,530.00		3,360	51,40,800	51,41,000	7	3,59,870	.	3,59,870	.	.	.	3,59,870
137	मिर्जापुर	उ नि मडिहान	667/28.02.14	548/24.02.14	44 ख	9,700.00	7,21,000	1,900	1,84,30,000	1,84,30,000	5	9,21,500	10,000	9,31,500	36,050	10,000	46,050	8,85,450
138	मिर्जापुर	उ नि लालगंज	2029/21.07.14	3144/27.12.13 636/10.03.14	4 क	2,150.00	2,94,000	3,625	77,93,750	77,94,000	5	3,89,700	10,000	3,99,700	14,700	5,880	20,580	3,79,120
139	मिर्जापुर	उ नि लालगंज	769/19.03.14	3144/27.12.14 636/10.03.14	4 क	1,260.00	1,72,000	3,625	45,67,500	45,68,000	4 व 5	2,18,400	10,000	2,28,400	7,010	1,720	8,730	2,19,670
140	मिर्जापुर	उ नि लालगंज	233/28.01.14	1927/18.07.13	57	3,353.00	3,65,000	3,500	1,17,35,500	1,17,36,000	4 व 5	5,76,800	10,000	5,86,800	14,600	7,300	21,900	5,64,900
141	मिर्जापुर	उ नि लालगंज	244/29.01.14	1927/18.07.13	57	823.00	97,000	3,500	28,80,500	28,81,000	5	1,44,050	10,000	1,54,050	4,860	970	5,830	1,48,220
142	प्रतापगढ़	उ नि कुण्डा	3142/29.07.13	2721/08.07.13	893	1,880.00	13,00,600	7,000	1,31,60,000	1,31,60,000	7	9,21,200	10,000	9,31,200	91,042	10,000	1,01,042	8,30,158
143	प्रतापगढ़	उ नि कुण्डा	1051/17.02.14	4932/11.11.13	365	1,700.00	5,44,000	4,000	68,00,000	68,00,000	4 व 5	3,30,000	10,000	3,40,000	21,760	10,000	31,760	3,08,240
144	प्रतापगढ़	उ नि कुण्डा	2399/02.05.14	728/01.02.14	3482	1,260.00	5,79,600	5,500	69,30,000	69,30,000	4 व 5	3,36,500	10,000	3,46,500	23,184	10,000	33,184	3,13,316
145	प्रतापगढ़	उ नि कुण्डा	726/01.02.14	728/01.02.14	3482	1,260.00	5,80,000	5,500	69,30,000	69,30,000	5	3,46,500	10,000	3,56,500	29,000	10,000	39,000	3,17,500

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
146	रायबरेली	उ नि डलमऊ	518/06.03.14	58/09.01.14	68	1,140.00	1,60,000	2,600	29,64,000	29,64,000	5	1,48,200	10,000	1,58,200	8,000	1,600	9,600	1,48,600
147	रायबरेली	उ नि सदर	8950/16.09.14	6525/02.04.14	1505	1,140.00	10,59,000	5,000	57,00,000	57,00,000	4 व 5	2,75,000	10,000	2,85,000	52,950	10,000	62,950	2,22,050
148	रामपुर	उ नि सदर	2401/15.04.14	6756/11.11.13	162 मि	505.00	2,28,000	5,000	25,25,000	25,25,000	7	1,76,750	10,000	1,86,750	16,000	2,280	18,280	1,68,470
149	सन्त रविदास नगर	उ नि भदोही	583/05.03.14	1645/10.06.13	372	740.50	8,52,000	4,500	33,32,250	33,33,000	5	1,66,650	10,000	1,76,650	42,600	10,000	52,600	1,24,050
150	शाहजहाँपुर	उ नि जलालाबाद	8865/30.09.14	2378/24.03.14	1083	160.00	31,000	5,100	8,16,000	8,16,000	4	32,640	10,000	42,640	1,240	310	1,550	41,090
151	शाहजहाँपुर	उ नि जलालाबाद	5737//14.07.14	2378/24.03.14	1083	640.00	1,28,000	4,300	27,52,000	27,52,000	4 व 5	1,27,600	10,000	1,37,600	5,120	1,280	6,400	1,31,200
152	सिद्धार्थनगर	उ नि नौगढ़	1194/03.03.14	747/12.02.14	113	1,428.00	13,16,000	5,700	81,39,600	81,40,000	5	4,07,000	10,000	4,17,000	65,800	10,000	75,800	3,41,200
153	सिद्धार्थनगर	उ नि नौगढ़	1372/12.03.14	747/12.02.14	113	1,012.00	9,32,000	5,700	57,68,400	57,69,000	4 व 5	2,78,450	10,000	2,88,450	37,300	10,000	47,300	2,41,150
154	सिद्धार्थनगर	उ नि डुमरियागंज	3692/05.11.14	557/18.02.14 1675/27.05.14	152	1,240.00	10,80,000	1,575	19,53,000	19,53,000	5	97,650	10,000	1,07,650	54,000	10,000	64,000	43,650
155	सिद्धार्थनगर	उ नि डुमरियागंज	3693/05.11.14	557/18.02.14 1675/27.05.14	152	2,010.00	17,48,000	1,575	31,65,750	31,66,000	5	1,58,300	10,000	1,68,300	87,400	10,000	97,400	70,900
156	सिद्धार्थनगर	उ नि शोहरतगढ़	2571/28.05.14	1737/11.04.14	114	1,265.00	4,00,000	4,560	57,68,400	57,69,000	5	2,88,450	10,000	2,98,450	23,300	9,320	32,620	2,65,830
157	सोनमद्र	उ नि सदर	938/07.02.14	935/07.02.14	700/1 मि	2,405.00	2,65,000	1,000	24,05,000	24,05,000	6 व 7	1,58,350	10,000	1,68,350	15,900	7,080	22,980	1,45,370
158	सोनमद्र	उ नि गोहरावल	2525/31.07.14	589/20.02.14	715 मि	4,780.00	11,48,000	4,400	2,10,32,000	2,10,32,000	5	10,51,600	10,000	10,61,600	57,400	10,000	67,400	9,94,200
159	सोनमद्र	उ नि सदर	6126/24.07.14	6094/23.07.14	176	3,160.00	22,12,000	2,400	75,84,000	75,84,000	5	3,79,200	10,000	3,89,200	1,10,600	10,000	1,20,600	2,68,600
160	सोनमद्र	उ नि सदर	917/07.02.14	639/28.01.14	242	2,975.00	21,23,000	2,400	71,40,000	71,40,000	5	3,57,000	10,000	3,67,000	1,06,200	10,000	1,16,200	2,50,800
161	सोनमद्र	उ नि सदर	5963/19.07.14	572/25.01.14	283 मि	3,790.00	8,33,800	2,500	94,75,000	94,75,000	4 व 5	4,63,750	10,000	4,73,750	33,360	10,000	43,360	4,30,390
162	सोनमद्र	उ नि सदर	7630/23.09.14	7491/16.09.14	3009 मि	4,070.00	12,24,000	2,800	1,13,96,000	1,13,96,000	5	5,69,800	10,000	5,79,800	85,700	10,000	95,700	4,84,100
163	सुल्तानपुर	उ नि जयसिंह पुर	2438/09.09.14	701/16.03.13	231 मि	2,027.00	19,17,000	5,300	1,07,43,100	1,07,44,000	4 व 5	5,27,200	10,000	5,37,200	86,000	10,000	96,000	4,41,200
164	सुल्तानपुर	उ नि जयसिंह	1607/28.06.14	256/03.02.14	198 मि	1,260.00	15,12,000	7,000	88,20,000	88,20,000	5	4,41,000	10,000	4,51,000	75,600	10,000	85,600	3,65,400

(घनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
		पुर																
165	सुल्तानपुर	उ नि सदर	7936/10.10.14	8963/18.12.13	1214/1	1,265.00	11,39,000	4,000	50,60,000	50,60,000	7	3,54,200	10,000	3,64,200	80,000	10,000	90,000	2,74,200
166	सुल्तानपुर	उ नि सदर	8548/03.11.14	6596/16.12.11	1919	1,555.00	11,21,000	3,960	61,57,800	61,58,000	5	3,07,900	10,000	3,17,900	56,050	10,000	66,050	2,51,850
167	सुल्तानपुर	उ नि सदर	0547/22.01.15	3078/15.04.14	961 मि	610.00	10,98,000	4,000	24,40,000	24,40,000	4 व 5	1,12,000	10,000	1,22,000	45,000	10,000	55,000	67,000
168	सुल्तानपुर	उ नि सदर	9796/18.12.14	5959/29.08.13	415/1 मि	630.00	11,34,000	4,000	25,20,000	25,20,000	7	1,76,400	10,000	1,86,400	79,500	10,000	89,500	96,900
169	वाराणसी	उ नि II सदर	157/13.01.14	131/10.01.14	138	862.00	32,95,000	6,800	58,61,600	58,62,000	7	4,10,340	10,000	4,20,340	2,30,650	10,000	2,40,650	1,79,690
170	वाराणसी	उ नि IV सदर	2226/16.04.14	1946/04.04.14 2214/16.04.14	359 क	1,800.00	28,78,000	4,000	72,00,000	72,00,000	7	5,04,000	10,000	5,14,000	2,01,500	10,000	2,11,500	3,02,500
171	वाराणसी	उ नि IV सदर	6684/10.10.14	6688/10.10.14 6685/10.10.14 6686/10.10.14	377	2,390.00	17,88,000	2,600	62,14,000	62,14,000	7	4,34,980	10,000	4,44,980	1,25,500	10,000	1,35,500	3,09,480
172	वाराणसी	उ नि IV सदर	7564/15.11.14	7537/14.11.14	55	1,083.10	13,05,000	2,600	28,16,060	28,17,000	6 व 7	1,87,190	10,000	1,97,190	81,500	10,000	91,500	1,05,690
173	वाराणसी	उ नि IV सदर	7575/15.11.14	7536/14.11.14 7538/14.11.14	55	1,083.10	13,05,000	2,600	28,16,060	28,17,000	6 व 7	1,87,190	10,000	1,97,190	81,500	10,000	91,500	1,05,690
174	वाराणसी	उ नि II सदर	5372/22.07.14	6416/31.07.13	173	840.00	32,79,000	6,800	57,12,000	57,12,000	7	3,99,840	10,000	4,09,840	2,29,600	10,000	2,39,600	1,70,240
175	वाराणसी	उ नि रामनगर	1718/01.11.13	1113/12.06.13	227	1,390.00	14,60,000	3,900	54,21,000	54,21,000	7	3,79,470	10,000	3,89,470	1,02,500	10,000	1,12,500	2,76,970
176	वाराणसी	उ नि पिंडरा	121/10.01.14	3478/09.09.13	211 मि	2,280.00	36,00,000	3,000	68,40,000	68,40,000	6 व 7	4,68,800	20,000	4,88,800	1,70,100	20,000	1,90,100	2,98,700
177	वाराणसी	उ नि गंगापुर	2205/19.05.14	544/04.02.14	1348	700.00	7,00,000	4,500	31,50,000	31,50,000	5	1,57,500	10,000	1,67,500	35,000	10,000	45,000	1,22,500
178	वाराणसी	उ नि I सदर	8114/21.02.14	5087/08.08.13	130	1,160.00	20,00,000	4,000	46,40,000	46,40,000	6 व 7	3,14,800	10,000	3,24,800	1,30,000	10,000	1,40,000	1,84,800
179	वाराणसी	उ नि I सदर	7547/11.12.13	7552/12.12.13	535	1,171.80	20,04,000	5,900	69,13,620	69,14,000	6 व 7	4,73,980	10,000	4,83,980	1,30,300	10,000	1,40,300	3,43,680
180	बुलन्दशहर	उ नि II सदर	8818/15.12.14	8680/10.12.14	101	2,045.00	29,14,000	8,000	1,63,60,000	1,63,60,000	7	11,45,200	10,000	11,55,200	2,04,000	10,000	2,14,000	9,41,200
181	बुलन्दशहर	उ नि II सदर	1550/04.03.14	837/03.02.14	1779	790.00	8,50,000	4,200	33,18,000	33,18,000	7	2,32,260	10,000	2,42,260	59,600	10,000	69,600	1,72,660
182	कानपुर नगर	उ नि I सदर	6972/30.12.13	6928/28.12.13	180	2,216.00	38,78,000	5,000	1,10,80,000	1,10,80,000	7	7,75,600	10,000	7,85,600	2,71,500	10,000	2,81,500	5,04,100
183	लखनऊ	उ नि IV सदर	10186/12.07.13	8537/11.06.13	720 स	870.00	5,00,000	4,500	39,15,000	39,15,000	7	2,74,050	10,000	2,84,050	64,000	10,000	74,000	2,10,050

(धनराशि ₹ में)																		
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वाञ्छित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
184	मऊ	उ नि मधुबन	32/08.01.14	23/06.01.14	2644	6,070.00	6,26,000	5,300	3,21,71,000	3,21,71,000	4 व 5	15,98,550	10,000	16,08,550	25,040	10,000	35,040	15,73,510
185	पीलीभीत	उ नि सदर	2905/16.04.13	7334/25.7.11	401	1,620.00	10,00,000	2,600	42,12,000	42,12,000	6 व 7	2,84,840	10,000	2,94,840	60,000	10,000	70,000	2,24,840
186	सहारनपुर	उ नि नकुड़	12496/22.07.14	12415/21.07.14	1114	1,025.00	6,15,000	3,000	30,75,000	30,75,000	4 व 5	1,43,750	10,000	1,53,750	30,750	10,000	40,750	1,13,000
187	शाहजहाँपुर	उ नि जलालाबाद	10790/08.12.14	8585/23.09.14	2277	1,210.00	2,92,000	3,000	36,30,000	36,30,000	5	1,81,500	10,000	1,91,500	14,600	2,920	17,520	1,73,980
188	सीतापुर	उ नि सदर	7156/08.11.13	4499/12.07.13	571 मि	6,160.00	24,64,000	2,000	1,23,20,000	1,23,20,000	4 व 5	6,06,000	10,000	6,16,000	1,13,200	10,000	1,23,200	4,92,800
189	गाजियाबाद	उ नि V सदर	5459/19.08.14	3309/21.05.14 3310/21.05.14 3311/21.05.14	25	13,305.00	86,50,000	4,200	5,58,81,000	5,58,81,000	7	39,11,670	10,000	39,21,670	4,33,000	10,000	4,43,000	34,78,670
190	गाजियाबाद	उ नि V सदर	4331/30.06.14	3184/15.05.14	448	3,647.00	10,95,000	4,000	1,45,88,000	1,45,88,000	7	10,21,160	10,000	10,31,160	77,500	10,000	87,500	9,43,660
191	गाजियाबाद	उ नि V सदर	1964/19.03.14	664/24.01.14 1675/06.03.14 1681/06.03.14	447	2,529.00	7,60,000	4,000	1,01,16,000	1,01,16,000	7	7,08,120	10,000	7,18,120	53,300	10,000	63,300	6,54,820
192	कानपुर नगर	उ नि I सदर	1574/13.03.14	5676/19.10.13	204 मि	7,645.00	38,23,000	1,800	1,37,61,000	1,37,61,000	7	9,63,270	10,000	9,73,270	2,67,700	10,000	2,77,700	6,95,570
193	लखनऊ	उ नि IV सदर	9166/21.06.13	6563/02.05.13	520 स	2,530.00	15,18,000	3,400	86,02,000	86,02,000	7	6,02,140	10,000	6,12,140	1,06,300	10,000	1,16,300	4,95,840
194	लखनऊ	उ नि IV सदर	9509/28.06.13	9451/27.06.13	384 स	1,520.00	9,13,500	3,400	51,68,000	51,68,000	7	3,61,760	10,000	3,71,760	63,900	10,000	73,900	2,97,860
योग (₹ लाख में)						4.45	4,070.72		16,971.89	16,972.15		1,011.05	19.60	1,030.65	234.51	17.79	252.30	778.35

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XVIII
भूमि का अवमूल्यांकन
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 5.6)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद कानाम	इकाई का नाम	धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को अकृषि घोषित करने का दिनांक	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	आगरा	उ नि एत्मादपुर	21.12.12 03.08.12	4771/21.03.13	0	1981 मि	4,610	29,97,000	1,600	73,76,000	73,76,000	6 व 7	5,06,320	10,000	5,16,320	2,00,000	10,000	2,10,000	3,06,320
2	आगरा	उ नि एत्मादपुर	31.07.12 04.08.12	11075/15.07.13	0	605 मि	3,840	15,36,000	2,200	84,48,000	84,48,000	7	5,91,360	10,000	6,01,360	1,07,520	10,000	1,17,520	4,83,840
3	आगरा	उ नि एत्मादपुर	10.11.12	14890/30.09.13	0	287 मि	8,060	44,33,000	2,000	1,61,20,000	1,61,20,000	7	11,28,400	10,000	11,38,400	3,10,310	10,000	3,20,310	8,18,090
4	आगरा	उ नि एत्मादपुर	21.12.12 03.08.12	16565/30.10.13	0	1981 मि	4,610	29,97,000	2,200	1,01,42,000	1,01,42,000	7	7,09,940	10,000	7,19,940	2,09,790	10,000	2,19,790	5,00,150
5	आगरा	उ नि एत्मादपुर	10.11.12	14893/30.09.13	0	287 मि	8,060	44,33,000	2,000	1,61,20,000	1,61,20,000	7	11,28,400	10,000	11,38,400	3,10,300	10,000	3,20,300	8,18,100
6	आगरा	उ नि एत्मादपुर	29.11.13	4848/29.03.14	0	855 मि	2,300	11,50,000	1,100	25,30,000	25,30,000	4 व 5	1,16,500	10,000	1,26,500	47,500	10,000	57,500	69,000
7	इलाहाबाद	उ नि मेजा	25.03.11	384/21.02.14		702/2	4,570	8,19,000	4,000	1,82,80,000	1,82,80,000	4 व 5	9,04,000	10,000	9,14,000	32,810	10,000	42,810	8,71,190
8	इलाहाबाद	उ नि मेजा	28.03.11	2634/21.10.13		702/2	4,570	10,06,000	4,000	1,82,80,000	1,82,80,000	5	9,14,000	10,000	9,24,000	50,320	10,000	60,320	8,63,680
9	फिरोजाबाद	उ नि II सदर	12.03.14	4627/01.08.14	3163/09.06.14	361 मि	2,050	10,15,000	5,500	1,12,75,000	1,12,75,000	4 व 5	5,53,750	10,000	5,63,750	40,800	10,000	50,800	5,12,950
10	लखनऊ	उ नि II सदर	28.09.13	5842/10.04.14	17463/27.11.13	742	1,000	55,32,000	5,400	54,00,000	54,00,000	7	3,78,000	10,000	3,88,000	3,87,500	10,000	3,97,500	9,500
					17464/27.11.13		1,760	0	3,780	66,52,800	66,53,000	7	4,65,710		4,65,710				4,65,710
					17465/27.11.13														
11	शाहजहाँपुर	उ नि तिलहर	13.06.14	8895/18.07.14	7089/13.06.14	71/1	1,185	3,56,000	2,600	30,81,000	30,81,000	7	2,15,670	10,000	2,25,670	24,920	7,120	32,040	1,93,630
योग							46,615	2,62,74,000	36,380	12,37,04,800	12,37,05,000		76,12,050	1,10,000	77,22,050	17,21,770	1,07,120	18,28,890	58,93,160

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XIX

डीएएस के अन्तर्गत स्थानीय चैनलों के संचालन पर अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की न/कम वसूली
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 6.4.8)

							(धनराशि ₹ में)
क्रम संख्या	इकाई का नाम	एमएसओ की संख्या	अवधि	संयोजनों की संख्या	अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क ₹ 100 प्रति संयोजन	देय अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के विरुद्ध भुगतान	अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि
1	स0आ0म0क0, आगरा	4	2013-14 से 2014-15	6,83,798	6,83,79,800	—	6,83,79,800
2	जि0म0क0अ0, बिजनौर	1	2014-15	2,954	2,95,400	70,000	2,25,400
3	स0आ0म0क0, फिरोजाबाद	2	2012-13 से 2014-15	15,018	15,01,800	6,20,300	8,81,500
4	जि0म0क0अ0, मथुरा	2	2012-13 से 2014-15	73,806	73,80,600	55,37,500	18,43,100
5	स0आ0म0क0, मेरठ	1	2011-12 से 2014-15	4,12,153	4,12,15,300	2,00,01,800	2,12,13,500
6	स0आ0म0क0, मुजफ्फरनगर	2	2013-14 से 2014-15	17,494	17,49,400	9,46,100	8,03,300
7	स0आ0म0क0, सहारनपुर	1	2012-13 से 2013-14	23,288	23,28,800	16,00,000	7,28,800
	योग	13		12,28,511	12,28,51,100	2,87,75,700	9,40,75,400

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XX

सेट-टाप-बाक्स के सक्रियण प्रभार पर मनोरंजन कर का अनारोपण
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 6.4.9)

जनपद की संख्या	जनपद का नाम	क्रम संख्या	एमएसओ का नाम	(धनराशि ₹ में)		
				एसटीबी की संख्या	एसटीबी की राशि ₹ 1199 प्रति की दर से	एसटीबी पर कर की धनराशि
1	आगरा	1	सी टी.वी. नेटवर्क लि०	49,610	5,94,82,390	1,48,70,598
		2	मून नेटवर्क प्रा० लि०	30,355	3,63,95,645	90,98,911
		3	डीजी महाराजा केबल नेटवर्क	25,969	3,11,36,831	77,84,208
2	इलाहाबाद	4	सीटी डिजिटल केबल	16,780	2,01,19,220	50,29,805
		5	सिल्वर लाईन इण्टरटेनमेण्ट	14,278	1,71,19,322	42,79,831
		6	स्काईनेट सर्विसेज लि०	12,150	1,45,67,850	36,41,963
3	गाजियाबाद	7	इण्डसइण्ड मीडिया	252	3,02,148	75,537
		8	जिप्पीटेल	3,500	41,96,500	10,49,125
4	गौतम बुद्ध नगर	9	बरगच्छा	1,035	12,40,965	3,10,241
		10	गोल्ड स्टार	3,300	39,56,700	9,89,175
		11	इण्डसइण्ड मीडिया लि०	1,200	14,38,800	3,59,700
		12	इण्डियन	8,779	1,05,26,021	26,31,505
5	जालौन	13	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, उरई	1,892	22,68,508	5,67,127
6	कानपुर नगर	14	सिटी	1,65,672	19,86,40,728	4,96,60,182
		15	विशाल डीजी	6,346	76,08,854	19,02,214
		16	नेट विजन	5,170	61,98,830	15,49,708
7	लखनऊ	17	चैनल 9	8,970	1,07,55,030	26,88,758
		18	नेट विजन	33,999	4,07,64,801	1,01,91,200
8	मथुरा	19	श्री कैलाश गुप्ता नियो न्यूज प्रा० लि०	4,400	52,75,600	13,18,900
		20	श्री कौशल अग्रवाल, महाराजा टेलीसिस्टम प्रा० लि०	1,000	11,99,000	2,99,750
9	मेरठ	21	मेन्शन केबल नेटवर्क प्रा० लि०	1,56,509	18,76,54,291	4,69,13,573
10	मुजफ्फरनगर	22	मे० टेक्नोबाईल सिस्टम प्रा० लि० एवं आकाश गंगा डिजिटल नेटवर्क व स्टाईल गैलरी	5,669	67,97,131	16,99,283
11	वाराणसी	23	सिटी केबल प्रा० लि०	41,640	4,99,26,360	1,24,81,590
योग				5,98,475	71,75,71,525	17,93,92,881

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XXI
केबिल संचालकों से मनोरंजन कर की कम वसूली
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 6.4.10 बुलेट 2)

							(धनराशि ₹ में)
क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	प्रकरणों की संख्या	अवधि	देय धनराशि	ब्याज	देय धनराशि के विरुद्ध जमा राशि	कर की धनराशि
1	स0आ0म0क0, आगरा	19	नवम्बर 09 से दिसम्बर 14	14,06,500	2,23,713	—	14,06,500
2	स0आ0म0क0, अलीगढ़	14	अगस्त 12 से मार्च 15	10,46,634	—	—	10,46,634
3	जि0म0क0अ0, बलरामपुर	2	अक्टूबर 12 से मार्च 15	1,11,564	—	—	1,11,564
4	स0आ0म0क0, बरेली	7	दिसम्बर 13 से जनवरी 15	1,78,948	—	95,040	83,908
5	जि0म0क0अ0, जी बी नगर	5	जून 12 से दिसम्बर 14	24,26,451	—	3,11,255	21,15,196
6	स0आ0म0क0, गोरखपुर	12	जून 12 से मार्च 15	3,17,932	—	—	3,17,932
7	जि0म0क0अ0, मथुरा	10	अगस्त 14 दिसम्बर 14	1,49,032	—	—	1,49,032
8	स0आ0म0क0, मेरठ	27	अगस्त 13 से दिसम्बर 14	11,88,478	—	—	11,88,478
	योग	96	नवम्बर 09 से मार्च 15	68,25,539	2,23,713	4,06,295	64,19,244

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XXII

केबिल संचालकों पर मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 6.4.13)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	मनोरंजन कर की अवधि	कर की धनराशि	कर प्राप्ति की अवधि	(धनराशि ₹ में)	
						विलम्ब की अवधि (दिनों में)	ब्याज की धनराशि
1	स0आ0म0क0, आगरा	53	सितम्बर 10 से फरवरी 14	18,68,547	दिसम्बर 11 से मार्च 14	02 से 950	1,22,692
2	स0आ0म0क0, अलीगढ़	15	मार्च 03 से जून 14	9,05,480	जुलाई 11 से अक्टूबर 14	03 से 1,165	1,34,909
3	स0आ0म0क0, इलाहाबाद	5	अप्रैल 13 से जून 13	8,62,884	नवम्बर 13 से जनवरी 14	153 से 270	1,02,377
4	जि0म0क0अ0, आजमगढ़	5	मार्च 13 से फरवरी 14	4,96,417	मार्च 14	06 से 23	4,983
5	जि0म0क0अ0, बागपत	7	जनवरी 13 से अगस्त 14	13,63,141	अप्रैल 13 से सितम्बर 14	01 से 198	33,568
6	स0आ0म0क0, बरेली	2	नवम्बर 06 से मई 11	2,23,860	जनवरी 14 से जनवरी 15	80 से 2,807	1,74,744
7	स0आ0म0क0, बुलन्दशहर	21	मई 04 से दिसम्बर 14	7,77,811	जून 12 से जनवरी 15	07 से 2,869	3,90,436
8	जि0म0क0अ0, जी बी नगर	21	नवम्बर 12 से सितम्बर 14	17,89,905	मई 13 से अक्टूबर 14	02 से 239	61,715
9	स0आ0म0क0, गोर,खपुर	27	नवम्बर 97 से जनवरी 15	33,50,309	फरवरी 11 से फरवरी 15	03 से 1,550	2,94,431
10	उपायुक्त म0कर, लखनऊ	1	सितम्बर 06 से नवम्बर 08	1,42,582	मई 11	212 से 887	46,882
11	स0आ0म0क0, मेरठ	11	अप्रैल 13 से अक्टूबर 14	20,38,578	मार्च 13 से नवम्बर 14	02 से 370	57,189
12	स0आ0म0क0, मुरादाबाद	5	फरवरी 13 से फरवरी 15	1,52,220	सितम्बर 14 से मार्च 15	21 से 380	17,601
13	स0आ0म0क0, मुजफ्फरनगर	14	मई 12 से अप्रैल 14	18,83,530	अक्टूबर 12 से दिसम्बर 14	01 से 649	1,90,717
	योग	187	नवम्बर 97 से फरवरी 15	1,58,55,264	फरवरी 11 से मार्च 15	01 से 2,869	16,32,244

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XXIII

डीटीएच सेवाओं पर मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 6.4.16)

डी टी एच सेवा प्रदाताओं का नाम	देय अवधि	मनोरंजन कर की धनराशि	कर की धनराशि जमा करने की नियत तिथि	कोषागार में कर जमा किये जाने का विवरण		विलम्ब की अवधि (दिनों में)	अनारोपित ब्याज की धनराशि
				चालान संख्या	दिनांक		
वीडियोकान डी2एच	फरवरी 14	2,00,00,000	02 मार्च 2014	जी-070088	08 मार्च 2014	6	60,000
		44,51,044	02 मार्च 2014	जी-070095	08 मार्च 2014	6	13,353
डिश टीवी	अगस्त 13	45,49,584	02 सितम्बर 2013	आर-114232	25 सितम्बर 2013	23	52,320
	सितम्बर 13	8,03,362	02 अक्टूबर 2013	आर-113359	19 अक्टूबर 2013	17	6,829
	अक्टूबर 13	41,15,584	02 नवम्बर 2013	आर-111239	09 नवम्बर 2013	7	14,405
	नवम्बर 13	16,81,765	02 दिसम्बर 2013	आर-103639	16 दिसम्बर 2013	14	11,772
	दिसम्बर 13	23,41,492	02 जनवरी 2014	आर-105718	18 जनवरी 2014	16	18,732
	जनवरी 14	16,82,880	02 फरवरी 2014	आर-122124	17 फरवरी 2014	15	12,622
	फरवरी 14	4,40,721	02 मार्च 2014	आर-103514	28 मार्च 2014	26	5,729
टाटा स्काई	अगस्त 13	30,82,632	02 सितम्बर 2013	जी-130034	07 सितम्बर 2013	5	7,707
	सितम्बर 13	31,39,569	02 अक्टूबर 2013	जी-110010	12 अक्टूबर 2013	10	15,698
	अक्टूबर 13	54,52,033	02 नवम्बर 2013	जी-130018	18 नवम्बर 2013	16	43,616
	नवम्बर 13	20,94,393	02 दिसम्बर 2013	जी-150001	09 दिसम्बर 2013	7	7,330
	दिसम्बर 13	53,14,590	02 जनवरी 2014	जी-090014	09 जनवरी 2014	7	18,601
	जनवरी 14	46,02,439	02 फरवरी 2014	जी-100038	08 फरवरी 2014	6	13,807
भारती टेलीभिडिया लि0	अप्रैल 14	21,08,030	02 मई 2014	जी-90002	15 मई 2014	13	13,702
	फरवरी 15	4,30,00,000	02 मार्च 2015	जी-160005	03 मार्च 2015	1	21,500
	मार्च 15	4,30,00,000	02 अप्रैल 2015	जी-110052	06 अप्रैल 2015	4	86,000
		47,51,225	02 अप्रैल 2015	जी-120019	15 अप्रैल 2015	13	30,883
डिश टीवी	मार्च 14	81,32,354	02 अप्रैल 2014	आर-112124	29 अप्रैल 2014	27	1,09,787
	अप्रैल 14	2,84,92,969	02 मई 2014	आर-103430	22 मई 2014	20	2,84,930
	मई 14	44,14,529	02 जून 2014	आर-111259	19 जून 2014	17	37,523
	जून 14	6,61,582	02 जुलाई 2014	आर-122409	21 जुलाई 2014	19	6,285
	जुलाई 14	22,35,248	02 अगस्त 2014	आर-105605	23 अगस्त 2014	21	23,470
	अगस्त 14	21,68,624	02 सितम्बर 2014	आर-111716	23 सितम्बर 2014	21	22,771
	सितम्बर 14	86,74,179	02 अक्टूबर 2014	आर-120745	30 अक्टूबर 2014	28	1,21,439
	अक्टूबर 14	2,50,00,000	02 नवम्बर 2014	आर-112547	03 नवम्बर 2014	1	12,500
		79,11,488	02 नवम्बर 2014	आर-121019	24 नवम्बर 2014	22	87,026
	नवम्बर 14	33,29,086	02 दिसम्बर 2014	आर-113617	29 दिसम्बर 2014	27	44,943
	दिसम्बर 14	2,75,00,000	02 जनवरी 2015	आर-111219	05 जनवरी 2015	3	41,250
	56,45,034	02 जनवरी 2015	आर-110623	19 जनवरी 2015	17	47,983	
जनवरी 15	2,70,00,000	02 फरवरी 2015	आर-104107	03 फरवरी 2015	1	13,500	

डी टी एच सेवा प्रदाताओं का नाम	देय अवधि	मनोरंजन कर की धनराशि	कर की धनराशि जमा करने की नियत तिथि	कोषागार में कर जमा किये जाने का विवरण		विलम्ब की अवधि (दिनों में)	(धनराशि ₹ में) अनारोपित ब्याज की धनराशि
				चालान संख्या	दिनांक		
		65,89,693	02 फरवरी 2015	आर-134222	20 फरवरी 2015	18	59,307
	फरवरी 15	2,70,00,000	02 मार्च 2015	आर-112137	03 मार्च 2015	1	13,500
		65,45,881	02 मार्च 2015	आर-112931	25 मार्च 2015	23	75,278
	मार्च 15	1,12,34,339	02 अप्रैल 2015	आर-105715	27 अप्रैल 2015	25	1,40,429
टाटा स्काई	मार्च 14	39,04,616	02 अप्रैल 2014	जी-100015	11 अप्रैल 2014	9	17,571
	अप्रैल 14	45,25,622	02 मई 2014	जी-140035	09 मई 2014	7	15,840
	मई 14	51,43,387	02 जून 2014	जी-08002	12 जून 2014	10	25,717
	जून 14	21,82,585	02 जुलाई 2014	जी-090008	09 जुलाई 2014	7	7,639
	जुलाई 14	14,27,261	02 अगस्त 2014	जी-150007	09 अगस्त 2014	7	4,995
	अगस्त 14	27,39,667	02 सितम्बर 2014	जी-90065	10 सितम्बर 2014	8	10,959
	सितम्बर 14	10,76,960	02 अक्टूबर 2014	जी-110023	13 अक्टूबर 2014	11	5,923
	अक्टूबर 14	4,70,00,000	02 नवम्बर 2014	जी-90003	05 नवम्बर 2014	3	70,500
		3,00,000	02 नवम्बर 2014	जी-100012	15 नवम्बर 2014	13	1,950
		34,45,201	02 नवम्बर 2014	जी-100024	15 नवम्बर 2014	13	22,394
	नवम्बर 14	4,70,00,000	02 दिसम्बर 2014	जी-230028	04 दिसम्बर 2014	2	47,000
		35,25,203	02 दिसम्बर 2014	जी-080013	10 दिसम्बर 2014	8	14,101
	दिसम्बर 14	4,95,00,000	02 जनवरी 2015	जी-100019	03 जनवरी 2015	1	24,750
		41,75,093	02 जनवरी 2015	जी-130034	13 जनवरी 2015	11	22,963
	जनवरी 15	4,95,00,000	02 फरवरी 2015	जी-80022	03 फरवरी 2015	1	24,750
		54,52,683	02 फरवरी 2015	जी-90030	07 फरवरी 2015	5	13,632
	फरवरी 15	5,00,00,000	02 मार्च 2015	जी-160050	03 मार्च 2015	1	25,000
		7,33,421	02 मार्च 2015	जी-090058	09 मार्च 2015	7	2,567
	मार्च 15	5,00,00,000	02 अप्रैल 2015	जी-130049	04 अप्रैल 2015	2	50,000
		94,46,222	02 अप्रैल 2015	जी-0017	10 अप्रैल 2015	8	37,785
रिलायंस बिग टीवी	सितम्बर 14	70,00,000	02 अक्टूबर 2014	जी-110030	10 अक्टूबर 2014	8	28,000
	नवम्बर 14	70,00,000	02 दिसम्बर 2014	जी-230012	04 दिसम्बर 2014	2	7,000
	फरवरी 15	66,00,000	02 मार्च 2015	जी-160008	07 मार्च 2015	5	16,500
	मार्च 15	60,00,000	02 अप्रैल 2015	जी-110054	06 अप्रैल 2015	4	12,000
विडियोकान डी2एच	मार्च 14	2,00,00,000	02 अप्रैल 2014	जी-110055	05 अप्रैल 2014	3	30,000
		51,96,988	02 अप्रैल 2014	जी-90065	10 अप्रैल 2014	8	20,788
	अप्रैल 14	2,50,00,000	02 मई 2014	जी-140001	23 मई 2014	21	2,62,500
		5,07,671	02 मई 2014	जी-120001	07 मई 2014	5	1,269
	मई 14	2,50,00,000	02 जून 2014	जी-170001	16 जून 2014	14	1,75,000
		9,09,106	02 जून 2014	जी-130002	05 जून 2014	3	1,364
	जून 14	2,52,31,028	02 जुलाई 2014	जी-220001	09 जुलाई 2014	7	88,309
	जुलाई 14	2,50,00,000	02 अगस्त 2014	जी-200001	06 अगस्त 2014	4	50,000

डी टी एच सेवा प्रदाताओं का नाम	देय अवधि	मनोरंजन कर की धनराशि	कर की धनराशि जमा करने की नियत तिथि	कोषागार में कर जमा किये जाने का विवरण		विलम्ब की अवधि (दिनों में)	(धनराशि ₹ में) अनारोपित ब्याज की धनराशि
				चालान संख्या	दिनोंक		
		6,94,329	02 अगस्त 2014	जी-180013	06 अगस्त 2014	4	1,389
	अगस्त 14	11,53,764	02 सितम्बर 2014	जी-170002	07 सितम्बर 2014	5	2,884
	सितम्बर 14	16,17,791	02 अक्टूबर 2014	जी-130002	07 अक्टूबर 2014	5	4,044
	अक्टूबर 14	2,71,37,061	02 नवम्बर 2014	जी-210002	05 नवम्बर 2014	3	40,706
	नवम्बर 14	4,59,661	02 दिसम्बर 2014	जी-190012	08 दिसम्बर 2014	6	1,379
	दिसम्बर 14	2,89,18,288	02 जनवरी 2015	जी-070009	05 जनवरी 2015	3	43,377
	जनवरी 15	8,53,50	02 फरवरी 2015	जी-150001	09 फरवरी 2015	7	2,987
	फरवरी 15	9,71,294	02 मार्च 2015	जी-170001	09 मार्च 2015	7	3,400
	मार्च 15	3,00,00,000	02 अप्रैल 2015	जी-170011	06 अप्रैल 2015	4	60,000
		24,87,148	02 अप्रैल 2015	जी-160007	07 अप्रैल 2015	5	6,218
सन डायरेक्ट	मार्च 14	2,12,511	02 अप्रैल 2014	जी-160051	21 अप्रैल 2014	19	2,019
	अप्रैल 14	17,95,000	02 मई 2014	जी-100034	05 मई 2014	3	2,693
		22,107	02 मई 2014	जी-70018	21 मई 2014	19	210
	जुलाई 14	48,503	02 अगस्त 2014	जी-100001	21 अगस्त 2014	19	461
	सितम्बर 14	13,67,113	02 अक्टूबर 2014	जी-70002	10 अक्टूबर 2014	8	5,468
योग	अगस्त 13 से मार्च 15	95,14,07,137				01 से 28	29,12,525

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-XXIV
शासनादेशों का अधिनियम/नियमों के अनुरूप न होना
(संदर्भ प्रस्तर सं०. 6.11)

(धनराशि ₹ में)						
क्र०सं०	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	रायल्टी अदा करने की अवधि	अदा रायल्टी	खनिज का देय मूल्य	देय अर्थदण्ड
1	जि खा का औरैया	13	दिसम्बर 2013	2,21,159	11,05,795	3,25,000
2	जि खा का बहराइच	17	दिसम्बर 2013	45,26,049	2,26,30,245	4,25,000
3	जि खा का बलिया	11	जनवरी 2014	5,66,027	28,30,135	2,75,000
4	जि खा का रायबरेली	23	मार्च 2013 एवं मार्च 2014	34,21,907	1,71,09,535	5,75,000
5	जि खा का देवरिया	4	अगस्त 2012 से जनवरी 2014	1,66,105	8,30,525	1,00,000
6	जि खा का एटा	30	नवम्बर 2013 एवं नवम्बर 2014	1,07,928	53,97,640	7,50,000
7	जि खा का इटावा	8	अप्रैल एवं दिसम्बर 2014	26,78,579	1,33,92,895	2,00,000
8	जि खा का फैजाबाद	51	मार्च, नवम्बर 2013 एवं मार्च 2014	29,55,581	1,47,77,905	12,75,000
9	जि खा का गाजीपुर	12	मार्च 2014	19,77,698	98,88,490	3,00,000
10	जि खा का गोण्डा	9	फरवरी 2015	99,129	4,95,645	2,25,000
11	जि खा का कानपुर देहात	16	अक्टूबर 2014	2,70,889	13,54,445	4,00,000
12	जि खा का लखीमपुर खीरी	16	सितम्बर 2012 एवं सितम्बर 2014	22,14,434	1,10,72,170	4,00,000
13	जि खा का महाराजगंज	11	मई 2013	3,31,538	16,57,690	2,75,000
14	जि खा का मऊ	16	जनवरी 2014	6,87,920	34,39,600	4,00,000
15	जि खा का शाहजहाँपुर	23	अप्रैल 2013 एवं जून 2014	10,61,125	53,05,625	5,75,000
16	जि खा का सुल्तानपुर	51	जनवरी, जून एवं जुलाई 2014	41,46,044	2,07,30,220	12,75,000
योग		311		2,64,03,712	13,20,18,560	77,75,000

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट – XXV

ईट भट्टा मालिकों से रायल्टी एवं अनुज्ञापन फीस की वसूली न किया जाना
(संदर्भ प्रस्तर सं० 6.14)

							(धनराशि ₹ में)
क्र०सं०	जिला का नाम	श्रेणी	रायल्टी का अवधि	ईट भट्टा की संख्या	देय रायल्टी	देय अनुज्ञापन फीस	कुल रायल्टी एवं अनुज्ञापन फीस
1	जि खा का औरैया	अ	2012-13	25	20,34,450	50,000	20,84,450
			2013-14	37	29,98,350	74,000	30,72,350
2	जि खा का आजमगढ़	स	2013-14	344	1,32,29,400	6,88,000	1,39,17,400
3	जि खा का बलिया	स	2013-14	35	14,97,150	70,000	15,67,150
4	जि खा का बलरामपुर	स	2013-14	14	6,12,900	28,000	6,40,900
5	जि खा का इटावा	अ	2013-14	2	1,70,100	4,000	1,74,100
6	जि खा का फरुखाबाद	ब	2013-14	23	14,67,450	46,000	15,13,450
7	जि खा का गाजीपुर	स	2012-13	51	22,47,750	1,02,000	23,49,750
8	जि खा का गोण्डा	स	2014-15	74	31,34,500	1,48,000	32,82,500
9	जि खा का गोरखपुर	स	2013-14	21	8,73,450	42,000	9,15,450
10	जि खा का जे पी नगर	अ	2012-13	8	6,23,700	16,000	6,39,700
			2013-14	24	17,25,300	48,000	17,73,300
11	जि खा का काशीराम नगर	अ	2014-15	41	30,65,850	82,000	31,47,850
12	जि खा का महराजगंज	स	2012-13	171	67,62,150	3,42,000	71,04,150
			2013-14	190	75,70,800	3,80,000	79,50,800
13	जि खा का पीलीभीत	अ	2013-14	8	5,83,200	16,000	5,99,200
14	जि खा का संत रविदास नगर	ब	2011-12	133	46,21,500	2,66,000	48,87,500
			2012-13	109	56,63,250	2,18,000	58,81,250
			2013-14	99	51,23,250	1,98,000	53,21,250
15	जि खा का शाहजहाँपुर	अ	2014-15	15	11,38,050	30,000	11,68,050
16	जि खा का वाराणसी	ब	2013-14	6	3,42,900	12,000	3,54,900
योग				1,430	6,54,85,450	28,60,000	6,83,45,450

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट –XXVI
ईट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी का कम आरोपण
 (संदर्भ प्रस्तर सं० 6.15)

							(धनराशि ₹ में)
क्र०सं०	जिला का नाम	श्रेणी	वर्ष	ईट भट्टा की संख्या	देय रायल्टी	जमा रायल्टी	रायल्टी का अन्तर
1	जि खा का औरैया	अ	2013-14	8	6,42,600	4,28,400	2,14,200
2	जि खा का बलिया	स	2012-13	11	4,44,150	3,03,300	1,40,850
3	जि खा का बलरामपुर	स	2012-13	28	11,55,600	7,70,400	3,85,200
4	जि खा का फैजाबाद	स	2012-13	31	14,05,350	9,25,600	4,79,750
5	जि खा का जौनपुर	स	2012-13	271	1,09,74,788	74,56,716	35,18,072
5	जि खा का जौनपुर	स	2013-14	20	8,04,600	5,42,475	2,62,125
6	जि खा का काशीराम नगर	अ	2012-13	47	35,38,350	23,53,500	11,84,850
7	जि खा का महाराजगंज	स	2012-13	71	29,33,550	19,49,300	9,84,250
8	जि खा का मऊ	स	2012-13	10	3,96,900	2,78,800	1,18,100
9	जि खा का रायबरेली	ब	2012-13	30	19,35,900	12,90,600	6,45,300
10	जि खा का संत रविदास नगर	ब	2012-13	11	5,81,850	3,41,900	2,39,950
11	जि खा का सुल्तानपुर	स	2012-13	50	23,54,400	15,72,950	7,81,450
			2013-14	12	5,31,900	3,54,600	1,77,300
12	जि खा का वाराणसी	ब	2012-13	28	15,57,900	10,38,600	5,19,300
योग				628	2,92,57,838	1,96,07,141	96,50,697

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली

असि0क0	असिस्टेन्ट कमिश्नर
असि0क0म0क0	असिस्टेन्ट कमिश्नर मनोरंजन कर
अ0म0नि0	अतिरिक्त महानिरीक्षक (निबंधन)
आ0ले0प0	आन्तरिक लेखापरीक्षा
आ0आ0	आबकारी आयुक्त
आ0ले0प0शा0	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा
आई0टी0सी0	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आर0आई0टी0सी0	इनपुट टैक्स क्रेडिट का उत्क्रमण
उ0प्र0	उत्तर प्रदेश
उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली	उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963
उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम	उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997
उ0प्र0 मो0या0क0 नियमावली	उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998
उ0प्र0 रा0स0प0नि0	उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
उ0प्र0व्या0क0	उत्तर प्रदेश व्यापार कर
उ0प्र0श0वि0यो0 अधिनियम	उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973
उ0प्र0मू0सं0क0	उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर
उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0अ0	उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950
उ0म0नि0	उप महानिरीक्षक (निबंधन)
उ0प0आ0	उप परिवहन आयुक्त
उ0 नि0	उप निबन्धक
उ0 नि0 का0	उप निबन्धक कार्यालय
उ0जि0अ0	उप जिला अधिकारी
उप खनिज	उप खनिज का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी, मामली मृदा एवं मामूली बालू से है।
एमएसओ	बहु प्रणाली संचालक
एलसीओ	स्थानीय केबल संचालक
एसटीबी	सेट टाप बाक्स
एम0एम0-11 प्रपत्र	खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास।
एम0एफ0-4	चीनी मिल से आसवनी को भेजे जाने वाले शीरे के परिवहन हेतु गेट पास का प्रपत्र।
एस0वी0ओ0पी	उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997
ओ0टी0एस0एस0	एक मुश्त समाधान योजना

कराधान अधिकारी	उ०प्र० मो०या०क० नियम, 1998 के अधीन अपने सम्भाग अथवा उप सम्भाग के स्थानीय क्षेत्र सं०प०आ० एवं स०सं०प०आ०, कराधान अधिकारी के रूप में परिभाषित है।
क०नि०प्रा०	कर निर्धारण प्राधिकारी
क०वा०क०	कमिश्नर वाणिज्य कर
के० मो० या० अ०	मोटर यान अधिनियम, 1988
के० मो० या० नि०	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
के०प०प्र०प०	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र
के० बि० क०	केन्द्रीय बिक्री कर
का०आ०	कार्यवाही आख्या
खनन पट्टा	खनन पट्टा का तात्पर्य खनन संक्रिया के लिए दिये जाने वाले पट्टे से है जिसमें ऐसे कार्य के लिए दिया गया उप पट्टा भी सम्मिलित होता है।
खनन अनुज्ञा पत्र	खनन अनुज्ञा-पत्र का तात्पर्य उस अनुज्ञा-पत्र से है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र में नियत अवधि के भीतर उप-खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिए दिया गया होता है।
खान अधिनियम	खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
ख०प०नि०	खनिज परिहार नियमावली, 1960
चौहद्दी	प्रश्नगत भूमि के सीमा में स्थित सम्पत्ति
जि०आ०का०	जिला आबकारी कार्यालय
जि०आ०अ०	जिला आबकारी अधिकारी
जि०म०क०अ०	जिला मनोरंजन कर अधिकारी
जि०म०क०का०	जिला मनोरंजन कर कार्यालय
जि०अ०	जिलाधिकारी
जि०खा०अ०	जिला खान अधिकारी
जि०खा०का०	जिला खान कार्यालय
जी-12	व्यवस्थित दुकानों का विवरण
जी-6	आबकारी कार्यालयों द्वारा रखा जाने वाला ऐसा रजिस्टर, जिसमें आबकारी विभाग की समस्त प्राप्तियों का इन्द्राज होता है।
ज्वा०कमि०	ज्वाइन्ट कमिश्नर
ज्वा०कमि० (का०स०)	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल)
जे०एन०एन०यू०आर०एम०	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
टी०डी०एस०	स्रोत पर कर की कटौती

टीएसआरए	टेलीविजन सिग्नल रिसेवर की एजेन्सी का तात्पर्य ऐसे किसी मनोरंजन स्थल, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जहाँ टेलीविजन सिग्नल रिसेवर के बेचने, किराये पर देने, वितरण करने या विनिमय करने या किसी रूप में परिचालन का व्यवसाय होता हो।
डि०कमि०	डिप्टी कमिश्नर
डि०क०म०क०	डिप्टी कमिश्नर मनोरंजन कर
डीएस	डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम
डीटीएच	डाइरेक्ट टू होम
परिशिष्ट-II पंजिका	मनोरंजन कर कार्यालयों द्वारा मनोरंजन कर विभाग की सभी प्राप्तियों के लिये रखी जाने वाली पंजिका
नि०प्र०	निरीक्षण प्रतिवेदन
नि०ले०प०	निष्पादन लेखापरीक्षा
न्यू० प्र० मा०	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
प०आ०	परिवहन आयुक्त
प्र०क०	स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर
प्रपत्र-सी	उप खनिज भण्डारण के अनुज्ञापी द्वारा परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास।
ब०अ०	बजट अनुमान
बै०गा०	बैंक गारण्टी
बे०ला०फी०	बेसिक लाइसेंस फीस
भूमिधर	ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी फ्रीहोल्ड भूमि हो तथा उसको अन्तर्गत करने का पूरा अधिकार हो।
भा० नि० वि० म०	भारत निर्मित विदेशी मदिरा से तात्पर्य ऐसी मदिरा से है जो कि भारत में बनी हो तथा रंग मिश्रण अथवा परिष्कृत करने के पश्चात् रंग अथवा रंजक में भारत में आयातित मदिरा से मिलती हो।
भा० नि० अधिनियम	भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908
भा० स्टा० अधिनियम	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899
म०नि०नि०	महानिरीक्षक (निबन्धन)
मॉडल शॉप	पालिका, शहर अथवा निगम क्षेत्र के 600 वर्ग फीट के व्यावसायिक क्षेत्र में ऐसी दुकान जहाँ पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर के पीने की सुविधा उपलब्ध हो।
मो० या० अ०	मोटर यान अधिनियम, 1988
मू०सं०क०	मूल्य सर्वर्धित कर
रा०वि०क०	राज्य विकास कर
ले०प०प्र०	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
लो०ले०स०	लोक लेखा समिति
वा०क०अ०	वाणिज्य कर अधिकारी

व0प्र0	वसूली प्रमाण पत्र
वि0आ0जो0	विशेष आर्थिक जोन
वि0 अ0 शा0	विशेष अनुसंधान शाखा
वाहन साफ्टवेयर	पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट एवं कर आदि के विवरणों के रखे जाने हेतु प्रकल्पित वाहन साफ्टवेयर
व्यास	वाणिज्य कर आटोमेशन सिस्टम
शा0आ0	शासकीय आदेश
स0म0नि0	सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)
स0सं0प0अ0	सहायक संम्भागीय परिवहन अधिकारी
स0 या0 भा0	सकल यान भार
सं0प0अ0	संम्भागीय परिवहन अधिकारियों
सं0सं0क0	संकर्म संविदा कर
स0आ0म0क0	सहायक आयुक्त मनोरंजन कर